Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का २६वां दिवस [संख्या १८

रविवार, दिनांक २१ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म०पू० ११.०५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(गृह एवं शिक्षा-विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

सहकारी विभाग के निरीक्षक का कत्ल

४१५. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि श्री रामहेतसिंह यादव को, जो निरीक्षक सहकारी समितियां थे, चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर किसी ने पीछे से प्रहार करके मार डाला था ? यदि हां, तो कौनसी तारीख को और किसने मारा था ?

(२) मारने का क्या कारण था और अब मारने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(३) श्री रामहेतसिंह के कितने बच्चे हैं और उनके जीवन-निर्वाह की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

उप-मंत्री-गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, यह सत्य है कि श्री रामहेतसिंह यादव, निरीक्षक, सहकारी समितियां को एक फकीरा नामक हरिजन ने जो नसीराबाद का रहने वाला था दि० २८-२-६४ को जब वह एक पुस्तक पढ़ने में चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर व्यस्त थे, पीछे से एक लोहे की छड़ी

Page No 2

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सिर पर मार दी जिससे उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई।

(२) मारने का कारण ज्ञात नहीं हो सका। अन्वेषण के पश्चात् मामले का चालान भारतीय दण्ड संहिता ३०२ के तहत अदालत में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें अभियुक्त फकीरा को दिनांक १०-१२-६४ को सेशन्स जज, प्रतापगढ़ की अदालत में आजीवन कारावास का दन्ड दिया गया।

(३) श्री रामहेतसिंह के उनकी पत्नि व ८ बच्चे मौजूद हैं जिनके जीवन निर्वाह के लिए राजस्थान सरकार के आदेश से देवस्थान विभाग द्वारा जहां से विधवाओं को सहायता दी जाती है, कुल ५५) रु. प्रति माह मिलते हैं, जिसका व्यौरा इस प्रकार है: १५) रु० पत्नि को, तीन बच्चों को १०), १०) रु. प्रत्येक बच्चे को तथा ५)-५) रु. दो बच्चियों को मिलता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने यह बताया कि मारने के कारणों की कोई जानकारी नहीं हो सकी; मारा गया, तो क्या गवर्नमेन्ट यह मालूम करने में असमर्थ रही कि क्या नीयत थी उसके मारने के पीछे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जैसा निवेदन किया कि इसका कन्विक्शन हुआ है और आजीवन कारावास की सजा सेशन्स कोर्ट से दी गई है। उन्होंने कहा कि मोटिव इसका ट्रेस आउट नहीं हो सका और मोटिव क्रिमिनल केसेज़ में इम्मेटीरियल है कि मोटिव पता लगे या नहीं; तब भी वह मर्डर है। न तो अदालत पहुंची किसी नतीजे पर और न हम।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह आपकी कस्टडी में रहा। उसके लिए यह अफवाह उड़ाई गई कि वह पागल था। फिर उसे पागलखाने में रखा गया। फिर अफवाह उड़ाई गई कि वह पागल नहीं था, लेकिन पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद पुलिस यह मालूम नहीं कर सकी कि उसकी मन्शा क्या थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां, नहीं मालूम कर सकी। यह भी सत्य है कि पागल की तरह से उसने व्यवहार किया। यह भी सत्य है कि पागल नहीं था और ऑब्ज़र्वेशन में रखा गया और फिर भी मोटिव क्या हो सकता है; लेकिन कोर्ट ने अपने ऑब्ज़र्वेशन में यह कहा है कि सम्भव है कि कुछ डिस्टेन्स पर कुछ व्यक्ति हों जिनका पता नहीं लग सका और अदालत में भी और तफतीश में भी। लेकिन इम्मेटीरियल है मोटिव।

श्री जयनारायण सालोदिया : उसको मारने के पीछे कोई राजनैतिक कारण था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह बिल्कुल असत्य है, निराधार है। अदालत ने भी नहीं माना और ऑब्ज़र्वेशन ऑफ दी कोर्ट के खिलाफ कोई बात नहीं उठती।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आप फिर किस आधार पर कहते हैं, जबकि आपको मोटिव का पता नहीं लगा तो यह किस आधार पर कहते हैं कि उसके मारने के पीछे पोलिटिकल रीजन नहीं था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अदालत ने आॅब्ज़र्वेशन दिये। चूंकि मोटिव ट्रेस-आउट डेफीनेटली नहीं हो सके हैं इसलिए हम इस पहलू पर ज्यादा चिन्ता व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। मोटिव इम्मेटीरियल मानकर आजीवन कारावास की सजा दे दी ।

श्री जयनारायण सालोदिया : अदालत में उसने स्वीकार किया है कि मैंने मारा है, लेकिन यह जानकारी होना जरूरी है कि क्यों मारा। क्यों मन्जूर कर लिया आजीवन कारावास के लिए ? क्या रुपया लेकर उसने ऐसा नहीं किया ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक प्रश्न मेरा और है। क्या यह सत्य है कि सरकार के पास इस सम्बन्ध में शिकायतें आई थीं कि इस मर्डर के पीछे कोई पॉलिटीकल मोटिव है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो केस तय हो चुका है, अदालत में उसके ऊपर बातें पूछी जायं जबकि सारी एवीडेन्सेज़ वगैरह हो चुकी थीं, तो यह अनुचित है। अब इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वह शख्स जो कि मरा है वह आॅन ड्यूटी पर जा रहा था उस वक्त वह मरा है या आउट आॅफ ड्यूटी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : On duty.

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर उसको सरकार ने आॅन ड्यूटी मरने के कारण कोई मुआवजा क्यों नहीं दिया ? जो अभी दिया है वह उन रूल्स में दिया है और उन रूल्स में नहीं दिया है जो कि ओन ड्यूटी के बारे में हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Not discharging the duty at the time वह जा रहा था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ड्यूटी पर जा रहा था, तो क्या वह ड्यूटी पर नहीं माना जायेगा। वह ट्रान्जिट में था और टी० ए० चार्ज करता है तो ओन ड्यूटी पर है या नहीं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उसको १५०) रु० मिलता था; उसको ५०) रु० कम्पेन्सेशन दिया है। मैं इसको और एग्ज़ामिन करा लूंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक प्रश्न है। यह जो आपने फर्माया है कि उसके

Page No 4

(श्री जयनारायण सालोदिया)

८ बच्चे और एक औरत है और उसको ५०) रु० महीना देते हैं तो ६ आदमियों का ५०) रु० में आप यह महसूस करते हैं कि पालन-पोषण हो सकता है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : साधारणतया ।

प्रश्न संख्या ४१६

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ ।

अध्यापकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

४१७. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या १ मार्च, १९६४ से राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में ५ रुपये की की गई वृद्धि अध्यापकों के लिए भी है ?

(२) अगर हां, तो कब से और अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां ।

(२) हां, १ मार्च, १९६४ से ।

श्री केदारनाथ : जो टीचर एडेड स्कूल में काम करते हैं उनको भी ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उनके लिए सर्क्युलर डिपार्टमेंट ने निकाल दिया है कि एडेड स्कूल्स के टीचर्स को भी ५) रु० मिलें ।

प्रश्न संख्या ४१८

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

(अनुपस्थित —कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४१६

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल,जयपुर) : प्रश्न संख्या ४२० ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : जान-बूझकर निर्धारित नहीं किया गया है ।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : हम में से कोई नहीं चाहते है कि वह आये ।

श्री भैरोंसिंह : आप बोल रहे हैं इसलिए आया है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ४२० ही ४२० को देखता है ।

Page No 5

विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेजों की फीस

४२०. श्री भैरोंसिंह : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान युनिवर्सिटी जयपुर, व जोधपुर युनिवर्सिटी में किन किन कॉलेजों का एफिलियेशन हुआ है ?

(२) इन कॉलेजों में एफिलियेशन के पूर्व किस किस प्रकार की कितनी कितनी फीस व कॉशन मनी निर्धारित थी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) युनिवर्सिटी में एफिलियेशन के पश्चात् कॉलेजों में लागू कौन कौन सी फीस हटा दी गई और किन किन में कितनी कितनी वृद्धि कर दी गई ? कृपया तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) कॉलेजों में फीस सम्बन्धी जो एग्ज़म्पशन्स थे उनमें क्या कोई संशोधन इन विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थान कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज तथा कॉमर्स कॉलेज, जयपुर तथा जोधपुर विश्वविद्यालय में श्री महाराज कुमार कॉलेज, जसवन्त कॉलेज, कमला नेहरू महिला कॉलेज तथा श्री मगनीराम बांगड़ इन्जीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर का स्थानान्तरण हुआ है।

(२) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली फीस की सूचना प्रश्न क्रम संख्या २ पर सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है। जोधपुर विश्वविद्यालय ने महाराज कुमार कॉलेज, जसवन्त कॉलेज व कमला नेहरू कॉलेज में कोई फीस कम नहीं की है। इंजीनियरिंग कॉलेज में मेडिकल फीस ५) रु० व कैलेन्डर फीस ३) रु० हटा दी है।

(४) जोधपुर युनिवर्सिटी ने ये रियायतें दी हैं :—

(१) जो कुछ रियायतें सरकार ने पहले उन विद्यार्थियों को दे रखी थीं जो कि स्थानान्तरण के समय अध्ययन करते थे, रियायतें जारी रखी गई हैं।

(२) डिफेन्स पर्सोनल के बच्चों के लिए ट्यूशन फीस माफ कर दी गई है।

(३) उन सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की ट्यूशन फीस माफ है जिनको ३२०) रु० तक तनख्वाह मिलती है।

राजस्थान युनिवर्सिटी ने फीस सम्बन्धी रियायतों में जो अन्तर किया है वह इस प्रकार है :—

(१) पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को जो माफ थी वह रोक दी है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) केवल उन सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की फीस माफ है जिनकी तनख्वाह ३२०) रु० तक है तथा जो कि अगस्त १९६२ से पहले कॉलेज में प्रवेश पा चुके थे।

(३) १० प्रतिशत फ्री शिप व १० प्रतिशत आधी फ्री शिप के बदले १० प्रतिशित फ्री शिप या २० प्रतिशत आधी फ्री शिप दी जायगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस कॉलेज के एफिलियेशन के बारे में इस सदन में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि एफिलियेशन के बाद में फीस में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह प्रयास किया जा रहा है कि यूनीवर्सिटी को पर्सुएड किया जाय, खास तौर से राजस्थान यूनीवर्सिटी को कि फीस के सम्बन्ध में कोई रद्दोबदली न हो, ऐसा हमारा यह प्रयास अभी तक जारी है।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रयास के सम्बन्ध में अभी तक क्या क्या स्टैप्स लिये गये हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एफर्ट्स, कौरेस्पोन्डेन्स उनके और हमारे बीच में आरम्भ हैं, और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि वाइस चान्सलर को इस आधार पर आग्रह किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : इस आग्रह का परिणाम क्या निकला है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : परिणाम, अध्यक्ष महोदय, अच्छा और आधा अच्छा निकल सकता है हमारे प्रयासों की बुनियाद पर।

श्री भैरोंसिंह : आपके आग्रह करने के बावजूद फीस में वृद्धि हुई है, क्या यह स्थिति सही है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि कुछ वृद्धि है ट्यूशन फीस में,as compared to Jodhpur university

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाये कि सरकार के आग्रह करने के बावजूद भी विश्वविद्यालय ने फीस में वृद्धि की है: उसमें किसी प्रकार की कमी करने का कोई भी निर्णय नहीं लिया है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं। "आग्रह" का मतलब रिक्वेस्ट है। इसलिए हम कहां तक उनको मनाने में सफल हो सकते हैं कि वे परिवर्तन करें और यह भी संभव हो सकता है कि उनके एक्सपेन्डीचर और स्तर को देखते हुए वे न भी करें। इसके ऊपर मैं विवश हूं अभी उत्तर देने के लिए।

श्री भैरोंसिंह : मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने आज तक जो

(श्री भैरोंसिंह)

युनिवर्सिटी से इस सम्बन्ध में आग्रह किया है उस आग्रह के कारण किसी फीस में जो वृद्धि हो गई थी उसमें कमी नहीं की गई, यह माना जाय ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उन्होंने हमारे आग्रह के कारण जैसा कि मैंने निवेदन किया कि फ्री शिप........

श्री भैरोंसिंह : आप बढ़ी हुई फीस के बारे में बताएं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उसमें २० प्रतिशत और किया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि एफिलियेशन के पहले जो फीस निर्धारित थी और एफिलियेशन के बाद में जो उसमें वृद्धि कर दी है और उसके लिए आपने आग्रह किया है वृद्धि के लिए कि वह नहीं होनी चाहिए तो क्या उस प्रकार की वृद्धि में कोई कमी नहीं की गई है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वृद्धि नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमने वाइस चान्सलर महोदय से यह निवेदन किया है कि उदारतापूर्वक इस प्रश्न को देखें।

श्री भैरोंसिंह : उसका असर क्या हुआ ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : असर नहीं मालूम होता है। फ्री शिप वगैरह में उन्होंने चैन्जेज किये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपके आग्रह का असर नहीं मालूम हुआ और आपने हाउस में इस प्रकार का कमिटमेंट किया है, तो दोनों चीजों के बीच में आपने किस प्रकार से तालमेल बिठाने की योजना बनाई है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : दोनों के लिए तालमेल है। आश्वासन जो दिया गया है और ओटोनोमस बॉडी है युनिवर्सिटी तो उससे निवेदन किया है, और हमारा निवेदन अभी आरम्भ है इससे सेपरेट नहीं हुआ है। तालमेल बराबर बिठाते हुए चल रहे हैं दोनों प्रश्नों का।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, आखिरकार आपने लिखा है। युनिवर्सिटी ने यह माना कि एक ओटोनमस बॉडी है उसने कोई उत्तर भी दिया होगा कि आपके सुझाव के सम्बन्ध में उनका क्या निर्णय होने वाला है, वह किस तरह का विचार रखते हैं। आखिरकार कुछ सुझाव देते है तो वह बिल्कुल लाइटली ऐसे ही बलाएताक युनिवर्सिटी ओटोनॉमस बॉडी होने के बावजूद नहीं रखती है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : बलाएताक नहीं रखा है। एक्सपेन्डीचर के प्रश्न पर आधारित है कि कितना फण्ड हम बजट में प्रोवाइड कर सकते हैं और कितनी सहूलियत देते हैं। इस आधार पर चल रहे हैं। बातचीत स्वयं वाइस चान्सलर से की है।

एक माननीय सदस्य : क्या आप यह बतायेंगे कि फीस के अन्दर जो कुछ बढ़ोत्तरी हुई है वह फाइनल है ?

Page No 8

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उनसे हमें आशा है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति

४२१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में अब तक कितनी प्राइमरी स्कूलों व हायर सैकन्डरी स्कूलों के हरिजन छात्रों को इस साल के वजीफे के फॉर्म दिये जा चुके हैं ?

(२) ये वजीफे के फॉर्म किसी एन्जेंसी के द्वारा हरिजन छात्रों को दिए जाते हैं या सीधे ही दिये जाते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि अब तक राजस्थान के ६० प्रतिशत हरिजन छात्र छात्रवृत्ति के फॉर्मों से महरूम हैं ? यदि हां, तो देरी का कारण क्या है व दोष किस अधिकारी का है ? क्या उनके खिलाफ एक्शन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि बीकानेर डिवीज़न व बीकानेर शहर के अभी तक छात्रवृत्ति के फॉर्मों से ६५ प्रतिशत हरिजन छात्र महरूम हैं ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

(५) क्या यह सही है कि इस साल बीकानेर डिवीज़न भयंकर अकाल से ग्रस्त होने के कारण अभी तक हरिजन छात्रों के फॉर्म न बंटने से भयंकर असंतोष फैल रहा है ? क्या सरकार इसकी तुरन्त जांच करवाने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(२) वजीफे के फॉर्म प्रधानाध्यापकों के द्वारा दिये जाते हैं।

(३) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: किसी अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) सत्य नहीं है। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(५) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अत: जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, जो सूची आपने दी है उससे यह मालूम होता है कि कहीं १० फॉर्म दिये हैं और कहीं १५ फॉर्म दिये हैं। इससे यह जाहिर होता है कि फॉर्म स्कॉलरशिप के पूरे दिये नहीं गये हैं, इससे काफी विद्यार्थियों को महरूम रहना पड़ेगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह जो मैंने सूची दी है, माननीय अध्यक्ष, उससे यह स्पष्टतया प्रकट होता है कि किस किस को

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

फॉर्म दिये हैं। जहां जहां दिये हैं उनके नाम लिखे गये हैं और किस किस तादाद में दिये हैं उनके नाम लिखे हैं। मिडल स्कूल में भी दिये हैं, प्राइमरी में, हायर सैकन्डरीज् और हाई स्कूल्स में भी दिये हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : फॉर्म देने का आधार क्या है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : फॉर्म देने का मतलब पेमेन्ट से देने का नहीं है। स्कूल में ऐसे छात्रों की कितनी संख्या है, यह देख कर उस एरिया का इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स भेजता है। वे हायर सैकन्डरी में भी भेजते हैं और कम पड़ जाते हैं तो साइक्लोस्टाइल से भी निकाल सकते हैं।

श्री भीमसेन : यह तो बताइये कि पिछले साल बीकानेर में हरिजन छात्रों को कितनी स्कॉलरशिप्स दीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न कहां है ?

श्री भीमसेन : यह प्रश्न है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि ६० परसेंट छात्रों को नहीं दी तो आपको मालूम होना चाहिए था कि कितने छात्रों को स्कॉलरशिप दी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : फॉर्मों से महरूम हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : फॉर्म से महरूम हैं तो छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : फॉर्म से महरूम नहीं हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने साइक्लोस्टाइल करके भेजने की बात कही, वे प्रधान अध्यापक के पास नहीं आये हैं और अगर किसी के पास आये भी हैं तो वे भरवा कर भेजते नहीं हैं। आन्यदा दिक्कत न आ जाय, इसका ध्यान रखा जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और ज्यादा सजग हो जायेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : कहीं भी फॉर्म्स उपलब्ध होते नहीं हैं। कोई प्रधान अध्यापक और इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स देते नहीं हैं और छात्र फार्मों के लिए मारे मारे फिरते हैं। मयाद निकल जाती है और उसके बाद जब भर कर देते हैं तो प्रधान अध्यापक आगे भेजते नहीं हैं। आप बताइये कि पहले कितने छात्रों को छात्रवृत्ति देते थे और अब कितनों को देते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सूची सदन की मेज पर रखी है; अलग अलग संस्थाओं की आप कहें तो पढ़ दूं।

श्री भीमसेन : सरकार ऐसा आदेश क्यों नहीं जारी कर दे कि फॉर्म नहीं भेज सकें तो साइक्लोस्टाइल करवा लें या हाथ से भर कर दे दें ?

Page No 10

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसे आदेश हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : जो फॉर्म भेज देते हैं उनको भी छात्र-वृत्ति मिलती नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री रावतराम (सादुलपुर) : फॉर्म भर कर देने के बाद भी दिक्कत यह रहती है कि समग्र नाम भेजते नहीं हैं, इसलिये छात्र महरूम रह जाते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वे फॉर्म कहीं से भी ले सकते हैं; यह जरूरी नहीं है कि इन्सपेक्टर से लें या हैड मास्टर से लें। लेकिन भेजना उनकी मार्फत पड़ता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह तो राज्य सरकार को मालूम रहता है कि अमुक स्कूल में इतने छात्र अनुसूचित जातियों के हैं। जब सरकार को यह मालूम है तो उनकी मात्रा के अनुसार फॉर्मों की व्यवस्था क्यों नहीं करते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मात्रा के अनुसार ही दिये जाते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मात्रा के अनुसार नहीं दिये जाते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इन्सपेक्टर मात्रा देख लेते हैं। अपने एरिया का उनको पूरा ध्यान है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : गवर्नमेंट इस बारे में इन्सट्रक्शन्स क्यों नहीं निकालती कि यह फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है और किसी भी कागज पर एप्लीकेशन दी जा सकती है, वह मान्य होनी चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कर देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि आयन्दा ऐसी शिकायत दरपेश न हो ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : शिकायत बराबर है; चारों तरफ से शिकायत है, इस पर भी आप लापरवाही बरत रहे हैं, यह बड़े खेद की बात है।

शिक्षा मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय सदस्यों ने जनरल बात कही है। किसी ने यह नहीं कहा कि फलां इन्स्टीट्यूशन में या फलां जगह फॉर्म नहीं मिले, यह बात किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं कही है। जब यह कहा जा चुका है कि फॉर्म्स मंगाने के लिए इन्सपेक्टर्स और हैड मास्टर्स को खुली छूट है कि चाहे जितने फॉर्म्स लड़कों के लिए मंगा लें, कभी हो तो साइक्लोस्टाइल करवा लें। लेकिन ये फॉर्म्स भरने के बाद आयेंगे हैड मास्टर के थ्रू। यह बात नहीं है कि अमुक फॉर्म भर कर देंगे तभी कंसीडर करेंगे। कभी पड़े तो साइक्लोस्टाइल करवा लें या टाइप करवा लें।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं अर्ज करता हूं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कहे जा रहे हैं जब कि मैं मना कर रहा हूं। मंत्री महोदय के सामने शिकायत पहले भी सदन में आई है कि मुख्य अध्यापक सारे विद्यार्थियों के फॉर्म भर कर भेजते नहीं हैं। फॉर्म पहुंचे, न पहुंचे, आप यह हिदायत कर दें कि जितने अनुसूचित जाति के छात्र हैं उन सब के फॉर्म्स भरवा कर भेज दें। कोई इसकी जिम्मेदारी तो लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : फॉर्म भरने के बाद किन लोगों के फॉर्म आगे भेजें या उनके डिस्क्रीशन पर है; यह हम नहीं कर सकते कि जितने फॉर्म्स भरें उनकी स्क्रूटिनि वे नहीं करें। फॉर्म्स की कमी हो तो साइक्लोस्टाइल करवा सकते हैं, लेकिन भरने के बाद किन फॉर्मों को आगे फोरवर्ड करें, यह उनके डिस्क्रीशन पर है। और जितने फॉर्म्स वे भेजते हैं वे सभी मंजूर ही हो जावें, यह बात भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय गलत समझ गये। स्क्रूटिनि का सवाल नहीं है। लोगों को जानकारी तो भली भांति हो जानी चाहिए कि फॉर्म भर कर भेजने चाहिए। हर बार माननीय सदस्यों के द्वारा यहां पर कहा जाता है, पर जितनी अहमियत इस प्रश्न को देनी चाहिए उतनी देते नहीं हैं। फॉर्म्स किसी भी तरह से भेजने चाहिए। लोगों को आभास तो कराना चाहिए कि फॉर्म्स जल्दी से जल्दी भर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था के माफिक हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे।

कुचामन पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार के मामले

४२२. **श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि प्रधान, पंचायत समिति, कुचामन के विरुद्ध गबन व अन्य भ्रष्टाचारात्मक कार्यवाहियों को लेकर प्रस्तुत किये गये आरोप-पत्र पर सन् ६३ में गृह मंत्री ने डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट (एन्टी-करप्शन), जोधपुर को जांच करने के आदेश दिए ?

(२) इस सम्बन्ध में जांच अधिकारी ने क्या कार्यवाही की अथवा आज तक कोई कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(३) सरकार भ्रष्टाचार के ऐसे गम्भीर मामले में निष्क्रिय क्यों है व भविष्य में क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) प्रधान, पंचायत समिति, कुचामन के विरुद्ध श्री हनुमानसिंह चौधरी, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने इस प्रकार

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

के आरोपों को लेकर एक परिवाद-पत्र दिनांक ५. १०. ६३ को माननीय गृह मंत्री को प्रस्तुत किया था। उस परिवाद पर अतिरिक्त महा-निरीक्षक, आरक्षी, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान, जयपुर को माननीय गृह मंत्री ने बास्ते जांच व प्रतिवेदन हेतु आदेश दिये थे। जिस पर अतिरिक्त महानिरीक्षक, आरक्षी, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने उस परिवाद को उप अधीक्षक आरक्षी, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जोधपुर के पास जांच करने के लिए भेजा।

(२) जांच पूर्ण हो चुकी है तथा प्रतिवेदन अतिरिक्त महानिरीक्षक आरक्षी, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने सचिव महोदय, सतर्कता आयोग को भेज दिया है।

(३) सरकार इस ओर बहुत सक्रिय है और कदम पर कदम उठा रही है।

श्री विजयसिंह भाला (नाथद्वारा) : कदम पर कदम उठा रहे हैं, इसीलिए तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : कहीं गिर न पड़ें।

महिला प्राथमिक शिक्षा केन्द्र, अलवर

४२३. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) महिला प्राथमिक शिक्षा केन्द्र, महताबसिंह का नोहरा, अलवर में कुल कितने शिक्षक हैं जिनके आधार पर इस स्कूल को सरकार की ओर से सहायता दी जाती है ? शिक्षकों का नाम तथा जो वेतन उनको दिया जाता है उसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इन शिक्षकों की सेवाएं इस शिक्षा केन्द्र में कितने कितने वर्षों की है तथा उनमें कौन कौन ट्रेन्ड हैं ?

(३) क्या इस शिक्षण केन्द्र में कोई उपस्थिति पंजिका रखी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार की ओर से उसका कभी निरीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कब कब ?

(४) इस शिक्षण केन्द्र में कितने चपरासी हैं और कौन कौन तथा उन्हें कितना कितना वेतन दिया जाता है ?

(५) इस शिक्षण केन्द्र के हिसाब किताब का ऑडिट कौन करता है ? आखिरी ऑडिट रिपोर्ट कब की है ? कृपया इस ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची में अंकित है। इनमें कोई भी ट्रेन्ड नहीं है।

Page No 13

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(३) जी हां। श्रीमती तारा सेठी, उपनिरीक्षका, कन्या शालाएं, भरतपुर केम्प, जयपुर द्वारा दिनांक २२.१२.६४ को किया गया है।

(४) दो चपरासी और एक हरिजन महिला है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : नं (४) को रिपीट कर दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (४) दो चपरासी और एक हरिजन महिला है जिन्हें निम्न वेतन मिलता है :—

(१) श्री किशन चपरासी वेतन ४५)

(२) श्री बुद्धसिंह चपरासी वेतन ४५)

(३) हरिजन महिला २)

(५) इस संस्था का ऑडिट मेहता एण्ड कम्पनी द्वारा दिनांक २५.८.६४ को किया गया था। रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि बुद्धसिंह चपरासी ने यह शिकायत इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, अलवर में की है कि उसको कुल १५) मासिक दिया जाता रहा है। और उससे ४५ रु० की रसीद देने के लिए मजबूर किया जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह जो चपरासियों की तादाद और टीचर्स की तादाद बताई है यह तादाद इतनी ही है, क्या डिपार्टमेंट की तरफ से इस चीज को देखा गया है ? जो जिन्होंने निरीक्षण किया उन्होंने केवल पंजी (रजिस्टर) को ही देखा है या टीचर्स और पियोन्स का साक्षात्कार किया है, वास्तव में वे मौजूद हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : चपरासी वास्तव में मौजूद हैं या नहीं, यही प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चपरासी और टीचर्स भी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रिज़म्प्शन यह है कि ये सब मौजूद हैं, जब तक कि अदरवाइज प्रूव नहीं हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्वेश्चन से यह अपने आप में साबित है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि सात टीचर्स के बजाय केवल तीन टीचर्स हैं। तीन टीचर्स से ज्यादा कमी रही नहीं; संख्या चार बोगस दिखाये हुए हैं। यह किशनलाल चपरासी है, यह बिल्कुल फिक्टीशियस नाम है। कोई किशनलाल नाम का चपरासी रहा नहीं और न आज मौजूद है। यह जो आप तारादेवी का निरीक्षण १२–६४ का बता रहे हैं, इसको आप पढ़ कर सुनायें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

क्या उसमें ये नाम दर्ज हैं और क्या पालिका रजिस्टर में आम तरह से हस्ताक्षर होते थे। ये जो नाम दिये हैं—ये क्या उस दिन मौजूद थे ? क्या ये बातें इससे जाहिर होती हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह एलीगेशन नया है ? इस सम्बन्ध में न इस रिपोर्ट में कुछ है और जो मैंने उत्तर दिया है वह भी इस एलीगेशन की बुनियाद नहीं दिखाता। फिर भी जो सीरियसली एलीगेशन आपने लगाये हैं, इस सारी समस्या की मैं आपकी मान्यता के आधार पर इन्क्वायरी करा लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसमें तनख्वाह ८५, ८६ लिखी हुई है, जब कि किसी भी टीचर को इतनी तनख्वाह नहीं मिलती। उनको चालीस, पैंतालीस से अधिक तनख्वाह नहीं मिलती। मुझे टीचर्स ने खुद ने बताया है। लेकिन कहीं नौकरी से बाहर न निकाल दिये जायं, इस वजह से उन्हें दस्तखत करने पड़ते हैं; क्या यह सच है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने सारी स्थिति सम्भाल ली है। एडेड इन्स्टीट्यूशन्स में प्रायः ऐसी शिकायतें हुआ करती हैं। मैं इसकी सीरियसली इन्क्वायरी कराके इत्मिनान करा लूं कि क्या तथ्य हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक आपने चैक के जरिये पेमेन्ट कराने का आश्वासन दिया था। इस सम्बन्ध में आप इन्क्वायरी करायें, वह तो ठीक है; लेकिन अभी से उनको ठीक वेतन मिलने लगे, इसके लिए चैक के द्वारा या इन्सपेक्टोरेट के द्वारा पेमेन्ट करने की व्यवस्था हो—इसका आप आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस स्टेज पर, अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि यह देखना है कि यह प्रेक्टिकेबल चैक के द्वारा पेमेन्ट हो सकता है या नहीं। जैसा मैंने कई बार कहा, कॉलेज के प्रश्न पर तो प्रेक्टीकेबल रहा है लेकिन इन्स्टीट्यूशन्स का प्रश्न है, उसमें बैंक्स कहीं पर हैं, कहीं पर नहीं हैं, इस प्रकार की स्थिति है। फिर भी मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुए, सारी स्थिति को देखते हुए यह व्यवस्था करने का प्रयास कर सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि पिछले वर्ष शिक्षा मंत्री, हरिभाऊ उपाध्याय ने इस सदन में आश्वासन दिया था और कहा था कि यह व्यवस्था चालू कर दी गई है और एडेड इन्स्टीट्यूशन्स को चैक के जरिये वेतन डिस्बर्स किया जायगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष की स्थिति में क्या कहा गया, यह मैं अभी नहीं अर्ज कर सकता, जब तक कि मैं एश्योरेन्स की भाषा और उसके कन्टेक्स्ट को नहीं देख लूं मैं अर्ज करने में विवश हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दीजिये, एश्योरेन्स दिया था या नहीं ?

Page No 15

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी स्मृति आपकी हो सकती है; मैं समझता हूं.......

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि सदन को इस बात की स्मृति है कि इस सदन में यह कहा गया था और स्पष्ट रूप से कहा गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आश्वासन १९६२ में, सदन की जब पहली बैठक हुई थी, उसमें दिया गया था। दूसरी ईयर यह कहा था कि वह लागू कर दिया है। माननीय उप-मन्त्री जी शुरू से ही उस वातावरण में रहे हैं, उस वातावरण में एक नया परिवर्तन कुछ दिनों से ही आया है वह परिवर्तन ज्यादा दिनों से नहीं है। इसी वजह से कुछ भलाई उन्होंने कर दी है। लेकिन अब कुछ ऐसे मंत्री आ गये हैं जिनके दिमाग का असर उन पर पड़ रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तथ्यों को फट से वैसा बना लेते हैं। मुझमें यह आदत नहीं है। मैंने कन्टेक्स्ट देखने के लिए कहा। और फिर मैंने कहा यह व्यवस्था उचित है और की जानी चाहिए। आश्वासन भी दिया गया हो, वह आश्वासन सोच-समझ कर दिया गया होगा। हम चाहते हैं कि एडेड इन्स्टीट्यूशन्स में जो फाल्सीफिकेशन होता है उसको बिल्कुल मिटाया जाय। अब यह जो तरीका है यह प्रेक्टीकेबल है या नहीं, यह नहीं कह सकता। अब यह तरीका या इसी तरह का कोई दूसरा तरीका अख्तियार करना चाहिए जिससे जो तनख्वाह मिलती है वह बराबर मिले और कम तनख्वाह दी जाय या जाली हस्ताक्षर कराये जायं—यह नहीं होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : यह बता दीजिये कि पिछले वर्ष किसी भी अध्यापक को आपके द्वारा चैक से वेतन नहीं दिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अर्ज किया, कॉलेज के प्रश्न पर तो यह लागू हो गया है। कई जगह यह प्रेक्टीकेबल है, वहां चैक के द्वारा दिया गया है और जहां प्रेक्टीकेबल नहीं है वहां नहीं दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : आप सफाई दे रहे हैं। आप कहीं का भी बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने बताया कि कॉलेज में यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह आश्वासन स्कूलों के लिए दिया गया था।

शिक्षा मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह कह नहीं सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो आश्वासन दिया गया था, मैं यह चाहता था कि उसे आप बता देते तो मैं कुछ कह सकता था।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह नहीं जानता था कि आपके दिमाग में इतनी स्मृति नहीं रहती है।

Page No 16

श्री निरजननाथ आचार्य : आप मुझसे कमिटमेंट चाहते हैं, वह बड़ा मुश्किल है। यह तरीका ठीक है और ऐसा आश्वासन दिया जाना ठीक था इसलिए दिया है। अब प्रेक्टीकेबल कितना हो सकता है, यह देखना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां बैंक हैं वहां तो करना चाहिए।

प्रश्न संख्या ४२४

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार।

पुलिस कस्टडी में मृत्यु

४२५. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि छोटी सादड़ी में पुलिस की कस्टडी में कोई व्यक्ति मार डाला गया है ? यदि हां, तो क्यों और उक्त सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि मृतक का नाम आईदान था जिसे कदमाली नदी के पुल के पास निम्बाहेड़ा में पकड़ा था ?

(३) क्या यह भी सही है कि इसी केस में कुछ जेवरात गंगाराम से मंगवाए गए थे और वे हड़प लिए गए हैं ?

(४) क्या यह भी सही है कि एस० पी० चित्तौड़गढ़ इस बात को जानते हुए मौन धारण किये हुए हैं ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं।

(२) पुलिस कस्टडी में न करने वाले व्यक्ति का नाम आईदान था...

(हंसने पर)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : What is this ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : (२) पुलिस कस्टडी में न मरने वाले व्यक्ति का नाम आईदान था उसे मौजा कल्याणपुरा में अपने साले गंगाराम के घर से अन्वेषण हेतु पंचायत में बुलवाया गया था। उसको पकड़ा गया था, यह सही नहीं है।

(३) जी नहीं। गंगाराम ने एक मशरूका चूड़ी चांदी की दिनांक २१-१२-६३ को पेश की थी जो कब्जे पुलिस ली गई।

(४) जी नहीं। अधीक्षक, आरक्षी, चित्तौड़गढ़ ने आईदान की मौत के बारे में सर्किल ऑफिसर से जांच करवाई थी जिससे उसकी मौत निमोनिया से ही होना पाया गया।

श्री अब्दुलजब्बार : इसकी मौत हुई, यह कहां हुई थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसकी मौत अस्पताल में हुई।

Page No 17

श्री अब्दुलजब्बार : इसको अस्पताल कौन ले गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस का सिपाही, एक गाइड ।

(विराम)

आप थोड़ा ठहरिये । पुलिस का सिपाही सुविधा की दृष्टि से, सुविधा देने की दृष्टि से ले गया जिससे उसको इलाज जल्दी से जल्दी मिल जाय ।

श्री अब्दुलजब्बार : पुलिस ने जांच के सम्बन्ध में, सरकार ने जांच के सम्बन्ध में गंगाराम के बयान लिये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : किसके सम्बन्ध में ?

श्री अब्दुलजब्बार : आईदान की मौत के सम्बन्ध में गंगाराम के बयान लिये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह नहीं अर्ज कर सकता । कॉज़ ऑफ डेथ निमोनिया है डाक्टरों की राय के अनुसार । बयान लिये या नहीं, यह नहीं कह सकता ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पुलिस का सिपाही उसे थाने पर ले गया या और कहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पंचायत हो रही थी, वहां पर कंजर थे जो चोरियां वगैरह करते थे । पंचायत के जरिये इस सम्बन्ध में तफतीश करना चाहते थे । आईदान तशरीफ लाया, वह वहां बीमार हो गया था । इसलिए पंचायत से उसे सिपाही के साथ भेजा गया था ।

श्री भैरोंसिंह : कॉज़ ऑफ डेथ जानने के लिए पोस्ट मॉर्टम कराया गया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : पोस्ट मॉर्टम क्यों किया गया जब उसे निमोनिया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम जानते थे कि पंचायत से गया है तो सवाल उठ खड़ा हो सकता है । इसलिए अपनी सेफ्टी पहले रखी जा सकती है । कॉज़ ऑफ डैथ से वह साफ हो गया ।

श्री भैरोंसिंह : निमोनिया से डैथ होना नेचुरल डैथ होना होता है । ऐसी नेचुरल डैथ का पोस्ट मॉर्टम नहीं होता है । आप कहते हैं उसे पंचायत में निमोनिया हो गया था, कष्ट हो गया था इसलिए उसे हॉस्पीटल तक पहुंचा दिया गया । उस हालत में पोस्ट मॉर्टम क्यों हुआ ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सस्पेक्टेड डैथ होने पर पोस्ट मॉर्टम कराया जा सकता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अर्ज किया, सर्कम्सटान्स नम्बर एक थी कि चोरी का माल कंजरों से बरामद कराने के लिए एस० एच० ओ० ने यह तरीका निकाला । गंगाराम ने एक चूड़ी चांदी की पेश की वह पुलिस के कब्जे में ली गई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

इन साहब को बुलाया और ये उस समय बीमार हालत में थे। इनको निमोनिया हो गया। उसकी गाइडेन्स के लिए पुलिस वाला अस्पताल तक गया। यह सर्कम्सटान्स ऐसी थी जिसमें हम यह समझते थे कि यह सवाल खड़ा हो न जाय कि इसकी पीटने पाटने से मौत हुई। इसलिए एतिहातन तौर पर यह करा लिया कि निमोनिया से मरा या और किसी कारण मरा।

श्री भैरोंसिंह : मेडीकल जूरिस्ट और डॉक्टरों ने पोस्ट मार्टम किया, उन्होंने उसकी डेथ को सस्पेक्टेड माना है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कतई नहीं। क्लीअर केस है।

श्री भैरोंसिंह : पोस्ट मॉर्टम हो नहीं सकता !

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : नियम है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : है तो बता देना !

श्री भैरोंसिंह : बता क्या देना ? गलत बात कह रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब पुलिस में केस दर्ज हुआ नहीं तो पुलिस उसका पोस्ट मॉर्टम करने के लिए लिख कैसे सकती है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सस्पेक्टेड होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I correct myself.

अध्यक्ष महोदय, मैं करेक्ट अपने को कर लेता हूं, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट यह नहीं, मेडीकल रिपोर्ट है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पोस्ट मॉर्टम के लिए भेजा किसने ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : It says that he died due to pneumonia. पोस्ट मॉर्टम है ....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुलिस के अन्दर रिपोर्ट दर्ज हुई थी ?

श्री भैरोंसिंह : पुलिस ने पोस्ट मॉर्टम कराया है या डाक्टरों ने कराया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डॉक्टर अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। अपने इन्स्टान्स पर यह होगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने क्यों यह लिख कर कराया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सस्पेक्टेड न मान लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : नहीं मान लिया जाय; क्यों मान लिया ?

Page No 19

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे पास यह नहीं है, लेकिन ऐसी सर्कस्टान्सेज थीं जिनसे हम समझते थे कि कहीं ख्वा-माख्वाह कोई बावेला न उठ खड़ा हो। क्योंकि वह इन्वेस्टीगेशन के दौरान में बात हुई इसलिए उसका पोस्ट मॉर्टम कराना उचित समझा। अब वहां जो मेडीकल ऑफिसर्स थे उनको जब तक हम इन्स्ट्रक्शन्स नहीं दें वे नहीं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : उसको पुलिस के होस्पिटल ले जाने के कितने समय बाद उसकी डेथ हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हॉस्पिटल में गया और तुरन्त उसकी मौत हो गई।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितना ड्यूरेशन था ? आपकी पुलिस उसको किस तारीख को हॉस्पिटल ले गई और कौनसी तारीख को उसकी मृत्यु हुई ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि १-१२-६३ को गंगाराम वगैरह इकट्ठे हुए थे, उन्होंने आकर थानेदार को सूचित किया कि आइदान कंजर के सीने में दर्द है। यह १.१२.६३ की बात है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई।

श्री भैरोंसिंह : एक तारीख को निमूनिया हुआ और एक तारीख को पुलिस उसको हॉस्पिटल ले गई और उसी रात को उसकी मृत्यु हो गई, यह ठीक है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैंने नहीं कहा कि उसको उसी तारीख को निमूनिया हुआ; उसकी हालत से यह मालूम होता है कि पहले से जब वह आया उसको निमूनिया हो.......

श्री भैरोंसिंह : तो आप यह कहिये कि पुलिस उसको निमूनिया की हालत में पकड़ कर लाई थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस उसको लाई या नहीं। वह आया....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहनराज।

श्री अब्दुलजब्बार : यह पंचनामा कहां हुआ, यह आप बतावें ? मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत कॉम्प्लीकेटेड केस है। मैं यह कहूंगा कि पुलिस ने उसकी इन्द्रियों पर ५--६ सेर वजन का पत्थर बांधा था और उसके बाद उसको पीटा गया......

(शेम शेम)

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें "शेम शेम" की क्या बात है ?

श्री भैरोंसिंह : जो फैक्ट सामने हैं उनसे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि उस आदमी को पुलिस ने मारा है। मगर मुझे दुःख इस बात का है कि यह स्पष्ट

(श्री भैरोंसिंह)

होते हुए भी उप-मंत्री उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं जिससे कि पुलिस वालों को आगे के लिये ऐसे कार्य करने के लिये एन्करेजमेंट मिले। यह सही है कि उसको पुलिसवालों ने मारा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे पास पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट है, उसमें कोई इन्ज्यूरीज के मार्क नहीं हैं। आप कयास लगाते जावें। मैं आपको रोक नहीं सकता। निमूनिया से मरा है।

श्री भैरोंसिंह : यह कहना कि निमूनिया से ही मरा है और निमूनिया ही डेवलप हुआ, इससे काम नहीं चलता है। एक ही दिन में उसे निमूनिया हुआ और एक ही दिन में वह डेवलप हो गया और उसकी मृत्यु हो गई।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या इसको जला दिया गया।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय मंत्री ने बताया कि वह पुलिस कस्टडी में नहीं था और यह कहा पंचायत की कस्टडी में था। क्या पंचायत जो बनी वह उनके व्यक्तियों की थी या किन्हीं और लोगों की पंचायत थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कंजर लोग आपस में इकट्ठे हो रहे थे....

श्री हीराभाई : मैं यह निवेदन करूंगा कि आप मनुष्य को पीटते हैं तो वह मर भी जाता है। इसका मतलब यह नहीं था। आपने कितना इधर उधर का जवाब दिया, मगर मैं यह कहूंगा कि इस आदमी को खुले आम पुलिस ने मारा है और मरे हुए व्यक्ति को ले जाकर आपने होस्पिटल में पोस्टमॉर्टम कराया है। हमेशा मनुष्यों को मार कर दफना देना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो फैक्ट्स सामने हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि पुलिस ने उसको मारा है। मगर माननीय मंत्री कहते हैं कि फैक्ट इस बात की ताइद नहीं करते। वे इस प्रकार की बात कहते हैं। वे इस बात को मानें या न मानें, मगर मैं यह कहूंगा कि इस कार की बातें उन्होंने बड़ी गैर जिम्मेदारी से कहीं हैं और एक आदमी की जिन्दगी के लिये खिलवाड़ किया गया है। इसलिए मैं आपसे और सदन से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में कातिल को प्रोटेक्शन न दें और इसके सम्बन्ध में दुबारा जांच करवाई जाने के आदेश दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने प्रोटेक्शन कतई नहीं दिया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने दिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निष्पक्षता से सारे तथ्यों को आपके सामने रखा है। अगर एक भी सर्कमटान्सेज ऐसी सामने आतीं जिससे दुबारा इन्क्वायरी कराई जावे तो उसको वापिस इन्क्वायरी के लिये भेज सकता था। लेकिन सारी की सारी बातें इस तरह की हैं कि निमूनिया डेवलप होकर मर गया। अब

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

आप उसको इस प्रकार का रंग देकर कहना चाहते हैं कि पुलिस ने उसको मारा है...

श्री हीराभाई : मारा है।

श्री भैरोंसिंह : पोस्टमॉर्टम कैसे हुआ, क्यों हुआ ? पुलिस वहां कैसे पहुंची ? क्या पुलिस ने लिख कर दिया था ?

श्री अध्यक्ष : इसकी जांच किस पुलिस अधिकारी ने या किस अन्य अधिकारी ने की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच का प्रश्न नहीं आता। सर्कमूसटान्सेज़ रकॉर्ड पर मौजूद थीं। हमारे सामने कभी इसकी इन्क्वायरी का प्रश्न पैदा नहीं हुआ क्योंकि क्लीअर कट रिपोर्ट एक्सपर्ट की है, निमूनिया की आई है। इसलिये इन्क्वायरी का प्रश्न प्रश्न नहीं था ; क्योंकि वह किसी केटेगरी में नहीं था।

श्री हीराभाई : आपने पोस्टमॉर्टम कैसे कराया ?

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आइदान की स्त्री सरवाड़ा गांव में मारी मारी फिरती रही इसलिए कि उसके खाविन्द की लाश पुलिस ने नहीं दी और बाला बाला जला दी। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि उसको निम्बाहेडा से पकड़ा गया था। जब वह मर गया और आपने पोस्टमॉर्टम करवा लिया तब तो उसके घरवालों और गार्जियनों को उसकी लाश देनी चाहिये थी, मगर पुलिस ने उसकी लाश उसकी औरत को नहीं दी। इसलिये यह स्पष्ट है कि कत्ल सरासर हुआ है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पंचायतनामा दिया उसमें से किन किन गवाहान को लिया है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमने अपने आपको सेटिस्फाई किया था। फिर भी यह पंचायत नामा आदि के बारे में जो बातें हैं इसको मंजूर नहीं किया है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं इसकी इन्क्वायरी वापिस करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४२६

श्री मोहनराज

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार खां।

कॉलेज भवन का निर्माण, निम्बाहेड़ा

४२७. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि १९६५-६६ में निम्बाहेड़ा में कॉलेज की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो क्या इसके लिये नये भवन की स्थापना होगी ?

Page No 22

(श्री अब्दुलजब्बार)

(२) भवन निर्माण में कितना समय लगेगा तथा क्लासेज़ कब से चालू की जायेंगी ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) निम्बाहेड़ा में कॉलेज खोलने के सम्बन्ध में १९६५-६६ में कोई योजना नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले में पहिले से ही एक कॉलेज चित्तौड़गढ़ में है। भवन का प्रश्न नहीं उठता है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या यह सही है कि इस वर्ष निम्बाहेड़ा, भदेसर, आसवाड़ा में हाई स्कूल को हटा कर जूनियर सेकन्डरी सिस्टम लागू कर देगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेरी जानकारी में अभी नहीं है कि किन किन स्थानों को जूनियर सेकन्डरी सिस्टम में बना रही है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या चित्तौड़ कॉलेज को फीड-अप करने के लिये कोई स्कूल नहीं है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हायर सेकन्डरी हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : कितनी हैं ? यह जो लिस्ट मुझे मिली है उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें पेज ५३ और ५२ पर दे रखा है। आपने कई स्थानों पर जूनियर सेकन्डरी सिस्टम लागू कर दिया है। वहां से लोगों को ११ वीं कक्षा में पढ़ने के लिये चित्तौड़गढ़ जाना पड़ता है। इसलिये या तो निम्बाहेड़ा में कॉलेज बनाया जावे अन्यथा लोगों को बड़ी तकलीफ होगी आगे पढ़ने में।

श्री निरंजननाथ आचार्य : निम्बाहेड़ा की कॉलेज का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दूसरी इसको सुविधा देने के प्रश्न पर बजट की व्यवस्था को देख कर विचार किया जा सकता है।

श्री अब्दुलजब्बार : बिल्डिंग मौजूद है। प्रतापगढ़ के लड़कों को भी एडमीशन यहां पर नहीं मिलता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस प्रश्न को एग्जामिन करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री विजयसिंह झाला।

राज्य में पाकिस्तानी साहित्य

४२८. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में पाकिस्तानी साहित्य के पढ़ाये जाने के बारे में वर्ष १९६४ में कितनी गिरफ्तारियां हुई ?

(२) इस प्रकार का कितना साहित्य पकड़ा गया है ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य के कुछ भागों में अभी तक पाकिस्तानी साहित्य पढ़ाया जा रहा है ?

Page No 23

(श्री विजयसिंह झाला)

(४) सरकार द्वारा पाकिस्तानी सीमा के समीप रहने वाले संदिग्ध लोगों को हटाने के लिये क्या कदम उठाया गया है तथा भविष्य में क्या योजना है ?

उप-मंत्री-गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) ८ व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया।

(२) ६४ पुस्तकें पुलिस ने अपने अधिकार में लीं।

(३) जी नहीं। इन गिरफ्तारियों के पश्चात् इस प्रकार का साहित्य पढ़ाया जाना ज्ञात नहीं हुआ।

(४) इस विषय में कोई उल्लेख करना जनहित में उचित नहीं होगा।

यह मैं प्रिविलेज क्लेम करता हूं।

श्री विजयसिंह झाला : जिन आठ आदमियों को गिरफ्तार किया गया, वे अब क्या करते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डिटेन्शन में हैं।

श्री विजयसिंह झाला : उनको छोड़ दिया गया है, या गिरफ्तार हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया कि डिटेन्शन में हैं।

श्री विजयसिंह झाला : उनके नाम बता दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने प्रिविलेज क्लेम किया है, अगर अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें तो सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : आप सुनाना उचित समझें तो सुना दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं तो उचित नहीं समझता, मैंने प्रिविलेज क्लेम किया है।

श्री विजयसिंह झाला : जो तत्व पहले सक्रिय थे उनको गिरफ्तार कर लिया या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं। पहले उनके नाम लेकर आरोप लगाया गया था, अपने आप नाम मालूम हो जायंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिन पर आरोप था उनको गिरफ्तार किया गया।

श्री विजयसिंह झाला : कौन हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : व्यक्ति ८ हैं।

श्री विजयसिंह झाला : उनके नाम क्या क्या हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसके लिये प्रिविलेज क्लेम किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, नामों के बारे में प्रिविलेज क्लेम करना कहां तक उचित है ? गवर्नमेंट किसी को गिरफ्तार करना चाहती है या

Page No 24

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं चाहती है वहां प्रिविलेज का प्रश्न हो सकता है, पर जब कदम उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया तो नाम बताने में कहां प्रिविलेज का सवाल आता है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहें तो अलग रूप से उप-मन्त्रीजी हैं, उनसे जानकारी कर लें, वे जानकारी दे देंगे । पर सदन में उन नामों को घोषित करने पर जोर नहीं दिया जाय तो उचित होगा ।

श्री विजयसिंह झाला : जो इस प्रकार की पुस्तकें पुलिस को प्राप्त हुईं, क्या यह सही है कि वे राजस्थान में ही छपी थीं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : नहीं, राजस्थान में नहीं छपी थीं उन पर नाम लिखा हुआ है उससे । पता चलता है कि राजस्थान में नहीं छपी थीं ।

श्री विजयसिंह झाला : जिन स्कूलों में इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं, क्या उन स्कूलों को बन्द कर दिया है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : परिवर्तन कर दिया है । जो साहब उन पुस्तकों को पढ़ाते थे उनको बन्द कर दिया है । मकतबों को जिस दृष्टिकोण से चलाते थे उसमें परिवर्तन कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मुख्य मन्त्रीजी ने कहा इन बातों की चर्चा सदन में उचित नहीं हैं । माननीय सदस्य विशेष जानकारी करना चाहें तो सारी जानकारी उप-मन्त्री महोदय से कर सकते हैं । प्रश्न पूछने की आपकी मंशा यह है कि समस्या का हल करना चाहिये, उप-मन्त्री महोदय ने बताया है कि समस्या का हल हो गया है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिन पुस्तकों को बन्द किया गया है, उनकी वाइड पब्लिसिटी तो होनी चाहिये । जो पुस्तकें सार्वजनिक हित में नहीं थीं, उनको बन्द किया गया, इन पुस्तकों की वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : पुस्तकों की पब्लिसिटी का प्रश्न नहीं है । मैंने तो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसके बारे में कहा कि मन्त्री महोदय से जानकारी कर लें ।

श्री भैरोंसिंह : उन व्यक्तियों के नाम न बतायें, पर सार्वजनिक हित में जिन पुस्तकों को बन्द किया गया वे किस प्रकार की पुस्तकें थीं; इसकी इन्फोर्मेशन तो लोगों को बिना वाइड पब्लिसिटी के कैसे मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष : इस विषय के सार्वजनिक महत्व पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं और बोलना चाहिये, इसमें दो राय नहीं हैं ।

श्री नत्थीलाल !

हाईस्कूल, नदबई में साइंस की कक्षाएं

४२६. **श्री नत्थीलाल** (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

Page No 25

(श्री नत्थीलाल)

(१) क्या यह सही है कि नदबई हाई स्कूल में साइन्स, बायॉलोजी के लिये उपयुक्त भवन सरकार की शर्त के अनुसार तैयार हो चुका है ?

(२) यदि हां, तो इस हाई स्कूल में साइन्स की कक्षाएं कब तक खोल दी जावेंगी ?

(३) क्या सरकार उक्त हाई स्कूल को हायर सैकन्डरी स्कूल में परिवर्तन करने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं, बायॉलोजी का कमरा अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

(२) १९६५-६६ के बजट में किसी भी हाई स्कूल को हायर सैकन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है।

(३) इस शाला में साइंस की कक्षाएं चालू हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

समाज शिक्षण संचालक का कार्यालय

४३०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि जिस समय समाज शिक्षण विभाग, बीकानेर स्थानान्तरित किया गया था उस समय यह निर्णय किया हुआ था कि यह कार्यालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के संचालक के कार्यालय से सम्बद्ध रहेगा और उसके एक अंश के रूप में कार्य करेगा ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि समाज शिक्षण संचालक का कार्यालय एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में कार्य करने लगा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) शिक्षा विभाग का ही एक अंग है, कोई अलग विभाग नहीं । समाज शिक्षा की देख रेख शिक्षा विभाग में उप-संचालक, समाज शिक्षा द्वारा की जाती है । जिस समय समाज शिक्षा का कार्यालय जयपुर से बीकानेर स्थानान्तरित किया गया था उस समय इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया था कि इस कार्यालय को, संचालक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय से मिला दिया जावेगा ।

सन् १९६२ में मितव्ययता की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया था कि शिक्षा संचालक के कार्यालय में से एक उप-संचालक, शिक्षा का पद कम कर दिया जाये । इस कमी को ध्यान में रखते हुए, उप-संचालक, समाज शिक्षा का कार्यालय बीकानेर स्थानान्तिरित किया गया था । जिससे उप-संचालक, समाज शिक्षा को, समाज शिक्षा के अतिरिक्त भी मुख्यालय पर अन्य कार्य की देख-रेख का

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

भार सौंपा जा सके। उनको समाज शिक्षा के अतिरिक्त आयोजना का भी काम सौंपा गया है।

(२) जी नहीं।

प्रश्न संख्या ४३१

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री मोहनराज !

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पलाना के स्कूल निर्माण की धनराशि में से गबन

४१६. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पलाना, तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर में सरकारी धन व पब्लिक के चंदे से एक मिडल स्कूल भवन का निर्माण किया गया था ? अगर हां, तो उक्त स्कूल भवन पर कुल कितनी धन-राशि खर्च हुई ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त मिडल स्कूल भवन पर उतनी धन-राशि खर्च नहीं हुई जितनी कि सरकार व जनता से सहायता व चंदे के रूप में प्राप्त हुई ? अगर हां, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम पलाना के सरपंच श्री हंसाराम के खिलाफ ग्रामवासियों की ओर से उपरोक्त मिडल स्कूल भवन में गबन सम्बंधी शिकायत की गई ? अगर हां, तो सरपंच के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) ३०००) रु० पंचायत समिति द्वारा ७—२—६१ को
३०००) २७—६—६१ को

(श्री शिक्षा मन्त्री)

२२५०) रु० जिलाधीश द्वारा

२३१३४. ८४ पैसे चन्दे व जन सहयोग से

३११८४. ८४ पैसे प्राप्त हुए । इनमें से ३०७६४. ६८ पैसे खर्च हुए।

(२) जी नहीं।

(३) मामला कोर्ट में चल रहा है अतः कागजात वहां भेजे जा चुके हैं।

स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर का भवन

४१८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि पिछले साल स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर के विद्यार्थियों ने डिप्लोमा की मान्यता और स्कूल के लिये समुचित भवन की मांग करते हुए भूख हड़ताल की थी और मुख्य मंत्री तथा उप-शिक्षा मंत्री ने उनको उचित आश्वासन देकर भूख हड़ताल समाप्त करवाई थी?

(२) क्या यह भी सही है कि तदुपरान्त उक्त स्कूल के लिये स्कूल ऑफ आर्ट एन्ड क्राफ्ट्स की बिल्डिंग प्रदान करने की आज्ञा दी गई?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन इस स्कूल के उपयोग के लिये प्रदान किये जाने की आज्ञा पर भी जवाहरलाल संगीत संस्थान ने इस भवन के मुख्य स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया और स्कूल ऑफ आर्ट्स को बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया?

(४) जवाहरलाल संगीत संस्थान को इस भवन में स्थापित करने की आज्ञा क्या शिक्षा सचिव के यहां से हुई थी?

(५) क्या सरकार के ध्यान में है कि स्कूल ऑफ आर्ट्स में पांच विभाग हैं और प्रत्येक विषय का पांच साल का कोर्स है तथा शो रूम भी आवश्यक होता है और क्या स्कूल ऑफ आर्ट्स को इस भवन में स्थान देते समय इन बातों को मद्देनजर रखा गया है?

(६) यदि हां, तो जवाहरलाल संगीत संस्थान को इस स्कूल के मुकाबले में इतना अधिक स्थान किन कारणों से दिया गया है तथा स्कूल ऑफ आर्ट्स की जरूरतों की उपेक्षा क्यों की गई है?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) सत्य नहीं है। इस नाम की कोई संस्था इस भवन में नहीं है।

(४) जी हां। मद्दे-नजर रखा गया था।

(५) जी हां, मद्दे-नजर रखा गया था।

(६) ऐसी कोई संस्था इस भवन में नहीं है अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No 28

चोर विरोधी पुलिस अभियान के कैम्प

४१६. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-मु०) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिस प्रकार पुलिस द्वारा कुछ वर्ष पहले अजीतगढ़, नीम का थाना आदि स्थानों पर ११-१२ चोर विरोधी पुलिस अभियान के कैम्प लगाये थे, उसी प्रकार सीकर व रींगस में भी कैम्प चलाये गये हैं ? यदि हां, तो कैम्पों में अब तक किस किस कौम के चोरों को पकड़ा गया ?

(२) इन दोनों कैम्पों को किस तारीख से चालू किया गया और किस तारीख तक चलाये जाने की योजना है ?

(३) इन दोनों कैम्पों में कितने पुलिस अधिकारी हैं और इन कैम्पों में कितनी कितनी गाड़ियां, जीपें आदि काम में ली जा रही हैं ?

(४) क्या इन कैम्पों में चोरी का पता लगाने के लिए बिजली के करेंट की मशीनों का उपयोग किया गया है ? अब तक कितना चोरी का माल बरामद किया गया ?

(५) क्या इन कैम्पों में ऐसे लोगों को भी पकड़ कर लाया जाता है जिनके खिलाफ चोरी करने की कोई शिकायतें रोजनामचे में दर्ज नहीं हैं ?

(६) क्या यह सही है कि इन कैम्पों में पंच, सरपंचों को भी पकड़ पकड़ कर लाया गया और बुरी तरह मारा-पीटा जा रहा है तथा बिजली के करेंटों से बेहोश कर दिया जाता है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। कैम्प नहीं किन्तु केवल रींगस में सामूहिक रूप से अदम-पता चोरी व नकबजनी के मुकदमों का अनुसंधान किया गया था। उक्त अनुसंधान के फलस्वरूप बन्दी बनाये गये व्यक्ति मीना, जाट, बावरी, सांसी एवं गूजर कौम के थे।

(२) सामूहिक अनुसंधान दिनांक २४-७-६४ से ३०-७-६४ तक किया गया।

(३) इस सम्बन्ध में केवल २ हैड कॉन्स्टेबल और १२ कान्स्टेबल पुलिस लाइन, सीकर से मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार करने में मदद करने एवं बन्दी किये गये व्यक्तियों पर पहरा रखने एवं बरामद शुदा माल की हिफाजत के लिए लगाये गये थे। इसके अतिरिक्त संबंधित थाना अध्यक्ष अपने २ मुकदमों की अनुसंधान के लिए मय अपने स्टाफ के तथा दो संबंधित डी वाई० एस० पी० भी मौजूद रहे। दोनों डी वाई० एस० पी. की अपनी २ जीप के अतिरिक्त एक ट्रक पुलिस लाइन ; सीकर से पुलिस पार्टी को ले जाने के लिए नियुक्त किया गया था।

(४) जी नहीं। कोई बिजली का करेन्ट नहीं लगाया गया। इस अनुसंधान में १४ मुकदमों का चोरी शुदा माल, जेवर, कपड़े, ऊंट, सांड, भैंस, बर्तन इत्यादि बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त दो वगैर लाइ-

Page No 29

(श्री गृह मंत्री)

सेन्स बन्दूक एवं कुछ जेवर, कपड़े, भैंस इत्यादि धारा ५५० जाब्ता फौजदारी के अधीन सब मिलाकर रू० १०४६७)५० पै० मूल्य की सम्पत्ति बरामद हुई।

(५) जी नहीं।

(६) जी नहीं।

पायलेट स्कीम के अन्तर्गत मिड़िल स्कूल

४२४. श्री नत्थीसिंह : (गोविन्दगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कितने पाइलट स्कीम में मिडल स्कूल्स हैं? मय नाम के बताया जावे।

(२) उन्हें अतिरिक्त कितनी कितनी धन-राशि सरकार ने दी है?

(३) पाइलट स्कीम के मिडल स्कूल में हैडमास्टर की सरकार ने क्या योग्यता निर्धारित की है?

(४) कौन कौन से मिडल स्कूल इस स्कीम में पूर्णतया सफलतापूर्वक चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(५) क्या अलवर जिले में भी कोई इस स्कीम में स्कूल चल रहा है? अगर हां, तो उस स्कूल का नाम बताते हुए यह बताया जावे कि उस स्कूल में, प्रधानाध्यापक की क्या योग्यता है और कहां तक यह स्कूल इस स्कीम में सफल रहा है?

(६) इस स्कूल में गत वर्ष इस स्कीम के तहत कितने रुपये का किसके द्वारा सामान खरीदा गया है? क्या यह निर्धारित रेट पर खरीदा गया है? अगर हां, तो क्या सरकार ने इसकी कभी जांच की है? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच करने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) राजस्थान में जितने पाइलट स्कीम में माध्यमिक शालाएं हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) सदन की मेज पर रखी गई सूची की प्रत्येक शाला के सामने अंकित है।

(३) पायलेट स्कूल के प्रधानाध्यापक की योग्यता ट्रेन्ड ग्रेजुएट है। परन्तु कहीं कहीं पर ट्रेन्ड इन्टर जो काफी पुराने तथा योग्य हैं वो भी काम कर हैं। समस्त पाइलट स्कूल सफलता पूर्वक चल रहे हैं।

(४) समस्त पाइलट स्कूल सफलतापूर्वक चल रहे हैं।

(५) अलवर जिले के अन्तर्गत निम्नलिखित पाइलट शालाएं हैं और उनमें जो प्राधानाध्यापक हैं उनकी योग्यता उनके सामने अंकित है।

(श्री शिक्षा मंत्री)

भोजपुर		इन्टरटेन्ड सफलता पूर्वक चल रही है।
खानपुर	,,	,,
निमूचाना	,,	,,
राजपुर इन्टर शोर्ट बेसिक एस. टी. सी. ट्रेन्ड		,,
राजगढ़ बी. एड.		,,
किशनगढ़ बी. ए., बी. एड.		,,
बरोदामेव बी. ए., साहित्यरत्न—, टी. टी. सी.		,,

(६) गत वर्ष ६२—६३ में निमूचाना व राजपुर शालाओं के लिए मान्यता प्राप्त डीलर्स के एप्रूव्ड दरों पर ४७५) व ४६४) का सामान खरीदा गया था। निरीक्षक शाला का निरीक्षण करते समय ऐसे सामान का भी निरीक्षण किया गया है। ६३–६४ में कोई ग्रान्ट नहीं मिली अतः सामान क्रय नहीं किया गया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति क्षेत्र, बाली में हायर सैकन्डरी स्कूल

४२६. श्री मोहनराज (बाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बाली पंचायत समिति क्षेत्र में एक भी हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि बाली में स्थानीय जनता ने गत दो वर्षों में करीब ८० हजार रुपये की लागत से पुराने हाई स्कूल भवन में नई इमारतें बनवाई है ?

(३) क्या राज्य सरकार जनता की इस वाजिब मांग को पूरा करने हेतु आगामी सत्र से बाली की हाई स्कूल को हायर सैकन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने की घोषणा करेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं, बाली पंचायत समिति क्षेत्र में सेवाडी में एक राजकीय हायर सैकन्डरी स्कूल है तथा फालना में एक हाई स्कूल है।

(२) जी नहीं।

(३) १९६५–६६ के बजट में किसी भी हाई स्कूल को हायर सैकन्डरी में परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

कन्या माध्यमिक शाला, देवगढ़

४३१. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ की कन्या माध्यमिक शाला की वर्षों से सफेदी नहीं हुई है ?

(२) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(३) क्या शीघ्र ही सफेदी कराने की व्यवस्था की जायेगी ?

Page No 31

(श्री शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां।

(२) यह भवन जनता द्वारा बनाया गया था और अब तक जनता द्वारा इस भवन को न तो शिक्षा विभाग और न निर्माण विभाग के सुपुर्द किया गया है।

(३) भवन की पुताई व आवश्यक मरम्मत के लिए १५०) रु० मन्जूर कर दिया है और इसी वित्तीय वर्ष में कार्य हो जायगा।

(११.५६ म. पू.)

स्थगन-प्रस्तावों विषयक व्यवस्था

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव ....

श्री अध्यक्ष : स्थगन-प्रस्तावों के बारे में बगैर सूचना दिये माननीय सदस्य इस तरह से चर्चा नहीं उठायें। जिन माननीय सदस्यों को जानकारी करनी है तो पूर्व सूचना दें। बहस के दौरान अपने भाषण में उसकी चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसमें एस. डी. ओ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बगैर जानकारी मैं यह उचित नहीं समझूंगा कि माननीय सदस्य इस प्रकार चर्चा उठायें। कुछ तथ्य मालूम होने के बाद ही कहें। आज माननीय सदस्यों को मौका मिल रहा है इस बारे में चर्चा करने का।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि मन्त्री महोदय इसके बारे में तब तक जानकारी करके उत्तर दे सकें।

श्री अध्यक्ष : यह बात कहने की आवश्यकता नहीं है। आप बात बहस में उठा दीजिये, उनके पास सूचना है। जितनी सूचना उनके पास है वह उत्तर में जानकारी दे देंगे।

दो मांगे एक साथ लेने विषयक व्यवस्था

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, आज एजूकेशन और पुलिस की मांगें हैं, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेन्ट हैं। सभी माननीय सदस्य इन पर बोलना चाहते हैं। जो ग्रुपिंग हुआ है उसके अनुसार एजूकेशन और पुलिस दोनों के साथ न्याय नहीं हो सकेगा, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेन्ट हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वैसे तो पी० ए० सी० ने ग्रुपिंग किया है पर दोनों को अलग अलग रखें और आज आप जिसको उचित समझें उसे ले लें।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं माननीय सदस्य जो व्यवस्था चाहते हैं उसे करना संभव नहीं है। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने जिस आधार पर इन मांगों को रखा है, उस व्यवस्था में हेर-फेर करना उचित

(श्री अध्यक्ष)

नहीं होगा। माननीय सदस्यों ने दोनों विषयों पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उन पर वे अपनी बातें कहें; उनका उत्तर मिल सकेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शिक्षा पर रिपोर्ट अभी सदन में बंटी है, इसको स्टडी करने का समय ही नहीं मिलता है ....

श्री अध्यक्ष : सब व्यवस्था नियमों के अन्तर्गत की गई है, उसको बदलने से सारी व्यवस्था में गड़बड़ हो सकती है। जो सुविधा उत्तर के बारे में चाहेंगे वह दी जा सकेगी।

श्री दयाचन्द सोन (बारां) : बारां में जीन की हड़ताल के बारे में...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर चुका हूं कि बगैर सूचना दिये माननीय सदस्य इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं उठायें। आपको कोई बात कहनी हो तो पहले जानकारी दीजिये; तब सवाल उठाइये।

श्री दयाचन्द सोन : वह दो-चार रोज से हड़ताल....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! प्रश्न हड़ताल का नहीं व्यवस्था का है कि सदन का कार्य किस तरह चले, इसमें मैं आपका सहयोग चाहता हूं।

(११.५६ म.पू.)

जनलेखा एवं प्राक्कलन समितियों के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३० (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, १९६५-६६ के लिए १० सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्यों की सम्मति है कि इसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम २३२ (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति १९६५-६६ के लिए १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्यों की सम्मति है कि इसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(१२.१ म. प.)

राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का, असहमति पत्रों सहित, उपस्थापन करता हूं।

मांग संख्या १५ व १२
शिक्षा एवं पुलिस

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १७,९२,५०,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १२ मुख्य शीर्षक २३- पुलिस के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,९९,१०,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

मांग संख्या १५

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) :

(१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों के क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : (२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं के साथ सरकारी छात्रवास की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिए)।

(३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों की वर्तमान खराब स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए)।

(४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक पाठशालाओं में तकनीकी शिक्षा के प्रावधान न करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

(५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया

(श्री रघुनाथ बिश्नोई))

जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के साधनों की अवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसको दूर करने के उपायों पर चर्चा के लिये)।

(७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस थानों के पुलिस कर्मचारियों का आम जनता के साथ दुर्व्यवहार के लिए)।

(८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३– पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस की प्रोसीक्यूशन ब्रान्च की अयोग्यता के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री गंगासिंह (हिडौली) : (९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८०- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दियाजाय (देहातों में शिक्षा की कमी से किसानों के बच्चों की परेशानी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १२

(१०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३– पुलिस से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : (११) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (शिक्षा की दोषपूर्ण पद्धति के कारण छात्र समाज में व्याप्त असंतोष के बारे में नीति का अननुमोदन)।

(१२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक२८– शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों को कम वेतन मिलने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए)।

(१३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १००) रुपया कर दिया जाय (सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण जनता में व्याप्त असन्तोष के बारे में नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या १२

(१४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग का तस्कर व्यापार को रोकने पर प्रगति नहीं कर सकने पर चर्चा के लिए)।

(१५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३– पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय(पुलिस कर्मचारियों में कम वेतन के कारण व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए)।

Page No 35

मांग संख्या १५

श्री मानसिंह महार (आमेर) : (१६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(१७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गांवों में रुपये लेकर पाठशाला खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(१८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर):(१९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रुपया कर दिया जाय (सरकार की हायर सैकन्डरी शिक्षा की गलत नीति के बारे में नीति का अनमोदन)।

मांग संख्या १२

(२०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–में पुलिस से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के सिपाहियों की तनख्वाहों व मंहगाई भत्ता पर चर्चा के लिये)।

(२१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाये (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री जुझारसिंह (चेचट) : (२२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों का रिवाइज्ड पे स्केल में फिक्सेशन न होने पर चर्चा के लिये)।

(२३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम दिये जायं (मौजूदा प्राथमिक शिक्षा की कमियों की ओर ध्यान दिलाने पर चर्चा के लिये)।

(२४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बकानी समिति झालावाड़ में स्थित गुरुकुल को राज्य सरकार द्वारा उचित सहायता नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

(२५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा में प्राविधिक कॉलेज नहीं होने से आने वाली अड़चनों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(२६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिये जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(२७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३– पुलिस में से १००) रु० कम कर

(श्री जुझारसिंह)

दिया जाय (होम गार्ड्स की ओर अरुचि बरतने पर चर्चा के लिये)।

(२८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३– पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चेचट चुनाव क्षेत्र में पुलिस कार्य से असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

(२९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० का कर दिया जाय (पुलिस ट्रेनिंग को अधिक व्यवहारिक बनाने की ओर ध्यान दिलाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : (३०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कॉलेजों में विद्यार्थियों की भर्त्ती के माप-दण्ड पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १२

(३१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में सिपाहियों की भरत्ती करने की गलत प्रणाली पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : (३२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कालू हायर सैकन्डरी स्कूल को जुलाई, ६५ से डाउन ग्रेड करने की योजना पर चर्चा के लिये) ।

(३३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नापासर में साइंस के कमरे के निर्माण हेतु जन-सहयोग चार वर्ष से जमा करा रखा है लेकिन विभाग द्वारा ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

(३४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (प्रत्येक तहसील हैड क्वार्टर पर स्थिति उच्च विद्यालय अथवा हायर सैकन्डरी स्कूल्स के साथ सरकार की ओर से छात्रा-वासों की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(३५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नापासर में लड़कियों के लिये अगले (सत्र से माध्यमिक शाला खोलने हेतु कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये) ।

(३६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००)रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उच्च विद्यालय में विद्या-र्थियों की बढ़ती हुई संख्या के निमित्त स्थानाभाव को दूर करने पर चर्चा के लिये) ।

(३७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कालू व लूणकरणसर में लड़-कियों के लिये माध्यमिक शाला की स्वीकृति देने पर चर्चा के लिये)।

(श्री भीमसेन)

मांग संख्या १२

(३८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आर०ए०सी० कर्मचारियों को जो बोर्डर पर तैनात है उनको अधिक सुविधायें देने पर चर्चा के लिये) ।

(३९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गंगाशहर में जन-सुविधा का ध्यान में रखते हुए पुनः पुलिस थाना कायम करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : (४०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा के मामले में शहर व गांवों में बर्ते जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये) ।

(४१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (माध्यमिक पाठशालाएं खोलने की प्रणाली पर चर्चा के लिये) ।

(४२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

(४३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाल पाठ्य पुस्तकों पर चर्चा के लिये) ।

(४४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति के ग्रेजुएट हुए अध्यापकों के वेतन श्रृंखला के बारे में चर्चा के लिये) ।

(४५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अध्यापकों की आर्थिक हालत सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

(४६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (१३ से १८ वर्ष के विद्यार्थियों की शिक्षा में कम बढ़ोत्तरी हुई इस पर चर्चा के लिए) ।

(४७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य के अध्यापकों की बकाया रकमों का चुकारा न करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १२

(४८) मांग सं० १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (रतनगढ़ व चुरू में जनता के साथ पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों पर चर्चा के लिये) ।

(४९) मांग सं० १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

जाय (पुलिस के सिपाहियों की आर्थिक असन्तोषपूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(५०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला भीलवाड़ा के कोटडी तहसील के बीड धोक गांव में हुई चोरियों का पता नहीं लगाने पर चर्चा के लिये)।

(५१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले के कोदूकोटा गांव में एक ही परिवार के ४-४ व्यक्तियों की हुई हत्याओं पर चर्चा के लिये)।

(५२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(५३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में नियुक्तियों तथा प्रमोशन में हुए पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :

(५४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जैतारण उच्चतर माध्यमिक शाला में वाणिज्य कक्षा खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(५५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में पुलिस द्वारा गलत ढंग से मुकदमों की तफतीश कर व गलत मुकदमे बनाकर कानून व व्यवस्था की मखौल करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) :—

(५६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा–कर १) रु० कर दिया जाय (प्राथमिक शिक्षा की नीति के बारे में नीति का अननुमोदन)।

(५७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया (शिक्षकों को वेतन कम मिलता है, उस पर चर्चा के लिये)।

(५८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षकों की आर्थिक स्थिति की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

(५९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रेजुएट शिक्षकों के वेतन स्तर पर प्रकाशनार्थ पर चर्चा के लिये)।

(६०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया

(श्री मुरलीधर व्यास)

जाय (पंचायत क्षेत्रों के शिक्षकों को वहां से दूसरे क्षेत्र में हटाने पर उनको होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये)

श्री मोहनराज (बाली) : (६१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में स १००) रु० कम कर दिया जाय (देसूरी और बाली तहसील के प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशाला में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : (६२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षकों की वेतन शृंखला आदि मांगों की ओर ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

(६३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कमकर दिया जाय (गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

(६४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नाथद्वारा तहसील, गांव गुड़ा में हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये)।

(६५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (तहसील नाथद्वारा में माध्यमिक पाठशाला खोलने पर चर्चा के लिये)।

(६६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रूइया कॉलेज को सरकारी सहायता नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

(६७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों की मांगें जो सरकार के समक्ष रखी उन पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(६८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के सशस्त्र पुलिस दल की कठिनाइयों के अनुपात में उनकी कम सुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

(६९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाकिस्तानी सीमा पर स्थित पुलिस चौकियों के सिपाहियों को अधिक सुविधा देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : (७०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (गैर-सरकारी संस्था को अनुदान देने में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(७१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर

(श्री जोधसिंह चौहान)

दिया जाय (राजस्थान की सशस्त्र पुलिस दल की कठिनाइयों के अनुपात में उनकी कम सुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : (७२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लाखेरी हाई स्कूल को हायर सैकन्डरी में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये)।

(७३) मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा देई तहसील नैनवां में जूनियर हायर सकन्डरी स्कूल की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(७४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लाखेरी में लड़कियों के हाई स्कूल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(७५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गरमपुरा पंचायत क्षेत्र लाखेरी में करीब १० हजार जनता में सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का स्कूल नहीं खोलने से बच्चों के भविष्य को अंधकार से बचाने पर चर्चा के लिये)।

(७६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिसमें कापरेन कस्बा, जिला बूंदी में जूनियर हायर सैकन्डरी स्कूल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(७७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जनता के साथ पुलिस के द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों पर चर्चा के लिये)।

(७८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सब-इन्सपेक्टरों द्वारा चोरों को प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये)।

(७९) मांग सं० १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कापरेन में थाना कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन—सु.) : (८०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (हाई स्कूल, हिन्डौन में लड़कों के बैठने की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(८१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (हिन्डौन में गर्ल्स मिडल स्कूल की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(८२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रुपए कम कर

(श्री श्रवणलाल)

दिया जाय (सूरोठ व मऊ-इब्राहिमपुर में हाई स्कूल नहीं होने पर विद्यार्थियों को कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : (८३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला चित्तौड़गढ़ की कुछ स्कूलों को सैकन्डरी स्कूल बनाने पर चर्चा के लिये)।

(८४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा में कॉलेज न बनाने पर चर्चा के लिये)।

(८५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (बनेरा (निम्बाहेड़ा) की माध्यमिक शाला को हायर सैकन्डरी स्कूल न बनाने पर चर्चा के लिये)।

(८६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (जिला चित्तौड़गढ़ में शिक्षकों की नियुक्तियों में किये गये पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

(८७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा हाई स्कूल में शिक्षकों द्वारा पढ़ाई की ओर शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

(८८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा प्रोपर में प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक अधिकतर रिश्वत मांगते हैं और न देने पर लड़कों को फेल करते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(८९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा में चोरियों की बढ़ती हुई संख्या को रोक न सकने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

(९०) श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (विभाग की अनुशासन–हीनता से अध्यापकों के साथ पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(९१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जनता के जान-माल की सुरक्षा न करने तथा चोरियों को प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

कुंवर श्री महेन्द्र सिंह (दीगोद) :— (९२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

(कुंवर श्री महेन्द्रसिंह)

माँग संख्या १२

(९३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

माँग संख्या १५

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर) : (९४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पाठ्य क्रम व समय पर पाठ्य पुस्तकों के न मिलने से विद्यार्थियों की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

(९५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों को समय पर वेतन न मिलने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है इस पर चर्चा के लिये)।

(९६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों का असमय में स्थानान्तरण करने से असुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

माँग संख्या १२

(९७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रबन्ध में अव्यवस्था के कारण अपराध बढ़े हैं इस पर चर्चा के लिये)।

(९८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के कर्मचारियों की सुविधाओं पर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया इस पर चर्चा के लिये)।

माँग संख्या १५

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : (९९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में पाठशाला भवन की जीर्ण अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(१००) मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जूनियर हायर सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी पाठशालाओं में विज्ञान का विषय अनिवार्य रूप से चालू करने पर चर्चा के लिये)।

(१०१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अध्यापकों को ग्रेड न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(१०२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय कन्या उच्चतर शाला, झालावाड़ में कन्याओं को शिक्षक एवं अन्य सामान नहीं होने से होने वाली असुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

माँग संख्या १२

(१०३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर

(श्री गोविन्दसिंह)

दिया जाय (पुलिस द्वारा चोरियों की बरामदगी नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

(१०४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा जिला झालावाड़ में मवेशियों की चोरी की बरामदगी में असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) :

(१०५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विश्वविद्यालयों की गिरती हुई आर्थिक हालत से शिक्षा स्तर में गिरावट पर चर्चा के लिए)।

(१०६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गैर-सरकारी स्कूलों को सरकारी सहायता की कमी के प्रश्न पर चर्चा के लिए)।

(१०७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षकों के अपर्याप्त वेतन के प्रश्न पर चर्चा के लिए)।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : (१०८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों की वेतन-शृंखला कम है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १२

(१०९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों का वेतन स्तर कम होने से विभाग में फैले हुये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर-पश्चिम) : (११०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा सिन्धी विद्यार्थियों को उनकी मातृ-भाषा में शिक्षा न देने पर चर्चा के लिए)।

(१११) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्वर्गवासी अध्यापकों के उत्तराधिकारियों को समय पर उनका बकाया न देने पर चर्चा के लिए)।

(११२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहायता प्राप्त विद्यालयों के अनुदान देने में असमानता पर चर्चा के लिए)।

(११३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) कम कर दिया जाय (शिक्षा के क्षेत्र में कु-प्रबन्ध पर चर्चा के लिए)।

(श्री पोहूमल ईसरदास)

(११४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (१६५६ में महात्मा गांधी विद्यालय के राष्ट्रीयकरण होने पर ३ महीने का वेतन अध्यापकों को न मिलने पर चर्चा के लिए) ।

(११५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर प्राइमरी स्कूलों के पुरुषार्थी अध्यापकों को ५१-५२ का मकान किराया न मिलने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १२

(११६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस गुंडा-गर्दी व चोरियों को रोकने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिए) ।

(११७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १५

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : (११८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर चर्चा के लिए) ।

(११९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में स्कूलों के अभाव पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १२

(१२०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रोसिक्यूटिंग इन्सपेक्टरों की सर्विस कन्डीशन्स पर चर्चा के लिए) ।

(१२१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानेदारों के विरुद्ध शिकायतों को नजरन्दाज करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १५

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : (१२२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों का वेतन स्तर बढ़ाने पर चर्चा के लिए) ।

(१२३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (एन. सी. सी. को देय रकम में घोटाले पर चर्चा के लिए) ।

(१२४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूल की इमारतों की खराब हालत पर चर्चा के लिए) ।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मांग संख्या १२

(१२५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कर्मचारियों में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

(१२६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कोटा में हुई चोरियों व कत्ल के मुकदमों में एफ. आइ. आर. दर्ज न करने पर चर्चा के लिए) ।

(१२७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नमाना (बूंदी) एवं अन्य डकैतियों की बरामदगी में लापरवाही के लिए पुलिस जिम्मेदार है इस पर चर्चा के लिए) ।

(१२८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (थाना गुमानपुर (कोटा) में लगातार हुई चोरियों का पता न लगने व पुलिस का सहयोग होने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १५

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : (१२९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में अध्यापकों को कम वेतन व कम सुविधायें मिलने के कारण व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए) ।

(१३०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मिडल स्कूल के अभाव से उत्पन्न असन्तोष से शिक्षा प्रगति पर आघात पर चर्चा के लिए) ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : (१३१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूलों के भवन की दुर्दशा पर चर्चा के लिए) ।

(१३२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानान्तरण करने में पक्षपात पर चर्चा के लिए) ।

(१३३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुराने बने हुए हायर सेकेन्डरी स्कूलों की भवनों की मरम्मत न कराने पर चर्चा के लिए) ।

(१३४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, सपोटरा के प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों द्वारा पंचायत चुनावों में भाग लेने पर चर्चा के लिए) ।

(१३५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सपोटरा में स्कूल भवन के लिए स्वीकृत पांच हजार रुपयों की धन राशि को गलत मद में जमा कराने तथा दुबारा न दिलाने पर चर्चा के लिए) ।

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

मांग संख्या १२

(१३६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३– पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर में चोरियों के निरन्तर बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

(१३७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३– पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा गंगापुर में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई चोरियों पर ध्यान न देने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १५

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : (१३८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में अध्यापक आदि न होने से दुर्दशा पर चर्चा के लिए) ।

श्री बालचन्द डागा (किशनगढ़) : (१३९) मांग सख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (किशनगढ़ कॉलेज में बायॉलोजी व साइन्स खोलने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १२

(१४०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३– पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में फैले हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १५

श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर) : (१४१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिए) ।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मान्डलगढ़) : (१४२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिजोलिया हायर सैकन्डरी स्कूल को जूनियर हायर सैकन्डरी स्कूल की श्रेणी में न लाने पर चर्चा के लिए) ।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : (१४३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों की बकाया रकम चुकाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १२

(१४४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३– पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

(१४५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३– पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रतनगढ़ तथा चूरू में पुलिस द्वारा जनता के साथ किये गये अत्याचार पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १५

श्री जयलाल (डग) : (१४६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से

(श्री जयलाल)

१००) रु० कम कर दिया जाय (स्कूलों में छात्रों के बैठने की ठीक व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए) ।

(१४७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८— शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विद्यार्थियों को समय पर छात्र-वृत्तियां नहीं मिलने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १२

(१४८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३— पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस में बढ़ती हुई रिश्वतखोरी पर चर्चा के लिए) ।

(१४९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डग, गंगधार इलाके में बढ़ते हुए बलात्कारों की रोकथाम पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १५

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौडगढ़) : (१५०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (माध्यमिक विद्यालय के अनुदानों में कमी पर चर्चा के लिए) ।

(१५१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक, २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक शाला के अनुदानों में कमी पर चर्चा के लिए) ।

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा) : (१५२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला सिरोही में ग्राम रोहिड़ा में हायर सैकन्डरी स्कूल में विज्ञान कक्षाएं शुरू करने के विषय में चर्चा के लिए) ।

(१५३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की शिक्षा प्रसार प्रणाली पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १२

(१५४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम भारजा में पुलिस द्वारा किये गये अत्याचार के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : (१५५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८— शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गांवों की स्कूलों में तकनीकी शिक्षा का अभाव पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १२

(१५६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३ —पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा चोरियों का पता न लगाना तथा उनकी अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : (१५७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा

Page No 48

(श्री हीराभाई)

में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्रों में बिना शर्त के माध्यमिक पाठशाला खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(१५८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) रु० कम दिया जाय (राज्य सरकार पुलिस के अधिकारों का खुलेआम दुरुपयोग करवाती है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा-सु०) : (१५९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा में कम आमदनी वाले विद्यार्थियों से फीस नहीं लेने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : (१६०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की समुचित व्यवस्था नहीं होने से हानि हो रही है, उस पर चर्चा के लिये)।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : (१६१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सुजानगढ़ नगर में डिग्री कॉलेज खोले जाने की मांग पर चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): (१६२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला बोर्ड व पंचायत समिति के अध्यापकों को वाजिब हक नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(१६३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस में फैले हुए भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (१६४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा अध्यापकों के वेतन-स्तरों में सुधार करने पर चर्चा के लिये)।

(१६५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा शिक्षा स्तर को सुधारने के सम्बन्ध में की गई उदासीनता की चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(१६६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नॉन गजटेड पुलिस कर्मचारी यूनियन को मान्यता न देने पर चर्चा के लिये)।

Page No 49

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(१६७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री विजपाल कटारा (डूंगरपुर-मु०): (१६८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डूंगरपुर मल्टीपर्पज हायर सैकण्डरी स्कूल की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(१६९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में पुलिस कर्मचारियों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू): (१७०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम कुन्दनपुरा (पंचायत समिति सांगानेर) की प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित न करने पर चर्चा के लिये)।

(१७१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति क्षेत्र चाकसू, जिला जयपुर में मिडल स्कूल न खोलने पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा): (१७२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा--पंचायत समिति भूखिया एवं चांदरवाड़ा में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(१७३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में तहसील गढ़ी के परतापुर कस्बा में हुई हत्या में पुलिस द्वारा हत्यारे का पता लगाने में असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़): (१७४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम बड़ खेड़ा पंचायत समिति उमरैण प्राइमरी स्कूल की मिडल स्कूल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(१७५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (सादड़ी): (१७६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस के सिपाहियों के वेतन बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री शंकरलाल)

मांग संख्या १५

(१७७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन पर चर्चा के लिये) ।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-मु०) : (१७८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बारां नगर में कॉलेज खोलने पर चर्चा के लिये) ।

(१७६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बारां नगर में स्कूल की इमारतों की कमी के कारण छात्र-छात्राओं की असुविधा पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १२

(१८०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय(पुलिस थानों में चोरियां वगैरह की रिपोर्ट दर्ज न करने पर चर्चा के लिये) ।

(१८१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३- पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा किये गये पक्षपात व रिश्वत खोरी पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

श्री आनन्दसिंह कछावाहा (जोधपुर-प्रथम) : (१८२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सेन्टजेवियर्स स्कूल, जयपुर व सोफिया स्कूल, अजमेर को दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये) ।

श्री अमरसिंह (पचपदरा) : (१८३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा तथा अध्यापकों के वेतन स्तर में वृद्धि नहीं की गई है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १२

(१८४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस डाकुओं को पकड़ने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

ठाकुर श्री जीवराजसिंह (गुढ़ा) : (१८५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विविध विषयों के कम होने पर (तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं को गुढ़ा, छापोली गुड़ा इत्यादि स्कूलों के) चर्चा के लिये) ।

श्री रामचन्द्र (श्रीमाधोपुर) : (१८६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में प्रौढ़ शिक्षा की प्रगति कुछ भी नहीं है, इस पर चर्चा के लिये) ।

(१८७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्रों के लिए स्त्री शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिये) ।

(श्री रामचन्द्र)

(१८८) मांग संख्या १५. मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सीकर जिला में टैक्निकल शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री दलपतसिंह (आबू) : (१८९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कक्षा दस तक हर पाठशाला में कृषि विषय अनिवार्य रूप से लागू करने पर चर्चा के लिये)।

श्री भरतलाल (मलारना चौर) : (१९०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले के सुरक्षित विधान सभाई क्षेत्रों में सरकार द्वारा उच्च व माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के सम्बन्ध में ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) : (१९१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर में कॉलेज खोलने हेतु सरकार की ओर से उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री केसरीसिंह (पाली) : (१९२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नई कॉलेजें खोलने की प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

श्री अमरसिंह (दूदू) : (१९३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा के गिरते हुए स्तर में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री भानु प्रसाद कराड़िया (चोमू) : (१९४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गोविन्दगढ पंचायत समिति के क्षेत्र में शिक्षा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(१९५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३--पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों की वेतन वृद्धि व प्रमोशनों में आवश्यकता के अनुकूल न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ) : (१९६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सीकर जिला में शिक्षा की सुविधाएं अपर्याप्त हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(१९७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३--पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस में अभी तक भ्रष्टाचार है, इस पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या १५

श्री चौसरसिंह बाबेल (बैंगू) : (१९८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में व्यवस्था पढ़ाई की ठीक नहीं है इस पर चर्चा के लिये)।

(१९९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(२००) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय(विभाग में भ्रष्टाचार काफी फैला हुआ है, इस पर चर्चा के लिये)।

(२०१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग संगीन जुर्मों की तफतीश में नाकामयाब रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

(२०२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (गरीबों की दस्तन्दाजी जुर्मों की इत्तलायें दर्ज नहीं की जातीं, इस पर चर्चा के लिये)।

(२०३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कई अफसर एक जगह सिफारिशों से वर्षों तक तब्दील नहीं किए जाते, इस पर चर्चा के लिये)।

(२०४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस कांस्टेबलों वगैरह को तनख्वाह कम मिलती है, इस पर चर्चा के लिये)।

(२०५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस अफसर पार्टी-बाजी में भाग लेते हैं व पक्षपात करते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा-सु.) : (२०६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (शहरों में बड़ी शालायें नहीं खोली जाकर ग्रामों में अधिक से अधिक शालाएं खोली जाने पर चर्चा के लिये)।

(२०७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर ग्राम पंचायत समिति सराड़ा क्षेत्र में ग्राम में मिडल स्कूल खोला जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(२०८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (साधारण सिपाहियों को वेतन अधिक दिलाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : (२०९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय

(श्रीमती सुमित्रा)

(काली पहाड़ी प्राइमरी स्कूल पंचायत समिति झुंझुनू तथा जारवल प्राइमरी स्कूल पंचायत समिति नवलगढ़ को माध्यमिक शाला में परिवर्तन पर चर्चा के लिये)।

(२१०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००)रु. कम कर दिया जाय (झुंझुनूं मल्टीपर्पज़ हायर सैकण्ड्री स्कूल, झुंझुनू में अध्यापकों द्वारा पढ़ाई की ओर शिथिलता बरती जाने पर चर्चा के लिये)।

(२११) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय (हमारी राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें युगानुकूल न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(२१२) मांब संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में मे १००)रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जेजूसर, थाना नवलगढ़ तथा अन्य की चोरियों को निकालने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री रावतराम (सादूलपुर) : (२१३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जिला चूरू में मिडल स्कुल तथा हायर सैकंडरी स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(२१४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस थानों को जीपें, वायरलैस, टेलीफोन आदि देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री हरिकिशन (राजगढ़) : (२१५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय (उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय रैनी (अलवर) में १९६५–६६ में विज्ञान का विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(२१६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय (उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय रैनी (अलवर) में वाणिज्य विषय नहीं खोलने पर चर्चा के लिये)।

(२१७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजगढ़ में सरकार द्वारा कॉलेज नहीं खोलने पर चर्चा के लिये)।

(२१८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से '१००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में आदिवासी जन संख्या वाले क्षेत्र में पुरुषों व स्त्रियों में शिक्षा प्रसार नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : (२१९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक

(श्री मोतीलाल चौधरी)

२८--शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय (विभाग की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(२२०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (विभाग की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : (२२१) मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (१,५०,००० रुपयों की रकम निर्माण कार्य के बिना किसी विवरण के रखी गई है इसको नहीं खर्च की जाय, पर चर्चा के लिये)।

(२२२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (निर्धन विद्यार्थियों को निधि में योगदान के लिए रकम बहुत सी कम है, इस पर चर्चा के लिये)।

(२२३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भारत स्काउट्स एवं गाईड्स को दी जाने वाली सहायता का सही तरीके से खर्च नहीं किया जाता है। इस पर चर्चा के लिये)।

(२२४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल को दिये जाने वाली अनुदान राशि कम है इस पर चर्चा के लिये।)

(२२५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (साहित्य के प्रोत्साहन के लिये अनुदान, संचालक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के द्वारा वर्ष पर ६००) रुपया रखी गई और नियुक्ति विभाग द्वारा ८००) रु० संचालक संस्कृत शिक्षा के द्वारा ६४००), उपरोक्त १८०००) की रकम राजस्थान के साहित्य के लिये कम है; इस पर चर्चा के लिये)।

(२२६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बाल विद्यामन्दिर को अनुदान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(२२७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अन्य अनुदानों में से बाल विनय मन्दिर मांडल में प्राथमिक गैर सरकारी पाठशाला को अनुदान न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(२२८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर पुष्टिकर हाई स्कूल को बहुत ही कम अनुदान मिलता है और यह विद्यालय लड़कों से फीस नहीं लेता इसलिये ६०./· किया जाय इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

(२२९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिस प्रकार अन्य गैर सरकारी मिडल स्कूलों को अनुदान दिया जाता है उसी प्रकार यदि पंचायत समितियां मिडल स्कूल चलावें तो उनको भी अनुदान दिया जाने पर चर्चा के लिये) ।

(२३०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (आगामी सत्र में मांडल (जिला भीलवाड़ा) में साइन्स और बायोलोजी की कक्षा चालू करने पर चर्चा के लिये) ।

(२३१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भादू, तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में ६ माइल के एरिये में खनिज मजदूर जहां रहते हैं वहां मिडल स्कूल खुलवाई जाने पर चर्चा के लिये) ।

(२३२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (थाना गांव में छात्रों की संख्या अधिक है इसलिये मिडल स्कूल खुलवाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १२

(२३३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कम कर दिया जाय (रोकड़ कमी की रकम का मद कतई हटा दिया जाय, रोकड़ कमी के मद को मान्यता देना हिसाबी नियम के विपरीत है; अतः इस के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

(२३४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-(पुलिस में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (नरेशों के प्रासादों पर नियुक्त रक्षा दल पर चर्चा के लिये) ।

(२३५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (क्योंकि पुलिस अपने कर्त्तव्यों के पालन करने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सहाडा–सु.) : (२३६) मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आदि स्थानों को सिपाहियों के वेतन बढ़ाने तथा पदोन्नति पर चर्चा के लिये) ।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : (२३७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक-२३ पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू थाने में प्रशासनिक ढिलाई से पानी की उचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये) ।

(२३८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (चूरू जिले में १९६४-६५ में चोरियों की वृद्धि और चोरी का माल न बरामद होने से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

(श्री मोहरसिंह)

(२३९) मांग संख्या १२ मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय। (सरदार शहर के बैंक हत्याकाण्ड के अभियुक्तों का पता लगाने में राजस्थान पुलिस असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

(२४०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (प्रशासनिक ढिलाई के कारण चूरू लाइन पुलिस में पेय जल की उचित व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : (२४१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (मानपुर थाने में पुलिस की अव्यवस्था में सिकराय तहसील क्षेत्र में चार ४ थानों को नहीं रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

(२४२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में जीप.गाड़ी दी जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :— (२४३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस में व्यापक भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : (२४४) मांग संख्या १२ मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जिला जालौर में पुलिस द्वारा जनता के जान और माल की रक्षा करने के सम्बन्ध में कर्तव्य-परायणता एवं तत्परता नहीं दिखाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मान्धातासिंह (मऊआ) : (२४५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (क्योंकि सरकार रूल ऑफ लॉ (कानूनी शासन) कायम रखने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) :—(२४६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समिति जमवा-रामगढ़ में शिक्षा क्षेत्र की प्रगति नहीं हुई इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(२४७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (तहसील जमवारामगढ़ में पुलिस व्यवस्था की कमी, पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : (२४८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को १)रु० घटा कर कर दिया जाय (राजस्थान में शिक्षा सम्बन्धी असुविचारित नीति का अनु-मोदन)।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

(२४६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में असफलता का प्रतिशत अत्यधिक बढ़ जाने से चिन्ताजनक स्थिति, विशेषकर पी. यू. सी. परीक्षा में अधिक कड़ाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

(२५०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा शिक्षा संस्थाओं की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(२५१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय (चौथ का बरवाड़ा में हायर सैकंडरी स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १२

(२५२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (टौंक जिले में पुलिस द्वारा विरोधी दलों को दमन करने एवं कार्यों पर चर्चा के लिये)।

(२५३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन की अव्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार के बढ़ने पर चर्चा के लिये)।

(२५४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३ पुलिस में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को देखते हुए उनको समानुपातिक वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(२५५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में पंचम श्रेणी (फिफ्थ कॉलमिस्ट्स) के व्यक्तियों की गतिविधियों पर पुलिस द्वारा पर्याप्त दृष्टि न रख सकने पर चर्चा के लिये)।

(२५६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों का आम जनता के साथ दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

(२५७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३,–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक जिले के राजनैतिक कार्यकर्ताओं (जो कांग्रेसी नहीं हैं) की जान माल के खतरे पर चर्चा के लिये)।

(२५८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निवाई पुलिस स्टेशन द्वारा सीधडा देवरी गांव में स्वयं झगड़ा करा कर झूठे मुकदमे बनाने पर चर्चा के लिये)।

(२५९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत के चुनावों में पुलिस कर्मचारियों द्वारा टोंक में की गई अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

Page No 58

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

(२६०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी गाड़ियों का पुलिस अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

(२६१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान पुलिस को अर्द्ध भूखी रखने से उसमें भ्रष्टाचार की आदत पर चर्चा के लिये)।

(२६२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को न रोक सकने पर चर्चा के लिये)।

(२६३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक जिले में पुलिस विरोधियों को आतंकित करने एवं अराजकता फैलाने पर चर्चा के लिये)।

(२६४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मालपुरा में व टोंक जिले में पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे बनाने पर चर्चा के लिये)।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में शिक्षा की पद्धति करीब १२५ वर्ष पूर्व लार्ड मैकॉले नामक एक व्यक्ति ने स्थापित की। उसकी रूपरेखा, उसका मूल आकार अभी तक वही का वही है। कई बार महात्मा गांधी, स्वर्गीय मदनमोहन मालवीय, भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री मौलाना अब्दुलकलाम आजाद तथा अन्य शिक्षा शास्त्रियों ने इस शिक्षा पद्धति को अपने देश के लिए अनुपयुक्त बताया और अनुपयुक्त बताते हुए यही बारबार कहा है कि यह शिक्षा पद्धति क्लर्क्स को पैदा करने वाली है। मुझे भली भांति यह बात याद है कि प्रथम राउंड टेबल कॉन्फरेंस के पहले स्वर्गीय मदनमोहन मालवीय ने मुझसे शिक्षा के सम्बन्ध में बात करते हुए इस शिक्षा की पद्धत्ति को गुलामी का फंदा बताया था। १७ वर्ष होने के पश्चात् हमारी शिक्षा पद्धति मूलत: वही की वही रही जो १२५ वर्ष से लगातार इस देश में चली आ रही है। उस पद्धति के अन्दर क्या परिवर्तन किया जाय, यह तो शासनारूढ़ दल के सोचने की बात है, किन्तु कुछ बातें जो मुझे आवश्यक लगती हैं, वह सदन के समक्ष सरकार के विचारार्थ में रखने का साहस करूंगा।

सबसे प्रथम प्राथमिक शिक्षा जीवन के विकास का आधार है और हमारी भावी सन्तान को सफल नागरिक बनाने के लिए एक मुख्य माध्यम है। राजस्थान सरकार का यह लक्ष्य रहा है कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाय, प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क हो। इसका अर्थ यह है कि ६ से ११ वर्ष के बालक अनिवार्य रूप से स्कूलों में भेजे जायं अर्थात् स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या ६० से ६५ लाख होगी, लेकिन अभी तक हम ४० लाख बालकों को भेज सके हैं।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इसका अर्थ यह है कि हमारा लक्ष्य अभी तक अधूरा है। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है। प्राथमिक शिक्षा तीन संस्थाओं के अन्तर्गत विभाजित है। सबसे प्रथम राजकीय स्कूल, उसके बाद वे स्कूल जो पंचायत समितियों, म्युनिसिपल बोर्डों तथा म्यूनिसिपल कौंसिल्स के अंतर्गत सचालित होते हैं और तृतीय श्रेणी में वे स्कूल जो खानगी संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं। इस संबंध में इन तीन श्रेणियों के स्कूलों के बीच में कोई समन्वय नहीं है, कोई कॉमन कोड नहीं है। अध्यापकों का वेतन, अध्यापकों की तरक्की व तकरूरी में असमानता है। मेरे ख्याल में इन तीन श्रेणियों में विभाजित स्कूलों के बीच में कोई न कोई तालमेल होना चाहिए और समानता लानी चाहिए, यदि हमको शिक्षा व्यवस्था को सुचारु ढंग से संचालित करना है। पंचायत समितियों में प्राथमिक शालाओं की दशा दयनीय है। अध्यापक बच्चों को दिन में पढ़ाते हैं. फिर प्रौढ़शाला में शिक्षा देते हैं और रात्रि-शालाओं में भी उनको शिक्षा देने के लिए जाना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि १२ से १५ घण्टे तक इन अध्यापकों को काम करना पड़ता है और इस काम के उपलक्ष में उनको कोई अधिक वेतन या एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता। मेरे ख्याल में यह परमावश्यक है कि शिक्षकों को समाज में सम्मानित व्यक्तियों का स्थान दिया जाय न कि एक लद्दू बैल के माफिक उनसे रात-दिन परिश्रम कराया जाय और उसके उपरान्त उनको कोई वेतन भी न दिया जाय। इसी बात को लेकर अन्य बातें भी होंगी लेकिन मुख्यतः इसी बात को लेकर अध्यापकों के अन्दर असंतोष है। राजस्थान शिक्षक संघ ने असंतोष व्यक्त करते हुए आंदोलन करने की भी चेष्टा की है। पंचायत समितियों के अध्यापकों को राजनीति का शिकार भी बनाया जाता है। बी. डी. ओ. व प्रधान उनको तरह तरह की बातें कहते हैं और उनको स्वतंत्र रूप, से निष्पक्ष रूप से, अपना कार्य नहीं करने देते। पाठशालाओं की स्थिति खास तौर से, डूंगरपुर जैसे पिछड़े जिलों में, यह है कि राज्य की ओर से एक हजार या डेढ़ हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। सरकार स्वयं विचार करे कि एक हजार या डेढ़ हजार के अनुदान से क्या पाठशाला के भवन का निर्माण हो सकता है; खास कर उस क्षेत्र में जहां गरीब आदिवासी लोग रहते हैं? हजार, डेढ़ हजार रुपया अनुदान के रूप में देने के पश्चात् बाकी का सब का उसके श्रमदान के द्वारा कराया जाता है। मेरे खयाल से यह एक हास्यास्पद स्थिति है। मुझे तो यह देखकर दुख होता है कि एक कमरा है। एक अध्यापक उस एक कमरे के अंदर पांच क्लास. पहली, दूसरी, तीसरी चौथी और पांचवीं क्लास को क्या शिक्षा दे सकता है? पांच क्लास को लेकर शिक्षा के नाम से शिक्षा का सदुपयोग है या दुरुपयोग की पराकाष्ठा यह स्वयं सरकार सोचे। इससे न सरकार की हानि है और न अध्यापक की। किन्तु देश और उसके भावी नागरिकों की हानि है जिनका दुर्भाग्य है ऐसी संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने का।

अध्यक्ष महोदय, यह परम आवश्यक है

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कि प्राइमरी स्टेज (प्राथमिक स्थिति) में नैतिक शिक्षा आवश्यक है और अवश्यमेव दी जाय। नैतिक शिक्षा को कैरिकुलम, आपके कार्यक्रम के अन्दर प्राथमिकता दी जाय ताकि आप देशभक्त नागरिक, चरित्रवान् नागरिक शिक्षा के द्वारा बना सकें।

निःशुल्क शिक्षा का ध्येय जो कुछ भी हो वह सुन्दर है। किन्तु उसके विपरीत गेम्स फीस, लाइब्रेरी फीस, परीक्षा फीस आदि जो ली जाती हैं वह भी मेरे खयालसे, निःशुल्क शिक्षा के अर्थ को लेते हुए यह व्यवस्था फीस लेने की अनुचित है और उसे बन्द करना चाहिये।

विद्यार्थियों को और शिक्षकों को सरकार के द्वारा ये स्पष्ट आदेश होने चाहिये कि वो राजनीति से दूर रहें। यदि कोई मन्त्री महोदय उनकी पाठशाला में निरीक्षणार्थ आवें तो उनका स्वागत अतिथि के रूप में करें न कि कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति विशेष के रूप में।

माध्यमिक स्कूलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अध्यक्ष महोदय, पाठ्य पुस्तकें समय पर नहीं मिलती हैं और अगर मिलती हैं तो प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती हैं और मिलती हैं तो मंहगी मिलती हैं। यह भी देखा गया है कि उन पाठ्य पुस्तकों का आप बार बार परिवर्तन कर देते हैं। मुख्य विषयों के लिये जो अध्यापक होने चाहिये वे बाज बाज जगह नहीं मिलते हैं। मेरे ख्याल में यह एक ग्रोस नेग्लीं जेन्स है और सरकार को इस सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिये कि पाठ्य पुस्तकें मिलें, प्रचुर मात्रा में मिलें और मंहगी नहीं मिलें और उनमें परिवर्तन बार बार नहीं किया जाय ताकि स्थिरता के रूप से, शान्ति के रूप से शिक्षा का प्रसार हो सके।

स्टूडेन्ट का एडोलेसेन्ट पीरियड नष्ट नहीं होना चाहिये। पौगण्ड अवस्था में, किशोरावस्था में यदि विद्यार्थियों में अनियन्त्रण आयेगा तो वह विद्यार्थी अवश्यमेव कुपथगामी होगा और उसकी रोकथाम भी सरकार के हाथ में नहीं है।

वेशभूषा के सम्बन्ध में और पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि आप अगर वेश-भूषा के संबंध में नेकर या बन्डा कमीज रखें तो उसकी मैं निन्दा नहीं करता लेकिन आखिरकार यह भारतवर्ष देश है। अगर कुर्ता और धोती के अन्दर कोई आता है तो मेरे ख्याल में इस बारे में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। यदि इस बारे में आप रुकावट करते हैं तो मैं उसका विरोध करता हूं। मैं समझता हूं, यह हमारी परम्परा के विपरीत है, हमारी संस्कृति और रहने की शैली के भी विपरीत है और यह नहीं होना चाहिये।

पाठ्य सामग्री प्राप्त कराने के लिए कोऑपरेटिव स्टोर्स से अनिवार्यरूपेण छात्रों से कहा जाता है कि आप वहीं से, एक ही जगह से, चाहे मंहगी मिले या न मिले पाठ्य सामग्री एक ही जगह से खरीदा करें, यह भी स्वस्थ परम्परा के विपरीत है। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं लाते हैं तो भ्रष्टाचार होता है। कोऑपरेटिव स्टोर्स में

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कमीशन आदि भी लोग खाते हैं और लोगों को खास तौर से रियायत देने के नाम पर कोऑपरेटिव स्टोर्स के संचालन का अपने पिछलग्गुओं, पिट्ठुओं और कृपापात्रों को आप मौका देते हैं, यह मेरे ख्याल में, नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का प्रसार और शिक्षा का स्तर यानी क्वान्टिटी और क्वालिटी दोनों साथ साथ चलें, ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से की जानी चाहिये। अगर आप केवल क्वान्टिटी के ऊपर ही शिक्षा का प्रसार करते जावेंगे बिना इस सम्बन्ध में विचार किये कि वह शिक्षा का प्रसार, स्कूल जो आप खोल रहे है जगह जगह पर, वहां किस पद्धति की शिक्षा दी जाती है तो मेरे ख्याल में ऐसा करने से देश का कोई हित नहीं होगा। मैं तो समझता हूं यह मितव्ययता तो क्या यह एक फिजूल खर्ची की पराकाष्टा है। इसलिए क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों की नेसेसिटी समझ कर, आवश्यक समझ कर शिक्षा के स्तर और प्रसार, साथ साथ अगर उसमें प्रगति होगी तो सोने में सुगन्ध होगी।

अध्यक्ष महोदय, सुनने में आया है, मैं नहीं कह सकता कहां तक ठीक है, मेरी यह जानकारी है कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग के पश्चात् उदयपुर और अजमेर में ग्रेड तरक्की दी जाती है किन्तु ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग के पश्चात् जयपुर में ग्रेड तरक्की देने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसी व्यवस्था में नहीं है तो क्यों नहीं है और अगर नहीं है तो उसका होना मैं परम आवश्यक समझता हूं। ताकि जो व्यवस्था आपने अजमेर और उदयपुर में की वही व्यवस्था समान रूप से जयपुर में भी होनी चाहिये।

यह भी आम चर्चा है कि जो छात्रों की ट्यूशन करते हैं उनको नम्बर अच्छे मिलते हैं। उन छात्रों को, हर तरह से फेल भी होते हो, तो भी पास कर दिया जाता है। यह सम्भव नहीं है कि ऐसी बातें पूर्ण-रूपेण साबित हो सकें, लेकिन आशंका यह बहुत फैली हुई है कि इस तरह की व्यवस्था भी है और दुर्भाग्यवश जिन छात्रों को ट्यूशन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है उनके प्रति अनादर वृत्ति बरती जाती है, इस सम्बन्ध में भी सरकार को विचार करना चाहिये और ट्यूशन व्यवस्था किस तरह, किस हद तक अध्यापकों को करने का अधिकार प्राप्त हो, उस बारे में भी सरकार गहन रूप से विचार करे।

जब राजस्थान का निर्माण हुआ उस समय और उसके पूर्व राजस्थान में कोई विश्वविद्यालय नहीं था।

आज राजस्थान के अन्दर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, इन तीन स्थानों पर विश्व-विद्यालय स्थित हैं। मैंने यह सुना है कि सरकार संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार कर रही है। मैं समझता हूं यह एक खर्चीली संस्था होगी और अगर आपको मितव्ययता की ओर विशेष ध्यान नहीं देना है और आप ने यह निश्चित रूप से निर्णय ले लिया है कि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया ही

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जाय तो मैं समझता हूं, इसके लिये दो जगह उपयुक्त है, एक जयपुर और दूसरा बीकानेर। क्योंकि जयपुर विश्वविद्यालय मौजूद है, मैं समझता हूं बीकानेर में यदि इसकी स्थापना की जाय तो अधिक उपयुक्त होगा।

बीकानेर में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी नामक संस्था है जहां पर संस्कृत पुस्तकों एवं ग्रन्थों का प्रचुर मात्रा में संग्रह है और बीकानेर के पास ही जैसलमेर है जहां पर जन प्राचीन ग्रन्थों का एक अद्वितीय संग्रह है। जैसलमेर बीकानेर के निकट होने के कारण यहां के संग्रह का बीकानेर को लाभ मिलेगा अगर संस्कृत विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थिति होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यह गौरव का विषय है कि हमारे संविधान के प्रावधानों के अनुसार हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है। लेकिन देश को एक सूत्र में रखने के लिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि हमें दुराग्रह या फेनेटिसिज्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिये।

आज अगर देश की वास्तविक स्थिति देखी जाय तो आसाम का नागरिक राजस्थान के नागरिक के में या पंजाब और केरल के नागरिक के बीच में लिंक लेंग्वेज, जोड़ने वाली भाषा सिवाय अंग्रेजी के कोई नहीं। जिसके द्वारा राजस्थान का नागरिक आसाम के नागरिक को अपने विचार व्यक्त कर सकता है और पंजाब का नागरिक केरल के नागरिक को अपने विचार व्यक्त कर सकता है ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अंग्रेजी नहीं जानने वाले हों तो....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह । उसके लिये अवश्य कठिनाई होगी। मेरा यह विचार है कि किसी न किसी रूप में अंग्रेजी हम कुछ दिनों के लिये रखते हैं तो जिस प्रकार एक समय संस्कृत की स्थिति थी जिसके द्वारा सारे देश को हमने एक सूत्र में पिरोया था वही स्थान शनैः शनैः मेरे ख्याल से अवश्यमेव हिन्दी ही प्राप्त कर सकती है। मेरा यह विचार है कि जब तक हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में उस स्थिति में न आवे, उसका प्रचार सारे देश के अन्दर पूर्णरूपेण न हो पाये तब तक अगर अंग्रेजी को को लेंग्वेज के रूप में रखा जाय तो कोई हर्ज नहीं।

अंग्रेजी एक समृद्ध और अन्तर्राष्ट्रीय एवं सुन्दर भाषा है, अगर वह रह जाती है, हिन्दी राष्ट्रभाषा के रहते हुए तो भी मेरे ख्याल से देश में अहित में अनुभव नहीं करता।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : कितने प्रतिशत लोग अंग्रेजी से, जिसको आप सुन्दर भाषा कहते हैं, लाभ उठायेंगे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बहुत कम लोग उठायेंगे, यह चीज अवश्य है लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के रूप में यह कहता हूं कि अंग्रेजी यदि किसी भी रूप में यहां रहती है तो इस देश का

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अहित नहीं होगा। हिन्दी राष्ट्रभाषा रहे, उसको प्राथमिकता दी जाय लेकिन साथ ही अंग्रेजी को भी किसी न किसी रूप में रखा जाय, वास्तविक स्थिति को देखते हुए, तो यह अहितकर नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, पुरातत्व विभाग शिक्षा विभाग द्वारा संचालित होता है। राजस्थान प्राचीन ऐतिहासिक एवं गौरवान्वित प्रान्त है। इस प्रान्त के अन्दर बहुत से ऐतिहासिक स्थान हैं। मैं मानता हूं कि पुरातत्व विभाग को पैसा खर्च करने के लिये नहीं मिलता, प्रचुर मात्रा में पैसा नहीं दे सकते तो फिर भी मैं यह आवश्यक समझता हूं कि हमारे ऐतिहासिक स्थान चित्तौड़, रणथम्भोर, कुम्भलगढ़ आदि ऐसे स्थान हैं इनको कम से कम गिरने से बचाया जाय और किसी न किसी रूप में इनको संरक्षण दिया जाये। वैसे डूंगरपुर में देव सोमनाथ मन्दिर एक हजार वर्ष से प्राचीन है; आमजरा, आथूणा, तलवाड़ा ये ऐसे मन्दिर हैं कि इनको संरक्षण दिया जाय। वहां पर कोई शोध कार्य प्रारम्भ करें तो अत्युत्तम होगा और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत उपयुक्त बात होगी। कम से कम तलवाड़ा-आरथुणा के जो भग्नावशेष हैं उनके लिये इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते तो वहां से जो पत्थरों को लोग ले जा कर बेच रहे हैं उनको रोका जाय और जो लोग घरों में ले जाकर लगा रहे हैं इसकी भी रोकथाम की जाय। ताकि कुछ समय पश्चात् आप इस संबंध में विचार करके व्यवस्था कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, पुरातत्व विभाग का कोई वार्षिक विवरण नहीं छपता। मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को अधिकार है कि पुरातत्व विभाग क्या करता है उसके बारे में वार्षिक विवरण द्वारा सूचना दी जाय, यह परमावश्यक समझता हूं।

प्राथमिक शिक्षा को सफल बनाने के लिए, सफल नागरिक निर्माण करने के लिये सरकार को चाहिये कि प्राथमिक शिक्षा को अपना मूल ध्येय रख कर इसका सुचारु रूप से संचालन करे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले राजस्थान सरकार की प्रशंसा करूंगा कि राजस्थान सरकार ने हिन्दी को अपने राज्य की भाषा मान कर इसको प्रोत्साहन देने के लिए काफी प्रयास किया है। मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान के राष्ट्रप्रेम के गौरव को काफी ऊंचा बढ़ाने की कोशिश की है। मुझे इस बात का खेद होता है और हुआ है जब मैंने विरोधी दल के नेता का भाषण अंग्रेजी का प्रेम प्रगट करने के सम्बन्ध में सुना। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे देश की भाषा अंग्रेजी नहीं हो सकती। हम इसको लिंक लेंग्वेज भी कह सकते हैं, अगर राज भाषा के रूप में स्वीकार करने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से इसके द्वारा राष्ट्रीयता का ह्रास होगा। राजस्थान के लोग हिन्दी से प्रेम रखते हैं, राष्ट्रीयता के लिये इन्होंने बलिदान किया है। देश आजाद हो उसके लिए गौरवपूर्ण इतिहास

(श्री भैरोंसिंह)

का निर्माण किया है। आज उस राजस्थान के विरोधी दल के नेता और विशेष रूप से एक भूतपूर्व रियासत के मालिक, जिनका पुराना इतिहास इस देश की राष्ट्रीयता के लिये बलिदान का इतिहास रहा है, आज उनके मुंह से हिन्दी की एवज में अंग्रेजी के प्रति प्रेम प्रगट किया जायगा यह बहुत ही विडम्बना की बात है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इज्जत के साथ मैं जनसंघ दल के नेता को निवेदन करना चाहता हूं जहां तक हिन्दी का प्रश्न है राष्ट्रभाषा घोषित है, राष्ट्रभाषा रहे इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते: यह तो एक गौरव की बात है और स्वागत की बात है। अपनी अपनी विचार-धारा के अनुसार हिन्दी राष्ट्र भाषा रहे, किन्तु वास्तविक स्थिति देश की आज जो है, उसको देखते हुए कुछ समय के लिये यदि अंग्रेजी लिंक लेंग्वेज के रूप में रहे तो अहितकर नहीं होगा।

इतना ही मैने निवेदन किया और जो जनसंघ के माननीय नेता ने हिन्दी के सम्बन्ध में कहा है, मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं कि विरोधी दल के माननीय नेता समझते होंगे कि राजस्थान में कितने लोग अंग्रेजी पढ़े-लिखे हैं। यदि आज ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति केरल जावे तो उसका अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त करने में वहां सुविधा होगी या हिन्दी में ? इसका वे स्वयं अनुमान लगावें और उसके आधार पर यदि वे इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि राजस्थान के अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग ही दूसरे प्रान्तों में जाकर बातचीत की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, एक अनपढ़ देहाती व्यक्ति जो अंग्रेजी नहीं जानता, इस प्रकार की वहां जाकर बातचीत करने की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकता, तो यह राजस्थान के उस ग्रामीण क्षेत्र के साथ और खास तौर से जो अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं उनके साथ एक प्रकार का अन्याय होगा।

वे स्वयं अपनी पार्टी का ही विचार कर लें कि कितने लोग अंग्रेजी में मद्रास में जाकर एक दूसरे से विचार-विमर्ष कर सकते हैं।

वे विधान सभाई सदस्यों का ही ख्याल करें और इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए उनके लिये यह उचित होता कि विरोधी दल के नेता माननीय मुख्य मन्त्री जी से आगे बढ़ कर यह वकालत करते कि राजस्थान में आज जो अंग्रेजी का थोड़ा बहुत स्थान रखा है उसको किस प्रकार से शीघ्रति शीघ्र समाप्त किया जावे।

पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जिस देश की एकता की बात को लेकर अंग्रेजी की वकालत की बात की जावे, मैं समझता हूं, अंग्रेजी १७ वर्ष पहले चली जानी चाहिये थी अंग्रेजों के साथ, १७ वर्ष पहले कॉन्स्टीट्यूशन बना, आज से १४ वर्ष पहले गण-

Page No 65

(श्री भैरोंसिंह)

तन्त्र लागू होने पर हमने हिन्दी को राज-भाषा के पद पर आसीन करने के लिये संकल्प लिया था। इन गत १४ वर्षों में जिस प्रकार से हिन्दी का विरोध रहा वह हम सब जानते हैं और इस कारण हिन्दी का जितना अपेक्षित प्रसार होना था वह नहीं हो पाया और आज कुछ राजनैतिक दल इस बात का लाभ उठाकर चलते हैं कि हम अंग्रेजी के नाम पर देश के विभा-जन की ओर लोगों का संकेत कर सकते हैं, उकसा सकते हैं तो मैं समझता हूं वह राजनैतिक दल अपने आप में समाप्त होगा ही; पर उसकी समाप्ति के साथ देश में कितने विघटनकारी तत्व और प्रवृत्तियां पैदा होंगी, तो इसका ख्याल रख कर चलते तो अच्छा होगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : ये व्यक्तिगत विचार हैं, राजनैतिक दल के नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं स्पष्टी-करण के रूप में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। जनसंघ के माननीय नेता ने कहा कि स्वतन्त्र पार्टी की नीति यह है, मैं निवेदन कर दूं कि पार्टी की नीति इसमें कहीं नहीं है। व्यक्तिगत रूप से यह मेरी विचारधारा है जो मैंने यहां व्यक्त की है। देश की भाषा के सम्बन्ध में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ विचारधारा है। उससे हमारा स्वतन्त्र पार्टी के रूप में कोई तात्पर्य नहीं है। स्वतन्त्र पार्टी बिलकुल आजाद है इस सम्बन्ध में, भाषा के सम्बन्ध में जो भी विचार हों वे स्वतन्त्रता से व्यक्त करें। तो इसलिये जो कुछ भी मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से कहा है, न कि स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य के नाते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : मैं निहायत अदब से पूछना चाहता हूं, क्या राजनैतिक पार्टी के सदस्य के नाते व्यक्तिगत नीति ऐसे किसी मसले के सम्बन्ध में रखने का अधिकार आपकी पार्टी में है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हां, है। मैनीफेस्टो के अतिरिक्त जो विषय हैं उनमें स्वतन्त्र विचार रख सकते हैं। मैनीफेस्टो के सम्बन्ध में तो समानता होनी चाहिये, नियन्त्रण होना चाहिये, यह हम मानते हैं। उसके उपरान्त व्यक्तिगत विचार अन्य मामलों में व्यक्त करने का अधिकार है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं भी स्पष्टी-करण कर देना आवश्यक समझता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब भाषण चल रहे हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जनसंघ के नेता ने आपत्ति उठाई कि यहां राजस्थान विधान सभा में स्वतन्त्र दल की ऐसी नीति है तो मैं निवेदन कर दूं कि उनका यह ख्याल सही नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो फिर आपकी क्या नीति है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : स्वतन्त्र दल की अंग्रेजी को राजस्थान में रखने के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है और इस सम्बन्ध में, भाषा के संबंध में, स्वतन्त्र पार्टी कीएजए होल यह नीति है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता है। वे चाहें तो हिन्दी का समर्थन करें, हिन्दी का समर्थन करेंगे। अधिकतर प्रायः ऐसे हो सकते हैं जो राजस्थान में हिन्दी को ही राजभाषा रखने के पक्ष में हो।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात को जान कर बड़ी खुशी हुई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : क्या स्वतन्त्र पार्टी ने यह अपनी नीति बनाई है कि स्वतन्त्र रूप से, व्यक्तिगत रूप से चिनगारी छोड़ते रहें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : दक्षिण में तो किया ही है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : पार्टीबाजी में नहीं पड़ना, यह पार्टी नीति है।

श्री भैरोंसिंह : नेता का महत्व रखते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हम कोई फेनेटिसिज्म के रूप में इस समस्या को एप्रोच नहीं करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : विरोधी दल के नेता यह सलाह श्री राजगोपालाचार्य को देते कि अंग्रेजी के पक्ष में फेनेटिसिज्म की आवश्यकता नहीं है तो इसको मैं समझता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने यही कहा। मैं बड़े अदब के साथ जनसंघ के नेता को निवेदन करूं कि मैंने यही कहा और अवश्य कहा।

श्री भैरोंसिंह : मुझे दुख है कि श्री राजगोपालाचार्य ने आपकी सलाह को माना नहीं। मुझे इस बात का बड़ा दुःख है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं स्वतन्त्र दल के माननीय नेता से यह जानना चाहूंगा कि उनकी केवल हिन्दी के सम्बन्ध में ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की नीति है या यह सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में हैं ? उनके प्रवर्तक श्री राजगोपालाचार्य ने यह भी घोषणा की थी कि किसी पार्टी के विधान सभाओं में भी किसी अनुशासन में एक ही नीति के आधार पर बान्धना, मैं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के खिलाफ समझता हूं और सही डेमोक्रेसी उसी को समझता हूं कि हर प्रश्न पर हर पार्टी का हर व्यक्ति पूरा स्वतन्त्र है और स्वतन्त्र पार्टी में हर सदस्य को यह अधिकार है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अभी तो भाषा का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया। अब मैनीफेस्टो का जहां तक सम्बन्ध है, उसकी मौलिक बातों पर जो नीति है, उससे हरेक स्वतन्त्र पार्टी का सदस्य बाध्य है। इसके उपरान्त व्यक्तिगत रूप से हरेक व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में शिक्षा के

(श्री भैरोंसिंह)

सम्बन्ध में लगभग १७ करोड़ रुपयों का बजट में प्रावधान रखा गया है।

यहां पर लगभग २७ हजार इन्स्टीट्यूशन्स हैं; करीब १६ लाख छात्र हैं और लगभग ६७ हजार अध्यापक इस क्षेत्र में काम कर रहे है।

इस सारे खर्चे से इतनी बड़ी इन्स्टीट्यूशन्स से और इस संस्था के अन्दर जो अलाइनमेन्ट हुआ है उन सबके हिसाब से देखने से पता ऐसा लगता है कि राजस्थान में जिस प्रकार का शिक्षा का स्तर होना चाहिये वह स्तर उस प्रकार का हुआ होगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि शिक्षा के स्तर को मापने का केवल मात्र तरीका एक ही हो सकता है कि आज की शिक्षा पाया हुग्रा शिक्षित युवक, शिक्षा ग्रहण करने के बाद किस क्षेत्र की ग्रोर बढ़ने की रुचि रखते है। राजस्थान में हमने लोगों को शिक्षित किया और यदि यह कहना चाहिये कि वास्तविक शिक्षा न देकर हमने एक लिटरेसी केम्पेन चालू किया, तो यह बात ज्यादा उपयुक्त होगी क्योंकि आज का शिक्षित युवक किसी इन्डिपेन्डेन्ट बिज़नेस में जाने की तैयारी नहींक रता। उसकी इच्छा होती है कि किसी न किसी विभाग में सरकारी नौकरी मिल जावे। यदि सरकारी नौकरी मिले नहीं तो प्राइवेट बिजनेस में उसे किसी प्रकार की नौकरी मिल जावे और उस सबका कारण एक है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने उन बातों का विकास नहीं किया जिनके जरिये एक शिक्षित व्यक्ति अपना स्वतन्त्र रूप से आजीविका चलाने का कोई प्रबन्ध कर सके और यही कारण है कि आज राजस्थान में शिक्षित काफी, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, होते जा रहे हैं लेकिन हमारे सामने बेकारी की समस्या भी उसी प्रकार से बढ़ती जा रही है।

इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी उसी प्रकार कमी होती जा रही है कॉमर्शियल एन्टरप्राइजेज में इन्डिपेन्डेटली काम कर सकें, इस प्रकार स्थिति आज हमारे यहां नहीं है।

इन सब का परिणाम यह निकलता है कि शिक्षा का स्तर आज डिफेक्टिव है। यह बात केवल मैं नहीं कहता। शिक्षा संबंधी जब भी कोई सेमिनार होती है तो केन्द्र के मंत्रियों से लेकर राजस्थान के छोटे से छोटे व्यक्ति तक, जिनका संबंध शिक्षा के क्षेत्र से होता है, वे एक बात अपने भाषण में निश्चित रूप से कहते हैं कि शिक्षा का स्तर उचित नहीं है ग्रौर इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। यह तो एक प्रकार फैक्टरी है जो एम्पलॉयमेन्ट पोटेन्शियल क्रियेट करती है और एम्प्लॉयमेन्ट के लिए फेसिलिटीज प्रोवाइड करती है। यह इस प्रकार की फैक्टरी की संज्ञा देकर जब हमारे वरिष्ठ वक्ता इस प्रकार की बातें करते हैं तो हमें निश्चित रूप से मानकर चलना पड़ेगा कि शिक्षा के स्तर में इस प्रकार की कमियां हैं जिनके द्वारा हमारा स्तर ठीक नहीं हो रहा है और जिनकी ओर हमारी सरकार का ध्यान नहीं जाता है। मैं ऐसा समझता हूं कि शिक्षा संबंधी पद्धति का यदि बेक ग्राउन्ड देखा जाये तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो एक सर्क्यूलर इश्यू हुआ था, उसका एक

(श्री भैरोंसिंह)

ऑब्जेक्ट या, जिसको मैं सदन में पढ़ कर सुनाना चाहूंगा :

'Great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science in India and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed for English education.'

उसके बाद से लेकर अब तक हिन्दुस्तान के अन्दर लगभग ११ शिक्षा कमीशन नियुक्त किये गये हैं। लॉर्ड हार्डिंग्ज के समय में भी कुछ निश्चित नीतियां शिक्षा के लिए बनाई गई थीं, उसके बाद में १८८२ में हन्टर कमीशन ने अपनी राय व्यक्त की थी, १६०२ यू० एस० ए० के कमीशन ने अपनी राय व्यक्त की थी, फिर कलकत्ता यूनीवर्सिटी कमीशन ने अपनी सिफारिशें १६१७ में पेश कीं, उसके बाद में सारे समय को छोड़कर आगे चलें तो सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने एजूकेशन के संबंध में सिफारिशें पेश कीं, यूनीवर्सिटी कमीशन ने अपनी सिफारिशें कीं और लेटेस्ट रिपोर्ट इस कमीशन के संबंध में १६५४ के अन्दर मुदलियार कमीशन की हमारे सामने आई। इस मुदलियार कमीशन की जो जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को विहार राज्य ने स्वीकार किया, उसको मद्रास ने स्वीकार किया, मैसूर ने स्वीकार किया; लेकिन आज बदकिस्मती यह है कि इतनी अच्छी रिपोर्ट जिसमें एजूकेशन के हर तत्व के ऊपर इस प्रकार की सिफारिशें की गई हैं, जिनको यदि पूर्णरूप से मान लिया जाये तो शिक्षा का स्तर, टीचर्स की स्थिति, छात्रों की स्थिति, इन सबके ऊपर निश्चित रूप से अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस मुदलियार कमीशन की सिफारिशों को हमारी राज्य सरकार ने नहीं माना और फिर दूसरा कमीशन नियुक्त किया गया है और वह भी कुछ सिफारिशें करेगा। उसकी सिफारिशों को हम मान लेंगे, इस बात की कोई गारन्टी नहीं है। आज तक जितने भी १८ कमीशन्स नियुक्त हुए हैं उनकी रिकमन्डेशन को नहीं माना है, इस बात का उल्लेख केवल मैं अपने भाषण में नहीं करता लेकिन मुदलियार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में जितने भी एजूकेशन कमीशन्स नियुक्त हुए हैं, उन्होंने जितनी भी रिकमन्डेशन्स की हैं उनके ऊपर उस समय की सरकार ने या वर्तमान सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसके परिणाम से वे स्वयं भी चिंतित थे लेकिन क्योंकि एक कमीशन भारत सरकार ने नियुक्त कर दिया; उसके सामने सवाल इस बात का है कि आजकल के पैटर्न को देखकर अपनी रिकमन्डेशन जो वह देगा उसको भी स्वीकार किया जावेगा या नहीं। और आज उनको शंका थी कि बाकी की कमीशन की सिफारिशों को नहीं माना, इसलिए यह सम्भव है कि हमारी सिफारिशों को भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुदलियार कमीशन ने एजूकेशन किस प्रकार की होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के अन्दर एजूकेशन की स्थिति क्या होनी चाहिए, इन दोनों बातों के ऊपर काफी चैप्टर्स लिखकर सब टोटल यह बताया

(श्री भैरोंसिंह)

है कि पहले की एजूकेशन बिल्कुल बेकार है। इससे न डिसिप्लिन आता है, न लोग अपने आपको किसी एम्पलॉयमेन्ट में लागू करके अपनी जीविकोपार्जन करने की स्थिति में आते हैं, न चरित्र का निर्माण होता है और न लोगों के अन्दर, हम जो लोगों के अन्दर, एक शिक्षित व्यक्ति की भावनायें पैदा करना चाहते हैं वे आ पाती हैं–इन सब बातों को लेकर उन्होंने भारत सरकार के सामने कुछ सिफारिशें कीं कि एजूकेशन का पैटर्न इस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत सरकार ने किस सीमा तक उन सिफारिशों को स्वीकार किया, मैं नहीं कह सकता; लेकिन राज्य सरकार ने उस संबंध में एक इंच भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। जो स्थिति सन् ५४ में मुदलियार कमीशन की रिपोर्ट पेश करने से पहले थी वही स्थिति आज के दिन भी है। यदि हम इनका परिणाम देखना चाहें तो इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान के अन्दर प्राइमरी स्कूल के कितने छात्र हैं। मैं गई साल के फीगर्स, जिनको सही और लेटेस्ट मान कर चलता हूं, उसके अनुसार प्राइमरी स्कूल में ६ लाख १६ हजार ६५५ छात्र हैं। अब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र निस्सन्देह मिडल स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन मिडल स्कूल के अन्दर छात्रों की संख्या ३ लाख ७८ हजार है और फिर आगे चलकर हमारे यहां हाई स्कूल के स्तर पर छात्रों की संख्या २ लाख १६ हजार है। आप स्वयं अन्दाजा लगाइये कि प्राइमरी स्कूल के स्तर पर छात्रों की संख्या ६ लाख और कुछ है, जब कि वह संख्या हाई स्कूल के स्तर तक आते आते २ लाख के करीब रह जाती है और हाई स्कूल के बाद यदि यूनीवर्सिटी स्तर पर छात्रों की संख्या को देखा जाये तो आप स्वयं अनुमान लगा लें कि किस अनुपात में संख्या गिरती जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षा नहीं दे पाते हैं। एडमिशन्स जिन दिनों में होते हैं उन दिनों में आप किसी भी हाई स्कूल में चले जाइये तो आपको मालूम होगा कि वहां पर लड़के कहते हैं कि हम साइन्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको कहा जाता है कि साइन्स में तो जगह नहीं है और आर्ट्स के लिए एप्लाई कर दो। जब लड़के आर्ट्स के लिए एप्लीकेशन्स देते हैं तो कहा जाता है कि आर्ट्स में भी जगह नहीं है; फिर उनको कहा जाता है कि कॉमर्स के लिए एप्लाई कर दो, लड़के किसी तरह से कामर्स में एडमिशन के लिए एप्लाई करते हैं तब तक कॉमर्स में भी जगह भर जाती है। इसका मतलब यह है कि लड़कों की रुचि साइन्स के लिए है, कॉमर्स के लिए है, आर्ट्स के लिए है लेकिन हम उनको इसलिए एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। उसी का परिणाम है कि हमें रुचि के अनुसार शिक्षा नहीं मिलती तो लड़के प्राइमरी स्कूल से मिडल और हाई स्कूल में नहीं आते हैं। सब में इस प्रकार का भ्रम होता है कि मैट्रिक और बी० ए० कर लिया तो भी नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा।

आज उस स्थिति का सामना करने के लिए हमारी राज्य सरकार व्यवस्था नहीं

Page No 70

(श्री भैरोंसिंह)

कर पाई और हमारी राज्य सरकार यह संतोष करके चलना चाहती है कि प्राइमरी में इतने लड़के पढ़ते हैं। यह इसका संकेत नहीं है कि यह लड़के किस क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात करते हैं। पांचवीं क्लास तक लोगों को पढ़ाकर लिट्रेसी की समस्या को हल करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन सही सिद्धान्त हम नहीं बना पाये हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि केवल इतना ही नहीं आज जो राजस्थान में तरीका है, हिन्दुस्तान के दूसरे क्षेत्रों में होता हो या नहीं, लेकिन राजस्थान सरकार-सरकार तो नहीं कहना चाहिए, यूनीवर्सिटी ने इस प्रकार की पाबंदी लगा दी है कि अमुक उम्र का लड़का ही मैट्रिक का इम्तिहान दे सकता है और यदि उम्र कम हुई तो वह इम्तिहान नहीं दे सकता। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यदि १४ साल से कम की उम्र में कोई लड़का हायर सेकन्डरी पास कर लेता है तो आज खुशी इस बात की होनी चाहिए कि राजस्थान के अन्दर कम उम्र के लड़कों को भी इतनी हिम्मत है कि वह इतना पढ़ लेते हैं। बजाय इसके कि उन लड़कों को एन्करेज किया जाये, हमारी सरकार की इच्छा यह होती है कि जब तक लड़का एक प्रेस्काइब्ड एज पार नहीं करता तब तक वह परीक्षा मे नहीं बैठ सकता। आपके यहां शिक्षा विभाग के अन्दर कोई शिक्षक है यदि वह मैट्रिक है और वह इन्टर और बी० ए० करना चाहता है तो उसको पर्मिशन लेनी पड़ेगी, यह आपके यहां का नियम है। कई बार देखा गया है कि इस प्रकार की पर्मिशन के ए टीचर्स सप्लाई कर है और उनको पर्मिशन मिलती नहीं है, दफ्तरों के अन्दर कागजात चलते रहते हैं और अध्यापकों को शिक्षा की सुविधा, जो कि उसका फन्डामेन्टल राइट है, उसके ऊपर भी सरकार की ओर से पाबन्दी है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से रिज़ल्ट्स का सवाल आता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम इसका अन्दाजा लगाकर चलें कि प्राइमरी स्कूल में किस परसेन्टेज में लड़के पास होते है और मिडिल और हाईस्कूल में किस परसेन्टेज में लड़के पास होते हैं। हमारे यहां जहां ८५ परसेन्ट रिज़ल्ट प्राइमरी स्कूल का रहता है, वहां हायर सेकेंन्डरी का रिज़ल्ट ५० परसेन्ट भी नीचे चला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राइमरी क्लासेज़ में जो शिक्षा हम देते हैं, यह मिडिल और हायर सेकेंन्डरी क्लासेज़ के उपयुक्त नहीं है कि वहां तक पहुंचने पर उसको उतने ही मार्क्स मिल जाये जो कि उसको मिलने चाहिए। हमारी सरकार ने आंकड़े जरूर दिये हैं लेकिन इसका कभी भी प्रयत्न नहीं किया कि आज प्राइमरी स्कूल का का रिज़ल्ट ८६ परसेन्ट कैसे रहता है और हायर सेकन्डरी का रिज़ल्ट ५० परसेन्ट ही कैसे रहता है? यह ३६ परसेन्ट का डिफरेन्स क्यों है? आप प्राइमरी स्कूल्स में चले जाइये और पूरे राजस्थान में घूमें तो आपको कहीं बोर्ड नहीं मिलेंगे, कहीं चाक नहीं मिलगी, कहीं टाट-पट्टी नहीं मिलेंगी और कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। इस सब के बावजूद मैं समझता हूं कि वह दिन बड़ा ही दुर्भाग्यशाली था जिस दिन प्राइमरी स्कूलों को हमने पंचायतों के नीचे दे दिया।

(श्री भरोंसिंह)

प्राइमरी स्कूलों को देने के बाद आज आप यह मानकर चलें या न चलें एक तरफ तो शिक्षा का स्तर गिरा है और दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स के सामने समस्याएं आई हैं नई नई। एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याएं तो थीं ही, लेकिन अब पोलिटिकल प्रोब्लम भी सामने आकर खड़े हुए हैं। पंचायतों के इलेक्शन में, मैं नहीं कहता कि सरकार ने ऐसे आदेश दे दिये थे कि पंचायत समितियों के अध्यापकों से काम लिया जाय, लेकिन उनके ऊपर लोकल प्रेशर है और उस लोकल प्रेशर को वे इग्नोर नहीं कर सके। कोई अध्यापक किसी के साथ जुड़ा है तो कोई अध्यापक किसी के साथ। खुल कर प्रचार नहीं किया हो लेकिन अन्दर अन्दर ही उसने पूरा प्रचार मजबूर होकर किया है कि अमुक व्यक्ति सरपंच के लिए चुना जाय या अमुक व्यक्ति पंच के लिए चुना जाय।

इतना ही नहीं पंचायत समितियों के टीचर्स का आज तक फिक्सेशन नहीं हुआ है। उनको सिलेक्शन ग्रेड जो कि ६१ के बाद मिलनी चाहिए थी वह आज तक नहीं मिली है। उन लोगों के प्रमोशन्स के जितने राइट्स थे. वे सब अपने आप कर्व हो गये। उन लोगों को किसी प्रकार की रियायत नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से जितने भी सक्यूर्लर्स निकले हैं, समय समय पर गाइडेन्स के लिए उन सक्यूर्लर्स का कोई इफेक्ट नहीं। पंचायत समिति उनको मानने को तैयार नहीं।

यह कहा गया है कि पंचायत समितियों को देने के बाद रिजल्ट ८७ परसेन्ट रहा है तो इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि शिक्षा वे कुछ नहीं दे पाते, फिर भी रिजल्ट ८७ परसेन्ट रहता है तो इस रिजल्ट के अन्दर कोई मिस्चीवियस एलिमेंट जो काम नहीं कर रहा है। वह मिस्चीएलिमेंट इस प्रकार से हो सकता है कि शिक्षा वियम का स्तर ऊंचा दिखाने के लिए लड़कों को ज्यादा संख्या में पास करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार से तरक्की करने के पहले हमें छात्र की रुचि को देखना पड़ेगा, उसके बाद शिक्षक का केरेक्टर क्या है, शिक्षक के सामने समस्याएं क्या हैं, इस बात को देखना पड़ेगा और दोनों में सामन्जस्य बिठाने के लिए किस प्रकार की सुविधाएं उनको प्रदान कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में ६७ हजार अध्यापकों में बहुत कम अध्यापक ऐसे होंगे जिन अध्यापकों के सामने कोई समस्या न हो। इसी राजस्थान में २५ हजार अध्यापक ऐसे हैं जिनको जो ग्रेड मिलनी चाहिए थी, जो अपनी योग्यता के अनुसार वेतन नहीं पा रहे हैं, जिनका इन्क्रीमेंट होना चाहिए था; न वह इन्क्रीमेंट होता है, न समान योग्यता के आधार पर वेतन मिलता है, न और सुविधाएं या किसी प्रकार का लाभ मिलता है। आप पंचायत समितियों के आंकड़े उठा कर देखें तो लेडी टीचर्स की संख्या पंचायत समिति को जिस वक्त हैण्ड ओवर किया था, उस समय से यह संख्या निरन्तर गिरी

(श्री भैरोंसिह)

है। इसका परिणाम क्या है? केवल यह परिणाम नहीं हो सकता है कि गांवों में रहने के लिए मकान नहीं हैं। इसके लिए सरकार बार बार यह कहती है कि योजना होगी कि इस वर्ष इतने मकान बनेंगे उसके लिए इतना धन निर्धारित किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह धन और किसी काम में खर्च होता होगा, लेकिन इस काम में खर्च नहीं होता है। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि केवल मकान की कमी के कारण अध्यापिकाएं गांवों मे नही रहती हैं। उनके सामने और भी प्रोब्लम हैं और उन पोब्लमों को मीट करने की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए। यह निश्चित रूप से कहा जायेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ में शिक्षा के विषय में आप सौतेला व्यवहार करना चाहते हैं तो प्राइमरी स्कूलों को पंचायतों के अन्दर रहने दें, और यदि उन क्षेत्रों के अन्दर बाकी के क्षेत्रों के मुकाबले में बिकाउ करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, तो प्राइमरी स्कूलों को पंचायतों से निकाल कर सरकारी विभाग के अन्दर लाया जाय, ताकि विद्यार्थियों का स्तर, शिक्षा का स्तर और सरकार की पॉलिसी में एकता लाने का स्तर, ये सब एक रस होकर चलें। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार इस बारे में व्यवस्था नहीं कर रही है। और नहीं क्यों कर पा रही है, मैं कुछ नहीं कह सकता।

सरकार ने पिछले दिनों एक कमेटी एपॉइंट की है जिसके चेयरमैन मि० राय हैं और हमारी विधान सभा के भी दो या तीन सदस्य हैं। मुझे इसके सम्बन्ध में जानकारी मिली है कि उन्होंने सरकार के समक्ष रिपोर्ट भी पेश कर दी है और मुझे यह भी जानकारी मिली है कि उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पंचायत समितियों के अध्यापकों या पंचायत के स्कूलों को पंचायत समिति के लेवल के नीचे रहने का बुरा असर पड़ने वाला है, यह उसमें कहा गया है। राज्य सरकार ने कमिटमेंट किया था तो यह एक्सपेरीमेन्टल कमिटमेंट था। उसमें सफलता नही मिली तो उसको एक्सपेरीमेंट मानकर भविष्य के लिए इस प्रकार का मार्ग-निर्देशन करें कि पंचायतों के नीचे चलने वाले स्कूल निश्चित रूप से सरकारी विभाग में आ जायें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा के विषय में एक अच्छा न्याय मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, अब दूसरे साथ साथ जो बाकी के टीचर्स हैं उनकी क्या समस्याएं हैं? उन टीचर्स की आज तक सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी है। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहूंगा कि १७ वर्ष आप को हुकूमत करते हो गये, आपने बाकी की लिस्ट सीनियोरिटी की बना दी कुछ को छोड़ कर। इन टीचर्स ने कौन सा अन्याय किया है कि आज तक उनकी सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी है? यह सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी तो जितने प्रमोशन होते हैं वे गलत ढंग से होते हैं। जो गलत ढग से प्रमोशन होते हैं तो आज उनको एडजस्ट करने का प्रोब्लम सबसे बड़ा बन गया है और उस प्रोब्लम ने सबसे ज्यादा रोढे इस बात में अटका कर रखे हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनाने के जो कारण हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उस पर कोई विचार किया है ? लेकिन हर बार इस सेशन में कह दिया जाता है कि हम सीनियोरिटी लिस्ट बनाने वाले हैं, लेकिन आज तक कोई सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी है । लेकिन बदकिस्मती से जिन टीचर्स को सीनियर टीचर्स बना दिया और ५-५ वर्ष तक वे सीनियर टीचर्स रहे उनको वापिस रिवर्ट कर दिया और यह कह कर रिवर्ट कर दिया कि आपका पुअर पर्फोर्मेन्स है । माननीय मुख्य मंत्रीजी कई बार कह चुके हैं कि किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में एडवर्स रिमार्क दिया जाता है तो उसको कॉम्युनिकेट किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अध्यापक जो रिवर्ट हुऐ हैं और पुअर पर्फोर्मेन्स का रिमार्क्स उन पर लगा है, लेकिन आज तक उनको कॉम्युनिकेट नहीं किया । उसका परिणाम यह हुआ कि ५-५ वर्ष तक सीनियर टीचर का काम करने के पश्चात् उनको रिवर्ट किया गया तो उसके पश्चात् उन टीचर्स की क्या मनोदशा हो सकती है, इसका आप ही अन्दाजा लगा कर चलें कि वह शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के साथ किस प्रकार से न्याय कर सकते हैं ? मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सीनियोरिटी लिस्ट के बारे में एक टार्गेट फिक्स करके चलें और यदि टार्गेट पूरा नहीं किया जाता है तो जो अधिकारी उसके लिए दोषी है उनका वेतन बन्द कर दिया जाय । मैं समझता हूं कि जो डाइरेक्टर हैं मि० बोरदिया और मि० जो न इन्होंने आकर कुछ प्रयास किया है । मैं इस बात की उनकी सराहना निश्चित रूप से करूंगा । इससे अध्यापकों में सन्तोष बढ़ा है । लेकिन सुखाड़िया साहब के खास अफसर, श्री जगन्नाथसिंह मेहता ४-५ वर्ष तक डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन रहे हैं, यह उनकी योग्यता का परिणाम है कि आज तक ये सारी चीजें नहीं हो पाई हैं । मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकारियों को दण्ड दिया जाना चाहिए कि वे इतने इनएफिशियेन्ट रहे हैं ।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : खास आदमी से क्या मतलब है, सुखाड़ियाजी का नाम जोड़ते हैं तो ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह-नगर) : जैसे आप हैं ।

श्री भीखाभाई : आप अभी कह रहे थे । अफसर किसी का खास नहीं होता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : नाथूरामजी और मथुरादासजी कल कह रहे थे, आज आप कर रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आज आप आम आदमी हो गये क्या ? पहले तो खास थे ।

श्री भीखाभाई : आप कहते हैं तो हम हैं ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप में हनुमानजी का जोश आ गया है ।

Page No 74

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय खास आदमी की परिभाषा नहीं जानते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : होजी में मद्यपूर्व मंडल की अध्यक्षता करके आये हैं।

श्री भैरोंसिंह : खास आदमी इसलिए है कि एजूकेशन डिपार्टमेंट में इतने दिनों तक कोई आदमी डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन नहीं रहा और ऐसा आदमी भी कोई नह रहा, जिसको एजूकेशन के एड्मिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियेन्स नहीं हो, और ऐसा आदमी आइ० ए० एस० के अन्दर हो यह भी आइ० ए० एस० ऑफिसर जो बाकी हैं उनके लिए भी एक प्रकार की बदनामी है। ऐसी स्थिति में डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन वर्षों तक रहे और इतने प्रोब्लम इस डिपार्टमेंट में क्रियेट कर दिये कि उनका आने वाला सक्सेसर कितनी ही कोशिश करे उसके बावजूद भी ऐसे रोड़े रहेंगे जिनको निकालना आसान नहीं है। आज ये ऐसे प्रोब्लम हैं कि जो भी डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन आये वह प्रयास करता है। उनके प्रयास में जितनी सफलता की अपेक्षा है वह सफलता नहीं मिल पा रही है।

(१.० म. प.)

मैं ऐसा समझता हूं अध्यक्ष महोदय, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का परिणाम यह हो रहा है कि यह डिपार्टमेन्ट बिल्कुल ब्यूरोक्रे-टिक ढंग का हो रहा है। आपने क्या कभी इन्सपेक्टर्स को पूछा है कि उन्होंने कितनी बार इन्सटीट्यूशन्स का इन्सपेक्शन किया है? क्या उन्होंने किसी भी स्कूल में जाकर सुपरवाइज किया है कि किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है? क्या उन्होंने किसी भी स्कूल में जाकर यह गाइडेन्स दी है कि अमुक सबजेक्ट को अमुक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिये, अमुक सब्जेक्ट में किस प्रकार मास्टरी की जानी चाहिये, इस प्रकार की स्थिति आज तक किसी भी इन्सपेक्टर ने अपने इन्सपेक्शन नोट में नहीं बताई है। वे जब इन्सपेक्शन करने जाते हैं तो यह देखते हैं कि सफाई होनी चाहिये, मेज कुर्सी की मरम्मत होनी चाहिये, ये चीजें तो अवश्य होती हैं लेकिन बाकी कुछ नहीं होता।

हमने अध्यापकों के ट्रेनिंग की व्यवस्था की। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि सन् ५४ के पहले के जो अध्यापक हैं उनको वरिष्टता के आधार पर ट्रेनिंग दी जा सकती है और उनको फुल सेलरी पर ट्रेनिंग मिलेगी। बाकी टीचर्स जो ट्रेनिंग में जायेंगे उनको केवल स्टाइपन्ड मिलेगी। मुझे इस बात का दुख है कि गवर्नमेन्ट सर्विस में रहकर कोई ट्रेनिंग में जाता है तो उसको पूरा वेतन क्यों नहीं दिया जाता है? जो व्यक्ति केवल स्टाइपन्ड लेकर शिक्षा ग्रहण करता है उसकी क्या स्थिति होती होगी, उसके परिवार और बच्चों को खिलाने पिलाने की समस्या का समाधान कैसे होगा? वह खर्चा करेगा अपनी तनख्वाह गिरवी रख कर। यह इतनी जटिल समस्या क्रिएट हो गई है जिसका समाधान काफी समय लेकर होगा।

(श्री भैरोंसिंह)

इसलिये मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आज यू. पी. में टीचर्स ने जो स्ट्राइक कर रखी है वही स्थिति कहीं राजस्थान में न हो जाय। राजस्थान के शिक्षकों की स्थिति और वेतन में दूसरे स्थानों से अन्तर है। अन्तर इतना है कि कुछ स्टेट्स को कम्पेयर करें तो हमारे मुकाबले में वहां पर अच्छा वेतन मिलता है। हमारे योजना मन्त्रीजी कई मामलों में राजस्थान को आसाम से कम्पेयर करते हैं। इस मामले में आसाम से कम्पेयर करें तो आसाम में जो टीचर्स को वेतन मिलता है उससे राजस्थान में बहुत कम मिलता है। राजस्थान में एक मैट्रिक्युलेट को मुख्य मन्त्रीजी के शब्दों में १३७) मिलते हैं मैं इसको भी डिस्प्यूटेड मानकर चलता हूं। फिर भी आसाम में एक मैट्रिक पास को १५० से स्टार्ट करके २५०) तक ले जाते हैं। आज राजस्थान में यह स्थिति नहीं है कि दूसरों से मुकाबला कर सकें। बाकी क्षेत्रों में लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स का वेतन ऑल इण्डिया बेसिस पर किया है लेकिन टीचर्स का नहीं कर पाये। भारत सरकार बार बार यह कहती आई है कि यदि राजस्थान सरकार टीचर्स का वेतन बढ़ावे तो उसका ५० परसेन्ट हम देने को तैयार हैं और केवल ५० परसेन्ट राजस्थान सरकार पर पड़ेगा। मैं समझता हूं यदि दूसरे खर्चे में कटौती करनी पड़े तो की जाय, लेकिन जो हमारे विद्यार्थियों का भाग्य निर्माण करने वाले है, छात्रों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन पर उनका भविष्य निर्भर करता है, उनको अच्छी तनख्वाह दी जाय और शिक्षकों में जो असंतोष है उसको दूर किया जाय। ५० परसेन्ट खर्चा जब भारत सरकार देने को तैयार है तो बचा हुआ ५० परसेन्ट राजस्थान सरकार को बर्दाश्त करना चाहिये।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में नहीं तो जयपुर शहर में कितनी हायर सैकन्डरी और कितनी प्राइमरी स्कूल्स है, यह देखें तो जयपुर शहर में ५ हायर सेकन्डरी स्कूल्स हैं और १०५ प्राइमरी स्कूल्स हैं। जयपुर की जन-संख्या ५ लाख है, उसमें केवल ५ हायर सेकन्डरी और १०५ प्राइमरी स्कूलें हैं जिनमें से कोई प्राइमरी स्कूल धर्मशाला में चल रही है, कोई मंदिर में चल रही है तो कोई किसी नोहरे में चल रही है, लेकिन कोई भी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग यहां पर नहीं है। हायर सेकन्डरी और हाई स्कूल का भी कोई बिल्डिंग सरकार ने नहीं बनाया है। मुदलियर कमीशन कहता है कि स्कूलें ऐसी लोकेलिटीज़ में होनी चाहिये जहां डिस्टर्बेन्स नहीं हो और साफ-सुथरी जगह पर हो, लेकिन यहां पर विपरीत हालत है। राजस्थान में प्राइमरी स्कूलों की संख्या कम, मिडिल स्कूलों की संख्या कम और हायर सेकन्डरीज़ की संख्या कम है, इसका नतीजा यह होता है कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स ज्यादा चलते हैं और सरकार का पैसा ज्यादा ले जाते हैं। ग्रान्ट-इन-एड लेने के बाद भी सरकार के द्वारा निर्धारित वेतन से कम वेतन अध्यापकों को दिया जाता है। रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स तो चलती ही हैं लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड भी बहुत चलती हैं। हमारे उप मन्त्री जी बेंगलोर गये और वहां पर उन्होंने भाषण भी बहुत जोरों से दिया।

(श्री भैरोंसिंह)

बिना लाइसेन्स के मोटर ड्राइवर मोटर नहीं चला सकता, लेकिन यहां तो स्कूलें बिना लाइसेन्स के चलती हैं। छागला साहब कहते थे कि बिना लाइसेन्स के कोई स्कूल नहीं चल सकती इसके लिये बिल लाये जायं। उन्होंने एक मोडल बिल भी तैयार किया है जो राजस्थान सरकार को प्राप्त भी हो चुका है और उसके बारे में क्या कार्यवाही कर रहे है यह तो राज्य सरकार ही बता-येगी। लेकिन जयपुर जैसे शहर में शिक्षा की सुविधा नगण्य है। आज आप राजस्थान का एक भी टाउन ऐसा बता दीजिये जिस टाउन में जाने के बाद किसी भी छात्र को यह अनुमान नहीं हो कि जयपुर चले गये तो उनकी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट्स नहीं मिलेगे, इच्छा के अनुसार लाइन नहीं मिलेगी और वे दुविधा में नहीं पड़ेंगे। आज राज-स्थान में कोई ऐसी जगह नहीं है, जिस जगह का छात्र दावा नहीं कर सकता कि जोधपुर में जगह नहीं मिलती तो जयपुर में आ जाओ, बांदीकुई में जगह नहीं मिलती तो जयपुर में आ जाओ। लेकिन जयपुर में कोई विकास नहीं हुआ। पुराने मकानों में स्कूलें चल रही हैं, अनहाइजिनिक जगहों पर चल रही हैं और एजूकेशन पोइन्ट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिफेक्टिव हैं। इसके बावजूद भी हमारी सरकार उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहती है।

मैं निवेदन करूंगा कि हमारी राज्य सरकार ने इम्तिहान का जो तरीका अपनाया है युनिवर्सिटी के आधार पर वह कितना गलत है। मैं उसका उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे पास कल कुछ छात्र आये और उन्होंने कहा कि हायर सेकन्डरी के लिये जो १९६४ में प्रेस्काइब्ड कोर्स या उसमें जो प्रोज़ सिलेक्शन और रेपिड रीडर थीं उनको करिकुलम से बदलने का निर्णय इस साल लिया और सन् ६५ में जो एग्जा-मिनेशन्स हुए उनके लिये जो प्रेसक्राइब्ड बुक्स थीं उनमें से सवाल पर्चे में न देकर जो पुस्तकें सन् ६४ के लिये प्रेस्क्राइब्ड थीं उनमें से दे दिये। आप यह क्वेश्चन पेपर देखना चाहें तो देख लें उसमें प्रश्न संख्या ५ ए. और ५. बी को देख लें और बतावें कि जो बुक्स इस साल के लिये प्रेस्काइब्ड थी उनमें से ये सवाल हैं या जो १९६४ के लिये प्रेस्काइब्ड थी उनमें से हैं। इस प्रकार की धांधलियां आपके यहां रात-दिन चलती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि छात्र फेल होते हैं और उनमें असन्तोष बढ़ता है, इस ओर राज्य सरकार का ध्यान नहीं जाता और आप छात्रों के साथ न्याय नहीं करना चाहते।

आज पैसे का सवाल लें तो टीचर्स रिलीफ फंड आज से तीन साल पहले बनाया था। मैं पूछना चाहता हूं कि जो टीचर्स रिलीफ फंड की व्यवस्था की थी उसके भीतर से तीन वर्षों में कितना खर्चा किया? उसमें से खर्च करने का सवाल नहीं। लड़कों के गेम्स फंड और दूसरे फंड्स को लेकर आप ऑडिट रिपोर्ट को उठा कर देख लें कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता जिसमें ५० हजार रुपये लड़कों के लिये खर्च होने चाहिये, उनका उपयोग टीचर्स और हैड मास्टर्स, जिनके अधिकार में ये रुपये रहते हैं, वे इनको दूसरे काम में खर्च कर देते हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

ऑडिट रिपोर्ट में शिकायत करते हैं, लेकिन ऑडिट उसका उल्लेख करता है, मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने कभी लोकल ऑडिट की रिपोर्ट देखी है ? स्कूलों के सम्बन्ध में लोकल ऑडिट रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उस पर कोई एक्शन लिया है क्या आपने ? कोई एक्शन नहीं लिया। टीचर्स का जो फंड इकट्ठा होता है उसकी कोई व्यवस्था नहीं, टीचर्स के जो एरियर्स पड़े हैं वे कितने वर्षों से पड़े हैं, उनकी कोई परवाह नहीं। बल्कि जयपुर इन्सपेक्टोरेट में २०) से नीचे के जो बिल्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया। ऐसे लगभग २००० बिल्स होंगे जिनको यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि कागज नहीं मिलते। कागज क्यों नहीं मिल सके, यह पता नहीं और पता उनका होगा भी नहीं। वह इसलिए नहीं होगा, मुझे जानकारी मिली है कि बी. टी. सी. अध्यापकों की जो १९५१ में ग्रेड्स निर्धारित की थीं, उनके आधार पर फिक्सेशन होने के बाद एरियर्स का भुगतान होना चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार ने जयपुर के इन्सपेक्टर को एक लाख रुपये का चैक दिया। वह १ लाख का चैक इन्सपेक्टर के द्वारा डिप्टी इन्सपेक्टर को भेजा गया और कहा गया कि अमुक अमुक-क्षेत्र में जो बी. टी. सी. के अध्यापक हैं उनके एरियर्स का भुगतान किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उस एक लाख रुपये का अकाउन्ट आज तक आया या नहीं ? वह एक लाख रुपया गया कहां ? अगर इन्सपेक्टर या डिप्टी इन्सपेक्टर ने उस रुपये का दुरुपयोग किया तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया ? इसकी जानकारी आप नहीं दे सकते और आज भी इन्सपेक्टोरेट में वह कागज गायब हैं।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों का स्थानान्तरण हो जाय। इसके बाद जो लास्ट पे स्लिप जानी चाहिए, वह समय पर नहीं जाती है और इस कारण अध्यापकों को अपने वेतन के लिए मारा मारा फिरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन अध्यापकों की हालत को सुधारे। इसके साथ साथ इन इन्स्टीट्यूशन्स की हालत को सुधारे। उसके बाद जो कोर्स प्रेस्क्राइब्ड है उस प्रेस्क्राइब्ड कोर्स को सुधारे। लेकिन यह सुधार लाने की चेष्टा तब ही हो सकती है जब शिक्षा विभाग का ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों के हाथ में जाय जो इसको अपना मिशन मानते हों। शिक्षा के द्वारा अपने देश और प्रदेश का विकास करना है और लोगों को विकसित अवस्था की ओर ले जाना जरूरी है। वह इस प्रकार की मिशनरी जील से काम करेंगे तब ही यह काम हो सकता है, अन्यथा मैं यह समझता हूं कि सरकार चाहे सत्तरह करोड़ की जगह सैंतीस करोड़ खर्च कर दे, राजस्थान में लिट्रेसी कम्पेन को चालू रखते हुए राजस्थान में एक व्यक्ति भी इल्लीट्रेट न रहे, इस प्रकार की स्थिति में पहुंच जायं लेकिन फिर भी जो वास्तविक विकास शिक्षा के द्वारा करना चाहते हैं वह विकास नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार को जल्दी

(श्री भैरोंसिंह)

से जल्दी अध्यापकों के इस असंतोष को मिटाना चाहिए। छात्रों को ज्यादा रुचि के अनुसार शिक्षा मिले, इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि अध्यापकों के अन्दर से असन्तोष मिटे और अध्यापकों के अन्दर से असन्तोष को मिटाने के लिए दो डाइरेक्टर, जैसा मैंने कहा, प्रयास कर रहे हैं लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि एक स्पेशल ऑफिसर, जिसका काम केवल सुपरवीज़न कहना ही न रह कर, यह काम होना चाहिए कि राजस्थान के शिक्षकों का एरियर कितना है, फिक्सेशन के केसेज़ कितने बाकी हैं, सीनियोरिटी लिस्ट कितनों की नहीं बनी है, अपोइन्टमेंट के रूल्स बने हुए है या नहीं, प्रमोशन के रूल्स ठीक हैं या नहीं और अगर ठीक हैं तो उनके अनुसार काम होता है या नहीं। वह इन सारी बातों की जांच करे। मैं समझता हूं, शिक्षा मन्त्री महोदय को इस विधान सभा में घोषणा करनी चाहिए कि अमुक अधिकारी को अमुक ग्रेड में अपोइन्ट करके एक टार्जेट डेट फिक्स-अप करते हैं और अमुक तारीख तक इन सारे मसलों को हल कर दिया जायगा। और यदि नहीं हल होते हैं तो उन अधिकारियों की जो कांम्पीटेन्स है उसको चैलेंज करते हुए उनकी सर्विस बुक में अयोग्यता का रिमार्क कम से कम लिख दिया जावेगा जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोगों के ऊपर एक ठीक प्रभाव पड़े।

मैं यह कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अंग्रेजी को छोड़ रही है और इसकी मैंने तारीफ भी की है। लेकिन मुझे अभी अभी दो पत्र मिले हैं ये दोनों पत्र हिंदी के हैं। हिन्दी में प्रश्न हैं लेकिन ऊपर लिखा हुआ है—"हायर सेकन्डरी एग्ज़ामिशन, १९६५, कम्पलसरी हिन्दी, टाइम टू एण्ड हाफ ऑवर, मैक्जिमम मार्क्स -५०।" यह सब अंग्रेजी में है।

(शेम शेम)

और बाकी सब हिन्दी में है। मैंने सुखाड़िया साहब की तारीफ की है और इसलिए की है कि ऑल इण्डिया में हिन्दी का विकास हो इसके लिए बड़ी हिम्मत के साथ प्रयास किया है। मैंने इसकी तारीफ भी की है लेकिन मैं सुखाड़ियाजी से कहना चाहूंगा कि आप स्वयं प्रयास करें, यह एक सराहनीय बात है, लेकिन आप स्वतन्त्र पार्टी की बात में न जायं। नीतियों का काम व्यक्तिगत काम नहीं होता है। जो काम आप करना चाहते हैं वह वाकई एक अच्छा काम करना चाहते हैं। आप इस बात को लेकर चलें कि हिन्दी का विकास हो। राजस्थान हिन्दी को एक उच्च भाषा बना कर जो उच्चत्तम भाषा बना कर हिन्दुस्तान के बाकी प्रदेशों का मार्ग प्रदर्शित करे, इस प्रकार की चेष्टा आपको करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हिन्दी के द्वारा ही देश का सुधार कर सकते हैं और बाकी की समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, अन्त में एक पोइन्ट आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर—इन सारे स्थानों

Page No 79

(श्री भैरोंसिंह)

में एक और समस्या है और वह विशेष रूप से बहुत बड़ी समस्या है। वह समस्या यह है कि मंत्रियों के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ते, मंत्रियों के बच्चे मिडल स्कूलों में नहीं पढ़ते, ऑफिसर्स के बच्चे इन प्राइमरी स्कूल और मिडल स्कूलों में नहीं पढ़ते। वह क्यों ? आप देखें अनुमान लगा कर। उनके लड़के सेंट एंजेलास, सेंट जेवियर्स और बाकी जो मिशनरी स्कूलें हैं उनमें पढ़ते हैं। इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि मंत्री महोदय और अधिकारी, जो एजूकेटेड हैं और जिनके पास साधन हैं वे समझते हैं कि बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में भेज दिया तो उनका भविष्य खराब हो जायगा इसलिए वे उन्हें सेंट जेवियर्स और सेंट एंजेलास में भेजते हैं जहां वे दूसरे दिन ही डेडी और मम्मी कहना सीख जायेंगे और पानी को वाटर कहने लग जायेंगे। घर आकर जब वह तुतला तुतला कर वैसी भाषा में बोलते हैं तो उनके मां–बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बी. ए. पास जैसा हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने बच्चों के लिए तो व्यवस्था कर ली लेकिन राजस्थान की दो करोड़ जनता के बच्चे उन्हीं प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, राजस्थान सरकार की एडेड इन्स्टीट्यूशन्स में पढ़ते हैं। उनके भाग्य के बारे में आपने क्या तय किया है ? मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम ऐसे बिग सिटीज़ में एक एक मिशनरी स्कूल आप चालू करें जो सेंटजेवियर्स और सेंट एंजेलास जैसे स्कूलों को बन्द करके उन्हें हटा सकें और राजस्थान सरकार के मंत्री और अधिकारियों के बच्चे और साधन सम्पन्न व्यक्तियों के बच्चे इन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में न पढ़ कर हमारे बनाये हुए स्कूलों में पढ़ें और एक आदर्श उपस्थित कर दें। यह सेंट जेवियर्स और सेंट एंजेलास राजस्थान के शिक्षा विभाग के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करके राजस्थान की सरकार चले तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर, शिक्षा के अन्दर सुधार निश्चित रूप से होगा। इस सुधार की भावना को लेकर मैंने जो सुझाव रखे हैं, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री उन पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ जी !

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्षजी, आज शिक्षा की डिमाण्ड के बारे में विरोधी पक्ष के माननीय नेता और जनसंघ के माननीय नेता ने तो काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैं भी इस बारे में कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। मैं, मुख्य रूप से जो बातें रखी गई हैं, इनके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में आज-कल जो शिक्षा का स्तर है, प्राइमरी शिक्षा के लिए प्राइमरी पाठशालायें हैं, उनके बाद माध्यमिक पाठशालायें हैं, उच्चत्तर माध्यमिक पाठशालाये है वह आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्र में है जहां पर भवन निर्माण की समस्या उपस्थित है। उसके साथ साथ छात्रावास की समस्या भी बड़े विकट रूप से उपस्थित हुई है। एक तरफ यह सवाल आता है कि छात्रों के चरित्र का निर्माण होना चाहिए, छात्रों में नियंत्रण की भावना कायम की जानी चाहिए। परन्तु आज राजस्थान में जगह जगह ऐसे क्षेत्रों में माध्यमिक, उच्चतर

Page No 80

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

माध्यमिक पाठशालायें शुरू कर दी गई हैं राज्य सरकार की ओर से, परन्तु वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आते हैं वे अलग अलग कोठरियों में चार, पाच और दस-दस की संख्या में साथ रह कर शिक्षा अध्ययन करते हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रावास न होना शोभाजनक नहीं जब कि स्टेट के टाइम में छात्रावास राज्य सरकार की ओर से चलते थे। परन्तु, माननीय अध्यक्षजी, आपको भली भांति मालूम है कि जो सैकण्डरी एजूकेशन एक्ट पास हुआ था, उसके बाद यह प्रावधान रहा कि जब कोई संस्था, संस्था रूप में अपने को रजिस्टर सहकारी विभाग से कराये, उसके बाद ही राज्य सरकार से एड मिल सकती है। इसके बारे में, माननीय अध्यक्ष जी, एक ज्वलन्त उदाहरण सांचोर का देना चाहता हूं। सांचोर में जब स्टेट का टाइम था तब राज्य सरकार की तरफ से बोर्डिंग हाउस चलता था और उस समय नौ सौ रुपया सालाना उस बोर्डिंग हाउस को राज्य सरकार एड देती थी। लेकिन आठ-नौ साल पहले रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही करने के लिए वहां एक कमेटी का गठन किया और रजिस्ट्रेशन के लिए कागजात सहकारी विभाग में भेजा। इसकी कार्यवाही के लिए पांच साल लग चुके हैं परन्तु यह खेद का विषय है, माननीय अध्यक्षजी, कि उस बोर्डिंग हाउस के कागजात सहकारी विभाग में गायब हो गये। करीब पांच साल तक लिखा-पढ़ी चली और अब हमें खेद के साथ मालूम पड़ा, जब मैंने यहां आकर पता लगाया कि कागज कहीं गायब हो गये हैं। सिर्फ पचास रुपये का शुल्क जमा है, लेकिन कागज गायब हो गये हैं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उप शिक्षा मंत्रीजी ने जानकारी दी थी, उन कागजों का पता नहीं है, इसलिए उसकी जानकारी नहीं है कि स्टेट के टाइम में राज्य सरकार की ओर से नौ सौ रुपया सालाना मिलता था। इस रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही में उलझ जाने के कारण बोर्डिंग हाउस की हालत खराब हो गई है। उसका भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और करीब दो सौ लड़के उस जीर्ण-शीर्ण भवन में रहते हैं। वर्षा के दिनों में पानी सीधा पड़ता है, उसकी रिपेयर होती नहीं है; उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी हालत में, राज्य सरकार को मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से पिछले ७-८ सालों में एक नया पैसा भी एड के लिये नहीं मिला है और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिये मैं राज्य सरकार को निवेदन करूंगा कि वह इस पर गंभीरता से विचार करे और पिछड़े हुए इलाकों में; जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, सांचोर आदि हैं वहां पर धनी लोग भी नहीं रहते हैं; जिनसे कि दान के रूप में पैसा उपलब्ध हो सके, वह भी नहीं होता। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह छात्रावास के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे वहां पर छात्रावास का प्रबन्ध हो सके। कुछ रुपया काश्तकार चन्दे के रूप में भी उनको अदा करेंगे। मगर यह कहना कि वहां पर एक लाख का चन्दा काश्तकार दें तो ऐसी हालत में अगर आप एक लाख रुपये के चन्दे की बात कहें तो यह संभव नहीं हो सकता। इसके अलावा वहां पर जितनी भी प्राथमिक

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

स्कूलें, मिडिल स्कूलें और हाई स्कूलें हैं उनके लिये भी लोगों को पैसा देना पड़ता है। आज सरकार की नीति है, उसके अनुसार प्राथमिक शालाओं के लिये अभी जो नया सक्यूंलर आया है उसको देख कर मुझे बड़ा दुख हुआ है कि पहले जिन स्कूलों को सरकार १५००) भवन के एड के रूप में देती थी अब १५००) के बजाय १०००) पाठशाला बनाने के लिये देगी। मैं यह कहूंगा कि १५००) रु० सरकार पहले देती थी वह भी भवन निर्माण के लिये कम पड़ते थे और कहीं तीन हजार या चार हजार रुपये भवन पर लगते थे, तब जाकर कहीं भवन बनता था। वहां पर पिछड़ा हुआ एरिया होने के कारण पी० डब्ल्यू० डी० के एस्टीमेट से १।। गुना रुपया लगता है। अब भवन जो बने वे नये मॉडल के अनुसार बनने चाहिये, पुराने मॉडल में जिस प्रकार छूट थी ईंटे, पत्तरे आदि लगाने की, अब पुराने मॉडल के अनुसार भवन नहीं बन सकते। तो इसमें भी अधिक मुसीबत है। जब स्कूलें स्टार्ट की जाती हैं तो शुरू में अलग भवन-निर्माण नहीं होता और जब नया मॉडल स्कूल बनता है तो सरकार उसको रिकमन्ड करती है और उसके लिये कम से कम ४० या ५० हजार रुपये होते हैं तो मॉडल भवन तैयार होता है और मिडिल स्कूल खुलता है। तो वहां के लोगों को भवन निर्माण की डिफिकल्टी से २०-२० मील और ३०-३० मील चल कर लड़कों को आना पड़ता है। मेरे क्षेत्र में कुल ५ या ७ मिडल स्कूलें खुली हैं और उनमें इतने लड़के और लड़कियां होती हैं जितनी राजस्थान के किसी भी भाग में स्कूलों में नहीं है। मैं यह कहूंगा कि उच्च-तर माध्यमिक पाठशाला सांचोर में है वहां पर डबल शिफ्ट चलती है, मगर डबल शिफ्ट चलने के बावजूद भी भवन पूरा नहीं पड़ता। लड़के बहुत हैं। उप-मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि कुछ पैसे पंचायत समिति और जनता देगी तो वे प्रबन्ध करेंगे। पंचायत समिति से हमने पैसा दिलाने की कोशिश की है और कुछ पंचायत समिति ने पैसा दिया भी है। भवन इतना अपर्याप्त है कि वहां पर कॉमर्स और साइन्स की क्लासेज खुल नहीं सकतीं जिनकी बहुत जरूरत है।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि बैकवर्ड एरिया में छात्रावास की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से होनी चाहिए। अगर सरकार इसकी व्यवस्था खुद नहीं कर सकती तो कुछ एड के रूप में सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिये ताकि एक भवन किराये पर छात्रा-वास के रूप में रखा जा सके और वहां पर लड़कों पर नियन्त्रण रखा जा सके। अलग २ रूप में ग्रामीणों के बच्चे रहते हैं तो उनके बिगड़ने की संभावना रहती है। आप जानते हैं कि गांव वाले लोग हैं, अगर उनको एक बार भी अपने लड़कों के खराब होने की संभावना होती है तो अपने लड़कों को भेजते नहीं। आप गांव वालों को तो जानते ही हैं कि वे कितने कन्जर्वेटिव हैं। अगर किसी का लड़का बिगड़ जावेगा और पढ़ लिख कर सक्सेसफुल नहीं होगा तो सारे क्षेत्र में उसकी

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

खबर फैल जावेगी कि फलां का लड़का है और उसने क्या पढ़-लिख कर निहाल किया; इसलिए अपने लड़कों को भी आगे क्यों पढ़ावें ! यह एक ऐसा विषय है कि जिसकी ओर अगर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया और यही नियम रहे तो मैं समझता हूँ कि काफी अर्से तक एग्रीकल्चर और साइन्स की शिक्षा दिलाने में हम मजबूर रहेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे इलाकों में खास कर एग्रीकल्चर और साइन्स की कम्पल्सरी शिक्षा दी जानी चाहिये और जो हमारा अल्टीमेट एम है, कृषि की प्रगति करने का, कृषि की प्रगति करनी चाहिए ताकि ऐसे बच्चे निकले जो नौकरियों के लिए इधर-उधर फिरते न फिरें। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि छात्रावास के बारे में और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की उन्नति के लिए सरकार ध्यान दे। वहां के लोग गरीब हैं उनके पास इतना पैसा नहीं कि वे इतना पैसा छात्रावास पर खर्च कर सकें।

प्राइमरी एजूकेशन के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बारे में राज्य सरकार को बहुत भारी कठिनाइयें सामने आने वाली हैं क्योंकि प्राइमरी एजूकेशन अनिवार्य गांवों में कर दी जावेगी। ग्रामीण परिवार है उनमें एक बच्चा गायों के पीछे और एक बच्चा ऊंटों के पीछे जाता है। वे लोग इसको अपने स्वार्थ के रूप में देखते हैं और अगर आपने उनके लिए कम्पल्सरी प्राइमरी शिक्षा रखी तो वे स्कूलों में भेज दिये जावेंगे और अगर उनमें अच्छी शिक्षा नहीं हुई तो गांव वालों का उत्साह नहीं बढ़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और सरकार के सामने कठिन समस्या उत्पन्न होने वाली है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने तथ्यों को आपने सामने रखा और यह इसलिए कि लड़कों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके अलावा वहां पर लड़कियों की शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। इसके लिए जो नियम हैं वे रिलेक्स किये जाने चाहिए ताकि ऐसी स्कूलें चल सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। देहातों में गरीब किसानों के बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है। इसके लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं; जैसे मिसाल के तौर पर मेरा गांव उमर है, उसमें २२० घरों की आबादी है। उमर गांव जिसमें २२० घरों की आबादी है उसमें से २०५ आदमी इस वक्त फौज में मौजूद हैं। इस गांव के चारों तरफ १०–१२ प्राइमरी स्कूलें हैं और उस एरिया के करीब तीन-चार हजार आदमी फौज में नेफा और लद्दाख में मौजूद हैं। एक तरफ १०–११ मील देवली छावनी है और उधर १०–११ मील हिन्डौली है। मेरा यह निवेदन है कि वहां पर आदिवासियों के बच्चे पांचवी कक्षा तक शिक्षा पा कर निराश हो जाते हैं। वहां पर आदिवासी लोगों के लिए कोई छात्रावास नहीं खुला है। इसलिए उनके

(श्री गंगासिंह परिहार)

बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि उनके बच्चों को बूंदी क्षेत्र में नमाना तक बच्चों को भेजना पड़ता है। उनकी माताएँ कहीं रहती हैं और बाप कहीं होते हैं और आर्थिक हालत के कारण उनको बाहर भेज नहीं पाते, इसलिए उन फौजियों के बच्चे शिक्षा के बगैर यों के यों रह जाते हैं। इसका एक मात्र कारण यह है कि वहां पर भवन नहीं है। १५० लड़के-लड़की पढ़ रहे हैं और चारों तरफ के लड़के-लड़कियें काफी हैं जिनको पढ़ाने के लिए स्थान नहीं और कोई व्यवस्था उनके पढ़ाई की नहीं। वहां पर भवन की व्यवस्था इसलिए नहीं है कि श्रमदान मांगा जाता है। अर्ज करना यह है कि जो देश के लिए प्राण दान देने वाले हैं उनके बच्चों के लिए हित के कार्य में श्रमदान मांगा जाय तो दुख की बात है। उनकी माताएं कहती हैं कि हमारे पास खाने के लिए, गुजारे के लिये नहीं, हम श्रमदान कैसे करें, हम इन बच्चे-बच्चियों का पेट पालन करती हैं, यही हमारे लिए काफी है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से कई दफा निवेदन किया गया कि फौजियों के बच्चे हैं, इसलिए डिफेन्स फन्ड से, सोल्जर बोर्ड से या सीमा के फण्ड में से दिलाया जाय, मुख्य मंत्रीजी से कहा कि किसी भी फंड से भेजिये, प्रार्थना-पत्र फौजियों द्वारा भेजे गये पर इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे फौजी एरिया के लिए तो मिडल स्कूल खोलना, स्कूल भवन बनाना जरूरी हो जाता है।

इसी तरह मेरे क्षेत्र में हिन्डौली तहसील में थाना है वहां भी यही समस्या है; बडा नया गांव है वहां भी यही समस्या है, बाचोला है वहां भी यही समस्या है, इनमें इतने फौजी नहीं हैं, जितने कि उस एरिया में वे फौजी हैं, इसलिए इन फौजी बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार का फर्ज हो जाता है कि मिडल स्कूल भवन और मिडल स्कूल शीघ्र से शीघ्र खोले जायं।

मैंने कई दफा प्रार्थना-पत्र दिये और आशा करता था कि शिक्षा मंत्री विचार करेंगे। उन्होंने एक पत्र भी दिया था कि इस साल नहीं अगले साल यह प्रबन्ध कर दिया जायगा, पर वे तो ठंडे पड़ गये। उप मंत्री जी के दौरों के दौरान देखा कि जगह जगह स्कूलों में चैक कर रहे हैं तो मैंने देखा कि शिक्षा मंत्रीजी तो बुजुर्ग हैं, इसलिए शिक्षा भी पुकार पुकार कर कह रही थी कि हाय राम मुझे बुड्ढा मिल गया।....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): शिक्षा मंत्री जी जवान है, बुजुर्ग नहीं हैं।

श्री गंगासिंह परिहार: जवान उप-मंत्री जी आये और देखा कि भाग दौड़ कर रहे हैं तो मैंने देखा कि ये जरूर मिडल स्कूल हैं और उस भवन का प्रबन्ध कर देंगे, मगर उन्हीं की महरबानी से, लापरवाही से, वहां मिडल स्कूल नहीं कर सके। अब वर्तमान शिक्षा मंत्री हार्ड हैं और मुझे आशा है कि वे फौरन किसान आदिबासियों के लिए, इन फौजी बच्चों के लिए स्कूल का प्रबन्ध करेंगे।

यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, आज इससे पहले कि मैं अपने कट मोशन पर अपने विचार रखूं, क्योंकि इस मांग के तहत सरकार की शिक्षा नीति के बारे में कुछ अहम मुद्दे हमारे सामने पेश हुए हैं, इसलिये उन पर अपने विचार रखूंगा।

दो वर्ष पहले एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स में लड़कों की हड़ताल के कारण सरकार की शिक्षा की नीति के बारे में जनता का ध्यान गया था, इस वर्ष सारे देश में अध्यापक वर्ग ने जो एजीटेशन किया, उसके तहत राजस्थान की शिक्षा नीति के बारे में इस वक्त अपने विचार रखने पड़ रहे हैं।

अगर हम एक तरीके से सोचें कि जैसा समाज को हम बनाना चाहते हैं, जो मान्यताएं हम पैदा करना चाहते हैं, उस लिहाज से आज की शिक्षा पद्धति को देखें तो मेल नहीं खाती। जिन मासेज़ में बच्चे पलते हैं और जिन इन्स्टीट्यूशन्स में वे बच्चे शिक्षा लेते हैं, शिक्षा लेने के बाद वे बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि पढ़े-लिखे बच्चों में और मासेज़ में फर्क पाते हैं। भाषा, वेश, शिक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति का एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे अनेकों फैक्ट्स हैं, जिनके कारण यह चीज पैदा हुई है। इसलिये यह आवश्यक है कि शिक्षा वैसी ही हो जैसा कि हम देश को बनाना चाहते हैं, समाज को बनाना चाहते हैं, जिंदगी का मूल्य पैदा करना चाहते हैं। इसलिये जब हमने यह फैसला कर लिया कि प्लान के जरिये से हमारे देश का विकास हो, समाजवादी व्यवस्था को कायम किया जाय, प्रजातन्त्री तरीकों से, तो हमारी शिक्षा का खास मुद्दा, मेन फंडामेंटल उसूल यह होना चाहिये कि शिक्षा का सारा वातावरण, शिक्षा, की सारी पद्धति इस तरह से डालें कि देश में हम इन वेल्यूज को पैदा कर सकें।

यहां एक बात कही गई कि प्राइमरी स्कूल्स पंचायतों के, पंचायत समितियों के आधीन रहें या नहीं। यह एक उसूल का प्रश्न है, इस पर मैंने काफी विचार किया और राजस्थान सरकार ने पंचायती राज्य का प्रयास पांच-सात साल पहले शुरू किया और अगर हम यह मान लें कि आज कुछ सरपंच, पंचायत समितियों के प्रधान राजनैतिक वोइस से मास्टरों के अपोइन्टमेंट्स, तबादले आदि करते हैं, मास्टरों को अपने स्टूजेज बनाते हैं, पर यह संभव नहीं है कि आने वाले समय में भी ये लोग इसी तरह राजनैतिक वोइस में करते रह सकेंगे। ज्यों ज्यों शिक्षा बढ़ेगी, मासेज में अवेकनिंग आयेगी, त्यों त्यों हमारा यह प्रयास सफल होगा और हमें एतराज करने का मौका नहीं मिलेगा कि मास्टर्स पंचायत समितियों के पंचायतों के स्टूजेज बन कर काम करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि पंचायत समितियों के तहत स्कूल्स रहें, पर सादिकअली कमेटी

(श्री केदारनाथ)

ने सिफारिश की है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस सब के चैक के लिये कमेटी बने, उस सिफारिश को अमल में लाया जाय ताकि मास्टर्स के अपॉइन्टमेंट, ट्रान्सफर्स आदि को कन्ट्रोल कर सकें, यह मेरा सुझाव है ।

दूसरे, यह बात कही गई कि प्राइवेट स्कूल्स के बारे में सरकार की क्या नीति होनी चाहिये । मैंने इस पर काफी विचार किया है, बहुत से सेमिनार्स इस विषय में हुए हैं, कई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है । जब हम नेशनल इन्टीग्रेशन का फैसला करते हैं तो जो जो इन्स्टीट्यूशन्स सोशियल सेग्रिगेशन पैदा करते हैं, सोशियल स्नोबरी पैदा करते हैं, चाहे किसी संस्था द्वारा चलाये जाते हों, चाहे मिशनरीज के द्वारा चलाये जाते हों, वे सारे स्पेशल स्कूल्स बन्द हो जाने चाहिये । इसके बारे में यूनियन सरकार की तरफ से मूव हुआ है कि हम इन प्राइवेट स्कूल्स पर कैसे कन्ट्रोल कर सकें, इस सम्बन्ध में एक बिल भी पेश हो रहा है । मैं नहीं समझता कि वह मिशनरीज स्कूल्स पर लागू हो और दूसरे स्पेशल स्कूल्स पर लागू नहीं हो । वह इस प्रकार के सब स्कूल्स पर लागू होना चाहिये । अगर यह दूसरे सारे इस प्रकार के स्पेशल स्कूल्स पर लागू नहीं होगा तो देश का इन्टीग्रेशन मजबूत नहीं हो सकेगा । इनकी रस्मो-रिवाज, भाषा, वेष, हैबिट्स आदि को देखेंगे तो पता चलेगा कि वह सोशियल सेग्रिगेशन, सोशियल स्नोबरी की तरफ जा रही है । हमारे यहां ऐसी शिक्षा पद्धति हो जिससे नेशनल इन्टीग्रेशन बढ़े, लोग मजबूत हों, छोटी-मोटी बातों को भूल जायं, एक तरफ हम यह चाहते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन्स हैं जो समाज में आपस में सेग्रिगेशन, भेद-भाव पैदा करते हैं । मेरा मत है कि जितने स्पेशल स्कूल्स हैं वे एक नया समाज पैदा कर रहे हैं और इनमें से निकले हुए लोग ऑफिशियल क्लास में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर हावी होते हैं, ऐसी दशा में क्या हम यह सोच सकते हैं कि यहां विधान सभा में बैठ कर हम जो कानून पास करते हैं, जो शक्तियां लाना चाहते हैं, वे उनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे । जैसी खेतों में, कारखानों में, माइन्स में सभ्यता चाहते हैं, उसका इनसे वास्ता नहीं । ऐसी हालत में देश का सुधार होने वाला नहीं है ।

मैं थोड़ा फिजिकल एजूकेशन के बारे में कहना चाहूंगा, फिजिकल एजूकेशन के बारे में कहा गया । कुंजरू कमेटी ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं, जब तक फिजिकल एजूकेशन को हमारी शिक्षा के केरिकुलम का हिस्सा नहीं बना देते, सब्जेक्ट नहीं बना देते, तब तक हमारे स्वास्थ्य में खेल-कूद से जो हम फायदा उठाना चाहते हैं, वह नहीं मिल सकता । स्पोर्ट्स कौन्सिल है पर किसी प्रकार की ऐसोसियेशन नहीं है, देहातों में खेल के मेले नहीं हैं सोशियल अर्ज नाम की चीज पैदा नहीं करते, टैम्पो पैदा नहीं करते, कोई खेल मेला नहीं जिसमें लोग आयें, इनामी-मेले ऑर्गेनाइज करके जनता को एन्करेजमेंट दिया जाय । एक बात मैंने सुनी है, जो लोग

(श्री केदारनाथ)

स्पोर्ट्स में राजस्थान के आधार पर रिकॉग्नीशन प्राप्त करते हैं, उन्हें पुलिस के महकमों में सिलेक्शन में प्राथमिकता दी जायगी चाहे वे सब-इन्सपेक्टर्स की पोस्ट्स हों, इसलिए मैं सरकार की सराहना करूंगा कि अगर सरकार ने कोई फैसला किया। अगर नहीं किया है तो करना चाहिए। इसलिए स्पोर्ट्स के बारे में कुंजरू कमेटी की सिफारिशें मानने के साथ साथ एक डिपार्टमेंट इन्ट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि फिजीकल एजूकेशन राजस्थान में केरीकूलम का हिस्सा हो। इसमें संदेह नहीं कि हमारे मसल्स फिजिक के लायक हैं, हम चाहें तो अच्छे स्पोर्ट्समैन पैदा कर सकते हैं और किए हैं। इस ढंग से अगर सरकार की तरफ से उनको रिकॉग्नीशन मिलता है तो लाजिमी स्पोर्ट्स और एथेलेट्स का अच्छा भविष्य होने वाला है।

यहां मास्टरों की मांगों के बारे में भी कहा गया। इस बात को मानते हैं कि ५-७ साल से लगातार मास्टरों की मांगों को न मानने से धीरे-धीरे असन्तोष व्याप्त हो गया जो एजीटेशन के रूप में हमारे सामने आ रहा है, कहीं डिमोन्स्ट्रेशन के रूप में असंतोष हो रहा है। आखिर चीज क्या है, उनके सिलेक्शन के बारे में, उनके प्रोमोशन्स के बारे में, उनके फिक्सेशन के एरियर्स के बारे में एक पॉलिसी होनी चाहिए। जहां तक उनकी इस मांग का सम्बन्ध है कि जैसे यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन है वैसे हायर सैकण्डरी कमीशन भी होना चाहिए। मैं इस बात को ठीक नहीं समझता, लेकिन यह बात लाजमी है कि हिन्दुस्तान के लेवल पर प्राइमरी स्कूल्स, माध्यमिक स्कूल्स और हायर सैकण्डरी स्कूल्स के टीचर्स का वेतन एक होना चाहिए, महंगाई भत्ते अलग अलग हो सकते हैं इन्डेक्स के अनुसार। देश में एक कैरीक्यूलम हो और एक ढांचा हो। अगर आप वैसे समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं तो लाजमी सारे हिन्दुस्तान के टीचर्स के लिए एक पे कमीशन हो और एक कैरीक्यूलम। एक कमीशन नियुक्त किया गया है, हो सकता है कि वह ५-६ महीने में रिपोर्ट दे; फिर भी राजस्थान अपनी तरफ से प्रयास शुरू करे इनकी पे के बारे में, सिलेक्शन ग्रेड्स के बारे में, फिक्सेशन के बारे में, जितना भी जल्दी हो सके, ताकि इनको संतोष मिले और उसके बाद मास्टर अपने स्टूडेन्ट्स पर अपना असर कायम करें तब हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा।

एक बात और चल रही है राजस्थान में। राजस्थान एक तरफ कहता है कि पैसा नहीं है, मैं मिडल स्कूल अपग्रेड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ यूनीवर्सिटीज़ खोलने के लिए लम्बी दौड़ चल रही है। इस बारे में मैं और कमेटीज़ का हवाला नहीं देना चाहता, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के तहत सोशयल सर्विसेज की कमेटी बनी। उसने कहा है कि कहीं भी यूनीवर्सिटी नहीं बनाई जाय, जितना यूनीवर्सिटीज का एक्पेन्शन हो गया वह कन्सोलीडेट हो। राजस्थान में अशोक मेहता के भी ये ही विचार हैं। मैंने सुना है कि वनस्थली को यूनीव-

(श्री केदारनाथ)

सिटी बनाया जा रहा है, पिलानी को यूनीवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर जोधपुर यूनीवर्सिटी नहीं होती तो राजस्थान में हायर एजूकेशन की पढ़ाई का स्टैंडर्ड न गिरता। दो स्टैंडर्ड्स सामने आ गए, एग्ज़ामिनेशन्स के दो पेटर्न्स आ गए, जिस ढंग से मार्क्स दिए जाते हैं, जिस तरह से पढ़ाई होती है, एडिमिन्स्ट्रेशन होता है, सबमें दो स्टैंडर्ड्स हैं। इसलिए कोई नई यूनीवर्सिटी नहीं बनाई जाय। कोई पोलिटिकल एलाइनमेंट हो, किसी को खुश करना हो तो कोई और तरीका हो सकता है, लेकिन एजूकेशन के साथ खिलवाड़ न करें। वनस्थली एक प्राइवेट संस्था है। उस एरिया में पहले ही एक यूनीवर्सिटी काम करती है, वहां दूसरी भी आ जाय और अगर आपने कहीं बना दी तो अच्छा नहीं होगा। मैं सोचता हूं कि एक फैकल्टी खुलने से काम बन सकता है। आप इनकी एक्टिविटीज़ को और कॉन्सेन्ट्रेट कीजिये, उसकी एफीशियेन्सी बढ़ाइए। अगर टेक्नीकल परसोंनेलस दें, अच्छा एडमिनिट्रेटिव पर्सोनेल है तो वहां पर इस्तेमाल किया जाय, यह नहीं कि एक पैरेलल यूनीवर्सिटी और खोल दी।

संस्कृत यूनीवर्सिटी के बारे में जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा, बीकानेर का क्लेम है, इसमें कोई संदेह नहीं। वहां की संस्कृति, वहां की लाइब्रेरी, वहां के स्टूडेन्ट्स वहां की रिसर्च की आदत, ये साबित करते हैं कि अगर संस्कृत यूनीवर्सिटी का कहीं क्लेम है तो वह बीकानेर डिवीजन है। एक बात और, हमने एक्सपेन्शन काफी कर दिया। जब से राजस्थान बना तब से आज तक देखें तो एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स का नम्बर और स्टूडेन्ट्स का नम्बर देखें तो काफी एक्सपेन्शन कर दिया गया। अब क्वालीटेटिव इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और यह जो नारा है, "planning from below Socialism from below," इसका मतलब यह है कि अगर क्वालिटी की तरफ ध्यान है तो एक स्टेट में एक प्राइमरी मॉडल स्कूल, एक माध्यमिक मॉडल स्कूल और हायर सेकन्डरी मॉडल स्कूल्स हों और सारी फैसिलिटीज़ हों; खेल, लबोरेटरी साइंस की और अच्छे टीचर्स की ताकि देखें कि इसका इम्पेक्ट क्या है, क्या रिटन्र्स निकलते हैं तब तक हम कह नहीं सकते कि अच्छी से अच्छी पद्धति क्या है; वर्ना हमारी सारी कोशिशें "cry in wilderness" होंगी। इसलिए क्वालीटेटिव इम्प्रूवमेंट की तरफ ज्यादा तवज्जोह देनी चाहिए।

८० फी सदी लोग गांवों में रहते हैं। मेडीकल कॉलेज का खर्चा, इंजीनियरिंग कॉलेज का खर्चा, आप देखिये एक लड़के पर २०० रु० महीना होता है। जिसके पास १२ बीघा जमीन हो या भूमिहीन हो या अनइकोनोमिक होल्डिंग हो, जिनकी आबादी ८० फीसदी है, उनके बच्चों में से कितने ऐसी एजूकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए टेक्नीकल एजूकेशन का देहातों में आप बायस पैदा करें। चौथी प्लान में जितने हायर सैकन्डरी स्कूल्स खोले जायं, उनका एग्रीकल्चर बायस हो, वोकेशनल बायस हो, टैक्नीकल बायस हो। कन्सेन्ट्रेट मत कीजिए; जयपुर, जोधपुर और उदयपुर

(श्री केदारनाथ)

में। पोलीटेक्निक खोलें तो अजमेर में खोलिए, उदयपुर में खोलिए, ताकि हमारी भावना का फैलाव हो सके, जिससे ८० फी सदी लोग फायदा उठा सकें, उनके बच्चे फायदा उठा सकें, तब जाकर हम समाज में समानता पैदा कर सकेंगे। इस वक्त पर-कैपिटा हमारा खर्चा बढ़ता है और रिटर्न्स कम होते हैं, यही टैक्नीकल एजूकेशन की बात है। आप बच्चों से पूछिए कि किस कौम के हो, आपके पेरेन्ट्स क्या हैं, क्या प्रोफेशन है, तो आपको २-४ फीसदी मिलेंगे जो मेरिट पर स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं, वर्ना गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता। इसलिए शिक्षा सस्ती हो और इसका फैलाव हो हरेक सेन्टर में, हरेक आदमी के लिए एक्सेसिबल हो।

आखिरी बात पुलिस के बारे में कहता हूं। जहां राजस्थान के दूसरे इलाकों में २६ फीसदी आबादी बढ़ी, गंगानगर में ६४ फीसदी बढ़ी; उसका कारण यह है कि मूवमेंट ऑफ पोपूलेशन बहुत है, पंजाब से आदमी आते हैं, कई बिज़नेस पोकेट्स मिलते हैं उसका फायदा उठाते हैं, इसलिए वहां लिटिगेशन ज्यादा है, क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का फोर्स वही का वही है जो १९४९ में था। इसलिए पुलिस का फोर्स बढ़े, विहीकल्स उनके पास हों, मोर्डन इक्विपमेंट हों ताकि ज्यों ज्यों क्राइम बढ़ता है उसको मीट कर सकें।

हमने अपने यहां ब्रॉड गेज के लिए इजाजत ली तो १२ लाख रुपए इकट्ठे करने पड़े। कहा गया कि जब तक १२ लाख रुपये नहीं देंगे तब तक लाइन नहीं मिलेगी। हमने लोकल डेवलपमेंट के लिए ३० लाख का फंड बना दिया। हम कहते हैं कि टी० डी० सी० सैकंड ईयर में बायोलोजी नहीं है तो कहते हैं कि पैसा दो, हम कहते हैं कि क्लास रूम्स नहीं हैं तो कहते हैं पैसा दो। वहां गर्ल्स कॉलेज में बोर्डिंग नहीं है, लड़कियां कहां पढ़ें? जालन्धर पढ़ने के लिए जाती हैं, वनस्थली पढ़ने के लिये जाती हैं, पिलानी पढ़ने के लिए जाती हैं। चूंकि वहां पर बोर्डिंग नहीं है इसलिए वहां की लड़कियों को वहां जाना पड़ता है। हाईस्कूल को आपने अभी तक हायर सैकन्डरी में टर्न ओवर नहीं किया है। कई बार सदन में कहने का मौका मिला। लेटर्स दिये। पहले तो यह कहते थे कि सब के सब उस जगह से विरोधी दल के जीत कर आ गये। अब तो उनकी संख्या कम हो गई है। आपके दल के लोग भी जीत कर आ गये हैं और अब तो चौधरी कुम्भारामजी जीत कर आ गये हैं। अब तो उस इलाके के साथ सौतेली मां का व्यवहार नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं, यह बात मुख्य मन्त्रीजी और शिक्षा मन्त्रीजी ध्यान में रखेंगे और वे इसका जवाब भी देंगे।

और आखिरी बात यह कहते हुए कि जब भी शिक्षा की बात करें, भाषा के बारे में मेरा दिमाग क्योर है, मैं यह मानता हूं कि जो बच्चा जिस भाषा में बोलता है, कोई सिन्धी बोलता है तो उसको सिन्धी में शिक्षा दीजिये, कोई बच्चा पंजाबी बोलता

(श्री केदारनाथ)

है तो उसको पंजाबी में शिक्षा दीजिये; बशर्ते कि पचास-साठ फी सदी आबादी उनकी हो, यह प्रेक्टिस शुरू कर देंगे। हमारे इलाके में बच्चे मातृ भाषा में पढ़ेंगे, सीखेंगे, बोलेंगे, आयन्दा लाजमी तौर पर मासेज़ में घुलेंगे-मिलेंगे और इससे नेशनल इन्टीग्रेशन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव रखता हुआ स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष एक दो महत्वपूर्ण विभाग के ऊपर कटौती प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हो रहा है।

मैं समझता हूं, आज शिक्षा के ऊपर ऐसा वातावरण बना है कि राजस्थान की पुलिस के बारे में अब तक लोगों ने बहुत कम विचार व्यक्त किये हैं। मैं भी पुलिस पर जाऊं, चूंकि मेरी पार्टी को लेकर जनसंघ के नेता ने कुछ बातें कहीं, उनको मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं, विरोधी दल के नेता ने आधी-परधी बात कही। मैं नहीं समझता, क्यों जनसंघ के नेता के यह कहते ही या एक दो आदमियों के यह कहते ही कि क्या आप अंग्रेजी के समर्थक हैं, उन्होंने अपने शब्द अपने गले में ही रख लिये। मैं अंग्रेजी का प्रबल समर्थक हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप कांग्रेस के भी पहले प्रबल समर्थक थे ?

श्री मानसिंह महार : आपकी तरह जाटवाद का नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपके दिमाग में यह होगा ?

श्री मानसिंह महार : मेरे दिमाग में नहीं। आपके दिमाग में यह है।

मैं कहता हूं कि अगर आपको इस देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना है और भारतवर्ष को दक्षिण से लेकर उत्तर तक एक रखना है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रखना है, तो आपको कम से कम चालीस-पचास वर्ष तक अंग्रेजी को यहां, इस देश में, रखना पड़ेगा।

(राज्य पक्ष द्वारा शेम शेम की आवाज)

शेम शेम जो कहते हैं उनको पहले कामराजजी को हिन्दी सिखानी चाहिये थी। जो शेम-शेम कहते हैं उनको पहले सुब्रह्मण्यमजी को, जो सेन्टर में मिनिस्टर हैं और जिन्होंने इसी हिन्दी के प्रश्न को लेकर इस्तीफा दे दिया था उनको तो शेम शेम करके संसद् से निकालिये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप अंग्रेजी के समर्थक हैं, इसलिए पहले आपको तो विधान सभा से बाहर निकाला जाय।

श्री मानसिंह महार : आप जैसे मूर्खों के लिए अंग्रेजी नहीं है, बुद्धिहीनों के लिए अंग्रेजी नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : यह हिन्दी के लिए अपमान सहन नहीं करेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आपका यह भ्रम दूर हो जाना चाहिये। आप तो ऑल इन्डिया पॉलिसी पर बोल रहे हैं। ये तो हिन्दी की पॉलिसी को ठीक तरह से संचालित कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय महार साहब को बेमतलब नाराजगी हो रही है। कांग्रेस पार्टी एक्ट में संशोधन ला रही है। आप नाराज मत होइये। इनके चेहरे यहां कुछ हैं और वहां कुछ हैं।

श्री मानसिंह महार : जहां तक मैं बताऊं, कामराजजी नाडार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनमें किनकी हिम्मत है जो बेचारे अंग्रेजी का विरोध कर सकते हैं ? यह तो मैं जानता हूं कि यहां दो शब्द कह दिये, उनके कहने से क्या होता है ? हमारी सबकी औलादें सेन्ट जेवियर्स में आज भी पढ़ती हैं। देख लिया जाय, कितने इम्पोर्टेन्ट मेम्बर्स सदन के होंगे जिनके बच्चे सेन्ट-जेवियर्स में पढ़ते हैं। मैं कुछ पढ़ाता हूं। मैं उन आदमियों में से नहीं हूं कि बोलूं कुछ और करूं कुछ आपकी तरह। दोनों में वास्तविकता होनी चाहिये। अगर मंत्री महोदय मानते हैं कि सही ढंग से शिक्षा अंग्रेजी से मिल सकती है तो यही बात उनको सदन में भी कहनी चाहिये। डरते क्यों हैं ? सुखाड़ियाजी अपनी सन्तानों को सेंट जेवियर्स और सेंट एंजिला में भेजते हैं। मुझे मालूम है। मेरी भी लड़की पढ़ती है। फिर बेंगलोर में जाकर हिन्दी के लिए कहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : मैं समझता हूं, यह आपका भ्रम है। जहां तक मेरे बच्चे बच्चियों का सवाल है, मेरे बच्चे महावीर स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, न कि सेंट जेवियर्स में।

श्री मानसिंह महार : सेंट जेवियर्स और सेंट एन्जिला में पढ़े हैं। आप गलत बात मत कहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज पढ़ने वाली बात का प्रश्न है।

श्री मानसिंह महार : आपने पांच साल अंग्रेजी सिखा कर फिर वह बात की है। आप गुमराह मत करिये सदन को। घबराइये मत, अंग्रेजी इस देश में रहेगी। जब तक आप इन कुर्सियों पर बैठे हैं अंग्रेजी इस देश से नहीं हटा सकते, अंग्रेजी को तो हम जैसे क्रान्तिकारी लोग ही हटायेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जनता ऐसी भूल नहीं कर सकती।

श्री मानसिंह महार : आपने अंग्रेजों से हाथ जोड़ कर राज्य लिया और आज भी उन्हीं के पैसों पर पल रहे हैं। अमेरिका से पैसा ले रहे हैं। आपके प्लान्स उन्हीं की सहायता से चल रहे हैं। आप अंग्रेजी को कैसे हटा सकते हैं ? आप भी विदेश पधारे हैं विदेशियों के पैसे पर। आप अंग्रेजी को हटाने की बात मत करिये। यह तो धोखेबाजी की बात है।

जन संघ की बात कहूं। उसका मुझे दुख होगा। जन संघ में सिलेक्शन होता है अंग्रेज-दां का होता है। आप उधर बैठने

(श्री मानसिंह महार)

वाले मित्रों के बच्चों को अंग्रेजी स्कूल से हटवा देंगे सेन्ट जेवियर्स वगैरह से तो उनका ठौर-ठिकाना नहीं होगा। आज सर्विसेज़ में जितने अफसर बैठे हैं वे अंग्रेजीदां हैं। ऐसी बातें कह कर इसका एक खौफ बना देना, यह देश के लिये घातक है। जिनका यह विचार है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी लानी चाहिये वे भी उत्तर भारत में कहने लगे है कि हम इसका विरोध करते है। आज कहते हैं कि वातावरण बना वह गलत है। स्वतंत्र पार्टी की नीति नहीं है, कहा गया। स्वतंत्र पार्टी की स्वतंत्र नीति है। अंग्रेजी के समर्थक अंग्रेजी के लिए और हिंदी के समर्थक हिंदी के लिए। ऊपर से आप कहें कि ऐसा न हो और अंदर से कहते हैं ऐसा हो। कामराजजी क्या कहें, सुब्राह्मण्यमजी क्या कहें और उत्तर भारत के सुखाड़ियाजी क्या कहें, ऐसी स्वतंत्र पार्टी की पॉलिसी नहीं है। हमारे यहां तो हिंदी मंत्रीजी भी आ गये हैं जिन्होंने हिंदी की बहुत हिंदी की है। लेकिन मैं कहता हूं अब महरबानी करके हिंदी की हिंदी मत कीजिये। हिंदी में आम शब्द प्रयोग में आते हैं उनको लाने की कोशिश कीजिये। यह संस्कृताइज़्ड हिंदी मत रखिए। आम प्रयोग की भाषा हो ऐसा बताइये। हिन्दी मंत्रीजी को भी मैं यह एक प्रकार से सीख देना चाहता हूं। यह तो हुई हिन्दी-अंग्रेजी की चर्चा।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : इसलिए मैंने आपको मुखिया भी कहा था।

श्री मानसिंह महार : मुबारिक हो आपको। मैं आपको बहुत कुछ कह सकता हूं। सदन में कुछ न कह कर इतना ही कहूंगा कि हिन्दी में हिन्दी मत करिये। ऊपर से बन्द गले का कोट, कभी टाई लगाकर आप धोखा मत दीजिये। हिन्दी मन्त्रीजी कुर्ता और धोती पहिन कर आयें तो हिन्दी की कद्र होगी।

श्री मथुरादास माथुर : आप पुराना जामा और घाघरा पहिन कर आ जायें।

(२.०० म. प.)

श्री मानसिंह महार : आपको तो मैं जानता हूं। आपके दिमाग में अंग्रेजी इतनी घुसी हुई है कि "I think in English then translate it in Hindi" हिन्दी तो आपके लिए क्या है, इसके लिए मैं क्या कहूं? सुखाड़ियाजी हिन्दी को हृदय से चाहते हैं और इसीलिए हिन्दी की हिन्दी हो जाय, यह विभाग आपको दिया गया है। मैं तो अंग्रेजी का समर्थक हूं।

अब मैं पुलिस विभाग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विभाग बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में से गुजर रहा है। पुलिस वाले सभी तरफ से मरते हैं। चोरियां बरामद न करें तो हम लोग कहते हैं इतनी चोरियां हुईं, लेकिन पुलिस बरामद नहीं कर सकी। इन्टरोगेशन के लिए पुलिस विभाग किसी को बिठाती है तो भी हम उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा इन्टरोगेशन के कई आधुनिक तरीके ईजाद किये गये हैं, आप जानते हैं। डाइनामा चढ़ाने आदि का पुलिस विभाग भी जानता

(श्री मानसिंह महार)

है। इसलिए इन्टेरोगेशन का नया तरीका अपनाया जाय।

आज अध्यक्ष महोदय, गांवों के अन्दर सबसे बड़ी डिफीकल्टी यह है कि पुलिस को सूचना देते हैं, फिर भी पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती। मुझे तीन साल हो गये यह कहते कि कम से कम हर पुलिस स्टेशन पर जीप दीजिये। जीप नहीं दे सकते तो ब्लॉक की जो जीपें हैं जिनको विकास अधिकारी इधर उधर अपने रिश्तेदारों को लाने, ले जाने में काम में लेते हैं, अगर सीरियस रिपोर्ट थाने में आ जाय तो सब-इन्स्पेक्टर जीप को मांगे तो वह उसको दी जाय।

आज यह देखा गया है कि विभागों का आपस में को-ऑडिनेशन और समन्वय नहीं है। ब्लॉक्स में जीपें होती हैं, लेकिन पुलिस को काम पड़ जाय तो जीप नहीं मिलती। ब्लॉक की जीप तहसीलदार और नाजिम भी मांगे तो नहीं मिल सकती। विकास अधिकारी खुदा हो गया, वह चाहे जैसे दौड़ा ले, लेकिन दूसरे डिपार्टमेन्ट को वह जीप नहीं मिलती। तहसील में ग्रोले पड़ जाय, उसको देखने जाने के लिए जीप मुहैया नहीं हो सकती। राजस्थान के सब डिपार्टमेन्ट्स एक हैं, किसी भी डिपार्टमेन्ट का जरूरी काम हो उसको जीप मिलनी चाहिये। आज होता क्या है, छोटे-मोटे डिपार्टमेन्ट्स को जीपें दे दी जाती हैं शिक्षा विभाग की लाइब्रेरी में दसों जीपें हैं, वहां इतनी क्या काम आती हैं? मेरा एक ठोस सुझाव है कि जब से यह विभाग मुख्य मंत्री जी ने लिया है तब से जो कोई सुझाव देते हैं वे इस कान से सुन कर उस कान से प्रेम से निकाल देते हैं....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इनके दोनों कानों के बीच रुकावट नहीं है क्या ?

श्री मानसिंह महार : रुकावट तो आपके कानों के बीच में है। एक में कुछ विचार, दूसरे में कुछ विचार; इस तरह से आपके बीच में रुकावट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे कानों में तो रुकावट रहने दीजिये। आपके दिमाग की जो रुकावट है उसके लिए डॉ० व्यास के पास जाना होगा !

श्री मानसिंह महार : आपके दिमाग में उलझनें रहती हैं, इसलिये आपको व्यास के पास जाना चाहिये इलाज करवाने के लिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस विभाग के बारे में अर्ज कर रहा था। पुलिस के सिपाहियों को बहुत हार्ड ड्यूटी देनी पड़ती है। उनको तनख्वाह कम है इससे काफी असन्तोष है। मुख्य मंत्री जी को मुसीबत है, उनके पास पैसों की कमी है। यह तो आंकड़ों की जगलरी है। आप इधर उधर करके बीस रुपया माहवार तरक्की सिपाहियों को दे सकते हैं। कम से कम पुलिस के सब इन्स्पेक्टर, इसके नीचे के और एल० डी० सीज को जरूर तरक्की देनी चाहिये। इस महंगाई के अन्दर वे लोग परेशान हैं। मुख्य मंत्री जी मेरे इस सुझाव

(श्री मानसिंह महार)

को क्रियान्वित करने की कोशिश करें, यही मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब पुलिस विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस विभाग में बहुत सी गड़बड़ियां हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। दुख जरूर इस बात का है कि मुझे उस बात का फिर जिक्र करना पड़ रहा है, डांगीजी के बारे में मैंने बात रखी थी। आपने कहा था कि मैं जांच करके जवाब दूंगा, वह जांच अब तक रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है। आखिर हमारी सब्र का भी तो कोई ठिकाना होता है। आपको सूचना दी थी, जागीरसिंह बूंदी के अन्दर पकड़ा गया। सुच्चासिंह को, जैसी मेरी सूचना है, गंगानगर से गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस ले गई है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): कहां ले गई है? टोरा है।

श्री मानसिंह महार: एक आदमी को गंगानगर से पकड़ा है। नाम नहीं जानता। राजस्थान सरकार को बिना इत्तला दिये पंजाब पुलिस पकड़ कर ले गई है। उसके लिए कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट मीलोज किया है। वह क्यों किया, यह मैं नहीं कह सकता, पंजाब वालों को विश्वास नहीं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं यह क्या केस है, जरा अवगत कराइयेगा। दुर्भाग्य से मैं नहीं रहूं....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आप कहां पधार रहे हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): ऊपर से ऊपर ही उठ रहे हैं क्या?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): तब तो श्रद्धांजलि दे दें।

श्री मानसिंह महार: आपको देकर जाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह: सदन को दो मिनिट खड़ा होना पड़ेगा। सदन एडजॉर्न तो नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य: पांच मिनिट खड़ा होना पड़ेगा। रस्म अदा कर दें।

श्री मानसिंह महार: जनसंघ दल के नेता के लिये तो मैं हाउस एडजॉर्न करवाने की कोशिश करूंगा।

मैं निवेदन कर रहा था डांगी जी के बारे में। लोगों में इस बात का भ्रम फैला हुआ है कि डांगीजी की हत्या के बाद में पहुंचे या पन्द्रह मिनट पहले। वे भाग गये, कोई क्या कहता है, मैं कहना नहीं चाहता। इसमें मैं किसी मंत्री को इन्वोल्व करूं, यह ठीक नहीं है। मुख्य मंत्री इस सदन में बतायें कि उन्होंने जांच की है, उसका क्या परिणाम रहा है। आज नहीं तो दो-तीन दिन में जवाब आ जाय। हम इस बारे में मुख्य मंत्रीजी के मुंह से दो शब्द सुनना चाहेंगे। डांगी जी निर्दोष हैं, यह हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं....

श्री भैरोंसिंह : डांगी जी का पत्र द्वारा एक्स्प्लेनेशन कॉल किया गया है ?

श्री मानसिंह महार : डांगीजी एक्स्प्लेनेशन क्या देंगे, वे तो डर के मारे भाग गये। इसमें एक्स्प्लेनेशन की कोई बात नहीं। पुलिस जांच कर रही है। पन्द्रह-बीस मिनट पहले पहुंचे या क्या, यह हम उनसे ही सुनना चाहेंगे।

मोरल टर्पीट्यूड के बारे में तो मैं क्या कहूं, मोरल की बात ही नही....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मोरेलिटी तो आपके करीब से भी नहीं गुजरती है।

श्री मानसिंह महार : मैं मुख्य मंत्री जी को शर्मिन्दा नहीं करना चाहता, मोरेलिटी की बात करके। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बारे में दो शब्द ही कहें कि, क्या बात थी ?

इसके अलावा मैं निवेदन करूं, पुलिस विभाग राजस्थान का एक विचित्र विभाग है। मैं एक डॉक्यूमेन्ट इस बारे में पेश कर रहा था, लेकिन वह घर पर भूल आया हूं; कल-परसों सदन में पेश कर दूंगा। एक थानेदार साहब जो नागौर में रह चुके थे, उनके बारे में होम डिपार्टमेन्ट "ई" का ऑर्डर है। उन साहब का तबादला किया है। करणीसिंह थानेदार जो इस वक्त में मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में हैं आमेर थाने में विराजमान हैं, सुखदेव मुनि। इन मुनि महाराज को आमेर में लगाया गया है, जिसके लिए होम डिपार्टमेन्ट 'ई' का ऑर्डर है कि इनको किसी थाने पर न लगाया जाय। नागौर के थाने में चार्जेज थे। कत्लों में पैसा खा गये। कई चार्ज थे। वे कागज भी मैं पढ़कर सुना दूं। मेरे पास कॉपी थी। मैं भूल आया घर पर।

गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान होम 'ई' ४

श्री अध्यक्ष : आपने बता दिया कि ट्रान्सफर इस तरह कर दिया। बस बहुत है।

श्री मानसिंह महार : आप कहते हैं तो वैसे ही बता दूं। तो होम 'ई' डिपार्टमेन्ट ने यह कहा कि :

"I am directed to say that Shri Sukhdeo Muni, S.I. of Jalore district who has been recently reinstated ...."

वे मुअत्तिल कर दिये गये थे, फिर रिइन्स्टेट किये गये।

"......should be posted outside Jodhpur Range. He should also not be given a police station for next two years........

Sd./D.N. Upadhyaya,
Assistant Secretary to Govt."

ये हैं। यह ऑर्डर है और उन्हीं मुनिजी महाराज को यहां मानसिह महार के यहां लाकर बिठा रक्खा है जो सुखाड़ियाजी की भी बुराई करे और डिप्टी मिनिस्टर साहब तो खार खाये बैठे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : आप तो इतने कमनीय हैं कि कौन आप पर खार खा सकता है । आप तो कमनीय हैं ।

श्री मानसिंह महार : आपकी तो यह शक्ल और सूरत देखकर गुदगुदी होती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप कॉलेज में पढ़े थे, वहां से पूछकर आया हूं ।

श्री मानसिंह महार : ऑर्डर में साफ कहा गया है कि इनको दो वर्ष तक किसी पुलिस स्टेशन पर इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज देकर नहीं रखा जावे ।

श्री अध्यक्ष : किस तारीख का यह ऑर्डर है ?

श्री मानसिंह महार : २३-८-६३; पर उनको इमीजिएटली आमेर भेज दिया गया और आमेर में किस प्रकार के कारनामे इन्होंने किये, मैं बताना चाहता हूं । उनको देखकर मैं भी दंग रह गया कि यह मुनि भगवान्, मानसिंह ! तेरे लिये कहां से पधार गये । ये तो साक्षात् अवतारी हैं । मैंने जांच की, खोजबीन की, तो मालूम हुआ ये पहले जालौर साइड में थे । वहां सस्पेण्ड हुए और इनके कारनामों को देखकर होम 'ई' सेक्शन ने लिखा कि इनको किसी थाने का इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज नहीं दिया जाय । पर कुछ एम.एल.एज़. की सिफारिशों से कहा गया कि इनको थाने का चार्ज दिया जाय और फिर हमारे थाने में दे दिया गया ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : वे एम० एल० एज़० कौन हैं ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह ये मेरा बहुत टाइम खराब करते हैं । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपका प्रोटेक्शन दिया जाय । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुख्य-मन्त्रीजी से भी करता हूं कि इस प्रकार के आदमी इस तरह से पोस्टेड हो जावें, यह बहुत गलत बात है । आप देखेंगे तो इनके कारनामों का कच्चा चिट्ठा भी इसके साथ मौजूद है । इन्होंने जो जो जुल्म-ज्यादतियां आमेर में आकर ढाये हैं उनसे आपको विदित होगा कि वे कैसे हैं । आप इनको फौरन आमेर से हटाए । होम 'ई' डिपार्टमेन्ट का आदेश, आई. जी. और एस. पी. न मानें, यह घोर अन्याय है और यह हमारी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के साथ भी अन्याय है कि ऐसे करप्ट आदमी को हमारे यहां भेजा गया ।

इसलिये मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस मसले पर वे सदन में प्रकाश डालें और अगर आप न समझे हों पूरी तरह से तो मैं कागज सदन की मेज पर भी रख देता हूं । जो अभी थोडी देर में पहुंच जावेगा ।

एक बात और । उन्होंने मेरी कॉन्स्टी-ट्यूएन्सी में, अध्यक्ष महोदय, यहां तक अन्याय किया है कि एक मारपीट के मामले में उन्होंने एक गांव के अन्दर, ग्राम भगवाड़ा में आतंक पैदा कर रखा है । वहां पुलिस तैनात कर रखी है और वहां पर १६ आदमियों पर झूठे कत्ल के

(श्री मानसिंह महार)

मुकदमे बनाना उन्होंने तय कर रखा है। वहां के सरपंच के भाई बेचारे जयपुर में रहते हैं, नौकर हैं, गवर्नमेन्ट सर्विस में हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाये हैं इन मुनि महात्मा ने। यह मुनि नहीं, यह तो एक डाकू, कातिल है और इसको सुखाड़िया साहब आपको हटाना पड़ेगा अगर आप पुलिस विभाग रखना चाहते हैं तो, वर्ना कहीं ऐसा न हो कि हमें मजबूर होकर आपको भी हटाना पड़ जावे। मैं यह कहना चाहता हूं। यह कोई खास वीक, पोइन्ट नहीं है। हम आपके ही विभाग की बात कहते हैं। आपका ऑर्डर है कि इसको दो वर्ष तक इंडिपेन्डेंटली थाना न दिया जाय और आपके ही उस ऑर्डर की अवहेलना करके उसे आमेर पुलिस थाने में भेज दिया। एस. पी. सोते रहे, डी. आई. जी. सोते रहे, आई. जी. सोते रहे; कोई सुनवाई नहीं है। यह पुलिस महकमा है या क्या है आपका? तो मैं प्रार्थना करता हूं इस पर्टीक्यूलर केस को लेकर कुछ थोड़ा तानिये ग्राप इन लोगों को। आप ज्यादा ढील इन लोगों को मत दीजिये। आप को तो आज ऊपर का भी डर नहीं है। ऊपर का भी समर्थन है आपको। आप क्यों डरते हैं फिर? ग्राप ढिल-मिल क्यों करते हैं? अब तो आप फुल-फलेज्ड हैं। थोड़े स्ट्रिक्ट होइये। पुलिस विभाग यों नहीं चलेगा। तो यह हुआ।

अब मैं आता हूं अध्यक्ष महोदय, एन्टी करप्शन में। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि एन्टी करप्शन विभाग जो है वह एक ऐसा विभाग है कि जिससे आशाएं हमने क्या लगाई थीं, पर हम देखते हैं कि यह विभाग हमारी उन आशाओं के विपरीत निकला। इस विभाग से तो अधिकतर कोई किसी एल. डी. सी. या पटवारी के रिश्वत का मामला आ जावे तो बहुत कुछ कर लेगा, पर बड़े अधिकारियों पर हाथ डालने में यह भी असफल रहा है। अभी लीजिये सामोद में एक विचारा पटवारी एन्टी-करप्शन में पकड़ा-गया, बेचारे को सस्पेण्ड कर दिया। पर जहां बड़े अफसरों को पकड़ने का मौका आता है वहां कुछ नहीं। यह ढीला पड़ जाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी ग्राप चाहे एन्टी करप्शन विभाग बना लीजिये, विजिलेन्स कमीशन बना लीजिये, चाहे ग्राप सेक्रेटेरियेट में क्या बनाया है, ढकोसलेबाजी कुछ भी बना दीजिये, कुछ नहीं होने जाने का। मैं फिर से कहता हूं, आप एन्टी-करप्शन विभाग के पास एक लाख रुपयों का एक फण्ड रखिये। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़े बड़े अफसरों को उस पैसे में से रिश्वत देकर पकड़ाऊंगा ग्रौर रिश्वत किस तरह से वे खाते हैं, यह साबित करूंगा। आज कौन उनको पकड़ाने की हिम्मत करे, गरीबों के पास पैसा नहीं। हम जैसे गरीब आदमी इस विभाग से रिश्वत देने के लिये पैसा मांगते हैं वह देते नहीं। उनकी रिश्वत कोई छोटी-मोटी होती नहीं। कौन अपना दस-बीस हजार रुपया देकर दस वर्षों तक फंसा रखेगा। तो इसलिये मैं कॉन्क्रीट सुझाव यह देता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि

(श्री मानसिंह महार)

एन्टी-करप्शन विभाग वास्तव में करप्शन को पकड़े और बड़े बड़े करप्शन को पकड़े तो कम से कम एक लाख की धनराशि आप उसको दीजिये जिसमें से रुपया निकाल कर रिश्वत मांगने वाले अफसरों को वह देकर उनको पकड़ा सकें। जब तक यह नहीं होगा तब तक दस–बीस रुपया देकर छोटे-मोटे केस जरूर पकड़ा सकते हैं, बाकी बड़े केस नहीं पकड़ पावेंगे आप। तो मेरे इस कॉन्क्रीट सुझाव पर आप गौर करिये।

अब मैं आता हूं राजस्थान की सी. आई. डी. की ओर अध्यक्ष महोदय, और मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सी. आई. डी. कमाल की 'सी. आई. डी. है। क्या सी. आई. डी. करते हैं ? मैंने जिक्र किया, लेकिन मुख्य मन्त्रीजी ने एक लफ्ज नहीं कहा। आपके सी. आई. डी. का एक हैड कॉन्स्टेबल महादेवसिंह यह कहे कि महारानी गायत्री देवी का मानसिंह महार कत्ल करा देगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : यह तो मामूली बात है।

श्री मानसिंह महार : आपके ही इलाके हनुमानगढ़ के लिये कहा था। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था इस सदन में, लेकिन कोई जांच आपने नहीं कराई, कोई पड़ताल नहीं कराई। अब इस प्रकार हमको पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन कराना चाहते हैं आप। एक सी० आई० डी. का आदमी जाकर कहे कि मानसिंह यह कर रहा है। क्या अधिकार था उसको, क्या आधार था उसके पास कि इस तरह की बात कहे ? इसका नाम महादेवसिंह है। सी० आई० डी० में नौकर है। आप हमारा पोलिटिकल विक्टीमाइजेशन करना चाहते हैं। आप यह चाहते थे कि वह हनुमानगढ़ में कुम्भारामजी के खिलाफ न जावे। इससे बढ़ कर शर्म की बात और क्या हो सकती है ? मैं आशा करता हूं कि आज भी आप इसका जवाब देंगे।

इस सी० आई० डी० में अध्यक्ष महोदय, क्या है ? यह एक प्रोमोशन का केन्द्र है। कोई कॉन्स्टेबल से हैड-कॉन्स्टेबल बनना चाहे तो सी० आई० डी० में तबादला करा ले; ३ महीने में हैड कॉन्स्टेबल बना दिया जावेगा। कोई भी हैड कॉन्स्टेबल सी० आई० डी० में जाता है तो बीस दिनों में सब–इन्सपेक्टर बन जाता है। इस तरह से और बाकी के लोगों का हक मारा जाता है। अगर मैं गलत कहता होऊं तो मुख्य मन्त्रीजी से आप गत पांच वर्षों का इस विभाग का रिकॉर्ड देख लीजिये कि कितने हैड–कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल को प्रोमोशन कितने अर्से में इस विभाग में मिला है और अगर आप में क्षमता नहीं हो, सही लिस्ट और सही रेकॉर्ड मंगा कर देखने की, तो मुझे प्रेम से फर्मा दीजियेगा, मैं आपके घर वह सारा रेकॉर्ड पहुंचा दूंगा। यह हालत है आपके इस विभाग की। जो सी० आई० डी० में आ जावे उसको फौरन प्रोमोशन और जो थानों में अपनी जान जोखिम में डाल कर बैठे हैं वे पड़े रहें, यह कहां तक ठीक है ? यह मैं फैक्ट बता रहा हूं। अगर मैं गलत होऊं

(श्री मानसिंह महार)

तो मुझे आप कहें मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा। तो ये सी० आई० डी० के बारे में मैंने चन्द शब्द कहे।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करूं इससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं जो कि मैंने स्पेसिफिकली अपने कट मोशन्स में रखी हैं। वह यह है कि आपने जो एक तरीका अपनाया है कि देहातों के अन्दर हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोले जायें, वे पैसा दें वहां खोले जायें। यह घोर अन्याय है और मैं इसका विरोध करता हूं। जो सरकार इस प्रकार की नीति अपनाती है कि शहरों में यूनीवर्सिटीज खोली जायें, कॉलेजेज खोले जायें, हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोले जायें, आप वहां पर बिल्डिंग भी बना दें, सब कुछ कर दें और एक पैसा भी नहीं लें और बेचारे गरीब देहाती जिनके वोटों पर आप जीतते हैं, जिनको गुमराह करके और धोखा देकर इस सीट पर आप बैठते हैं, वहां पर हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने की प्रार्थना की जाये तो कहते हैं कि २५ हजार रुपये लाओ, ३० हजार रुपये लाओ या फिर किसी डिप्टी मिनिस्टर की सिफारिश लाओ। जैसे धोली, तहसील बैराठ में खुली, उसके पास ही राड़ावास में भी हायर सैकन्डरी स्कूल खुल जाये क्योंकि एक उप-मंत्राणी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं कि उनके यहां हायर सैकन्डरी स्कूल न हो। मैं कहता हूं कि आमेर कॉन्स्टीट्युट–एन्सी में एक भी हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है। आप धड़ाधड़ उदयपुर में खोल दें और इधर-उधर खोल दें और एक वाजिब मांग करें उस ओर ध्यान भी नहीं दें। यह भी नहीं बताते कि कब खोलेंगे। आपने एक गलत परम्परा डाल दी है कि एम. एल. ए. का कर्तव्य यह है कि किसी की नौकरी की सिफारिश कर दें, किसी के प्रोमोशन की सिफारिश कर दें, किसी के तबादले की सिफारिश कर दें। मैं मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि यह किसी एम. एल. ए. का काम नहीं है कि तबादले में पड़ें या और कुछ करें। उसका काम यह है कि उसके इलाके में जो अभाव-अभियोग हैं वे सदन में आपके सामने रखें और अगर उसकी मांग उचित हो तो वह चाहे विरोधी पक्ष का हो या स्वतन्त्र पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, उसकी मांग को आप सही ढंग से मानें और जो उचित हो वह करें। अगर इस तरह से करते हैं तो डेमोक्रेसी देश में पनपेगी। आप कहते हैं कि यहां तो अराजकता फैल रही है तो उसके जड़-मूल तो आप ही हैं। आप डेमोक्रेसी को जिन्दा नहीं रखना चाहते है, आप उसकी छाती में छुरा भोंकना चाहते हैं, आप एम० एल० ए० को गलत रास्ते ले जाकर डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि हम जो वाजिब बात शिक्षा के बारे में कहते हैं, मैं कहता हूं कि आज अध्यापकों की तनख्वाह चपरासी के बराबर है इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है? आप करोड़, दो करोड़ की रकम तो कहीं भी बकाया निकाल लोगे लेकिन दस दस रुपये आपसे उन अध्यापकों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है। लेकिन करें क्या आज सत्ता आपके हाथ में है, शासन की बागडोर आपके हाथ में है और

(श्री मानसिंह महार)

हम मजबूर हैं। हमारे प्रान्त की जनता भोली है । वह पैसे और गाड़ियों की जगमगाहट के धोखे में आ जाती है लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका की तरह जब वह अपने फ्रेन्चाइज का इस्तेमाल करना सीख जायेगी, उस दिन आप भी यह शहर की बिजली की कोंध में बैठना भूल जाओगे और आप गांवों में जाकर शिक्षा का प्रसार करोगे । यह मैं आपको चेतावनी देता हूं । यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है लेकिन क्या किया जाये! आप सुनते नहीं, अध्यापकों की तनख्वाह बढ़ाते नहीं । आप उनका पॉलीटिकली तबादला करते हैं, उनको परेशान करते हैं और प्राइवेट इन्सटीट्यूशन्स का तो कहना ही क्या ? जो प्राइवेट इन्सटीट्यूशन्स आपके लाडलों के बनाये हुए हैं उनको तो आप ६० परसेन्ट तक एड दे देते हैं और जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स आपके विरोधी चलाते हैं उनको आप ४० परसेन्ट भी रोते रोते एड देते हो । आप क्यों नहीं इस प्रणाली को समाप्त करते हैं ?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : एक उदाहरण तो दें ।

श्री मानसिंह महार : सवाई माधोपुर में बाल मन्दिर चल रहा है उसको आप ४० परसेन्ट सहायता देते हैं और हट्टूंडी को ६० परसेन्ट एड मिलती है। क्योंकि वह तो गरीबों का एक इन्सटीट्यूशन है और यह एक मंत्रीजी का है । आप उदयपुर में चलो, आप जहां भी जाना चाहें जाओ सब जगह यही स्थिति है । मगर मैं नहीं चाहता कि इन्डीविजुअल केसेज में जाऊं । बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफी होता है और समझदारी इसी में है कि वे कोई भूल करते हों तो उसको वह सुधार लें । अध्यक्ष महोदय, मैं फिर उस चीज को रिपीट करूंगा कि संस्कृत पाठशाला जीतवाड़ी के लिए प्रश्न किया कि वहां के हैडमास्टर और व्यवस्थापक ने सरकार को धोखा देकर एड ज्यादा ले ली । वे कांग्रेसी विचारधारा के हैं और इस सरकार के पिट्ठू हैं । बेचारे संस्कृत एजूकेशन के डाइरेक्टर भी तड़पड़ाते हैं । कभी किसी का टेलीफोन आ जाता है और कभी किसी का आ जाता है । बेचारे टेलीफोन से परेशान हैं । मिर्धा साहब जो नये नये शिक्षा के मंत्री बने हैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब आपने यह मालूम कर लिया कि इस आदमी ने ऐसा धोखा किया है और गलत हिसाब देकर अधिक पैसा ले लिया तो उस आदमी का चालान क्यों नहीं किया गया ? ४२० जिसने की और जो स्थापित हो गई ओन रेकॉर्ड और जो डाइरेक्टर संस्कृत एजूकेशन हैं वे उस आदमी का चालान नहीं करावें, उसको शील्ड करें, उस डाइरेक्टर को डिसमिस कर देना चाहिए । अगर मैं गलत हूं तो मैं कहता हूं मुझे भी इस हाउस को डिसमिस कर दिया जाये । इस्तीफा नहीं दूं तो आप डिसमिस कर दो, यह मैं मानता हूं; लेकिन वह डाइरेक्टर, संस्कृत एजूकेशन ऐसे आदमी को शील्ड करें और उस आदमी का ४२० में चालान नहीं किया जाये । यह मामला है संस्कृत पाठशाला, जीतवाड़ी, तहसील आमेर का इसे आप नोट कर लें । साबित हुआ-हुआया केस है: लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री मानसिंह महार)

आपके घंटी बजाते ही मैं समझता हूं कि इस सरकार की कान पर अब तो जू रेंगेगी। यह कह कर मैं अपना भाषण समाप्त हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के बजट सत्र में पुलिस महकमे के लिए १ करोड़ २५ लाख रुपये अधिक बढ़ाये जायें इसके अलावा, आर० ए० सी० का सारा खर्चा ६२ से केन्द्रीय सरकार ने उठाना स्वीकार कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के विभाग के सम्बन्ध में यह आवश्यक हो जाता है कि आज एक ओर तो आर० ए० सी० के सारे खर्च का भार हमारे कंधों से उतर चुका है और दूसरी तरफ हमें पर्याप्त खर्चा प्राप्त हुआ है आगे सुधार करने के लिए तो हम पुलिस विभाग के पिछले कार्य को गंभीरता से देखें। राज्य के योग्यतम डी० आई० जी० श्री संतराम ने २३ जनवरी को जो बयान दिया है उसमें उन्होंने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि राज्य के अन्दर अपराधों की संख्या बढ़ी है, कुछ डाकू ज्यादा पकड़े गये हैं लेकिन डकैतियां बढ़ी हैं और इसके साथ साथ व्हाइट कॉलर काइम एक नये शब्द का इजाद भी उन्होंने किया है। यह विकास के कार्यों के साथ बढ़ा है। उनके विश्लेषण के अनुसार अपराध बढ़ने के लिए एक हवा चलती है। ५८ में हवा चली ५६ में वह हवा बन्द हो गई। अपराध हवाओं से भी अधिक हुआ करते हैं।

व्हाइट कॉलर काइम के बारे में जब मैंने उनके बयान को पढ़ा तो मैंने यह सोचा कि कहीं वह पंचायती राज्य की जड़ों पर तो चोट नहीं करना चाहते, लेकिन मैं उसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि विकास का धन जहां हमने अधिक दिया है उसके साथ साथ सरपंचों और प्रधानों के द्वारा टेक्निकल चीजों को अन्डरस्टैण्ड नहीं करने के कारण ये काइम अधिक बढ़े हैं।

एक बात तो उन्होंने बड़ी स्पष्टता से स्वीकार की है और वह बात यह है कि जहां राज्य के मुख्य मंत्री ने सट्टा और जुआघरों को पकड़ने के लिए ये नये आदेश दिये हैं कि सी० आई० डी० भी इस कार्य में सहयोग दे, वहां स्पष्टतः उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि देश का कानून, राज्य का कानून इस प्रकार का है कि सट्टा और जुआघरों को पकड़ा नहीं जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम वास्तव में राज्य की काइम की स्थिति को देखें तो काइम के आंकड़े हर दिशा के अन्दर बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां सन् १९६१ में डाके ५६ पड़े वहां डाके ६२ के अन्दर ६५ पड़े, ६३ के अन्दर १०० पड़े। डाके अधिक पड़े तो डाकू भी अधिक पकड़े गये। लेकिन दूसरे क्षेत्रों के अन्दर जहां पर लूट का सवाल है इसके आंकड़े पहले से लीपिंग तौर से बढ़ते चले गये। जहां लूट ६१ के अन्दर ३४४ थी वहां लूट के ६२ के अन्दर ५०१ केस हुए और वैसे, ही लूट के केसेज लीपिंग के आधार पर बढ़े हैं और ६३ में ६०६ लूट के केसेज हुए।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

इसके अतिरिक्त मर्डर्स के आंकड़ों के अन्दर इरेटिक रूप से मर्डर हुए। ६१ में ४४६ मर्डर्स हुए तो ६२ में ५१७ हुए और ६३ में मर्डर ४४८ हुए। शायद हवा वाला फार्मूला मर्डर के मामलों पर कायम है।

दंगों को लें तो पहले से बढ़े हैं और काफी तादाद के अन्दर दंगे बढ़े हैं, और दूसरे चोरियों और सैन्ध के केसेज पहले के आधार पर बहुत अधिक बढ़े हैं। जहां ६१ के अन्दर चोरी और सैन्ध के केसेज ११६२३ थे वहां पर ६२ में चोरियों के केसेज १२७६२ हुए और ६३ के अन्दर चोरियों के केसेज १३४४६ हुए।

(२.३१ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके साथ साथ अगर, उपाध्यक्ष महोदय, हम यह गौर करें कि हमारे राजस्थान की स्थिति दूसरे राज्यों के हिसाब से क्या है ? प्रति हजार वर्ग मील के अन्दर सारे राज्य में कितने क्राइम हुए, प्रति हजार आरक्षी के ऊपर हमारे राज्य में कितने क्राइम होते हैं, प्रति एक लाख की आबादी के हिसाब से हमारे राज्य में क्राइम के आंकड़े क्या हैं ? तो इस हालत के अन्दर राजस्थान में स्थिति निहायत दुर्लक्ष्यपूर्ण है। जहां दूसरे राज्यों में प्रति एक लाख की आबादी पर ५६.३ क्राइम हैं वहां राजस्थान के अन्दर और पंजाब में जो राजस्थान से बिल्कुल लगता हुआ है, तो राजस्थान में यह १२३.८ है, किसी भी राज्य के मुकाबले में, दिल्ली में ६१५ है। एक लाख की आबादी पर क्राइम की स्थिति यह है। इसके अतिरिक्त हजार वर्ग मील के अन्दर क्राइम की स्थिति और हजार आरक्षी पर क्राइम की स्थिति को देखें तो जहां राजस्थान में ६५०० है वहां दूसरे राज्य से हर जगह कम है यह। तो उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम इस क्राइम का विश्लेषण करें तो यह कोई विकास के धन के कारण क्राइम बढ़े हों, ऐसी बात नहीं है। राज्य की आर्थिक स्थिति एक कारण है। दंगे बढ़ने के आधार पर और दूसरे प्रकार के क्राइम के आधार पर उसका सारा विश्लेषण इस आधार पर नहीं किया जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट का पोटेन्शियल बढ़ता जाये, जैसा कि पहले सिक्स्थ सेम्पल सर्वे सन् ६१ में, जहां आंकड़े ०.२६ हैं, लेकिन वह सिक्स्टीन्थ इस सेम्पल सर्वे में वह आंकड़े १.६० हो जायें और तीसरी योजना की समाप्ति पर हम ८ लाख बेरोजगारों का बैकलॉग क्रियेट कर दें बावजूद सारे आश्वासनों के, वहां इस चीज पर एक गम्भीर इम्पेक्ट होता है।

डकैतियों के सम्बन्ध में राज्य वाह-वाही ले सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि डकैतियों के प्रकार में आज भी तब्दीलियां नहीं हुई। यहां वहां १०–२० डाकुओं ने समर्पण कर दिया, १०-२० डाकू पकड़ लिये गये, लेकिन जिस प्रकार डाकू जगमालसिंह बीकानेर के अस्पताल में ऑपरेशन कराये, देशनोक की देवी के आगे माथा टेके, लखावर में खड़े होकर मन्दिर बनवाये और पकड़ा जाये तो तब पकड़ा जाये जब कि पाकिस्तान की पुलिस कोऑपरेट करे और

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सजा मिलती है १८ साल की तो पाकिस्तान के अन्दर। आज भी वही स्थिति डाकुओं की राज्य के अन्दर मौजूद है। बहादुरसिंह डाकू बना झन्भेऊ काण्ड के बाद। हरिजनों पर जुल्म हुआ। पुरानी जागीरदारी परम्परा कायम थी। कालूराम को मारा। झन्भेऊ गांव के अन्दर पोस्ट मौजूद थी। बहादुरसिंह ने कालूराम के लड़के मूलाराम पर गोली वर्षा की। उसके बाद यह हुआ कि राजस्थान में यह बहादुरसिंह नोखा, डूंगरपुर और लूनकरणसर में लगातार धन का मास कलेक्शन करता रहा, वह भी हरिजनों के द्वारा और राजनैतिक लोगों को और दूसरे लोगों को धमकी दे मौत की ! डूंगरपुर के उपप्रधान को पत्र आये मौत की धमकी का ! वह डूंगरपुर के सरपंच को मौत की धमकी दे और डिप्टी मिनिस्टर दौलतराम सारण को मौत की धमकी दे। डाकू बहादुरसिंह चौथ और तावान उसी रूप में वसूल करता रहे ! अगर जगमालसिंह डाकू कोडमदेसर तक १० मील तक आ जाये, तथा देशनोक की देवी के सामने माथा टेके, बीकानेर के अस्पताल में ऑपरेशन करवाये, लखावर में खड़ा होकर अपना मन्दिर बनवाये, यह सब पुलिस के अधिकारियों की सहायता के बिना, पुलिस अधिकारियों की मदद के बिना, लोकल लोगों की मदद के बिना-असम्भव था। इसी प्रकार से बहादुरसिंह इस प्रकार की हिम्मत करे और बिना लोकल पुलिस की सहायता के इस प्रकार की हिम्मत करे यह चीज सम्भव नहीं है। बीकानेर के एस० पी० कश्यप साहब बहादुरसिंह का पीछा करते करते जैसलमेर को चले जायें और वहां बहादुरसिंह अचानक गायब हो जाये, यह क्या रहस्य है ? मैं इस सदन में चैलेन्ज से कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि बहादुरसिंह को दूल्हेसिंह खुद अपनी जीप में बैठा कर पाकिस्तान ले गये और पाकिस्तान के अन्दर सरन्डर कर दिया और जब बहादुरसिंह के लिए डिमाण्ड किया गया कि बहादुरसिंह को वापिस दे दो तो पाकिस्तान की ऑथोरिटीज ने इस बात को कहा कि इसी बहादुरसिंह को आपके खुद के एस० पी० दूल्हेसिंह छोड़कर जायें तो बहादुरसिंह को वापिस कैसे करें। नाचना के थाने के क्षेत्र में नाक-कान काट लिए जायें। एक विश्नोई के नाक-कान काट लिए जायें, मेघवाल के नाक कान काट लिए जायें, ये क्या घटनाएं थीं ? उसी बहादुरसिंह का राजनैतिक दुरुपयोग किया जाता है जो कि मैंने सदन में दोहराये हैं। जगमालसिंह के द्वारा धमकियां दी जाती हैं कि हुक्माराम इलेक्शन में नहीं आता है तो ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि दूल्हेसिंह अपनी गाड़ी में उसको पाकिस्तान सौंप कर आया, इसके बारे में किन तथ्यों के आधार पर इस बात को कहा जाता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मुख्य मंत्री, मेरी सारी बात अपने आप में तथ्य हैं कि बहादुरसिंह आज जिस तरफ घूम रहा है, वह दूल्हेसिंह के थाने के नीचे है। वह स्वयं के अन्दर एक बहुत बड़ी घटना है। नाचना के थाने के क्षेत्र में जब मेघवाल और विश्नोई के नाक कान कट गये....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने एक बात बड़ी ग्रेव व सीरियस कही है कि दूल्हेसिंह ले गया और पाकिस्तान वालों को सौंप दिया; आपके पास इस बात को सब्स्टेन्शियेट करने के लिए क्या मेटीरियल है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसको सब्स्टेन्शियेट करने के लिए मेरे पास काफी मेटीरियल है कि २४ घन्टा पहले बाकायदा दूल्हेसिंह को सूचना दे दी और जब नाचना थाने के क्षेत्र में मेघवाल के नाक-कान कट गये उसकी सूचना दे दी तो पूरे २४ घन्टों के बाद में एस.पी. घटनास्थल पर पहुंचते हैं। मेघवाल टीबों पर पड़े रहे, रक्त बहता रहा उनके नाक और कान कटने की वजह से। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें हैं जो इस बात को सूचित करती हैं; बल्कि मेरी सूचना तो यहां तक है, मुख्य मन्त्री जी जानकारी कर लें, बीकानेर के एस. पी. ने स्वय कम्पलेन्ट की है जिसकी जानकारी आपको अधिक होनी चाहिये कि बहादुरसिंह का पीछा करते करते जब वह जैसलमेर गया तो खुद एस. पी. ने उसकी सहायता करके उसको पाकिस्तान पहुंचाया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त राज्य में आज सुरक्षा की क्या स्थिति है ? आज जब कि पाकिस्तान हमारे लिये ज्यादा गम्भीर चिन्ता का विषय होता चला जारहा है और पेकिंग से वापिस आने के बाद अयूब खां का रवैया हमलावर होता चला जा रहा है, मैं आपके सामने एक गम्भीर बात रखना चाहता हूं। एक जे० डी० सेवियर, सेवन्टीन्थ पूना होर्स में पार्टिशन से पहले कैप्टिन थे, वे क्रिश्चियन्स थे। उनको इस बात का ओप्शन दिया गया कि वे भारत में रहें या पाकिस्तान में चले जायं। वे पाकिस्तान चले गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या नाम बताया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केप्टिन जे० डी० सेवियर।

१६ जनवरी, ६४ को वे एक इण्डियन आर्मी की जीप में नागौर जिले में आते हैं और लाडनूं तहसील के खामरोद गांव में एक केसरसिंह एक्स आर्मी ऑफिसर की मैरिज का बहाना बनाकर आते हैं। वे नागौर, लाडनूं, डीडवाना, परबतसर, कुचामन के गांवों में तीन दिन तक बहुत से आर्मी ऑफिसर्स के घरों में जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपके कौन कौन से आदमी चाइना बोर्डर पर मारे गये और उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से आदमी आपके चाइना बोर्डर पर गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस से यह बात छिपी हुई हो, यह गलत है। राष्ट्रदूत में ये समाचार प्रकाशित हुए थे, उसको दिया भी मैंने ही था। उसके बाद भारत सरकार के अधिकारी जिन्होंने नाम पता नहीं बताया, मेरे पास आये और कहा आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा ताज्जुब है, आप मेरे पास कमरा नं० ६१ में पूछ-ताछ करते है, आप तहसीलों में जाकर तलाश करिये, जहां यह आदमी तीन दिन तक घूमता रहा और

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

समाचार और तथ्य लेता रहा। मैं कमरे में बैठा क्या तथ्य देता, क्या आपने तहसील में जाकर जानकारी हासिल की है? अगर नहीं तो वहां तशरीफ ले जाइये और तहकीकात करिये। उपाध्यक्ष महोदय, देश की इन परिस्थितियों में यह गम्भीर बात हैं।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, एक एडजोर्नमेन्ट मोशन पाकिस्तान के बोर्डर के बारे में आया था, हरिनारायण जोशी ओर सरोज जोशी के पत्रों की फोटोस्टेट कॉपीज़ सदन की मेज पर रखी गई थीं। राज्य के मुख्य मन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि ये उनके पास पहुंचे थे, ओरीजिनल डॉक्यूमेन्ट बताये थे, ये मेरे पास मौजूद है। उनको ६ महीने हो गये हैं; बीच में एक दुर्घटना होती है, इन पत्रों को पुलिस अधिकारी को सौंपने के बाद वह लड़की सरोज जोशी एक्सीडेन्ट से जल कर मर गई। उसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। कुछ तो यह कहते हैं कि वह एक्सीडेन्ट में जल कर मरी नहीं, बल्कि मार डाली गई। यदि सारी बातों का विश्लेषण किया जाय तो यह मालूम होगा कि एविडेन्स खत्म करने के लिये पेट्रोल छिड़क कर उसको मार डाला गया है। उसके पिता एक संदिग्ध व्यक्ति हैं। वे अपने आपको मेडिकल मन बताते हैं। नागपुर युनिवर्सिटी से मेडिकल डिप्लोमा एल. एस. एम. लिया हुआ बताते हैं, लेकिन वे नागपुर युनिवर्सिटी के एल. एस. एम. नहीं हैं। वे जयपुर से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, वापिस आते नहीं हैं। इसके अतिरिक्त और भी अफवाहें गर्म हैं। हैदराबाद से उनके खिलाफ वारन्ट है। वे गाढ़ा हुआ धन भी बताते हैं। ज्योतिष और डाक्टरी का धन्धा करते हैं और उससे उनको धन भी काफी मिलता है। खुद उनकी लड़की का लिखा हुआ पत्र आपको पढ़ कर सुनाता हूं जो उसने अपने पति को लिखा था....

एक माननीय सदस्य : पिता को लिखा या पति को ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पति को क्योंकि इसमें 'प्रेयसी' शब्द है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इसका जवाब दे दिया गया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप सुनिये, इसमें लिखा है :—

"शादी के बाद मैंने अपने आपको संभालना चाहा, ३ जुलाई ६३ को अपने आपको रोकना भी चाहा और आपके साथ गई। यह तो आपको मालूम ही है कि उन्होंने मेरे चले जाने पर हम लोगों को किस कदर मारा था। माह मार्च से मेरा सम्बन्ध आचार्य हरि से कराया गया। दरअसल में मेरे पिता और आचार्य हरि एक ही गिरोह के हैं जिनका धन्धा ४२० और औरतों के साथ अनैतिक व्यवहार, व्यभिचार करना है। मेरे भाई हरिनारायण ने मुझे मजबूर किया और मैं यह कार्य करने लगी। इस समय पाक जासूसी, व्यभिचार में पूरी मदद देती हूं। अब तक १० व्यक्तियों को मैंने अपना शरीर बेचा है। इस जरिये से धन कमाना मैं बुरा नहीं समझती..."

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मैं दूसरी बातें जो इसमें लिखी हैं नहीं पढ़ना चाहता। सदन की मेज पर यह पत्र रखता हूं। इससे पता चलता है कि उसके पिता कैसे हैं, क्या उनका कैरेक्टर है, उसके पिता डॉ० काशीराम क्या कार्य करते हैं, यह इस पत्र से पता चलता है। श्री हरि जोशी जो एक संदिग्ध व्यक्ति हैं जो एक संस्था चलाते हैं, शिक्षा संस्था; उनकी शिक्षण संस्था में गम्भीर घटनाएं हुई है, कई लड़कियों के बारे में। हरि जोशी, सरोज जोशी, हरिनारायण जोशी, उनके पिता कैसे लोग हैं। मैं सरोज जोशी का एक और पत्र आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूं……

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं पिछली बार स्पीकर महोदय ने कहा था कि जिस महिला के पत्र का जिक्र कर रहे हैं वह खुद आज संसार में नहीं है और इन पत्रों के बारे में जो कुछ जानकारी की गई वह मैंने पिछली बार सदन को दी है तो आज जो लड़की संसार में नहीं है उसके पत्र यहां रखने से लाभ नहीं होगा बल्कि निरर्थक भ्रम फैलेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह सही है कि वह महिला संसार में नहीं है, वह महिला जला दी गई, मार डाली गई, या मर गई, लेकिन श्री हरि संसार में हैं, काशीराम उनके पिता संसार में हैं, डॉ० काशीराम और हरिनारायण जोशी उनके पुत्र आज भी संसार में हैं और वे इस रूप में, इस संसार में, इस भारतवर्ष में, इस राजस्थान में, इस जयपुर में हैं और वे देश के लिए खतरा हैं। वे गहरी जासूसी से संबंध रखने वाले लोग हैं। इस सदन में उनके पत्र पढ़ कर सुनाने पड़े। ६–६ महीनों तक इतनी गम्भीर इन्क्वायरी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास पड़ी रहे और जब पूछें तो दो शब्द कहें कि सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स में आने वाला मामला है, वे व्यक्ति वाकई संदिग्ध हैं, यह स्वीकार करते हैं। होम मिनिस्टर साहब को पत्र दिये ६ महीने गुजर जायं और उस बारे में कुछ भी नहीं किया जाय, उस ओर सदन का ध्यान दिलाने के लिये मैंने पत्र पढ़कर सुनाया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। एक तरफ डाके, दूसरी तरफ सुरक्षा और हम डाकुओं को पकड़ने का गौरव प्राप्त करें। इतना ही नहीं मैं अर्ज करूं, मैंने सदन का ध्यान बार बार दिलाया है कि सूरतगढ़ फार्म के जनरल मैनेजर कर्नल इकराम रजा बहुत ही संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके संबंध में मैं एक इश्तिहार रखना चाहूंगा :—नेहरू की मौत पर जश्ने मयनोशी मनाने वाला, इन्साफ और इन्सानियत का दुश्मन, अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद की खोफनाक तस्वीर कर्नल इकराम रजा, गंगानगर का बच्चा २ जानता है कि जिस वक्त माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वर्गवास हुआ, उस समय कर्नल इकराम रजा लगातार दो रोज तक हिरन, तीतर, बटेर का शिकार करता रहा।

बाईस हिरण उस क्षेत्र के अन्दर मारे हैं और कर्नल इकराम रजा की जीप कई बार पाकिस्तान की सीमा पार करती हुई पाई

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गई है। कई बार पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल इकराम रजा के डेरे पर देखे गये बताये हैं। जैसा मैंने सरदारगढ़ के बारे में पहले जिक्र किया, मैंने सरदारगढ़ के बारे में बार बार कहा है कि १६५५ के बाद भी सरदारगढ़ के अन्दर वहां के मुसलमान कानूनगो की मदद से, वहां के मुसल–मान पटवारी की मदद मे पाकिस्तान से आने वाले बहुत से लोगों की मालगुजारियां और गिरदावरियां दर्ज की गई हैं। और एक रहमत नाम के व्यक्ति को पाकिस्तान सरकार बराबर मांग रही है जिसने पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े डाके डाले हैं लेकिन उसको लगातार वहां प्रोटेक्शन दिया गया है। वहां के नेता निजाम साहब को गंगानगर का बच्चा बच्चा जानता है, गंगानगर का कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जिसके यहां निजाम साहब की राठी गाय न बंधी हो। उनके यहां बहुत से संदिग्ध लोग आते हैं। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान से पेशावर के बने हुए ३२ बोर रिवॉल्वर, सोने और दूसरी चीजों का धन्धा होता रहता है और सरदारगढ़ स्मगलिंग और स्मगलर्स को प्रोटेक्शन देने का एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तब भी क्यों नहीं निजाम साहब के खिलाफ इन्क्वायरी शुरू हुई। निजाम साहब की इन्क्वायरी कराने के बजाय राज्य के गृह मन्त्री ने योगेन्द्रनाथ हांडा की इन्क्वायरी कराने के लिए एस. पी. को भेजा कि योगेन्द्रनाथ हांडा ब्लैक करता है, गंगानगर में डी. आई. जी. को भेजा इन्क्वायरी करने के लिए कि योगेन्द्रनाथ हांडा ब्लैक करता है। लेकिन स्पेशल ब्रान्च ने योगेन्द्रनाथ हांडा के लिए यह रिपोर्ट की, योगेन्द्रनाथ हांडा के दुश्मनों से भी पूछा तो सबने यह कहा कि योगेन्द्रनाथ हांडा ब्लैक नहीं करता है, वह पचास हजार का मकरूजा है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि हमने गांवों में जाकर देखा है कि गांव के लोग और हरिजन योगेन्द्रनाथ हांडा को एक देवता के रूप में मानते हैं.......

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या कहने !

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या कहने। अपने मुंह मियां मिट्ठू।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखवाइये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : पूजा करना बाकी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरदारगढ़ में इस तरह के संदिग्ध आदमियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। निजाम साहब और दूसरे वहां रहने वाले लोगों की इन्क्वायरी नहीं हो सकती, उनकी जांच-पड़ताल नहीं हो सकती और पता नहीं क्यों उनकी जांच करने के लिए स्पेशल पुलिस नहीं जा सकती। जो राजस्थान के बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो गंगानगर के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके यहां उसकी राठी गायें बंधी हैं, जो आठ आठ सेर दूध देती हैं....

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) : किनके ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अधिकारियों के।

श्री दौलतराम सारण : आप उनका नाम तो बतायें। आप हमेशा यों ही बात कह देते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं नाम क्या बताऊंगा; आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको दिखा देता हूं।

श्री दौलतराम सारण : आपको नाम बताने चाहिए। आपने जनरल बात कह दी कि अधिकारियों के यहां गायें बन्धी हैं। आपको तथ्यपूर्ण बात रखनी चाहिए। यह नहीं कि आप यों ही चलती बात कह दें और नाम नहीं बतायें। यह ठीक तरीका नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा तरीका ठीक नहीं है क्योंकि आपके यहां गाय नहीं पहुंची। इसलिए नाराज़ नजर आते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं व्यक्तिगत जानकारी पर कह सकता हूं कि वे गाय लेने वाले नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वे खुद गाय हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह बात ऐसी मालूम होती है....

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इनको ऐसे आरोप लगाने की आदत है। एक तरफ उनका सम्बन्ध पाकिस्तान से बताया जा रहा है, उनका स्मग्लिंग से सम्बन्ध बताया जा रहा है और उसमें अधिकारियों को यह कह कर इन्वोल्व किया जा रहा है कि उनके यहां गायें बंधी हुई बताई जाती हैं। इनको स्पष्ट रूप से नाम बताना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप यह चाहते हैं कि यह नाम बता दें ताकि वह उन्हें इधर उधर कर दें। आप रात को यहां से टेलीफोन कर दें और वह इधर उधर कर दें क्योंकि इन्होंने सदन में नाम कहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं दौलतराम सारण को दावत देता हूं। अपने खर्चे पर मैं आपको गंगानगर ले जाऊंगा...

श्री दौलतराम सारण : मुझे दावत लेने की आदत नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं, दावत खाने की आदत है। दावत देने की आदत नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : वह भी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और आपको मैं, जिस अधिकारी के यहां चले, उसके यहां बताऊंगा। आप पटवारी के यहां चलिये, कानूनगो के यहां चलिए, पेशकार के यहां चलिये–और एक तहसील में नहीं और सारे गंगानगर की नौ तहसीलों में चलिये.......

श्री दौलतराम सारण : दो पांच नाम तो बताइये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नाम से क्या गंगा-स्नान हो जायगा ? मैं सेंट पर्सेन्ट कह रहा हूं मैं दो चार नाम लूंगा तो क्या आपका गंगा–स्नान हो जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : सेंट पर्सेन्ट कभी नहीं हो सकता ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सेंट पर्सेन्ट झूठ है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अभी बताऊंगा सेंट पर्सेन्ट !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, करप्शन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया और करप्शन को रोकने के लिए सरकार ने कई तरीके भी अपनाये हैं और इस बारे में सरकार का ढोल पीटना बढ़ता जा रहा है कि ज्यों ज्यों करप्शन का रोग बढ़ता जा रहा है हम भी करप्शन को रोकने के मामले में ज्यादा स्टेप लेते चले जा रहे हैं । आप ढोल कितना ही पीटें, लेकिन स्थिति वही है जो स्थिति राजस्थान के डी.एस.पी. ने कही है । इस बात का ढिंढोरा पीटा गया तो जो १९६१ में क़ाइम हुए थे, उससे ज्यादा १९६२ में हुए और १९६२ में जो हुए उससे ज्यादा १९६३ में हुए और उतने ज्यदा पर्सेन्टेज में मुकदमे दर्ज किये गये हैं । इसके साथ साथ मैं खुद श्री संतराम के एक आर्टिकल का एक अंश पढ़ कर सुनाना चाहूंगा, जो उन्होंने पुलिस पत्रिका, राजस्थान के अन्दर लिखा है– करप्शन ए मेलीग्नेंट मेलोड़ी--नाम से आर्टिकल लिखा है । जिसमें ११ वे पैराग्राफ में उन्होंने एक चीज लिखी है और वह यह है—

"Then there is the second type of corruption. It is trivial again, but it cuts at the root of the moral fibre of the entire structure of the services. A relation of a high official though not qualified for the job reaches the top just because of the relationship. Another lacking in all the requisite qualifications is promoted. All the cousins are posted to the positions where they least suited. As one does it for one's kith ahd kin one cannot refuse it at least for those who matter. The cycle continues to gather momentum till practically very few at the right Places. Merits are invented for them, seniority continues to change, year after year till a point comes when a particular person is placed at a point of ventage, and then the action is expedited. Promotions held up for half a dozen years are made with one stroke. This leads to a position where every one has either reached the place, that he has, by corrupt methods or is debarred from his rightful place by means of corruption. Thus every one is affected. They owe their positions to corruption, therefore, they stay on by corruption. There is another sub-class in this type.

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

They do not do much for their relations, but in order to seek favours with their superiors give a good-bye to their conscience. The results are substantially the same. A list of non-matric gazetted officers will prove the point."

ठीक ही लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के अन्दर इन्स्पेक्टर यादव ने भूख-हड़ताल की। क्यों की ? वे इन्सपेक्टर थे और उनका धौलपुर में एक मर्डर के सिलसिले में वहां से ट्रान्सफर किया गया। उनका कहना यह था कि मर्डर करने वाला मजिस्ट्रेट का पिता था और मर्डर जिसका हुआ वह मजिस्ट्रेट की माता थी। उन्होंने भी भूख हड़ताल करने से पहले सरकार को एक मेमोरेन्डम पेश किया है, गवर्नर को, राज्य के मुख्य मंत्री को और राज्य के होम मिनिस्टर को। इसके कन्टेन्ट्स में न जाते हुए जो उन्होंने लिखा है उसका कुछ अंश मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। वे क्या लिखते हैं।

"Without any previous intimation or enquiry......"

(श्री केदारनाथ का चश्मा लेकर लगाने पर)

श्री गिरधारीलाल व्यास : चश्मा नहीं लगेगा।

श्री केदारनाथ : लग जायगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : इनको हर एक का लगता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और आपको कुछ सिलेक्टेड फ्यू का फिट होता है।

"Without any previous intimation or enquiry in 1962, in disregard of my more than 30 years maritorious and exemplary services. Got thousands rupees of cash rewards, for the arrest of dacoits, good work and investigation of important and henious cases of dacoity, robbery, Murder, Rape, Arson, Burglary, Theft, Goods thefts, Excise and Opium smuggling and DIR cases, sabotage and for marksmanship in revolver firing etc. I was specially given a cash reward and a maritorious certificate by the State Home minister on 30th March, 1962, in ceremonial parade, at Jaipur. Perusal of my character roll and service book will show that the pages allotted for rewards and good entries are all full and all adjectives, in good sense used and exhausted in my annual remarks and entries. Had not a single adverse entry or remarks and, no long leave since February, 1938, and not even one days sickness or absence from duty to date (more than 32 years service)..."

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ३२ ईअर्स...

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, बिजनेस के रूल्स

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

बिल्कुल साफ हैं। इस प्रश्न पर, regarding references to letters etc. और उनके रीडिंग के ऊपर कई बार व्यवस्थायें हो चुकी है। वे नहीं पढ़े जाते हैं ग्रोन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस। इसके बारे में पहले व्यवस्था है और रूल में भी व्यवस्था है और वह समय का भी अपव्यय है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसको सदन की मेज पर रख दें और चाहें तो थोड़ा रेफर कर दें, बजाय इसके कि पूरा पढ़ें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोटेशन पढ़ा है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कोटेशन पढ़ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था के प्रश्न पर यह है कि कोटेशन, जो रेलेवेन्ट हों वे सदन में किये जा सकते हैं और इसके अलावा यदि समय की तंगी हो तो उसके अनुसार माननीय सदस्यों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसका जो कुछ लुब्बे लुवाब हो वह कह दें और कहीं लम्बी चौड़ी बात हो तो तत्सम्बन्धी कागज सदन की मेज पर रख सकते हैं ताकि सदन के अन्दर चर्चा में दूसरे माननीय सदस्य भाग ले सकें, ऐसा समय बचे।

(३. म. प.)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो ओब्ज़र्वेशन दिया है उसके अनुसार पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं लबे लुवाब ही पढ़कर सुना देता हूं। दो–तीन लाइनें तो अब रह ही गई हैं।

"No Bank balance and not even an inch of land purchased or got during service when constables have big bunglows in C Scheme, Jaipur,..."

श्री. मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : आप पढ़ क्या रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह मैं मेमोरेन्डम का पीस पढ़ रहा हूं जो मि० यादव ने अपनी हड़ताल में दिया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही थी और उसने जो कुछ कहा वह आप पढ़ कर सुना रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वही मैं पढ़ रहा हूं और चूंकि उसको किसी ने गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं किया इसलिए पढ़ रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप उसकी पैरवी कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इस बात की पैरवी कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति को राज्य सरकार में ३२ साल हो गये नौकरी करते करते, जिसके नौकरी के रेकॉर्ड में एक भी एडवर्स एन्ट्री नहीं है किन्तु एक मजिस्ट्रेट के बाप ने उसकी मां को कत्ल कर दिया उसने यह चाहा कि मजिस्ट्रेट का ट्रान्सफर कर दिया जावे और ट्रान्सफर कर दिया गया।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वही व्यक्ति आज इन्सपेक्टर भी नहीं, सब-इन्सपेक्टर ही है जब कि रामसिंह अजमेर के अन्दर डकैती करता है, रेल्वे की ओर जहां यादव प्रोसीक्यूशन करता है और सिरोही कोर्ट में और रामसिंह को ७ साल की सजा होती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि उप मंत्रीजी ने इस बात को स्वीकार किया कि वही व्यक्ति जेल तोड़ कर भाग गया था और यह व्यक्ति ब्यावर का हिस्ट्रीशीटर है ५२ में। वह व्यक्ति प्लेटून कमान्डर बनता है और आप उसको प्लेटून कमान्डर बनाते हैं, मैं यह कहूंगा कि यह प्लेटून कमान्डर का पद उसके लिये कम है उसको तो मंत्री बनाना चाहिये। वह तो प्लेटून कमान्डर बना, लेकिन यादव तो आज भी सब इन्सपेक्टर का सब-इन्सपेक्टर है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यहां पर आप उनकी पैरवी कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि प्रश्न का आप उत्तर देंगे। आप प्लेटून कमान्डर की भर्ती करें और आप उस व्यक्ति के कैरेक्टर को पुलिस के सी. आई. डी. या अन्य किसी तरह से वेरीफाई नहीं करें और रिपोर्ट नहीं मंगावें या उसके लिये किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करते और बगैर कैरेक्टर के वेरीफिकेशन के ही आप उसको प्लेटून कमान्डर बना देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास अभी भी एक दर्जन से भी ज्यादा विक्टीमाइजे़शन के केसेज़ हैं, मगर समय की कमी के कारण मैं उन पर चर्चा करना नहीं चाहता।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक पूनमचन्द जोधपुर के सब–इन्सपेक्टर हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है और भी कई लोग हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिये हैं और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इस प्रकार के विक्टीमाइजे़शन के कारण ही पुलिस विभाग में सीनियोरिटी लिस्ट में भी गड़बड़ी है और इससे लोगों में डिमोरेलाइजे़शन आया है और क्राइम, करप्शन बढ़ता जा रहा है और राज्य की व्यवस्था खराब होती चली जा रही है।

अंत में कुछ बातें आर. ए. सी. के बारे में कहना चाहता हूं। आज आप कहते हैं कि आपने उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। आपने अच्छा किया। आर. पी. सी. का स्टेन्डर्ड रेज़ करने की बात कही, वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सी. आर. पी. का रोल है वही रोल आर. ए. सी. का हो। सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस का काम है, आज आपके आर. ए. सी. का वही रोल है क्या। क्या आपकी आर. ए. सी. उसी रोल को अदा कर सकती है। आप सी. आर. पी. का सारा का सारा ढांचा देखें तो आपको मालूम होगा। सी. आर. पी. का कमान्डेन्ट लेफ्टीनेन्ट कमांडर के रेंक से कम का नहीं होता। वहां पर तीन तीन महीनों का कोर्स होता है। वहां सूबेदार से लेन्सर तक को ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। आपके यहां १२ बटालियन्स हैं। मैं कहूंगा कि यह यहां पर गौशाला से ज्यादा नहीं हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आप किसी सी. आई. डी. के अधिकारी को कमान्डेन्ट बना देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसकी क्या ट्रेनिंग है ? एक कमान्डेन्ट के लिये ५ चीजों की ट्रेनिंग होनी चाहिये। ट्रेनिंग प्रेक्टिल एडमिनिस्ट्रेशन की, मोरल आदि इस तरह से पांच चीजों की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर भारत सरकार आपके खर्च को वहन कर रही है और भारत सरकार ने आपको स्पेशल फन्ड का एलोकेशन किया है। आप आर. ए. सी. के पेटर्न को चेन्ज करें। आज आपके यहां आर. ए. सी. की क्या हालत है ? आज बोर्डर पर स्मग्लिंग और अन्य डकैतियों आदि की घटनाएं हो रही हैं। आज आप अपनी आर. ए. सी. को उसी रूप में ट्रेनिंग देकर लाने की कोशिश करिये जिस तरह सी. आर. पी. की होती है।

इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि राजस्थान सरकार ने बोर्डर की सड़कों के लिये कहा था कि एक बटेलियन को २०० रुपये दिये जावेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि अब काफी सड़कें बन चुकी हैं, मगर वे दो सौ रुपये अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सिपाहियों के स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहूंगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में ३० हजार से ऊपर सिपाही टी. बी. के मरीज हैं और उन लोगों को पैसे भी कम मिलते हैं। उनको ७०) रु० में अपना गुजारा करना पड़ता है। मैं यह कहूंगा कि ये ७०) रु० बहुत कम हैं और आप अगर पंजाब की पुलिस की तरफ देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां ७०) रु० थानेदार के टट्टू का अलाउन्स है जो यहां के सिपाही की बेसिक पे है। इसके लिये मैं यह निवेदन करूं कि बीकानेर के रेंज के लोगों ने २५ हजार रुपये कलेक्ट करके टी. बी. हॉस्पिटल को दिये कि सिपाहियों का ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन वहां सिपाही जनरल वार्ड में ही पड़े रहते हैं और समझ में नहीं आता कि उन २५ हजार रुपयों का क्या यूटीलाइजेशन हुआ ?

अंत में यह कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि आप जो पुलिस के संबन्ध में खर्चा कर रहे हैं उसके जितने अच्छे परिणाम नजर आने चाहिये नहीं आ रहे हैं, जिस रूप में परिणाम सामने आने चाहियें नहीं आ रहे हैं। आप इस बात का दावा नहीं कर सकते कि आपकी पुलिस समाजवाद की ओर बढ़ रही है। पुलिस में सही रूप से करप्शन फैला हुआ है और इसके लिये आप जिम्मेदार हैं। लॉ एण्ड ऑर्डर की सही स्थिति को कन्ट्रोल पुलिस नहीं कर पाई है और आपने डकैतियों को कम करने का ढोंग पीटा है वह सही नहीं है।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ कटौती के प्रस्ताव हैं। वे बहुत सूक्ष्म हैं और मैं थोड़ा बहुत पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। वैसे पुलिस के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है और मैं उनको नहीं दोहराना चाहता, लेकिन मैं सदन का ध्यान पुलिस के कुछ महत्वपूर्ण मामलों की ओर आकर्षित

(श्री जुझारसिंह)

करना चाहता हूं । पहला मसला यह है कि राजस्थान की आर. ए. सी. बटालियन्स के ६४-६५ के खर्च में ४६ लाख और कुछ रुपयों की बचत बताई है । यह बचत इस वजह के हुई कि हमारी सरकार आर. ए. सी. की बटालियन्स के लिये एम्युनिशन्स और विहिकल्स नहीं खरीद सकी । ११ लाख रुपये एमर्जेन्सी के खर्चे में होना चाहिये था वह नहीं करके ५७ लाख की बचत राजस्थान सरकार ने की है । मैं समझता हूं जिन परिस्थितियों में से हम गुजर रहे है, जिस तरह की डिफिकल्टीज बोर्डर प्रोब्लम्स आज हमारे सामने हैं, उन परिस्थितियों में हमारी सरकार द्वारा हमारी आर. ए. सी. बटालियन्स के लिये आर्म्स, एम्युनिशन्स, विहिकल्स आदि नहीं ले सकना कतई उचित नहीं है । सरकार को ऐसे मामलों पर ध्यान देना चाहिये । वर्तमान की परिस्थितियों में जो खर्चे करने परम आवश्यक है, उनमें बचत नहीं करनी चाहिये ।

पुलिस की जो ट्रेनिंग है, उसके बारे में मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि किशनगढ़ में पुलिस की ट्रेनिंग होती है वह स्पेश्यलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं है, प्रोसीक्यूटिंग इन्स्पेक्टर्स और प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्स्पेक्टर्स जो वहां ट्रेनिंग में जाते हैं उन सबकी एक ही प्रकार की ट्रेनिंग होती है । आज स्पेश्यलाइजेशन का जमाना है, यह नहीं हो तब तक इस प्रकार की ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं निकलता । इसलिये मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो आदमी जिस तरह का काम करता आ रहा है, वह उसी की ट्रेनिंग में जाय, बजाय इसके कि घुड़सवारी करके आ जाय, इससे हमारी पुलिस की एफिशियेन्सी नहीं बढ़ने वाली है, इसलिये स्पेश्लाइजेशन्स की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

अब थोड़ा सा कोटा में पुलिस की व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । कोटा में पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं है । भ्रष्टाचार और इनएफिशियेन्सी की बातों में न जाकर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वहां के पुलिस के बड़े कर्मचारी हैं वे वहां के मामलों पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते, इस कारण वहां अन्याय हो रहा है । दो-चार मामले मैंने राज्य सरकार के सामने रखे, वहां के एस. पी. साहब को ऐसे मामलों में मैंने दरख्वास्त दी, पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव्ज ने वहां पुलिस अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट की कि वे परेशान करते हैं, उनकी सुनवाई करनी चाहिये । सुनवाई करना तो दूर, एस. पी. साहब ने उनको ऑफिस से बाहर निकाल दिया । इस प्रकार का रवैया पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव्ज के साथ अख्त्यार किया जाता है । कोई आरोप झूठा है या सच्चा है, पर पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की यह ड्यूटी होती है कि कोई मसला उनके सामने लाया जाय तो ईमानदारी से जांच करें । अगर उसमें सच्चाई है तो डिपार्टमेंट को ठीक करने की कोशिश की जाये, पर वस्तुस्थिति आज यह है कि इसके वास्ते बिल्कुल केयरलैस वे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।

मेरे खास कर मोशन्स शिक्षा के बारे में हैं । पहला कट मोशन प्राइमरी एजूकेशन के बारे

(श्री जुझारसिंह)

में है कि वह बहुत डिफेक्टिव है, उसमें सब्स्टेन्शियल चीजें लानी चाहिये। १८ लाख लड़के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, क्या वे प्रोपर तरीके की शिक्षा पा रहे हैं, वह उनके लिये यूजफुल होगी कि नहीं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। आज प्राइमरी स्कूलों की और दूसरी स्कूलों की पूरी इमारतें नहीं हैं। दो पंचायत समितियां मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी में हैं, उनमें ३० जगह ऐसी हैं कि जहां स्कूल्स की इन्कम्प्लीट बिल्डिंग्ज़ चार-चार साल से पड़ी हुई हैं। वहां जनता की ओर से अनेकों प्रार्थना-पत्र सरकार को दिये जा चुके हैं कि वहां बिल्डिंग्ज़ इन्कम्प्लीट पड़ी हुई हैं उनको कम्प्लीट कराया जाय, इन बिल्डिंग्ज के लिये जिन लोगों ने डोनेशन्स दिये हैं वे इस आश्वासन पर दिये हैं कि ५० प्रतिशत सरकार देगी। अब एक हजार रुपये का फॉर्मुला निकाल दिया गया है, इस बेसिस को लेकर पुरानी बनी हुई इन स्कूल बिल्डिंग्ज के लिये एड नहीं दी जा रही है और सरकार कह देती है कि हमने इस प्रकार का फॉर्मुला निश्चित किया है इसलिये हम ५० प्रतिशश एड का पहले नियम था उसके अनुसार नहीं दे सकते। २० जगह पंचायत समिति सांगोद और १० जगह पंचायत समिति चेचट में इन्कम्प्लीट बिल्डिंग्ज़ पड़ी हुई हैं। राजस्थान सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे मकानात को बनाने में पब्लिक का पैसा खर्च हुआ है, जिस समय इन लोगों ने ये मकानात बनाने शुरू किये उस समय आपका ५० प्रतिशत एड देने का नियम था, अब किसी एक सिद्धान्त को पकड़ कर जो बाद में बनाया हुआ है; मकानात बनाने शुरू किये उस समय दूसरा सिद्धान्त था. उन बिल्डिंग्ज़ को अधूरा छोड़ देने से विकास के कार्यों की तरफ से जनता का मन खिंच जायगा, जनता उदासीन वृत्ति धारण कर लेगी।

दूसरी आपकी स्कीम है मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन की। दस साल बच्चों को दूध बांटने हैं, पर न दूध को गरम करने के साधन हैं न शक्कर दी जाती है और वह दूध बजाय बच्चों को बांटने के बड़ी तादाद में बेच दिया जाता है। तो मेरा निवेदन है कि मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम में जो इस प्रकार की खामियां हैं उनको दूर करके उन कमियों को निकाल कर इन स्कीम्स को यूजफुल बनाने की कोशिश करें।

हमारे झालावाड़ में एक रेजिडेन्शियल स्कूल बकानी में चल रहा है, उसकी ओर सभी रिप्रेजेन्टेटिव्ज ने सरकार का ध्यान दिलाया है, वह अच्छी तरह से नहीं चल रहा है पंचायत समिति के वक्त में। प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को सरकार एड देती है तो इस स्कूल को सरकार उचित एड क्यों नहीं दे रही है? उस स्कूल को ३,०७० रुपया सालाना एड मिलती है जब कि उसका खर्चा ३१ हजार रुपया सालाना है। उस स्कूल के ६५ हजार के मकानात बनाये हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी झालावाड़ पी. डब्ल्यू. डी. ने दी है। राजस्थान सरकार की तरफ से ५० प्रतिशत के बेसिस पर मदद मिलेगी, इस

(श्री जुझारसिंह)

प्रकार का मसला कई साल से सरकार के विचाराधीन है, कई बार डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन को निवेदन किया जा चुका है, जांच करवा ली गई है, फिर भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यह रेजिडेन्शियल स्कूल जो कि बहुत यूज़फुल है इन्स्टीट्यूशन है, इसमें झालावाड़ जिले की सभी जनता का इन्टरेस्ट है। मेरा निवेदन है कि सरकार इसको एड दे। उनका उत्साह बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि उनकी वाजिब मांग उनको मिलनी चाहिये।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी। केवल ५ मिनिट बोलें, उसके बाद सरकारी पक्ष की ओर से जवाब प्रारम्भ होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्षजी, शिक्षा पर मेरा कटौती प्रस्ताव है, वह इस प्रकार है कि राजस्थान के अन्दर यूनिवर्सिटीज ३ हैं, पहले एक थी। जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज खुलती हैं उतना ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज का केरिक्युलम बदलता रहता है। इस साल इन्जीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के लिये जिन शिक्षार्थियों को लिया गया, उसमें जोधपुर यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा काम किया, वहां सबसे ज्यादा लिया गया, उदयपुर, जयपुर; सबसे बड़ा काम जोधपुर यूनिवर्सिटी ने किया।

दूसरी जगहों के जो लड़के थे वे रह गए। जोधपुर के लड़कों का मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के अन्दर ज्यादा एडमिशन हुआ, वह मेरी समझ में नहीं आता। राजस्थान सरकार को मैंने चिट्ठी भी लिखी, मिला भी शिक्षा मंत्री से, शिक्षा सेक्रेटरी से और चीफ मिनिस्टर से भी कहा कि एक ही राजस्थान के अन्दर तीन तरह का व्यवहार क्यों ? तीन यूनीवर्सिटीज के अन्दर अलग अलग नम्बर दिए जायं और जोधपुर के लड़के ज्यादा नम्बर लेकर एडमिशन ले लें और दूसरी जगहों के नहीं हों, यह कहां तक उचित है ? इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा कि जुलाई का सेशन आने वाला है, उसके अन्दर सभी यूनीवर्सिटीज़ के अन्दर एक ही तरह के नम्बर दिए जायं जिससे लड़कों का मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के अन्दर एडमिशन हो और उसके अन्दर भेदभाव न हों।

पिलानी के अन्दर ७५ प्रतिशत एड राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार देती है। परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसके अन्दर राजस्थान के लड़के न लेकर दूसरे प्रांतों के लड़के लिए जाते हैं, जब कि एड राजस्थान सरकार देती है और केन्द्रीय सरकार भी राजस्थान सरकार की सिफारिश के अनुसार देती है। उसको यूनीवर्सिटी बनाया जा रहा है, वह तो खुशी की बात है, परन्तु जब राजस्थान के लड़कों को दूसरे प्रांतों के कॉलेजेज़ भर्ती नहीं करते हैं तो आप राजस्थान के अन्दर, जो

Page No 116

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

पिछड़ा हुआ है, वहां बाहर के लड़कों को क्यों लेते हैं ? राजस्थान के अन्दर जो फर्स्ट डिवीज़न का लड़का है जिसके ७० प्रतिशत नम्बर हैं उसको भी एडमिशन नहीं मिले और यू० पी०...

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : रूस में क्या होता है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : वहां मेरिट पर काम चलता है, चाहे कितनी भी यूनीवर्सिटीज हों। इस तरह काम वहां नहीं चलता है कि अलग अलग यूनीवर्सिटीज में नम्बर देने का अलग अलग तरीका; कहीं ज्यादा नंबर तो कहीं कम। पंजाब के ८०-९० प्रतिशत नंबर वाले लड़कों को वे सवाल नहीं आते जो यहां ६० प्रतिशत वालों को आते हैं। वहां लड़कों को नंबर देकर एडमिशन करते हैं और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में तीन-तीन, चार–चार साल तक फेल होते हैं। राजस्थान के लड़के मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब ६३-६४ एडमिट हो गए, उनमें से ६३ पास हुए और उनके नम्बर थे ६२, ६३ और ६४ प्रतिशत। जिन राजस्थान के लड़कों ने मालवीय कॉलेज में एडमिशन लया उनमें से २१ फर्स्ट डिवीजन में आए, बाकी सैकंड डिवीज़न में। राजस्थान के लड़कों का एडमिशन नहीं होता है ; इसलिए मेरा शिक्षा मंत्री से कहना है कि हमारी यूनीवर्सिटीज के अंदर एक तरह के नंबर हों। जोधपुर यूनीवर्सिटी वालों ने ६ माही के नंबर दे दिए और उन लड़कों को आराम से एडमिशन मिल गया और दूसरी जगह के लड़कों को उसमें एडमिशन नहीं मिला। जो यह कहते हैं कि हम राजस्थान के अंदर ....

(घंटी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : मुझे बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपको रोका किसने ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं तो सुधार की बात कहूंगा जिससे देश उन्नति करे।

श्री उपाध्यक्ष : आपको केवल संकेत दिया है कि संक्षिप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आपने प्राइमरी स्कूल्स पंचायती राज को दिए हैं उससे तो देश का सत्यानाश करने का काम किया है और अगर बच्चे की नींव कमजोर होगी तो वह ऊपर जाकर कैसे विद्वान् बनेगा ? आप विद्वान बनाना चाहते हैं तो जब तक नीचे से विद्वान् नहीं करेंगे, तो ऊपर जाकर वह कैसे होगा ?

दूसरी बात, आज लाखों रुपए सामान खरीदने पर खर्च होता है। हम जब पढ़ते थे तो अपने हाथ से दरी वगैरह बनाते थे और वहीं का वहीं काम में लेते थे। आज न कोई दरी बनती है, न टाट-पट्टी बनती है। आज एक पैसे की जगह तीन पैसे खर्च होते हैं। आज जिन किताबों का राष्ट्रीयकरण किया है वहां सरकार लाखों रुपए किताबों पर खर्च करती है और सामान खरीदती है दूसरी जगहों से। यदि सरकार

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

कन्ट्रोल प्राइस पर कागज ले तो आज भी उन किताबों की रेट्स कम हो सकती हैं। जितने गरीब आदमी हैं उनके पांच या छः या आठ बच्चे हैं उनको तनख्वाह देते हैं १००) रुपये, वह पढ़ाएगा कैसे ? उसके पास किताबों के लिए और कपड़े के लिए पैसा नहीं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : रूस में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : वहां हरेक के दो बच्चे होते हैं। अगर तीसरा हो जाता है तो उसको इनाम मिलता है। ज्यों ज्यादा बच्चे त्यों ज्यादा इनाम।

श्री भीमसेन : आपके तो एक भी नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जब आप लोग रशिया के लिए पूछते हो तभी बताता हूं। वहां पर जिसकी कम तनख्वाह है, उसके बच्चों को किताब, फीस, स्कॉलरशिप वगैरह दिए जाते हैं और काफी प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे वे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ कर आगे इंजीनियर बन सकें, डॉक्टर बन सकें, साइंटिस्ट्स बन सकें, जिससे देश का बहुत बड़ा काम कर सकें। पर यहां पर क्या है ? एक चपरासी को १००) रुपए भी नहीं मिलते। मेरा कहना है कि राजस्थान सरकार जब तक किताबों की प्राइस बहुत कम नहीं करेगी, शिक्षा का जो, कैरीक्युलम है उनको नीचे नहीं करेगी तब तक यहां गरीब लोगों को फायदा नहीं पहुंचेगा। आज जो मिडल पास लड़का है वह दस किताबें लेकर जाता है, इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : किताबें कमती और शिक्षा का स्तर ; दोनों कैसे बताया ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : ट्रेनिंग स्कूल के लड़कों पर १ करोड़ रुपया खर्च करते हैं। एस.टी.सी. की ट्रेनिंग के लिए स्कूल चालू कर रखे हैं। हर साल हजार, डेढ़ हजार लड़कों का एडमिशन हो जाता है और फिर वे बेचारे मारे मारे फिरते हैं। मैं यह नहीं चाहता। या तो ट्रेनिंग स्कूल से आये लड़कों को जगह मिलनी चाहिये या फिर उन ट्रेनिंग स्कूलों को बन्द ही कर देना चाहिये।

एक ही जगह संस्कृत पाठशाला और हायर सैकन्डरी स्कूल भी और मिडल स्कूल भी और कॉलेज भी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को यह बताना चाहता हूं कि हाई स्कूल है वहां पर संस्कृत पाठशाला रखने की क्या आवश्यकता है ? संस्कृत के डाइरेक्टर साहब कहते हैं कि आप ऐसा कहते हैं तो संस्कृत पाठशाला टूट जावेगी। मैं तो यह कहता हूं कि दूसरी जगह खोलें जहां स्कूल नहीं हैं। वहां खोलिये जहां कॉलेज नहीं, हाई स्कूल और हायर सैकन्डरी नहीं हैं, मिडिल स्कूल नहीं है। जहां कॉलेज हैं, हाई स्कूल और हायर सैकन्डरी है वहां पर संस्कृत पाठशाला की क्या आवश्यकता है ? मेरी समझ में नहीं आता है कि आज सरकार के अन्दर इतने बड़े बड़े बुद्धिमान आदमी बैठे हैं वे एक

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

जगह से दूसरी जगह जहां पर शिक्षा का अभाव है वहां पर इन पाठशालाओं को क्यों नहीं खोलते हैं ? वहां पर खोल कर यदि शिक्षा दी जाय तो क्या एतराज की बात है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पुलिस पर दो शब्द कहना चाहता हूं, उपाध्यक्षजी ।

माननीय उपाध्यक्षजी, आज कहते हैं कि पुलिस के अन्दर करप्शन हैं । मैं मानता हूं कि करप्शन तो मैं फैलाता हूं । दूसरों के लिए मैं नहीं कहता । करप्शन फैलाने वाला तो मैं हूं । खुद ही समझ लें, दूसरों के लिए काहे को कहें । परन्तु कारण क्या है ? थानेदार, इन्सपेक्टर, डी वाई. एस. पी., एस. पी. सब लोगों के लिए कहते हैं । आज उन लोगों की भी मुसीबत है, परेशानी है । उनको जिस तरह से प्रमोशन देना चाहिये उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता है । जिस तरह का उनसे काम लिया जाता है उस तरह से उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है ।

दूसरी बात यह है, माननीय उपाध्यक्षजी, यह पोलिटिक्स, चुनाव और वोट लेने का तरीका है, सुबह से लेकर शाम तक वोट मांगते हैं पंचायत चुनावों में वोट मांगे । एम० एल० ए०, एम० पी० के लिए और फिर कोई मर जाता है और चुनाव होते है तो उसके लिए फिर वोट मांगते हैं । तो इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी, आज राजस्थान सरकार कहती है कि हमने चोरियां बन्द कर दीं । लेकिन बैराठ और कोटपुतली में इतनी चोरियां बढ़ी हुई हैं कि मैंने बार बार राजस्थान सरकार से कहा कि हम चोरियों से परेशान हैं और चोरियां इसलिए होती हैं कि चोरों का जो साथ देते हैं उनको गिरफ्तार नहीं करते । लेकिन सरकार कुछ सुनती नहीं । आज लोग इतने दुखी हैं, ऑफिसर्स से बात करते हैं और उनको कहते हैं; उनके पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि आपके कुछ एम० एल० एज़० है वे हमें परेशान करते हैं, हमारी झूठी शिकायतें करते है इसलिए चोरियां होती हैं तो होने दो । हम कहते हैं कि आप सरकार चलाते हैं, चोरियां होती हैं, मारने वाले को मार दें, पीटने वाले पीट दें तो भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर इस पुलिस विभाग को ही बन्द कर दीजिये । चोरी करने वालों को हम ठीक कर देंगे । गरीबों के खून का पैसा है वह बेकार हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है । जब पुलिस का काम है चोरियां न होने दे वह नहीं रोकती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में, टीचर्स की शिक्षा के सम्बन्ध में, ग्रेजुएट्स और ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स और सीनियर टीचर्स की सीनियोरिटी के विषय में काफी प्रकाश डाला है । समय का अभाव है इसलिए मैं कुछ संक्षेप में अपने

Page No 119

(श्री भीमसेन)

क्षेत्र की समस्याओं के विषय में निवेदन करना चाहता हूं।

यह तो सब ही को मालूम है कि राजस्थान सरकार ने अभी कुछ समय पहले संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये एक कमेटी की नियुक्ति की है जो सरकार को यह सिफारिश करे कि संस्कृत विश्वविद्यालय राजस्थान में किस जगह पर स्थापित हो। उस कमेटी ने काफी जगह पर भ्रमण किया है और राज्य के विभिन्न स्थानों को देखा है। इस सम्बन्ध में बीकानेर डिवीजन के कई नागरिकों की ओर से सरकार को यह आश्वासन दिया गया है कि बीकानेर, रतनगढ़ और सरदारशहर इन तीन स्थानों में से किसी भी स्थान पर संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित होगा तो ४० लाख की राशि नागरिक देने के लिए तैयार हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि बीकानेर डिवीजन की मांग को ध्यान में रखते हुए वहां पर विश्व-विद्यालय खोलने के लिए सरकार विचार करे।

राजस्थानी भाषा की अकादमी स्थापित करने के बारे में बीकानेर की ओर से काफी मांग की जा रही है। जयपुर में ललित कला अकादमी है, जोधपुर में संगीत अकादमी है और उदयपुर में साहित्य अकादमी स्थापित हो चुकी है। बीकानेर में राजस्थानी भाषा साहित्य के काफी जानकार लोग हैं। वहां की मांग को देखते हुए वहां पर राजस्थानी भाषा अकादमी की स्थापना वहां की जाय।

उसके बाद माननीय उपाध्यक्षजी, स्त्री शिक्षा के बारे में राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। सरकार ने समय समय पर इस सम्बन्ध में कदम उठाये हैं। लेकिन फिर भी इस बारे में अभी और कदम उठाने की बड़ी आवश्यकता है। जब तक सरकार देहातों में लेडी टीचर्स क्वार्टर्स की व्यवस्था नहीं करेगी तब तक लेडी टीचर्स देहात में रह कर शिक्षा नहीं दे सकेंगी। वे इसके लिए तैयार नहीं होंगी। इसलिए सरकार का इस ओर विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिये। लेडी टीचर्स के लिए क्वार्टर्स की देहातों में व्यवस्था करनी चाहिये।

स्त्री शिक्षा के बारे में, बिल्डिंग्ज के बारे में और अधिक से अधिक स्कूल खोलने के विषय में, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक मेरे क्षेत्र का सम्बन्ध है नापासर और कालूं दोनों जगह प्राइमरी स्कूलें हैं। इलाके के लोगों की तरफ से यह मांग है कि नापासर और कालू में कम से कम लड़कियों की शिक्षा के लिए माध्यमिक शालायें खोली जानी चाहिये। वहां के लोग सरकार की जो निर्धारित शर्तें हैं उनको पूरा करने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान देकर लोगों की मांग को पूरा करेगी।

बीकानेर सुदर्शना कॉलेज ; बीकानेर डिवीजन में महिला शिक्षा के लिए यही ऐसा कॉलेज है जहां सब तरह की शिक्षा का प्रबन्ध है, लेकिन होस्टल की व्यवस्था नहीं है। मुख्य मन्त्री महोदय ने भी निरीक्षण किया था कि होस्टल का कितना अभवा

(श्री भीमसेन)

है । इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सुदर्शना कॉलेज में लड़कियों के रहने के लिए होस्टल की व्यवस्था करे जिससे कि महिला शिक्षा की विशेष प्रगति हो सके ।

इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने क्राफ्ट टीचर्स के लिए जो निर्धारित योग्यता है उसके लिए सरकार ने एक और कन्डीशन लगायी है कि उनको ग्रेजुएट होना चाहिये । क्राफ्ट टीचर्स की जो बेसिक क्वालिफिकेशन 'क्राफ्ट्स ट्रेनिंग' है उसके अलावा एक और शर्त लगायी है कि वह ग्रेजुएट भी होना चाहिये । संगीत और ड्राइंग टीचर्स के लिए सरकार ने यह शर्त नहीं रखी है । यह समझ में नहीं आता है कि क्राफ्ट्स टीचर्स के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा यह जो कन्डीशन लगायी गई है कि वह ग्रेजुएट हो. बेसिक क्वालिफिकेशन के अलावा तो यह कहां तक वाजिब है और सरकार को इस ओर विचार करना चाहिये । संगीत और ड्राइंग टीचर्स के लिए जो योग्यतायें निर्धारित की गई थीं उसी प्रकार क्राफ्ट टीचर्स के लिए भी बेसिक योग्यतायें रखी थीं, तो क्या उनके लिए वे कन्डीशन्स हटायेंगे ?

इसके अलावा हमारी तहसील लूणकरणसर में, कालू में एक हायर सेकन्डरी स्कूल खुला है । उसमें लड़कों की संख्या उतनी नहीं है जितना कि नियमानुसार होनी चाहिये । उसके लिये सरकार विचार कर रही है उसको डाउन ग्रेड करने की । मेरा सरकार से निवेदन है कि यह पिछड़ा हुआ इलाका है, इसको ध्यान में रखते हुए जुलाई ६५ से जो आप डिग्रेड करने वाले हैं उसे मत करिये । अब वहां लड़कों की संख्या बढ़ गई है, वहां के लोगों ने होस्टल की व्यवस्था भी कर दी है. आयन्दा भी संख्या में कमी नहीं आयगी, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं ।

गंगाशहर में पहले पुलिस स्टेशन था उस स्टेशन को हटाकर एमर्जेन्सी में चौकी कायम की गई । इतना बड़ा कस्बा है, आस-पास का इलाका काफी बड़ा है अतः गंगाशहर में पुलिस स्टेशन होना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं नापासर में साइन्स के कमरों के लिये लोगों ने ढाई हजार रुपया जमा करा रखा है । चार साल पहले इसके बनाने की स्वीकृति दे दी थी, ६२ में एमर्जेन्सी के कारण काम बन्द कर दिया । इस काम को शीघ्रता से पूरा किया जाय ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिन दो डिमान्ड्स पर विचार हो रहा है उन दोनों के ऊपर मैंने कटमोशन्स दिये हैं । आज हम देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का विचार रखते हैं । मैं समझता हूं, इस तरह से समाजवाद इस देश में नहीं आ सकता । अगर हम देश में रहने वाले लोगों की शिक्षा अच्छी नहीं, अच्छा चरित्र नहीं, तो समाजवाद नहीं आ सकता । इन दोनों बातों का समावेश शिक्षा में होना आवश्यक है । शिक्षा का जो हमारा प्राइमरी सैक्शन है, मैं तो यह समझता हूं नर्सरी स्कूल्स हैं

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

हमारे देश में उनमें जब तक अच्छे शिक्षक नहीं दिये जायेंगे तब तक देश के भावी निर्माता अच्छे लोग नहीं हो सकते। आज जो हमारे यहां शिक्षा का नीचा स्तर होता जा रहा है उसका एक मात्र कारण यह है कि प्राइमरी स्कूलों के अन्दर जो अध्यापक आते हैं उनका स्टेन्डर्ड इतना नीचा है जिसकी वजह से वे न तो लड़कों की अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और न वे शिक्षक जहां स्कूल होती है वहां रहते भी हैं। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल्स जो पंचायत समिति को दिये गये है उनमें ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स अगर कोई हो जाता है तो उसको शिक्षा विभाग अपनी नौकरी में ले लेता है। एजूकेशन वाले उनके अनुभव और योग्यता का लाभ उन बच्चों को नहीं देना चाहते। इसलिये अध्यापक उनके लिये ट्रेन्ड नहीं रहते और प्राइमरी स्कूल के अध्यापक वे लोग होते हैं जो या तो हायर सेकन्डरी पास करके निकलते हैं या कॉलेज से निकल कर आते हैं। आज ८० प्रतिशत छात्र हैं प्राइमरी स्कूलों के; वे गांवों में है; इसलिये जब तक उनके लिये अच्छे अध्यापक उपस्थित नहीं किये जायेंगे तब तक प्राइमरी स्कूलों का स्टेन्डर्ड ठीक नहीं हो सकेगा।

प्राइमरी स्कूलों में जो किताबें पढ़ायी जाती हैं, चाहे वे राष्ट्रीयकृत हों या दूसरी प्रकार की, उन किताबों के अन्दर ऐसी चीजें है जिनको नहीं पढ़ाया जाना चाहिये। नाप-तोल के सवाल होते हैं, अभी तक रुपया, आना, पाई चल रहे हैं, जब कि सारे देश की नाप-तोल प्रणाली बदल चुकी है, इसलिये इनको भी बदला जाना चाहिये।

ऐसे पाठ पढ़ाये जाते हैं जिनके बारे में आने वाली पीढ़ी आज से उनके लिये दिमाग बनाये, यह ठीक नहीं है। जिन आदमियों की भले ही लिखने वाले कितना ही बड़ा आदमी समझें, आने वाले जमाने में उसकी क्या स्थिति रहेगी, यह आज नहीं कहा जा सकता। इसलिये ऐसे लोगों के बारे में जो पाठ हैं वे किताबों से निकाल देने चाहिये। इसके अलावा जो स्टेन्डर्ड प्राइमरी स्कूलों का है वह बदलना आवश्यक है। पहले जब शिक्षा विभाग के पास ये स्कूलें थीं वहां चपरासी का प्रोवीजन था, लेकिन जब पंचायत समिति के पास ये स्कूलें गईं चपरासी को हटा लिया गया और वहां झाड़ू देने का काम, पानी लाने का काम, सब लड़के करते हैं। प्राइमरी स्कूलों के लिये जहां पांचवी तक कक्षा है अगर उसमें ३५ लड़के हैं तो केवल एक ही अध्यापक दिया जाता है। क्या आप उस अध्यापक से पांचों कक्षा पढ़ाना मुमकिन मानते हैं? इसी तरह का स्टेन्डर्ड रहा तो प्राइमरी शिक्षा ठीक नहीं हो सकेगी।

अब मैं पुलिस विभाग के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। पुलिस विभाग मुख्य मंत्री के पास में है। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी को इस सदन में किसी अफसर के बारे में कहा जाय कि इसने अमुक प्रकार की गलती की है तो झट उठ कर मुख्य मंत्री कह देंगे कि हमने तो इस अधिकारी को सस्पेन्ड कर दिया है और इन्क्वायरी कर रहे हैं। भीलवाड़ा के अन्दर

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

एक इज्जतदार वकील के साथ मार-पीट हुई, जो बार एसोसियेशन चेयरमेन हैं, श्री सुभाषदेव डांगी। सारी चीजों पर एस० एच० ओ० को सस्पेन्ड किया, ए०एस० पी० को सस्पेन्ड किया, उसके लिये कहा गया कि मैंने जांच की है, जिलाधीश को पूछा है, बिना इसके खिलाफ इन्क्वायरी किये आपने उनको सर्विस में कैसे ले लिया यह तो बतलाइये ? उनको सस्पेन्ड करने के अधिकार ये कर दिया, लेकिन उनकी इन्क्वायरी नहीं हुई। वकील साहब को पुलिस के अन्दर पीटा गया, आज भी अदालत में उन पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन पीटने वालों के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। एक आदमी को पीट दिया लेकिन उसकी जांच नहीं हुई। बात यह है कि जिस तरह से आप देश को बना रहे हैं उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि हम जनता के प्रतिनिधि, जनता के लोग सार्वजनिक जीवन में काम नहीं कर सकेंगे।

रतनगढ़ का सवाल उठाया गया उस मामले में कांग्रेस की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य जो मांडल से आये हैं उन्होंने इस बात को इतना लाइटली कह दिया। जिस भाषा में कहा उससे ज्यादा शर्म की बात उनके लिये नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य और उनके रिश्तेदार पचासों आदमी वहां पर दिगम्बर होकर खड़े हो गये। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि पुलिस का एक भी अधिकारी जो वहां मौजूद था या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी वहां था यदि उनमें से एक भी आदमी यह कह दे कि वे लोग दिगम्बर हो गये थे तो मैं सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। सदन में आकर कहना, किसी आदमी की प्रतिष्ठा को गिराना, सदन में इस प्रकार की जलील बातें कहना सदन के माननीय सदस्यों को शोभा नहीं देता। उधर कांग्रेस में बैठने वाले चाहे कितनी ही फ्लेटरी करें, खुशामद करें, मिनिस्टरों को खुश करने की बातें करें, लेकिन सत्य और झूठ को समझ कर कहना चाहिये। इस मामले में इन्क्वायरी हुई है इसमें जितनी ज्यादती हुई है वह सामने आनी चाहिये। यहां आज हमारे एक नागरिक अधिकारों का सवाल है। पब्लिक के अन्दर मीटिंग करें, उस मिटिंग के अन्दर उस सभा के अध्यक्ष बोल रहे थे और पुलिस ने चारों तरफ से उसको घेर लिया डी वाई० एस० पी०, एस० एच० ओ० सब मिल कर एक हमलावर का रूप बना कर उस मीटिंग पर टूट पड़े और उस बारे में हाउस में कहे कि अत्याचार हो रहा है हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो कहा यह जाता है कि तुम लोगों ने पत्थर फेंके हैं।

मैं यह पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्रीजी से भी कि जिनकी स्वयं की जिन्दगी २५ साल सार्वजनिक जीवन की रही है, क्या उन्होंने भी ऐसी मीटिंग की है? आज नहीं, पहले जब कार्यकर्ता थे, जिस मीटिंग में अपने ही लोगों के द्वारा बैठी जनता पर पत्थर फिकवाने का काम किया हो ; क्या कभी इसकी भी कल्पना आपने अपने दिमाग में की थी ? या आप केवल हमारे लिये ही सोचते हैं कि ये मीटिंग करते हैं तो बैठे हुए लोगों पर पत्थर फिकवाने

(श्री उमरावसिंह डाबरिया)

की बात करके यह कहा जावे कि तुमने पत्थर फेंके।

मैं कहना चाहता हूं कि उस मीटिंग में जो लोग बैठे थे उनको जितनी चोटें आई हैं। क्या पुलिस के सिपाहियों के, जिन्होंने लाठी चलाई, चोट आई, एस. एच. ओ. था मारपीट में; उसे चोट लगी? इसके अलावा यह हुआ कि मीटिंग खत्म होने पर लोगों को दुकानों, मकानों में से घसीट कर लाया गया; पीटा गया। दूसरी मंजिल पर बैठे लोगों को घसीट कर लाया गया। इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया, उनको भी हथकड़ी डालकर रात भर रखा गया। दूसरे दिन रखा गया। मजिस्ट्रेट ने कहा खोल दो। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज चाहे आपकी सरकार हो, चाहे इधर वालों की कमी हो, जनता की जिन्दगियों के साथ इस तरह से सरकारी अधिकारी खिलवाड़ करें, बदला लेने की भावना रक्खें, तो क्या सिक्योरिटी का सवाल है। डिप्टी मिनिस्टर साहब बैठे हैं। आप पीछे बैठे बैठेहंस रहे हैं; दांत निकाल रहे हैं। उनकी आदत है। मैं बहुत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम इधर बैठने वाले लोगों का ही सवाल नहीं है, कल कुर्सी से नीचे आने पर आपका भी हो सकता है। आपने हमेशा के लिये इन कुर्सियों का ठेका नहीं ले रखा है, आप इस मुगालते में न रहें, कल आपको भी जमीन पर आना पड़ेगा और मैं यह बहुत ही शर्म के साथ कहना चाहता हूं कि जो प्रतापसिंह कैरों के साथ हुआ है, उस दशा में पड़ना क्या आप अच्छा समझते हैं? आप इसे अच्छा समझ सकते हैं पर हम इधर बैठने वाले लोग इस तरह का पोलिटिकल मर्डर हो, हत्या हो, इस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ कि यह जो आपने अपना रिकॉर्ड किताबें छाप कर दीं उनके अन्दर भी जो आंकड़े आपने १९६२-६३ और ६४ के दिये हैं उनके आधार पर लिखने वाले ने लिखा है कि हम स्टेट की बहुत अच्छी व्यवस्था कर पाये हैं। पर यह नहीं कहा कि जब आपकी अच्छी व्यवस्था हुई तो फिर ये हत्या वगैरह के आंकड़े बढ़े क्यों? ४४८ केस ६३ में हुए और ४७०, ६४ में हो गये।

इसमें एक बात लिखी है, उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे क्राइम्स को बढ़ाने का कारण बताया है और कारण बताते हुए पहले जो किताब दी उसमें भी कारण की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। पुलिस विभाग ने लिखा था कि ये क्राइम्स इसलिये बढ़े कि चूंकि हमारे प्रान्त में विकेन्द्रीकरण की घोषणा की गई, उसकी स्थापना हुई इसलिये। यह कारण दो साल पहले की रिपोर्ट में बताया गया। अब इस बार यह बताया है क्राइम बढ़ाने का कारण कि चूंकि हमारे यहां राजस्थान में औद्योगीकरण प्रगति कर रहा है, तरक्की और उन्नति हमारी इस दिशा में ज्यादा हो रही हैं, विकास ज्यादा हो रहा है, इसलिये क्राइम्स बढ़े हैं।

मैं अदब से कहना चाहता हूं कि पंजाब में इस तरह से क्राइम नहीं बढ़े,

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

जब कि राजस्थान से वह ज्यादा औद्योगीकरण में आगे हैं। ऐसा लगता है इन पुलिस वालों को, इन अधिकारियों को राजस्थान का विकेन्द्रीकरण और औद्योगीकरण दोनों ही नहीं सुहाते, उनको अच्छे नहीं लगते, तो क्राइम्स के बढ़ने का दोष इन पर थोप कर इनको बदनाम करने की चेष्टा करते हैं। पर पंजाब में जब औद्योगीकरण आपसे ज्यादा होते हुए भी क्राइम बढ़े नहीं तो यह आपकी दलील, यह आपका नाप कहां ठीक बैठता है, यह कारण कहां आपका उचित ठहरता है?

इसका एक मात्र कारण उपाध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक समझ पाया हूं, निवेदन करता हूं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो पढ़े-लिखे लोग आज हमारे प्रांत में बढ़ रहे हैं और बेकार बैठे हैं, जो शिक्षित बेकारों की संख्या हमारे यहां बढ़ रही है, जिनके पास कमाने के लिये कोई साधन नहीं है, अपनी उदरपूर्ति कर नहीं सकते थे वे लोग इन क्राइम्स को करने पर उतारू होते हैं। यह कारण है क्राइम्स बढ़ने का सही माने में। डकैती करते हैं; चोरियां करते हैं, अफीम का स्मग्लिंग आदि करते हैं। अब सरकार अपने आंकड़े देख ले कि कितने आदमी एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज में आये और उनमें से कितनों को उसने एम्प्लॉयमेंट दिया है। आप इन लोगों को काम दीजिये। औद्योगीकरण की रफ्तार तेज करिये, उसमें उनको डालिये। क्राइम कम हो जावेंगे। औद्योगीकरण से बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे।

कल सवाल आया था औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र सरकार ने खोल रक्खे हैं, पर उनमें पूरे लड़के नहीं मिलते? क्यों नहीं? प्रशिक्षण के बाद वे काम में भी लग जावें, इसका भी आप प्रबन्ध करिये, आपको बहुत लड़के मिलेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक बात और कहना चाहता हूं। नीम के थाने के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव यहां लाया गया था। सारा विवरण उसमें है, मैं अधिक नहीं कहूंगा। वहां के हैड-कॉन्स्टेबल ने गांव भर के घरों में जाकर ७० मवेशियों को गिरफ्तार किया और २१ को कोर्ट में पेश कर दिया। बाकी का आज दिन तक पता नहीं। अनाज घरों में भरा उसको बिखेर दिया। ये सारी घटनाएं उस गांव में हुईं और आप कहेंगे कि वह गांव तो ऐसा है कि जहां रहने वाले हमेशा चोरी करते हैं; डकैत हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्या आप उन लोगों को जिनको आप डकैत-चोर कहते हैं तो क्या उनके साथ आप भी डकैत और लुटेरे बन कर वहां जाना चाहते हैं और उनको भी लूट कर लाना चाहते हैं? क्या है यह बात? आपका समाज कल्याण विभाग फिर किस काम का है, वह क्या कर रहा है? कल्याण विभाग ऐसे लोगों में जाए और उन्हें सुधारे। यही तो उसका काम है? तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिये। यह घटनाएं आपके लिये शोभा की चीज नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : नीम के थाने के बारे में

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

किसने एडजॉर्नमेंट मोशन रक्खा है, मेरी जानकारी में तो नहीं है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : श्री मानिकचन्द सुराणा ने मोशन की सूचना दी है और मावली गांव का यह किस्सा है यह बता दूं । और इसके लिये यह कहा गया था कि डिमाण्ड्स के वक्त इस पर कह दिया जावे ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : किसने कहा था ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : स्पीकर महोदय ने ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान बोर्डर पर जो घटनाएं हुई हैं बड़ी शर्मनाक घटना थी । जिसके बारे में डिपार्टमेन्ट ने स्टेटमेन्ट निकाला कि वहां पर जिन लोगों के बारे में यह कहा गया कि फलां औरत को लेकर नाच-गान कराया गया और जिसकी खबर समाचार-पत्रों में आई, कहा कि यह गलत खबर है । मैं आपको उस जीप के नम्बर तक बताना चाहता हूं जिनमें बैठकर उनको वहां लाया गया, और उनका नाच-गान वहां कराया गया जिसमें आपके पुलिस अफसर भी मौजूद थे । ८-९-६४ का यह किस्सा है । उस दिन भारत की सीमा पर तैनात डी. एस. पी. शफी मोहम्मद बहावलपुर से वहां की मुमताज औरत को बी० आर० एन० १९७९ में लेकर आये और वहां नाच-गान उसका कराया । उसमें आपके पुलिस अधिकारी मौजूद थे और आप आज उनको प्रोटेक्ट करते हैं, यह कह कर कि समाचार गलत है । अगर वास्तव में गलत है तो आप इस अखबार के खिलाफ डिफेमेशन का दावा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट बाकी हैं, पांच मिनट कोई बोलना चाहे तो ।

(४.०० म० प०)

श्री तेजाराम गहलोत ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की दोनों डिमांड्स बहुत जरूरी हैं और हाउस का टाइम बढ़ना चाहिए ।

श्री तेजाराम गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जेतारण हायर सेकन्डरी स्कूल में कॉमर्स विभाग खोला जाये । यह मसला सरकार के सामने ४–५ साल से पेन्डिंग है और सन् ६० में इसके लिए आदेश भी हो चुके थे लेकिन किसी वजह से वह नहीं खुल सका । इस कॉमर्स सेक्शन के खोलने के लिए ६१ के अन्दर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी जेतारण की आम जनता को आश्वासन दिया था, लेकिन उसकी भी पूर्ति नहीं हो सकी है । इसलिए मैं पुनः उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित

(श्री तेजाराम गहलोत)

करना चाहता हूं कि ६५-६६ में जो सत्र होने वाला है, उसमें जेतारण में हायर सेकन्डरी स्कूल के अन्दर कॉमर्स सेक्शन खोला जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा कट मोशन पाली जिले में पुलिस के द्वारा दर्ज किये जाने वाले मुकदमें, उनकी तफतीश और उनकी पैरवी के बारे में है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर पुलिस का जहां तक सवाल है यह राज्य में कानून और व्यवस्था को कायम रखने के लिए रखी जाती है लेकिन जब पुलिस खुद ही मिलकर कानून तोड़ने की कोशिश करे तो इससे उसका सारा मकसद डिफीट हो जाता है। मुकदमों की तफतीश होती है उनमें जान-बूझकर उसको बिगाड़ा जाये तो सही तरीके से न तो मुकदमों का नतीजा निकल सकता है और न जुर्म करने वाले को सजा मिल सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान पाली जिले के मुकदमों की ओर करना चाहता हूं। मुकदमा नं० १७ और २३ पुलिस स्टेशन सोजत में दर्ज हुए थे और पुलिस अधिकारियों ने दो ने अलग अलग तफतीश की और जो सही मुकदमे थे उनका कोर्ट में चालान नहीं किया और गलत मुकदमे का चालान किया और उसका नतीजा यह हुआ कि वह कोर्ट से एक्विट हुए। तो मेरा निवेदन यह है कि पुलिस का कर्त्तव्य यह है कि देश में शांति और व्यवस्था कायम रखे। वहां पुलिस ने अपना कर्त्तव्य छोड़कर इस तरह से गलत ढंग से मुकदमे बनाये और कानून के पालन करने वाले नागरिकों को फंसाने की कोशिश करे, तो हम किसी प्रकार से भी न्याय और शांति कायम नहीं रख सकते। इसके अलावा जो कोर्ट में चालान हो जाते है उसके बारे में प्रोसीक्यूशन की तरफ से सही ढंग से पैरवी नहीं होती और जो गवाह समय पर आने चाहिए वह नहीं आते हैं, न गवाहों के बयान दिलाये जाते हैं। नतीजा यह होता है कि प्रोसीक्यूशन के जितने केसेज होते हैं वह ६० परसेन्ट से ज्यादा फेल होते हैं। जो प्रोसीक्यूशन ब्रान्च है उसका भी नतीजा देखा जाये कि किस आदमी के कितने केसेज एक्विट हुए है और कितने कन्विक्ट हुए हैं और यह भी देखा जाये कि जिन केसेज में एक्विट हुए हैं वह किन कारणों से हुए हैं। जब तक पुलिस विभाग इसकी ओर ध्यान नहीं देगा और सही और ईमानदारी से काम नहीं करेगा, तब तक ज्यादा तर केसेज में प्रोसीक्यूशन ब्रान्च फेल ही होगी। जो प्रोसीक्यूटर्स हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आज गलत ढंग से और लापरवाही से मुकदमों की पैरवी होती है, उनको जब तक पनिशमेन्ट नहीं दिया जायेगा या जब तक उनका डिमोशन नहीं होगा, तब तक कोई भी आदमी अपने कर्त्तव्य को नहीं समझेगा और नतीजा यह होगा कि जुर्म करने वाले को सजा नहीं होगी और कोर्ट में जाकर छूट जायेंगे। इसलिएं उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में मंत्री महोदय इसकी कोशिश करें कि प्रोसीक्यूशन में और इन्वेस्टीगेशन में पुलिस की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय उत्तर दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन का समय आधा घन्टे के लिए बढ़ा दिया जाये तो अच्छा रहेगा।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : No.

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कट मोशन्स दिये हैं उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। व्यवस्था का सवाल है।.......

श्री उपाध्यक्ष : आप बहस न करें। व्यवस्था के अनुसार ही है। सारा टाइम नोट किया गया है और उसी के अनुसार बोलने दिया गया है।

श्री हीराभाई : मैं सिर्फ अर्ज कर रहा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय, से यह चाहूंगा कि जितने कट मोशन्स दिये हैं वे बोल नहीं पाये हैं और जब तक वे बोलेंगे नहीं तब तक आपकी तरफ से जवाब कैसे दिया जायेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मन्त्री) : मैं सब कट मोशन्स का जवाब दूंगा, आप शांति रखिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : इसका मतलब यह हुआ कि मुख्य मंत्रीजी जो जवाब देंगे उसमें हम बीच बीच में पूछते रहें, क्या आप यह चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : जिनकी बातें हाउस में नहीं आई वे क्या करें ? उपाध्यक्ष महोदय, आपका ऑर्डर शिरोधार्य है। लेकिन मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि १२ महीने में तो एक दिन का समय आता है और फिर कटमोशन्स के वक्त बोलने नहीं दिया जाता है, इसके लिए आपको व्यवस्था देनी चाहिए। टाइम बढ़ना चाहिए, नहीं तो मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे और हम बीच बीच में पूछेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछ सकेंगे। जहां स्पष्टीकरण का विषय होगा वहां जरूर पूछ सकते हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : शुरू से तो कोई बात आई ही नहीं। सुखाड़िया साहब हमें टाइम जरूर मिलना चाहिए। वर्ना आप बोलेंगे और हम बीच में बोलेंगे। न शिक्षा के संबंध में कोई बात आई और न पुलिस के बारे में आई। बड़ा अन्याय है। कम से कम ५ मिनट तो बोलने दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं ५ मिनट के लिए निवेदन करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : ५ मिनट दे ही दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी के संकेत के अनुसार ही आपकी पार्टी को समय दिया गया है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : फिर कट-मोशन्स किस मर्ज की दवा हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप ५ मिनट बोल लें ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दर्द है और मैं जरूर बोलूंगा । आप चाहे मुझे हाउस से बाहर कर दें लेकिन मैं जरूर बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप ५ मिनट बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अन्यथा आप स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज !

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यदि सदन के नेता को आपत्ति नहीं हो तो समय आधा घन्टे के लिए बढ़ा दिया जाये ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सदस्य के साथ ज्यादती की गई है...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य की पार्टी से पूछ कर ही किया । अब मैं नहीं चाहता कि उसके प्रतिकूल वे जायें, यह शोभा नहीं देता । मैं एक व्यक्ति को समय दूंगा तो सबको देना पड़ेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जितनी पार्टियां है सब की ओर से मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य को ५ मिनट के बोलने के लिए समय दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टियों के एलाॅटेड समय के अनुसार सब का समय हो चुका है और माननीय श्री सारस्वत जी की पार्टी से भी पूछा गया, उसमें मुझे संकेत दिया गया कि श्री ढावरियाजी ही बोलेंगे और वे नहीं बोलेंगे । इस अण्डर-स्टेंडिंग पर सारी बातें हुई और सारा समय दिया गया और इन्होंने समय कुछ ज्यादा भी ले लिया । इसमें यदि कोई फर्क आयेगा तो जिनका समय बाकी है कांग्रेस पक्ष से भी तकाजा करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य के साथ खुद के साथ ऐसी घटना हुई ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : वह तो कह चुके हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : वह घटना यदि आप चाहें तो और विधियों से भी ला सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : और कोई विधि नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : एड्जोर्नमेन्ट मोशन की विधि से या दूसरे तरीके से ला सकते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, आज पुलिस की इस मांग पर जो वाद-विवाद यहां पर हुआ और उसके अलावा माननीय सदस्यों ने जो कट मोशन्स भेजे हैं उनको भी मैंने देखा । इस सदन के सब माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं खास तौर से पुलिस विभाग पर आज की परिस्थितियों में, कि जो पहले पुलस विभाग कार्य करने का आदि रहा उससे कई मायनों में अब काफी भिन्न है । कितनी बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं । पुलिस विभाग एक इस प्रकार का विभाग है कि जिस पर लॉ एण्ड ऑर्डर कायम रखने और उस लॉ एण्ड ऑर्डर को कायम रखते हुए आगे लोगों के साथ भी ज्यादे से ज्यादा अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना, ये दोनों कर्त्तव्य उस पर आकर पड़े हैं । इस सदन में....

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़): पीटने, कूटने और बदमाशी करने का आपकी पुलिस का काम है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्यों की तरफ से बहुत सी बातें खड़ी होती हैं और जिस प्रकार के वाद-विवाद यहां पर होते हैं कुछ घटनाओं को लेकर कि उसमें इस बात से ध्यान हटाकर चलते हैं कि इतनी बड़ी पुलिस का फोर्स है जिस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उसमें कुछ जगहों की घटनाओं को लेकर सारी फोर्स के बारे में अगर कुछ बातें कही जायं....

श्री मोहनलाल सारस्वत : किस किस जगह के लिये कहें मुख्य मंत्रीजी ? कौन से जिले के लिये कहें ? भीलवाड़ा कूक रहा है, चूरू कूक रहा है, बीकानेर की क्या हालत है ? आप किस जगह में व्यवस्था बता रहे हैं । ऐसा रंग आपके साथ में घट जाये तो हाउस छोड कर भाग खड़े हो । कम से कम यह निवेदन करना चाहता हूं कि चुने हुए सदस्यों के साथ में अन्याय और अत्याचार होता है और आपके डिप्टी मिनिस्टर और आपके अधिकारी यह बात कहते हैं कि रतनगढ़ में कुछ नहीं हुआ, तो मैं चैलेन्ज के साथ यह कहना चाहता हूं कि आप वहां पधारें, मैं खर्चा दूंगा और आप देखें कि क्या हालत है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर ! !

श्री मोहनलाल सारस्वत : इस तरह से उप-गृहमंत्री (आचार्य निरंजननाथजी) आप इन कुर्सियों पर नहीं बैठ सकेंगे आपके खिलाफ सोचना पड़ेगा । शर्म आनी चाहिये । कुछ गुण्डों को खड़ा करके खुली गुण्डागर्दी करवाते हो और समाजवादी राज्य का ढोंग करते हो, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सारस्वत! इस प्रकार सदन में कोई व्यवस्था नहीं रहती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कोई तथ्य कहे जाते हैं अगर वे गलत हों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो रिफ्यूट करने का हमको अधिकार है। ये रिफ्यूट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि यह गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह-नगर) : श्री मोहनलाल सारस्वत के साथ में राज्य की पुलिस ने प्रेम-सम्बन्ध कायम किया है यह प्रेम-सम्बन्धों का यह वर्णन है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने तो अभी तक बात शुरू की है....

श्री मोहनलाल सारस्वत : शुरू में ही गलत बात कह दी। पुलिस के सम्बन्ध में तारीफ करते हैं सुखाड़िया साहब। यह राज्य है आपका कि पुलिस द्वारा जनता को मीटिंग में घेर कर पीटा जाता है। रतनगढ़ में २६–१२–६४ को जो साधन (भयंकर) लाठी चार्ज बिना किसी सूचना के मजिस्ट्रेट के बिना हुआ यह राजस्थान सरकार के लिये और आपके लिये कलंक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत! बीच में इन्टरप्ट न करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रतनगढ़ के सवाल को लेकर माननीय सदस्य जिस प्रकार इस बात को हाउस के अन्दर एजीटेट करना चाहते हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में रतनगढ़ वाले प्रश्न पर जब कि इस सदन में बजट के बारे में बहस हो रही थी, उस वक्त मैंने उत्तर दिया था। माननीय सदस्य यदि उस समय पर उपस्थित रहते तो ज्यादा वाजिब होता। आज के दिन जब कि वहां पर रतनगढ़ के मामले को लेकर कई केसेज़ कोर्ट्स के अन्दर चालान कर दिये गये हैं, यहां इस प्रकार से एजीटेट करके उस चीज पर प्रेशर डालना, मैं समझता हूं कि सही रास्ता नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह तो आपकी पुलिस का तरीका है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रतनगढ़ के मामले के अन्दर मैंने कहा कि विरोधी दल की तरफ से बीकानेर के माननीय सदस्य आये और उन्होंने मुझसे आकर कहा कि वहां रतनगढ़ के अन्दर कुछ घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं। इसके बारे में आवश्यक जानकारी की जरूरत है। मैंने उनसे यह कहा कि अगर आप चाहें तो मैं डी० आई० जी० क्राइम्स, श्री संतरामजी को वहां भेज दूं और उनके द्वारा जांच करा लूं जिससे तथ्य सामने आ जायें, और उन्होंने उस बात को पसन्द किया और जिस ऑफिसर के बारे में पसन्द किया, उन्हीं को वहां भेजा और मैं यह दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी, उस रिपोर्ट के अन्दर जो बातें हैं उसके मुताबिक ही कार्यवाही की जा रही है। उस रिपोर्ट में पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ कोई तथ्य कहे और उसकी वजह से कार्यवाही की जानी चाहिए, इस प्रकार का कहीं उन्होंने उल्लेख नहीं किया है, बल्कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

यह कहा है कि वहां पर चलती हुई जो ट्रेन रतनगढ़ आई उस पर पत्थर फेंके गये, तार काटे गये, उनके घरों पर पत्थर फेंके गये, चौधरी कुम्भारामजी और दूसरे लोग वहां पर गये उनको जाने से रोका गया और ज्यादतियां की गई। इन सारी बातों के आने के बाद क्या हम यह चाहते हैं कि जनतन्त्र का मतलब–मैं इस बात से सहमत हूं कि डिमोन्स्ट्रेशन करने का अधिकार है, विरोधी सभाएं करने का अधिकार है–लेकिन मैं समझता हूं कि नागरिक स्वतन्त्रता की दृष्टि से अगर एक मिनिस्टर कहीं पर जाता है तो उसको रोककर उसकी गाड़ी पर पत्थर फेंकना, लाठी चलाना और ज्यादती करना यह अधिकार जनतन्त्र का अधिकार नहीं हो सकता।

सभी प्रकार की घटनाएं हैं उन घटनाओं की कार्यवाही...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कहीं नहीं हुआ है, जो आप कहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्षजी, पुलिस के लोगों के चोटें आई है...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपके साथ हुआ था नाथद्वारा में, उसका क्या हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं जब दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे थे तो बीच में नहीं खड़ा हुआ था। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको नहीं टोका है।

जिस आदमी को जांच करने के लिए भेजा जाय और जांच करने वाला अधिकारी यह कहता है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पहले रिपोर्ट तो बताइये।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जबरदस्ती नहीं होने दी जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष, हमारा यहां पर हवाला दे रहे हैं तो मैं एक मिनट आपसे अर्ज करना चाहता हूँ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य पोइंट ऑफ क्लेरिफिकेशन पर जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, लेकिन इस तरह से इन्टरप्शन नहीं कर सकते। ऑर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर....

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : I move the resolution that the member should go out.

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही में अवरोध नहीं डाला जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर): ओन ए पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर....

श्री मुरलीधर व्यास : इस तरीके से आप दबाना चाहते हैं तो हम दब नहीं सकते हैं। हमारा हवाला दिया गया है। मेरे कहने के आधार पर जब मैं मिला और मिलने के बाद में जब मैंने उनसे जांच के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि लिख कर दो, उन्होंने कहा कि जो बात लिख कर देंगे उस बात की इन्क्वायरी करूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस आधार पर इन्क्वायरी करवाई और इन्क्वायरी के आधार पर जवाब दे रहे हैं और आपकी बात बहुत ताकतवर है तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जो बात आपको मैंने लिखकर दी है उसकी एनक्वायरी डी० आई० जी०, सी० आई० डी० ने की है, आपके एक बड़े ऑफिसर ने की है। तो उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दें तो मालूम पड़ जायेगा कि जो मैंने कहा है वह बिल्कुल सही है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : This is a speech on the other side.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज्।

श्री मुरलीधर व्यास : इस रिपोर्ट को ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज्।

श्री रामानंद अग्रवाल : ओन ए पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

(शोरगुल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हमारे सामने असत्य बात कहते हैं, आप रिपोर्ट रखिये; साबित हो जायगा।

श्री रामानंद अग्रवाल : I want to raise a point of order.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : शर्म नहीं आती...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री ढाबरिया....

(शोरगुल)

श्री रामानंद अग्रवाल : मैं यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में एक डॉक्यूमेन्ट का रेफरेन्स देते हुए कुछ बातें कहीं, जो श्री संतरामजी द्वारा जो इन्क्वायरी की गई और रिपोर्ट दी गई, उस बारे में रेफर करते हुए कुछ तथ्य उन्होंने रखे हैं, इसलिये हमारा यह अधिकार है कि उस रिपोर्ट को टेबल ऑफ दि हाउस पर रखना चाहिए ताकि सत्य मालूम हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप इस पर व्यवस्था सुन लीजिये। जो माननीय सदस्य

(श्री उपाध्यक्ष)

ने अभी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय, इस विषय में पार्लियामेंट में अभी हाल ही में व्यवस्था हो चुकी है और यहां की भी व्यवस्था इस प्रकार की है, उसके अनुसार रिपोर्ट के अंदर की जो कुछ बात है जिसका संकेत मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं, इसके अलावा मंत्रि-मंडल को बाध्य नहीं किया जा सकता। कई कारणों की वजह से वे किसी रिपोर्ट को रखें अथवा नहीं रखें।

श्री रामानंद अग्रवाल : जिस व्यवस्था का रेफरेन्स दिया गया है....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रूलिंग के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस डॉक्यूमेन्ट को लेकर बार बार रेफरेन्स दिया जाता है, उस डॉक्युमेन्ट के आधार पर विरोधी दल ने जो आरोप लगाये हैं वे सही नहीं हैं, यह कह कर ठुकराया जाता है। यह प्रश्न केवल सिद्धान्त का नहीं है लेकिन इस विवाद का है कि जो आरोप लगाये गये उनकी जो जांच की गई उसका परिणाम क्या निकला, उसका मुख्य मंत्रीजी ने या ट्रेजरी बैन्चेज ने उपयोग किया, लेकिन जब तक वह रिपोर्ट हमारे पास नहीं है उस समय तक हम नहीं कह सकते कि मुख्य मंत्रीजी जो कह रहे है वे सही है और हमने जो आरोप लगाये है वे गलत हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि सारे विवाद को निपटाने के लिये यह आवश्यक है कि संतरामजी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय और इसके अलावा जिसने आरोप लगाये उनके बयान नहीं लिये गये, आरोप की जांच कराई और जांच के परिणाम से, लिखित में जिन्होंने शिकायत की उनको कम्युनिकेट करते तो पता चलता, लेकिन आपने कॉम्युनिकेट नहीं किया और आप उसको रेफर करते जा रहे हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जाय जिससे जानकारी मिले कि जिन लोगों ने आरोप लगाये हैं, जिनके एविडेन्स हुए हैं, रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है, उसके आधार पर सदस्यों ने जो आरोप लगाये हैं वे गलत हैं। गलत होने के उपरान्त भी कई चीजें ऐसी हो सकती है जो इन्क्वायरी ऑफिसर के नोटीस में नहीं आई हों उनको नोटिस में लाकर उन पर सोचा जा सकता है। इसलिये यह जरूरी है कि इसको सदन की मेज पर रखा जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट सदन में पेश करना और मैं कह रहा हूं उसमें तथ्य नहीं है इस बात को समझ कर चलना मैं समझता हूं इस पहलू पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। गवर्नमेन्ट कई मामलों में रिपोर्ट मांगती है, कई सीक्रेट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रिपोर्ट्स भी होती हैं उनको सदन की मेज पर राज्य सरकार रखे, न रखे यह सरकार का प्रिविलेज है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं, इस रिपोर्ट का सदन की मेज पर रखा जाना वाजिब नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि इस बात को लेकर एक इस प्रकार का विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई कि जैसे मैं कह रहा हूं, वह गलत आधार पर कह रहा हूं, मैं रिपोर्ट सदन की मेज पर तो नहीं रखना चाहूंगा लेकिन स्पीकर महोदय को उनके व्यक्तिगत संतोष के लिये जो कुछ मैं कह रहा हूं उन फैक्ट्स में फर्म नहीं है, यह मैं उन्हें दिखा दूंगा। मैं समझता हूं माननीय सदस्य यह मानकर चल सकते हैं कि मैं यहां कोई बात कहता हूं तो तथ्यों के आधार पर कहता हूं इस पर उनको पूर्ण संतोष होना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : जो बात मैंने कही उसकी इन्क्वायरी नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को तो आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, रूलिंग आपकी हो गई। लेकिन इस रतनगढ़ की घटना में एक माननीय सदस्य इस सदन के हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको पीटा गया, उनके रिश्तेदारों को पीटा, उनके साथ ज्यादती की तो क्या सदन उचित नहीं समझता कि सरकार के अधिकारियों ने या पुलिस अधिकारियों ने जो इन्क्वायरी करके रिपोर्ट पेश की उसको सदन की मेज पर नहीं रखे ? हमें प्रोटेक्शन चेयर की तरफ से नहीं मिला तो सरकार किसी भी मेम्बर को पिटवा देगी। क्यों नहीं सरकार रिपोर्ट को मेज पर रखती ताकि मालूम हो जाय कि माननीय मेम्बर का कंडक्ट किस प्रकार का रहा और पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है ये दो चीजें सदन में स्पष्ट होनी चाहिये, यह मैं पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जो पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज उठाया है उस विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस की परम्पराओं का पुराना इतिहास और जो पार्लियामेन्ट में हो रहा है उससे और जो आसपास के प्रान्तों की विधान सभाओं में होता है उनसे सारी परम्पराओं का निर्माण होता है और इसके अलावा जो कुछ भी कानून में आता है, संविधान में अथवा रूल्स में वह निहित किया जाता है। रूल्स की धारा २८८ सूचना के लिये पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिससे पेपर्स टू बी लेड ओन दि टेबल का प्रावधान है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई पेपर या रिपोर्ट, जिसके विषय में जिक्र किया जाय तो उसको हाउस में रखा जा सकता है।

"Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest......"

इसमें कॉन्फीडेन्शियल नहीं कहा है

(श्री उपाध्यक्ष)

"Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table."

इस आवशय के अनुसार इस हाउस में पहले भी रूलिंग हुई और अभी हाल ही में जो उड़ीसा का मामला हुआ, उस विषय में लोक सभा के स्पीकर ने भी इस आशय की रूलिंग दी कि यदि इस प्रकार की कोई रिपोर्ट है तो यह तरीका रहा कि अध्यक्ष महोदय को दिखा दी जाय इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता। स्पीकर लोक सभा ने भी स्पष्ट व्यक्त किया और राज्य सभा के चेयरमेन ने भी स्पष्ट व्यक्त किया कि सरकार को किसी रिपोर्ट को टेबल पर रखने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से यह प्रावधान है। यह कोई आज का बना नहीं है काफी अर्से पहले का प्रावधान है।

सारी जो परम्परायें चली आ रही हैं, उन्हीं को स्टडी करके बनाया हुआ प्रावधान है, उसी के अनुसार यह पढ़ कर देने का जो इसमें वाक्य है उसी के ऊपर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस विषय में अगर सम्बन्धित मंत्री पढ़कर दे देते हैं तो वह पर्याप्त होता है और उसके अलावा भी यदि कोई बात रह जाती है तो वह अपनी रिपोर्ट स्पीकर महोदय को दे दें। यह आशय यहां पर मुख्य मंत्री महोदय ने व्यक्त कर भी दिया है। उस रिपोर्ट को हमारे हाउस के अध्यक्ष को बता देंगे और उससे उनको तथ्यातथ्य की जानकारी हो जायगी। बाकी जिस रूप में जो यहां कहना होगा वह यहां कहेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस पोइन्ट पर पहले भी चेअर की रूलिंग हुई है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो फर्माया और जो रूलिंग दी वह शिरोधार्य है और एक उड़ीसा का केस रेफर किया....

श्री उपाध्यक्ष : उड़ीसा का केस मैंने तो सारी परम्पराओं का दृष्टान्त देते हुए कहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने डाइरेक्ट उसे रेफर किया हो।

श्री मानसिंह महार : मेरा पोइन्ट आफ आॅर्डर सुन लीजिये, सरकार! ऐसा निवेदन था, उड़ीसा का केस था वह मंत्रियों के कुछ खायगी का था।

श्री उपाध्यक्ष : खैर, उससे कोई सम्बन्धित नहीं है। What is your point of order?

श्री मानसिंह महार : मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं एक्स्प्लेन कर रहा हूं। अपने आपकी बात मैं सीधी कैसे कह दूं? उपाध्यक्ष महोदय, यह खाने-पीने की रिपोर्ट भले ही गुप-चुप रखी जाय...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): नहीं, हमें एतराज है।

Page No 136

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : हमें एतराज है, जबर्दस्त एतराज है ।

श्री मानसिंह महार : मंत्री महोदय पैसा-वैसा खा जायं और उसकी रिपोर्ट दबा जायं तो दबा जायं । मैं तो कहता हूं खाने पीने दिया जाय । लेकिन अगर कोई सदस्य गलत काम करता है, उसके खिलाफ रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना चाहिए, यह अधिकार है हमारा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री,शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग के उपर बोल रहे हैं ।

श्री मानसिंह महार : हम ऐसे आदमी नहीं हैं कि कोई सदस्य हममें से गलत काम करे तो उसकी रिपोर्ट को दबा दिया जाय । हमारी अगर कोई गलती है...

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी बात को समझ गया हूं...

श्री मानसिंह महार : अगर मेरे मित्र एम. एल.ए. ने कोई गलती की है और संतराम शर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कोई ऐसी बात लिखी है तो उसे टेबल ऑफ दी हाउस पर रखा जाय । हम चाहेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर ! आपकी बात मेरी समझ में आ गई है और जो आज का विधि-विधान है उसके अनुसार जो कुछ व्यवस्था दी जा सकती थी वह दी गई है । उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता ।

श्री मानसिंह महार : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, उपाध्यक्ष महोदय । मैं एक बात निवेदन करूंगा कि एक सदस्य के खिलाफ, जो संतराम शर्मा कमेटी ने रिपोर्ट दी है वह सदन की मेज पर आनी चाहिये । मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे मुख्य मंत्रीजी को बाध्य करें, जो कुछ भी उनके खिलाफ उस रिपोर्ट में है वह सदन के समक्ष आवे । हम उसे देखना चाहते हैं और अगर कोई सदस्य ने गलत काम किया है तो उनके खिलाफ हम....

श्री उपाध्यक्ष : आप उसी बात को कह रहा हैं ।

श्री मानसिंह महार : प्रिविलेज मोशन लायेंगे और ऐसे सदस्य को सदन का सदस्य नहीं रहने देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री निरंजननाथ आचार्य से) आप इस विषय में...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये डिप्टी मिनिस्टर क्या कहते हैं वह हम नहीं सुनना चाहते हैं । हम नहीं सुनेंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज, सर,.......

(शोरगुल-व्यवधान)

विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य : हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज, सर,

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : यह झूंठा स्टेटमेंट दिया है ।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये पांचवें सवार हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of Privilege, Sir, I am in opsession of the floor of the House.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

(शोरगुल-व्यवधान)

विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य : (श्री निरंजननाथ आचार्य से बैठ जाओ ! बैठ जाओ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज, सर.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर , सर.......

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप कुर्सी पर बैठे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पोइन्ट .ऑफ ऑर्डर रखने का मौका दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! क्या पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज है ? ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप क्या बात करना चाहते हैं ? बैठ जाइये ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : हम आपको नहीं सुनेंगे, मुख्य मंत्री जी कहें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I have raised a point of order, Sir, भैरोंसिहजी का जो पोइन्ट ऑफ आर्डर था..

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज, सर...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I have alrady raised a point of order !

विपक्ष के माननीय सदस्य (श्री निरंजननाथ आचार्य से) बैठ जाओ, बैठ जाओ ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बीस मिनट हो गये हैं पोइंट ऑफ ऑर्डर उठाये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, ओन ए पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज ! आप मुझे प्रोटेक्शन देंगे । ओन ए पोइन्ट ऑफ प्रोटेक्शन, सर...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने अपना पोइन्ट ऑफ ऑर्डर बीस मिनट पहले उठाया है ।

विपक्ष के माननीय सदस्य : (श्री निरंजननाथ आचार्य से) आप बैठ जाओ । बैठ जाओ ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I should be given a chance to raisea po-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

int of pivilege, Sir, my poinnt of Privilege should be taken into consideration.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पोइन्ट ऑफ़ ऑर्डर उठाये बीस मिनिट हो गये हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं कहना चाहत हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको रोकते क्यों नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : सुनें तब न !

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज, सर.......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप कंट्रोल करिये !

विपक्ष के माननीय सदस्य : (श्री निरंजननाथ आचार्य से) बैठ जाओ ! बैठ जाओ !

श्री मानसिंह महार : हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : जो पोइंट ऑफ प्रिविलेज है उसको डिस्पोज ऑफ पहले होना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, भैरोंसिहजी ने जो पोइंट ऑफ ऑर्डर उठाया उसके बाद में मैं और मेरे बाद में रामानन्दजी ने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद देखेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है वह डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। It stands

श्री उपाध्यक्ष : भैरोंसिहजी का पोइन्ट ऑफ ऑर्डर डिस्पोज ऑफ हुआ, उसके बाद में इन्होंने उठाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसके बाद में मैंने उठाया है और रामानन्द जी ने उठाया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप उठाइये, लेकिन it should be brief !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इनको (श्री निरंजननाथ आचार्य को) तो बिठाइये।

विपक्ष के माननीय सदस्य : बैठ जाओ ! बैठ जाओ !

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I am in possession of the floor.

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो इनमें से किसी को बाहर फिकवाइये, बाहर निकलवाये ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मानसिंह महार : हम उन्हें नहीं सुनना चाहते हैं, मुख्य मंत्री को सुनना चाहते हैं, इनको नहीं सुनाना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी पोइन्ट ऑफ ऑर्डर भैरोंसिहजी ने उठाया, उसको डिस्पोज़ ऑफ किया ।

कई माननीय सदस्य : ये बीच में क्यों खड़े हुए ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पहले पोइन्ट ऑफ आर्डर का स्पष्टीकरण होना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पांचवें सवार को खड़ा करिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा पांचवा पोइन्ट ऑफ आर्डर है । पहले श्री भैरोंसिह जी ने उठाया था, उसके बाद रामानन्दजी ने उठाया और फिर मैंने उठाया...

श्री मानसिंह महार : हमने भी उठाया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और फिर मैंने उठाया ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : The chair is vigilant of all the points of order.

श्री उपाध्यक्ष : उनका पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज था !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उनका पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज सुन लीजिये; बोल लीजिये, फर्माइये !

श्री मानसिंह महार : खड़े ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज कहिये ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर होता है तो पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज बाद में आता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज है ।

(शोरगुल-व्यवधान)

My point of privilege is...

विपक्ष के माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलो, हिन्दी में बोलो ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Speak in Hindi.

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन है वह यह है, उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने व्यव-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

स्था इस सम्बन्ध में, इस डॉक्युमेंट के सम्बन्ध में एक दफा दी, दो दफा दी....

श्री मानसिंह महार : दस दफा दी !

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर ने इस सम्बन्ध में, इस डॉक्युमेंट के सम्बन्ध में यहां पर तीसरी व्यवस्था दी। इन तीन व्यवस्थाओं के हो जाने के बाद यह प्रश्न ओपन नहीं होता है। उसके बाद भी, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आपकी व्यवस्था के बाद भी बार बार खड़े होकर उन व्यवस्थाओं को नहीं मानते हैं, उनको भंग करते हैं और कन्वेसिंग करते हैं, उन माननीय सदस्यों को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में डील किया जाना चाहिए और चूंकि यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आपके सामने यहां कमिट हुआ है और मैं स्पष्टतया कहना चाहता हूं कि आमेर' से आने वाले माननीय सदस्य ने, आपकी व्यवस्था की जो सेंक्टिटी है, जो ट्रेडीशन्स की हैं, जो डेकोरम की है और जो व्यवस्था माननीय अध्यक्षजी ने भी दी है, उस व्यवस्था को बार बार आपके सामने चुनौती दी है, उसको भंग किया है इस तरह के कन्डक्ट के द्वारा। मेरा निवेदन है कि मेरा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन एन्टर्टेन करके उन माननीय सदस्यों को डील किये जाने की व्यवस्था जो दी जानी चाहिए वह आपको देनी चाहिए।

श्री मानसिंह महार : ओन ए पोइन्ट ऑफ पर्सनल क्लेरीफिकेशन, सर, क्योंकि मुझ पर आरोप लगाया है इसलिए मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं कह रहा हूं वह ठीक कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! पहले मेरी व्यवस्था सुन लीजिये।

जो पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज माननीय उप मंत्री ने यहां पर प्रस्तुत किया है, इस सदन के रूल्स के मुताबिक, मैं यह चाहूंगा कि वे इन राइटिंग, यथाविधि दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में है।

कुछ माननीय सदस्य : बैठ जाओ ! बैठ जाओ !!

श्री मानसिंह महार : ओन ए पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज, सर,.... ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो कुछ इन्होंने कहा है उसको एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : That is......

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसको एक्सपंज कर दिया जाय। यह आउट ऑफ ऑर्डर है।

श्री मानसिंह महार : मेरा पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज है। मेरे बारे में जो कहा गया है, वह सदन की कार्यवाही से एक्सपंज होना चाहिए या ये लिख कर दे दें; नहीं तो मैं कमेटी के सामने जाने को तैयार हूं, यदि मैंने कोई गलती की है, वरना इन्होंने

(श्री मानसिंह माहर)

जो कुछ कहा है वह एक्सपंज होना चाहिए और ये सदन से माफी मांगें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी रूलिंग को...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हांडा, Do you want to say something?

(विराम)

माननीय हांडा, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहते हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर का भाषण प्रारम्भ हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पोइंट ऑफ ऑर्डर है। सदन के एक माननीय सदस्य पर चार्ज लगाया और वह यह लगाया गया कि उन्होंने यहां गलत बात कही...

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर व्यवस्था दी गई है और अब इस पर प्रकाश नहीं डालना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, आपकी उस व्यवस्था को मैं शिरोधार्य मानता हूं और उस पर कोई आलोचना नहीं करता हूं। प्रश्न यह है कि सदन के एक माननीय सदस्य मुख्य मन्त्री एक ड्राफ्ट में से कोटेशन दे रहे हैं और उसके आधार पर कही हुई माननीय सदस्य की बात को गलत बता रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर चुका हूं कि वे रिलेवेन्ट पोर्शन के बारे में कह रहे हैं और इसका प्रमाण स्पीकर महोदय के पास पेश कर देंगे। इसलिये इस विषय पर अधिक बात-चीत नहीं होकर बहस जारी रहे।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री ने मेरे पत्र का हवाला दिया है और मेरे लिये कहा है, इसलिये मेरा पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मुख्य मंत्री ने मेरे पत्र का हवाला दिया और मेरी बात कही है। प्रश्न यह है कि मेरा भी प्रिविलेज है, मेरे खिलाफ जिस प्रकार के चार्जेज लगे। चूंकि चीफ मिनिस्टर सारे सदन में बोल रहे हैं और इसमें कितनी बातें सत्य हैं और कितनी गलत हैं, इसको जानने और कहने का मेरा भी प्रिविलेज है। अगर मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज उठाना चाहूं तो फिर किस बुनियाद पर उठा सकता हूं; इसलिये मैं निवेदन करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप कोई पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज उठाना चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में ऑब्जर्वेशन दिया जा चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी आपने फरमाया कि चीफ मिनिस्टर ने जो भी बात कही है और रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को हाउस में नहीं रखते....

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज उठाना चाहते हैं तो उस पर ऑब्जर्वेशन हो चुका।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी यह इमेजिनरी रिपोर्ट से कोटेशन दे रहे हैं। अब यह प्रश्न है कि वे स्पीकर महोदय के पास दे दें, मगर यह तो वे स्पीच के बाद देंगे ? हो सकता है कि यह बाद में दूसरा पेश कर दे....

श्री उपाध्यक्ष : आप हाउस की डिग्निटी को चैलेंज कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इमेजिनेरी रिपोर्ट से कोट कर रहे हैं और संतरामजी की दूसरी झूठी रिपोर्ट टाइप हो रही हो तो इसके लिये यह जरूरी है कि वे इसे सदन की मेज पर रखें। एक काल्पनिक रिपोर्ट से कोट कर दिया हो इस बात की क्या गारन्टी है ? अगर ऐसा नहीं है तो वे इस सदन के सामने क्यों नहीं रख देते ?

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे–(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज !!

माननीय सदस्य।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ! अगर आप ऐसा करेंगे तो नियम के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही होगी।

(शोरगुल)

ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह झाला : एक जानकारी मैं आपसे करना चाहूंगा। किसी माननीय सदस्य के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो और उसकी जांच हो और जांच सदन में नहीं लाई जावे तो सदस्य के समक्ष कौनसा ऐसा रास्ता रह जाता है ?

एक माननीय सदस्य : यह बात एक दफा, नहीं कई बार कह चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मूर्खों को समझाने के लिए ५० दफे कहना पड़ता है।

(४. ५१ म. प.)

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय अध्यक्ष, इन्होंने मूर्ख कहा है इसलिए जो "मूर्ख" शब्द कहा है उसको वापिस लें, नहीं तो हम भी शोर करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने केवल मूर्खों के लिए कहा है, आपके लिये नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : माननीय अध्यक्ष, रतनगढ़ में जो कुछ हुआ और उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट आई वह रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये क्योंकि माननीय सदस्य का यह कहना है कि संतरामजी ने रिपोर्ट दी है उसमें पुलिस की गलती बताई है। चीफ मिनिस्टर के कहने के अनुसार माननीय सदस्य की गलती है। ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और इससे कन्ट्रोवर्सी पैदा होती है। जब इस प्रकार की कन्ट्रोवर्सी उत्पन्न होती है तो....

श्री अध्यक्ष : इसमें आपका पोइन्ट ऑफ आॅर्डर क्या है ?

श्री विजयसिंह झाला : मैं यह जानना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : यह जानने का समय नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : संतरामजी ने जो रिपोर्ट दी है कि पुलिस की त्रुटि है वह रिपोर्ट को बतलाई जायेगी। अगर सदन में नहीं रखी जावेगी तो सारी कार्यवाही को छिपाना चाहते हैं हमारे मुख्य मंत्रीजी। ऐसी स्थिति में पोइन्ट ऑफ आॅर्डर उठाता हूं कि इसकी जांच हो चुकी है, रिपोर्ट को सदन की मेज पर...

श्री अध्यक्ष : यह कोई पोइन्ट ऑफ आॅर्डर नहीं, यह तो व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विजयसिंह झाला : आखिर हमारे सामने ऐसा कौनसा रास्ता है...

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय.......

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, पोइंट ऑफ प्रिविलेज, सर, आखिर रतनगढ़ और चूरू की घटना को लेकर यहां पर जिक्र हुआ है और एक पत्र मैंने दिया। उसे सी० आई० डी० की इन्क्वायरी को भेजा और उसकी इन्क्वायरी करके रिपोर्ट दी। माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हुई, उसका उल्लेख सदन में होता है। हमें यह कहना है कि मुख्य मंत्रीजी कहते हैं वह सही है या नहीं और अगर इसके खिलाफ हम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लाना चाहें तो नहीं ला सकते जब तक वह रिपोर्ट हमारे सामने नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : आप तो भाषण दे रहे हैं। इसमें पोइंट ऑफ प्रिविलेज क्या है ?

(श्री मुरलीधर व्यास बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष : आप इसको बढ़ाना चाहते हैं। इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। आज दिन भर से बहस हो रही है, जो आपने कई दफा कह दिया और इस

Page No 144

(श्री अध्यक्ष)

पर व्यवस्था दी जा रही है। आप बहस को इस तरह करना चाहते हैं जिससे आगे नहीं बढ़ा जाए। कार्यवाही को इस तरह रोक दिया। आज का जो निर्धारित कार्यक्रम है उसको आप बदलना चाहते है, यह तो उचित नहीं हो सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : एक माननीय सदस्य जो इसमें इन्वोल्व्ड हैं। माननीय मंत्रीजी यह कह दें कि लाठी मारी, लाठियां पड़ी हम लोगों पर, कान फटे हम लोगों के।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसको भी कई बार कह चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : वे तो सब कुछ कह दें....

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को आप छोड़ दें। इसके बारे में क्या किया जाना चाहिये वह नियम के अनुसार, समय पर व्यवस्था दी जा सकती है। बहस को लम्बा करना उचित नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की उत्तेजना सदन में फैली है वह न इधर के सदस्यों के लिये और न उधर के सदस्यों के लिये उचित है। उसका कारण जो पैदा हुआ वह यह है कि एक डॉक्यूमेंट का मुख्य मंत्रीजी ने रेफरेंस दिया, जिसका उस घटना से ताल्लुक है। एक ओर एक मंत्री महोदय थे और दूसरी ओर इस सदन के माननीय सदस्य थे। हम नहीं चाहते कि कोई दुर्घटना किसी मंत्री के साथ हो; न मंत्रीजी चाहते है कि कोई दुर्घटना इस सदन के किसी माननीय सदस्य के साथ हो। उनकी इज्जत को बरकरार रखना आपके हाथ में है। इस दृष्टि से मुख्य मंत्रीजी ने जिस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया, जिसमें पुलिस अफसर की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा उसी पुलिस अफसर से जांच करवाई, उस अफसर के द्वारा इस मामले की जांच हुई है जिनके लिये ऑपोजिशन की तरफ से कहा गया था तो उसकी रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, गवर्नमेंट एग्जोनरेट होती है, गवर्नमेंट के हाथ में पॉवर होने के कारण उसने अपने पॉवर्स का दुरुपयोग नहीं किया, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को क्रश नहीं किया। इसलिये उस रूल को जिसमें कि डिस्क्रीशन दिया है कि हाउस की टेबल पर रखें न रखें, इसे टैक्निकली न लेकर, चूंकि एक तरफ गवर्नमेंट और दूसरी तरफ माननीय सदस्य की इज्जत दोनों की इज्जत इन्वोल्व्ड हुई है इसलिये तथ्य क्या हैं, सदन को इस बात की जानकारी कराने के लिये सदन की मेज पर रिपोर्ट रख दी जाय ताकि वास्तविक संतोष सदस्यों को मिले और उत्तेजना सदन में नहीं आये।

श्री अध्यक्ष : उत्तेजना आयेगी, नहीं आयेगी; यह प्रश्न नहीं सदन में पहले यह आ चुका है कि सरकार को किस हद तक किसी रिपोर्ट को सदन में रखने के लिये बाध्य किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के

Page No 145

(श्री अध्यक्ष)

बारे में भी पहले सदन में आ चुका है। सरकार की मान्यता है कि इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर नहीं रखा जा सकता....

श्री मोहनलाल सारस्वत : हवाला दिया है मुख्य मंत्रीजी ने...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने शोर मचाया तो मुझे बड़े दुख के साथ बाध्य होकर कहना पड़ेगा कि आप सदन छोड़ कर चले जायं।...

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार बाहर निकाल दिया जायगा तो क्या होगा ? आपको अगर यही पसंद है कि हमारे प्रिविलेजेज को क्रश किया जाय तो निकाल दीजिये। इन्होंने पुलिस से पिटवाया, आप यहां से निकलवा दीजिये, इस प्रकार आकर यह दिखाना चाहते हैं कि आप कन्ट्रोल इस तरह से कर सकते हैं, हमको निकलवा सकते हैं, हम पर डंडे पड़ें वह बर्दाश्त किया तो निकालना भी बर्दाश्त कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बीसवीं शताब्दी में यों दबाना चाहते हैं! निकलवा दीजिये....

(विराम)

जो सुन्दर लगता हो वह कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप तथ्य से बाहर जाने की कोशिश न करें, सदन के माननीय सदस्यों को भ्रम में न डालें। मैं एक बात कहना चाहता था, एक व्यवस्था देना चाहता था उस समय मुझे माननीय सदस्य बोलने देना नहीं चाहें और आप इस तरह से दबायें यह उचित नहीं। सदन का मुझ में विश्वास नहीं हो तो आप चाहे जैसा करें, पर सदन में व्यवस्था रखना मेरा कर्त्तव्य है। सदन का कार्य आप सबके सहयोग से चल सकता है। मैं एक व्यवस्था देना चाहता था, मैं मेरा सेंटेन्स पूरा नहीं कह सका, इतने में चार माननीय सदस्य उठ कर बोलने लग गये। बोलने का माननीय सदस्यों को मौके-ब-मौके, नियम हो न हों, हमने मौका दिया, चेअर से, अध्यक्ष के शासन की ओर से पर हमारे नियमों की, अधिकारों की सीमा है कि किस प्रकार उनका प्रतिपादन किया जाय; इस पर आप उत्तेजित हो जायं और इस तरह से सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचायें, आप चाहे नाराज हों; यह मेरा कर्त्तव्य है कि जहां नियमों का उल्लंघन हो, सदन की कार्यवाही में बाधा डाली जाय वहां दबाना पड़ेगा।......

श्री मुरलीधर व्यास : आप कहते हैं दबाना पड़ेगा।...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था के लिये चाहे खड़े दबाने की आवश्यकता पड़े, विधान की, नियमों की उपेक्षा होती है तो दबाना पड़ेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : दबाने का मतलब मैं समझ नहीं पाया.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य खुद जानते हैं और हमारे नियमों में प्रावधान है, जिस नियम का माननीय सदस्य रेफेरेंस दे रहे हैं, उस नियम में प्रावधान है कि सरकार चाहे तो रख सकती है और नहीं चांहे तो नहीं रखे। माननीय सदस्यों को इसके लिये बोलने का कई दफा मौका दिया गया, आज भी मौका दिया, पहले भी मौका दिया; पर बाध्य तो नियमों के अन्तर्गत रखने के लिये नहीं किया जा सकता। मांग मनवाना हो तो और मौके मिल सकते हैं। आपके सहयोग से सदन की कार्यवाही चल सकती है, जो कार्यवाही निर्धारित है उसे पूरा होने दें और मुख्य मंत्रीजी को जवाब देने दें; अन्यथा मुझे तो अन्य कोई व्यवस्था नहीं दिखती कि कैसे व्यवस्था चल सकती है।

श्री रामानंद अग्रवाल : हमने हमेशा विधान के अनुसार इस सदन की परम्पराओं की, इज्जत को कायम रखना हमारा कर्त्तव्य माना है और चेअर को सहयोग दिया है। उनकी तरफ से जो आशाएं हुई हैं, उनको शिरोधार्य किया है, पर जिस माननीय सदस्य को पुलिस ने मारा-पीटा है, इस प्रकार के तथ्य सदन के सामने रखे गये, वे सदस्य पहले बोलना चाहते थे, उनको किसी कारण समय नहीं मिला, मैं आसन को दोष नहीं देना चाहता, पर सदन यह तो जानना चाहता है कि सरकार की तरफ से किस वैमनस्य के कारण, पोलिटिकल कारणों से इस तरीके का प्रोसीक्यूशन किया। चेअर के हाथ में हमारी रक्षा करना है। इस सदन के सदस्य होने के नाते जब इस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ होता है तो बहुत कटु कटु बातें कहते हैं और वे कटु बातें कहने के कारण चेअर से प्रोटेक्शन नहीं मिले, तो फिर इस सदन के सदस्यों के लिये और कहां जगह रह जायगी? हम यही तो मांग कर रहे थे कि जिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है उसे सदन की मेज पर रखा जाय, आप ओवर रूल भी कर दें तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी पर उस रूल की टेक्निकेलिटी पर आग्रह न करके, रूल की टेक्निकेलिटी को न लेकर सबको संतोष हो जाय उन तथ्यों से, इसलिये उसे सदन की मेज पर रखवा दें। जिस माननीय सदस्य के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, मार-पीट की गई, वे यहां प्रोटेक्शन सीक करें और अगर उनको यह धमकी दी जाय कि सख्त कार्यवाही होगी तो उसमें मदद नहीं मिलती। हमने आसन को हमेशा सहयोग दिया है और देंगे, इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दृष्टि से इस पर विचार करके हमें संरक्षण दें, यही हमारी आकांक्षा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं छोटा सा एक सजेशन देना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी ने वह रिपोर्ट आपको अवलोकनार्थ देने की घोषणा की; आपके पास वह रिपोर्ट आयेगी, उसमें जांच के परिणाम होंगे। यदि मुख्य मंत्रीजी यह घोषणा कर दें कि जो माननीय सदस्य देखना चाहें उनको वह रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष महोदय दिखा दें, तो सदन के माननीय सदस्यों को संतोष हो जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): मैंने कहा है कि यह आगे के लिये प्रिसीडेन्स

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नहीं हो। इसलिये यह माननीय अध्यक्ष को दिखाने की बात कही है, इससे आगे और कोई कुछ करने का प्रश्न खड़ा नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब उसका आपने हवाला दिया है.......

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मैंने निवेदन किया, मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं। एक तरफ तो माननीय सदस्य कहते हैं कि वे सारी व्यवस्था को मानने को तैयार हैं, शिरोधार्य करने को तैयार हैं और दूसरी तरफ कई बार व्यवस्था दी जा चुकी है फिर भी बहस करते जा रहे हैं। धमकी का प्रश्न नहीं। अगर वे नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आसन की शक्ति को कम करते हैं उनकी मदद करने में। नियमों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किस तरह से हो यह माननीय सदस्यों के संयम पर, नियमों पर मुनस्सर करता है, नियमों के ऊपर (विपरीत) जाकर करें तो न तो सदन का कार्य अच्छी तरह से चल सकता है और न कोई प्रश्न का ही हल हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस प्रश्न को जटिल न करें और मुख्य मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया है उसे स्वीकार करलें।

एक प्रश्न पहले भी सदन में आया था कि बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट पेश करें। उस पर माननीय सदस्यों ने बार बार कहा, यह तो डेमोक्रेटिक तरीका है, विवाद कर सकते हैं, स्थगन-प्रस्ताव ला सकते हैं, नियमों के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं, अध्यक्षीय आसन से हमेशा माननीय सदस्यों को सहयोग मिलता आया है; पर यह कहें कि आप चाहें जैसा हो तो मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। अतः मैं निवेदन करूंगा कि वातावरण को उत्तेजित न करें, आपके मन में भावना है उसे दबाने की; मैं समझता हूं दबाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये, न पड़ेगी।

(५.०० म० प०)

मैं आशा करता हूं कि इतना कहने के बाद अब आगे की कार्यवाही शुरू करें और इस बात को यहीं छोड़ देंगे।

श्री भैरोंसिंह : पोइंट ऑफ ऑर्डर है मेरा, बहुत इम्पोर्टेन्ट.....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : समय बढ़ाया गया।

श्री भैरोंसिंह : मेरा पोइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि मुख्य मन्त्री ने बताया कि कुछ लोगों के खिलाफ, जिनमें माननीय सदस्य भी शामिल हैं, मुकदमा कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन मुख्य मन्त्री ने अपना वर्णन इस सदन में दिया है कि जो कुछ आरोप उन्होंने लगाए हैं वे गलत हैं या इनकी गल्ती थी। तो मैं समझता हूं कि ऐसे सबजुडिस मामले में जिसमें ओपनली चीफ मिनिस्टर इस प्रकार का वर्णन दें, तो वह उस मामले को निश्चित रूप से अफैक्ट करेगा। इसलिए जो कुछ

(श्री भैरोंसिंह)

मुख्यमन्त्री ने कहा है यह सदन की प्रोसीडिंग्ज से एक्सपंज किया जाय ताकि मामला उसी लेवल पर आ जाय और कोर्ट इन्डिपेन्डेंटली अपना निर्णय दे सके ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा है कि माननीय सदस्य पर क्या आरोप है । बाकी किस व्यक्ति का कितना दोष है, इस मामले में, उस बात का जिक्र मैंने इस सदन में नहीं किया है क्योंकि वह मामला अदालत के सामने पेश हैं और अदालत को उस मामले में अपना जजमेंट देना है । इसलिए मैंने कहीं भी किन माननीय सदस्यों का दोष है, या अमुक दोष है, ऐसा नहीं कहा । जो जनरल रिपोर्ट थी, वहां की फैक्ट्स थीं, उनके बारे में कहा है और उन फैक्ट्स की घटनाओं पर कहा; जैसे ट्रेन पर पत्थर फेंके, एस० डी० ओ० का तार काट दिया गया और दूसरी जगह आग लगा दी गई, ये फैक्ट्स कहां किस व्यक्ति ने क्या किया जिसका असर कल किसी के केस पर पड़े, ऐसी बात नहीं कही ।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने कहा, पुलिस का कोई कुसूर नहीं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब इस केस के बारे में अदालत के सामने चालान पेश किए गए हैं, मैं समझता हूं, अधिक वाद-विवाद इस बारे में न हो क्योंकि वह सबजुडिस केस है और इसलिए इसमें अधिक नहीं पड़ना चाहूँगा ।

इस प्रश्न के अलावा....

श्री भैरोंसिंह : मेरा पोइंट ऑफ ऑर्डर है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं माननीय सदस्यों को फिर भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि किसी भी पोलिटिकल रीज़न्स से कोई भी कार्यवाही करने का प्रश्न खड़ा नहीं होता है; न की जाती है, न की जायगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Your actions are so. Mere saying will not do anything.

आप इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि रिपोर्ट को दे सकें । घोषणा को क्या करें ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने गवर्नमेंट ऑफिसर का ट्रांस्फर किया, उसको २५ दिन पंचायतों के इलेक्शन्स में छुट्टी दी, उसने तीन बार हमला किया, यह रिपोर्ट मैंने कलेक्टर को दी । आपको तार दिया, फिर भी आपने उस आदमी का बनेड़ा से ट्रांसफर नहीं किया ताकि वह मुझ पर हमला करे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसी ऑफिसर का ट्रांस्फर होता है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उससे कहा गया कि मारपीट करो । इसकी मैंने कलेक्टर को सूचना दी । आप चाहते हैं कि एक एक आदमी से बदला लें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सदन में माननीय सदस्य जब कभी अपनी बात कहते हैं...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हम डरेंगे नहीं ऐसे लोगों से । हम नहीं सुनेंगे ।

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : मेरे पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का क्या हुआ ? उन्होंने एग्री किया है कि मैंने फैक्ट्स सदन के अन्दर रखे हैं। कोर्ट का जजमेंट फैक्ट्स पर होगा । कोर्ट जो करेगी उस पर मुख्य मंत्री के शब्दों का भाव रहने वाला है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के फैक्ट्स जो उन्होंने बतलाए हैं, उन सबको सदन की कार्यवाही से एक्सपंज किया जाय, वर्ना निश्चित रूप से असर होगा और पैरोकार की तरफ से यह एवीडेन्स में कोट किया जा सकता है हालांकि असेम्बली की प्रोसीडिंग्ज एवीडेन्स नहीं है; लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू एवीडेन्स में बन सकती है । इसलिए सारे पोर्शन्स को एक्सपंज किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य का यह कहना है कि मुख्य मन्त्री या अन्य किन्हीं माननीय सदस्यों ने इस विषय में चर्चा की है, उसको निकाला जाय ?

श्री भैरोंसिंह : हां. निकाला जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रोसीडिंग्ज देख कर विचार किया जायगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सदन में पुलिस की डिमांड्स के दौरान इस बात को भी कहा गया कि क्राइम्स बढ़े हैं १९६४ में और इनएफीशियेन्सी बढ़ी है और दूसरी चर्चाएं आईं । बोर्डर के बारे में कुछ बात कही गई और जो कट मोशन्स आए हैं उनमें भी बोर्डर की स्थिति के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने विशेष तौर से ध्यान देने के बारे में कहा है। राजस्थान के अंदर पुलिस के जरिए जहां तक डकैतियों का प्रश्न है, इस समय जो हमारा दूसरी स्टेट्स से या पाकिस्तान के साथ बोर्डर मिलता है, वहां बड़ी घटनाएं होती हैं । इसके सिवाय राजस्थान के अंदर जो बहुत खराब स्थिति थी उसके अंदर काफी फर्क पड़ा है ।

राजस्थान आर० ए० सी० के खर्च पर एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो प्रावधान हमने पिछले साल किया था उसमें से काफी रुपया लैप्स हो गया जब कि इस समय देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह धनराशि उस पर खर्च करें । मैं निवेदन करूं कि जो कुछ रुपया खर्च नहीं हो पाया वह इक्विपमेंट के लिए था और वह इक्विपमेंट जो इस साल नहीं मिल पाया उसकी वजह से वह रुपया बचा और अगले वर्ष में यानी १९६५-६६ में एक्विपमेंट खरीद सकें, उसके लिए आवश्यक प्रावधान भी कर दिया गया है । क्योंकि उस वर्ष में नहीं खर्च किया जा सकता था इसलिए फर्क पड़ा । जो आर० ए० सी० की स्ट्रेंग्थ पहले थी, जो सुविधाएं वायरलेस की और दूसरी पहले राजस्थान के अन्दर थीं उसके मुकाबले में एमर्जेन्सी के बाद काफी परिवर्तन किए गए हैं । सारे विस्तार के अन्दर मुझे जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन स्ट्रेंग्थ बढ़ाना और वायरलेस वगैरह

Page No 150

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के जरिए और दूसरे इक्विपमेंट के जरिए उसको सुसज्जित करने के बारे में ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही की गई है ।

जब हम पुलिस के बारे मे जनरल तौर से बात करते हैं तो इस बात को न भूलना चाहिए कि राजस्थान की पुलिस के लिए खास तौर से हमारे यहां जो भौगोलिक कठिनाइयां हैं और हमारा बोर्डर जिस प्रकार मुश्किल पड़ता है, उस बोर्डर की रात दिन वे मेहनत करके हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं और मेरा यह कहना अनुचित न होगा कि इन् सारी कठिनाइयों के अंदर, उन्होंने राजस्थान की सीमा की ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से सुरक्षा की है और उसके लिए वे सब धन्यवाद के पात्र हैं ।

आज देश के सामने जो कुछ परिस्थितियां आ रही हैं, कभी हम पाकिस्तान की, कभी कच्छ के साइड में घटनाएं सुनते हैं, कभी बिहार के साइड में, उस मौके पर हम निश्चित रूप से सजग रहना चाहते हैं और उसके प्रति हम सजग हैं । बोर्डर इन्टेलीजेंस के लिए हमने इस साल के बजट में, माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि उसको बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किया है जिससे वहां के बारे में वह कार्यवाही हो सके । इतना ही नहीं, उस बोर्डर पर रहने वाले जो दूसरे लोग हैं जैसे हरिजन और मुसलमान भी उन लोगों के लिए भी कामकाज के लिहाज से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स बढ़ें, उनके रीहैबिलिटेशन की कार्यवाही हो, उस सम्बन्ध में भी अलग अलग कदम उठाए गए हैं जिनसे उन लोगों में विश्वास पैदा हो और ज्यादा से ज्यादा सम्पर्क स्थापित हो । जहां पर आवश्यक हुआ, हमने डी० आई० आर० में कार्यवाही भी की है और मैं ऐसा समझता हूं कि जो ज्यादा स्कूल खोले जा रहे हैं, होस्टल खोले जा रहे हैं, रिहेबिलिटेशन की कार्यवाही की जा रही है और अलग अलग चीजों के जरिये से भी वहां पर काम किया जा रहा है, सीमा का क्षेत्र बिल्कुल कटा हुआ रहे आम वातावरण से, उन परि-स्थितियों को बदलने के लिए पिछले अर्से में काफी कामयाबी हुई है ।

पुलिस फोर्स में साइन्टिफिक डेवलपमेंट हो, एम० ओ० बी० सेक्शन के इम्प्रूवमेन्ट के लिए और फिंगर प्रिन्ट इन्टलीजेन्स ब्यूरो के लिए, फ़ेन्जिक लेबोरेटरी के लिए और इंट्रोगेशन सेन्टर जयपुर में है, इन चीजों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जा सके, इनकी तरक्की की जा सके, उसके बारे में भी कार्यवाही की जा रही है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने जैसा सदन में कहा कि वक्त पर जल्दी पुलिस पहुंच सके, उसके बारे में इसी बजट में ४ लाख रुपयों का खास तौर से प्रावधान किया गया है जिससे सर्कल ऑफिसर्स और सर्कल इन्स्पेक्टर्स के लिए भी जहां ज्यादा आबादी है उनको मोटर साइकल्स और जीप्स के जरिये इक्विप करें जिससे प्रोम्प्टली जहां से भी शिकायत आवे पहुंच जावें और उन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चीजों को ठीक करने के लिए वे कामयाब हो सकें।

माननीय अध्यक्षजी, इसी सदन में क्राइम्स के लिए, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, बहुत कहा गया है कि राजस्थान में पिछले वर्ष के मुकाबले में काफी बढ़ गये हैं। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य जो एक बात कह रहे थे वह १९६३ की रिपोर्ट से कह रहे थे। जो लेटेस्ट रिपोर्ट यहां दी गई है उस रिपोर्ट से और जो जानकारी मैंने प्राप्त की है उसके आधार पर भारतवर्ष में जो क्राइम की पोजीशन रही है जितनी जानकारी मैं कर पाया हूं। उसमें यह है कि जहां सन् १९६३ में राजस्थान में २७,०४० की संख्या थी उसके बजाय सन् १९६४ में २६,६६५ हुई। उसी प्रकार पंजाब में १८,३७८ सन् १९६३ में और सन् ६४ में ३२,८२१ संख्या रही। महाराष्ट्र में १९६३ में जहां ६७,४६३ क्राइम की तादाद थी वहां १९६४ में ७७,४५८ हुई। इस बात से यह जाहिर होगा कि जहां तक क्राइम के अन्दर, उनके रजिस्ट्रेशन के अन्दर, दर्ज होने का उनका सवाल है भारतवर्ष का अन्दाजा हो सकता है, इसके अन्दर बढ़ोत्तरी हुई। लेकिन पुलिस की एफिशियेन्सी और काम का टेस्ट इस बात पर निर्भर करता है कि जो उनके पास केसेज आये उन केसेज़ में कितने रिकवर करते हैं और कितने कन्विक्शन्स करा पाती है। इस बात पर पुलिस की एफिशियेन्सी का अन्दाज लगाना होगा। इस बात पर जब विचार करते हैं और राजस्थान की पोज़ीशन को देखें तो सन् १९६२ के अन्दर जो केसेज़ उनके सामने आये हैं, जिनका उन्होंने चालान किया है उनमें ७९.७ परसेन्ट सक्सेसफुल हुए हैं सन् १९६३ में ८१.१ परसेन्ट और सन् १९६४ में ८२.६ परसेन्ट सक्सेसफुल हुए हैं। जहां तक कन्विक्शन का सवाल है दिनोंदिन उसमें तरक्की होती चली जा रही है। रिकवरीज़ का जहां तक सवाल है सन् १९६२ में ४४.४ से बढ़ कर सन् १९६३ में ४५.५ और सन् १९६४ से उससे बढ़ कर ५४.६ हुई है। इसी प्रकार रिकवरीज़ में भी पहले के मुकाबले में....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह सेटिस्फेक्टरी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऑल इन्डिया कन्विक्शन का जो एवरेज है, ५९ परसेन्ट है जब कि हमारा कन्विक्शन का एवरेज है वह ८२ परसेन्ट है..........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप फिर देख लीजिये, ऑल इन्डिया की रिकवरी की संख्या और परसेन्टेज ज्यादा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि राजस्थान के अन्दर उन चीजों में सुधार करने के साथ साथ उनके वेलफेयर और दूसरी एक्टीविटीज़ में काफी परिवर्तन किया गया है।

सदन में जो बहस हुई है उसके दौरान हमारे गंगानगर, रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात का जिक्र

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

किया जो आपके समक्ष रखा गया था, कोई सरोजनी देवी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके पत्र के बारे में जिक्र किया, उसके पत्र से क्या जाहिर होता है और उनके भाई और पति के बारे में भी जिक्र किया गया.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उन खतों का जिक्र नहीं किया। वे तो सदन की मेज पर रखे जा चुके हैं। मैंने तो डिफरेन्ट पत्र का जिक्र किया है जो सरोजनी देवी ने अपने पति को लिखा था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पिछली बार सदन में कहा था। वह महिला आज इस संसार में नहीं है। उसकी मृत्यु हो चुकी है। पिछली बार इस सदन के अन्दर जो फोटो प्रस्तुत किये गये उनके बारे में मैंने अपने जबाब में यह कहा था कि जो एस. पी. जयपुर हैं, उनके पास मैंने माननीय सदस्य से ही यह कहा था कि उन व्यक्तियों को जो सारे मामले को जानते हैं या इस बारे में जानकारी रखते हैं भिजवा दें और सारी बातें रखवा दें। सदन को पिछली बार जानकारी दी, जब यह सारा मामला उनके पास गया तो एस. पी. ने उनसे कहा था कि कम से कम ओरीजिनल लैटर लाकर बतायें, लेकिन ओरीजिनल लैटर ले जाकर उनके सामने पेश नहीं किया गया और एस. पी. ने सारी जानकारी करने के बाद यह कहा कि यह कागज फोर्ज्ड लैटर मालूम पड़ता है और इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है जिसको आधार माना जा सके और मान कर चल सकें। माननीय अध्यक्षजी, आपसी झगड़ा हो सकता है तथा और कोई चीज़ हो सकती है, उन चीजों के बारे में। इन्क्वायरी के लिए रेस्पोन्सिबल ऑफिसर के पास भेजा जाय और उनसे कहा जाय कि तथ्यों को रखें और फिर भी ओरीजिनल लेटर को न रखें और ओरिजिनल चीज़, और चीजें न आयें और सदन में उन चीजों को एजीटेट किया जाय, यह कहां तक उचित है ?

श्री मुरलीधर व्यास : किसने लैटर्स रखने के बारे में कहा था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एस. पी. ने कब कहा था कि ओरीजिनल रखो?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिनको आपने उनके पास कम्प्लेन्ट करने के लिए भेजा था उन्होंने ओरीजिनल लेटर नहीं रखा........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुख्य मन्त्रीजी, एस. पी. को यह सूचना दे दी गई थी कि ओरीजिनल लैटर्स मेरे पास हैं। उनको आवश्यकता होती तो मुझे गवर्नमेंट होस्टल के टेलीफोन नम्बर पर बुला कर मुझसे मांग सकते थे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिन व्यक्तियों को भेजा, सारा मैटीरियल उन्होंने उनके पास भेज दिया और भेजने के बाद जब उनसे जानकारी की गई तो उन्होंने यह बताया। फिर भी उस आधार पर यह कहने की कोशिश की जाती है, जो महिला आज जीवित नहीं है और जोड़ा यह जाता है कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उसके लिखे हुए लैटर्स हैं और अमुक अमुक व्यक्ति पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं और इसलिए अमुक व्यक्ति को सजा देनी चाहिये। आज एक नहीं दस लैटर्स उस महिला के नाम से पेश हो सकते हैं, जो आज जीवित नहीं है, कि अमुक अमुक व्यक्ति पाकिस्तान से मिले हुए हैं, उनके ऊपर केस लगा दिये जाय, गवर्नमेन्ट सर्विस में एक आदमी है जिसके प्रति ऐसी रिपोर्ट हुई है, ऐसे किसी व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार एक सूचना एक व्यक्ति देता है, उसको यह सब्स्टेन्शियेट करने के लिए तैयार नहीं है, हमें उसको सजा दे देनी चाहिये यह उपयुक्त बात नहीं होती है।

श्री मुरलीधर व्यास : राष्ट्र हित में बात कही है.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

इस प्रसंग को यहीं छोड़ दिया जाय तो उचित है। उसमें क्या सिक्योरिटी का प्रश्न और क्या अन्य बातें हो सकती हैं जो कि यहां कहना उपयुक्त नहीं रहता है। माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है, मुख्य मंत्रीजी को मालूम है और उनकी जांच हुई है और आवश्यकता होती है तो और जांच हो सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक अर्ज करना चाहता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : देश की सुरक्षा की भावना से यह रखा गया है और कम से कम इसकी पूरी जांच तो हो जानी चाहिये। पार्लियामेन्ट में भी एक दफा स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुद्दा उठाया था। देश की भावना से रखा है जिससे सरकार सतर्क हो। एस. पी. को कह दिया और उसने चार महीने रिपोर्ट नहीं दी और यहां पर फिर आया और बहुत जल्द कह दिया कि गलत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसकी चर्चा न बढ़ायें। आवश्यकता हो तो जांच होनी चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, मेरे पास जब मैटर आया, वैसे का वैसा मैंने ले जाकर मुख्य मन्त्री जी से व्यक्ति को ले जाकर मिला दिया। एस० पी० साहब को यह कह दिया गया कि ओरीजिनल डॉक्यूमेन्ट मेरे पास में है और फोटोग्राफ्स आपके पास हैं। उसके बाद मैंने कहीं पर जिक्र नहीं किया। माननीय सदस्य मुरलीधरजी व्यास ने फोटोस्टेट कॉपी सदन की मेज पर रखी। अगर मुरलीधर जी कॉपी नहीं रखते तो मैं छः महिने और प्रतीक्षा करता। क्योंकि यह राष्ट्रद्रोह का मामला है, इसलिये गहराई से जांच होनी चाहिये। जब एस० पी० को यह मालूम था कि डॉक्यूमेन्ट्स मेरे पास हैं तो उनको मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहिये था, जो उन्होंने नहीं किया। इसलिये मैं अर्ज करूं आज भी मुझे इस बात का खेद है कि मुख्य मंत्री जी ने आज भी इसको गम्भीरता से नहीं लिया। मैं यह नहीं कहता कि यह सही है या गलत; यह काम मेरा नहीं है, पुलिस का काम है, राज्य का काम है.

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

विभाग को देखने का काम हैं कि वे डॉक्यूमेन्ट्स कितने सही हैं, या गलत है। इस मसले की गम्भीरता को मुख्य मन्त्री ने अनुभव नहीं किया, यही मुझे खेद है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, लैटर्स फोर्ज्ड हैं या नहीं, इसमें हम इन्टरेस्टेड नहीं हैं। हम इसमें भी इन्टरेस्टेड नहीं हैं कि किसी भी अधिकार का बिना पता लगाये प्रोसीक्यूशन किया जाय। जो इन्क्वायरी हुई है, जिनके केरेक्टर के बारे में बहुत गम्भीर बातें सदन में प्रगट की गई हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लेटर के मामले तक ही इन्क्वायरी हुई है या उन आदमियों के बारे में इस प्रकार की भी जांच इसके अलावा की गई है जिससे उनके बारे में सन्देह करने की गुंजाइश न हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन करूंगा कि लेटर की जांच तो की है लेकिन उसके अलावा भी और भी फेक्ट्स जिससे यह चीज एस्टेब्लिश हो सके, उसके बारे में जानकारी की गई। अब तक मेरे पास जो सूचना आयी है उससे यह बिल्कुल निराधार साबित हुआ है। जब माननीय सदस्य मेरे पास आये फाइल लेकर, उसको देखकर मैंने यह अन्दाज लगाया कि यह बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण मसला है। उसकी गम्भीरता को देखते हुए मैंने उस मामले को सम्बन्धित अधिकारी के पास भेज दिया। इस सदन को यह मानकर चलना चाहिये कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के अधिकारी हों या दूसरे हों, जो राष्ट्रद्रोह में शरीक हों उनको कोई भी बर्दाश्त कर चलने वाला नहीं है। मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि जब मैंने उस मामले को रेस्पोन्सिबल ऑफिसर के पास भेज दिया, तो उन्होंने जो जानकारी दी है वह पूरी जांच करने के बाद ही दी है, ऐसा मान कर चलना चाहिये क्योंकि इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता। आपके पास और भी कोई मैटीरियल चीज है तो आप एस० पी० के पास भेज सकते हैं, वे उसकी पूरी छानबीन करेंगे। हम इसके लिये आपने अनुगृहित होंगे इस बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर इस पोइन्ट को जिस प्रकार एजीटेट किया जाता है उसमें पोलिटिकल शेम ज्यादा होता है। एन्टी नेशनल एक्टीविटी को कोई भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। माननीय सदस्य मुझको खुद को कह सकते थे, यहां लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने जिस रोज इस चीज को मेरे सामने रखा उसी रोज अगर मैं नहीं मानता तो आपको यहां कहने की जरूरत थी। उसके बाद भी आप जानकारी कर सकते थे कि उसका क्या हुआ। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं अगर किसी माननीय सदस्य के पास और भी फेक्ट इस सम्बन्ध में हो तो वे दे सकते हैं उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह जो लैटर आपको दिया गया वह आपके कहने के मुताबिक फोर्ज्ड मालूम

(श्री भैरोंसिंह)

देता है। क्या आपने उस पर जो दस्तखत किये थे, उसकी हेन्ड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवाई है. उसकी ओपीनियन ली है ?

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करूंगा कि इस चर्चा को यहीं समाप्त कर दिया जाय। माननीय सदस्य जो यह बात कहते हैं कि उनके पास ओरीजिनल है तो वह आने पर उसकी आगे जांच की जा सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास : उसने आत्म-हत्या की है, उस बात की जांच की है या नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह समझता हूं कि यह मामला यहीं समाप्त नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में आपका विभाग और अधिक जानकारी करेगा।

श्री अध्यक्ष : कोई भी मैटीरियल हो, अगर इस सिलसिले में आता है तो हमेशा जांच करने के लिये तैयार रहेगी, ऐसा मुख्य मन्त्री ने कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अब तक जो फैक्ट्स सामने आये उसी आधार पर मैंने कहा है।

इसके अतिरिक्त आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को कहा, शायद उनको पहले पता लग गया होगा; एक पुलिस अफसर के लिये कि वे उनके यहां ज्यादती करते हैं। चार-पांच रोज पहले ही उनका ट्रान्सफर ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से हो चुका था। उसकी जानकारी मिलने के बाद ही उस पोइन्ट को यहां एजीटेट किया गया मालूम पड़ता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह कह कर आप यह इम्प्रेस करना चाहते हैं कि माननीय सदस्य के कहने से नहीं किया, किसी सदन के सदस्य के कहने से आप ट्रान्सफर नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो आमेर से आये हैं उन्होंने दो प्रश्न रखे थे कि उनके लिए दो साल तक किसी पुलिस स्टेशन पर इंडिपेन्डेन्टली कार्य करने की बन्दिश थी, फिर भी उनका पोस्टिंग कैसे हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रीवियस ऑर्डर जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया, उसके बाद क्या ऑर्डर्स निकले, उसकी मैं जानकारी करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिप्लाई तो इसको आ चाहिये था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य ने सन् ६३ का ऑर्डर कोट किया है और उसकी कॉपी दी है। उसके बाद क्या क्या आदेश हुए वह देखने के बाद ही कह सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इस बात को गम्भीर नहीं मानते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा प्रीवियस ऑर्डर जो कोट किये, उसके

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बाद के आदेश देखे बिना मैं कुछ नहीं कह सकता ।

उनका ट्रांसफर कर दिया गया है । यदि माननीय सदस्य को ऐतराज हो तो रोकने के बारे में विचार किया जा सकता है.......

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मेरी कोई जिद्द नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि वे तथ्यों की जानकारी करेंगे कि आॅर्डर किस प्रकार से निकला है; वास्तविक स्थिति से अवगत करायेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्री ने यह फर्माया कि माननीय सदस्य को पहले जानकारी मिलगई, इसलिये यह कहा; यह कहकर आप हाउस पर यह इम्प्रेशन डालना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की पोलिसी है कि अपोज़ीशन के मेम्बर डिमान्ड करें उस डिमान्ड पर वे कार्य नहीं करते । यानी रीज़नेबल बात हो तो भी उनकी स्वीकार नहीं की जाती ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ट्रान्सफर रूटीन में ही हो गया था; आॅर्डर निकलने में चार-पांच दिन लग गये ।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, यह गलत जानकारी दी जाती है । मैं प्रिविलेज मोशन मूव करूंगा । यह बिल्कुल गलत है कि रूटीन में हुआ है । ट्रान्सफर करने से हुआ है; जब उनको बताया गया कि यह इस प्रकार की कार्यवाही करता है ।

श्री अध्यक्ष : वह भी तो रूटीन है ।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, यह मजाक की बात नहीं । मुख्य मंत्रीजी इसको मुस्करा कर टालना चाहें तो यह बात टलने वाली नहीं । इस बात की जांच की जाय कि आॅर्डर होम "ई" से होता है, उसको आपके अधिकारी नहीं मानते तो जिन्होंने उस आॅर्डर को नहीं माना है उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे ? मुझे इसमें कोई इन्टरेस्ट नहीं, आप उसको वापिस आमेर भेज सकते हैं । मैं डरने वाला नहीं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा कि मैंने निवेदन किया, ६३ वाले आॅर्डर में सब्सीक्वेन्ट नोटिंग क्या हुआ, कैसे हुआ; आॅर्डर्स में कब कब चेन्ज किया गया, इसकी जानकारी कर लूंगा ।

आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने किसी सी. आई. डी. कॉन्स्टेबल के बारे में कहा कि उन्होंने जाकर महारानीजी को कहा कि हनुमानगढ़ में आपके साथ मानसिंह महार नहीं होता तो उसको शूट कर दिया जाता । वह पुलिस की ओर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है । मैं समझता हूं कि आमेर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रकार की उनके वहां पर कहलवाने वाली कार्यवाही में कम से कम इस तरफ बैठने वाले किसी सदस्य का इन्टरेस्ट नहीं हो सकता है । हो सकता है, और तरफ से कार्यवाही की गई हो । लेकिन अगर वे वहां पर गये हैं और जाकर उन्होंने इस प्रकार से जम्बल किया है तो मैं इसके

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बारे में भी जानकारी करके जो कुछ कार्यवाही हो सकती है वह की जावेगी,

श्री मानसिंह महार : मैंने पन्द्रह दिन पहले भी कहा था। तो अध्यक्ष महोदय, आप फर्माते तो हैं जानकारी की बात, पर हमें सन्तोष कैसे हो, मैंने १५ दिन पहले भी कहा था। इतने दिनों में तो आप जानकारी कर सकते थे। डांगी जी के लिए भी मैंने कहा था, उसके बारे में भी जवाब नहीं आ रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी करने में इसलिये जल्दी नहीं समझी कि मैं नहीं जानता था कि आप इस बारे में इतने सीरियस होंगे। पर आज जिस तरह से आप यहां कह रहे हैं उससे ऐसा लगा कि आप सीरियस हैं कि इसकी जानकारी की जानी चाहिये, तो इसलिये मैंने भी निवेदन किया कि जानकारी कर लूंगा। क्योंकि इसकी जानकारी करने में कुछ तो समय लगेगा कि अल्टीमेटली क्या कहा, क्या नहीं कहा; इस चीज के बारे में कई जगह जहां जहां गये-आये, पूछताछ करनी पड़ेगी।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अलवर की घटना के बारे में कहा कि आज इस बात का एडजोर्नमेंट मोशन था और कह दिया कि एक पी. एस. आई. वहां पर इन्टोक्सिकेशन की हालत में एन्टर हुए और उन्होंने किसी तरह की कोई कार्यवाही की। मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने इसके बाद उसे पकड़ लिया और पुलिस के एस. पी. के यहां प्रोड्यूस किया। इसके बाद he was at once arrested in the Police Act and under sec. 107 of the Cr. P. C. उसके अगेन्स्ट में एन्क्वायरी शुरू कर दी गई है और उसके साथ कौन शरीक थे, कौन नहीं थे, इसकी बराबर एन्क्वायरी की जा रही है। एन्क्वायरी के बाद प्राप्त जानकारी मैं बता दूंगा। पर जिस पी. एस. आई के बारे में खास तौर से मुझे भी सूचित किया गया था तो उस बारे में यह जानकारी दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह जानना चाहूंगा एक मिनट कि जो एडजोर्नमेंट मोशन था वह केवल इस पी. एस. आई. के बारे में ही नहीं था। जो आपने जितनी भी जानकारी की है वह जानकारी इतने समय में इसकी भी हो सकती थी।

मैंने यह कहा कि १८ तारीख को जब वर्किंग डे था, स.एडी. एम., अलवर शहर के कोतवाल और पुलिस के दूसरे अफसर और कर्मचारियों ने कोतवाली में होली खेली है, शराब पी है खुले तौर पर। उसमें तहसीलदार को भी बुलवाने की कोशिश की गई। तहसीलदार नहीं आये। बुलाने पर वे अपना दफ्तर छोड़ कर भाग गये। तो इस सारे काम में एस. डी. एम. शामिल थे। ये एस. डी. एम., रामकिशोर व्यास, जो एक्स होम मिनिस्टर हैं, के लड़के हैं; तो केवल इसके बारे में ही आपको जानकारी हो और इसकी जानकारी नहीं हो, यह नहीं हो सकता। अगर आपने टेलीफोन से जानकारी की है तो यह बतावें कि उसमें एस. डी. एम. मौजूद थे या नहीं कोतवाली में ?

श्री अध्यक्ष :- माननीय सदस्य इस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप न लगावें। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि जांच चल रही है, तो आपको वे जांच करके बतला देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो एडजोर्नमेंट मोशन की सारी बातें तो बतावें।

श्री अध्यक्ष : अब उनके लड़के हैं या नहीं हैं, इसका यहां उल्लेख करने से जांच में कोई मदद थोड़े ही मिलेगी। अब जांच ठीक हुई है या नहीं हुई है, यह तो बाद में कह सकते हैं। अभी तो जांच करने की बात कह रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने पता लगाया तो जितनी जानकारी ले सका वह मैंने आपको बता दी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टेलीफोन किया है तो इस बात का तो पता लग गया कि पी. एस. आई. आये। पर इस बात का पता नहीं लगा कि वहां पर इस तरह से वर्किंग डे को होली खेली, शराब पी। आप कलेक्टर से या एस. पी. से ही टेलीफोन कर लेते तो इसका पता लग गया होता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह भी कह सकता था कि पूरी जानकारी वहां से प्राप्त होने के बाद कहूंगा कुछ भी। इसके बजाय मैंने सोचा कि जितनी जानकारी आ गई है वही मैं दे दूं और बाकी आगे जांच हो रही है, मालूम होने पर दे दूंगा। तो यह इस लिहाज से कहा कि आपको थोड़ा सन्तोष हो जाय तो यह कह देने पर कोई जांच क्लोज़ हो गई हो, ऐसा तो नहीं है। हो रही है। इसके बाद जो होगा, जो जानकारी मिलेगी इस सदन के समक्ष रख दी जावेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में क्रय विक्रय संघ में जो चोरी हुई उसके बारे में एडजोर्नमेंट मोशन आया था। पर मैं समझता हूं कि चूंकि चोरी पकड़ ली गई है और यह चोरी पकड़ने से पहले का है, तो इसलिए उसके सम्बन्ध में मैं कुछ और कहूं, यह मैं आवश्यक नहीं समझता।

लोसल के एक एल. डी. सी. के साथ पुलिस के कर्मचारी ने, अफसर ने ज्यादती की उसके सम्बन्ध में एडजोर्नमेंट मोशन आया है; इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी की जा रही है। उसे पुलिस के थाने में बुलवा लिया गया है और डिटेल्ड रिपोर्ट आने के बाद दूंगा। इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है पुलिस की भाषा में, इस प्रकार की जानकारी वहां से प्राप्त हुई है।

माननीय अध्यक्षजी, इस बहस के दौरान काफी समय लग गया मुझे भी। इसलिये ज्यादा वक्त नहीं लेकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बहस के दौरान में हिन्दी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था पर, आज कुछ चर्चा यहां पर इस बारे में भी हुई। राजस्थान के अन्दर हिन्दी का चलन ज्यादा से ज्यादा हो, इसके सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी तरफ से जोर दिया।

मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने अपनी तरफ से जो यह बात कही

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है कि तीन वर्षों में राजस्थान के अन्दर हिन्दी को पूरी तौर से हम लागू कर देंगे, इस बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसके अनुसार उस पर अमल किया जावेगा क्योंकि हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों के लिये हिन्दी भाषा को सक्रिय रूप से उपयोग में लाने से शायद हम दूसरों के सामने भी उचित उदाहरण पेश कर सकते हैं, बजाय इसके कि केवल इस चर्चा के अन्दर रहें।

साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से कट मोशन्स अलग अलग जगहों के हैं और इन्डिविजुअल केसों के बारे में भी हैं; मैं इन सबके लिये कोशिश यह करूंगा कि जिनके बारे में निश्चित सूचनाएं भेजी जा सकें वे सूचनाएं उनके पास भेज दी जावें और एक एक केस को लेकर मैं सदन का अधिक समय न लूं।

मैं अन्त में माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो कुछ ये मांगें पेश की गई हैं उन्हें वे स्वीकार करें।

श्री मानसिंह महार : डांगीजी के बारे में तो कुछ बताइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सारे राजस्थान वाइड इम्पोर्टेन्ट मामला है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एस. एच. ओ. भीलवाड़ा को आपने सस्पेण्ड किया और बिना इन्क्वायरी किये आपने उनको वापिस सर्विस में ले लिया। उधर वकीलों पर मुकदमा चल रहा है। इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। आपने बिना जांच कराये उनको वापिस कैसे सर्विस में बहाल कर दिया? क्यों तो सस्पेण्ड किया और क्यों वापिस लिया, यह तो बताइए जरा?

श्री मानसिंह महार : माननीय मुख्य-मन्त्रीजी पहले इस सदन में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनका तो स्पष्टीकरण करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यहां कुछ छिपाने की बात नहीं है। सारी जांच करने के बाद उस अधिकारी के सस्पेशन के ऑर्डर्स को विथड्रॉ किया और रीइन्स्टेट किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सिविल जज का बाकायदा इसमें जजमेन्ट है, अध्यक्ष महोदय, जिसमें इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की बात कही गई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है?

श्री मानसिंह महार : मैंने दो मुद्दे रक्खे थे। एक तो डांगीजी का; उसके बारे में मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि वे एन्क्वायरी कर रहे हैं और सदन को बाद में सूचित करूंगा। १५ दिन उस बात को हो गये। मैंने दुबारा रिपीट किया। तब भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। कृपया अब दो शब्द उस बारे में और सुना दें।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(शोरगुल)

दूसरी बात मैंने कही थी कि एक बलदेवसिंह नामक व्यक्ति को, सुचासिंह या

(श्री मानसिंह महार)

क्या था, बलदेवसिंह नामक व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने बिना राजस्थान की पुलिस को सूचना दिए पकड़ा और ले गई। इन दो बातों के बारे में आप थोड़ा स्पष्टीकरण कर दें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मै निवेदन कर दूं कि प्रतापसिंहजी कैरों के मर्डर के सिलसिले में राजस्थान में जो संदिग्ध व्यक्तियों के अरेस्ट वगैरह के बारे में कहा जा रहा है उसमें सिर्फ बूंदी के अन्दर एक गिरफ्तारी की गई है। उसके सिवाय गंगानगर या किसी और जगह किसी को गिरफ्तार करके ले जाने वाली बात राजस्थान सरकार के सामने या राजस्थान पुलिस के सामने नहीं आई है और वे सूचनाएं अलग अलग समाचार-पत्रों में आ रही हैं। केवल इतनी बात है।

डांगीजी के बारे में, वे जिस समय जिस समय वहां पहुंचे उसके बाद में मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में और दूसरी जगह जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दिये गये हैं उसमें पुलिस का वहां पर पहुंचना १ बज कर ५ मिनट पर अखबारों में भी, और और भी पुलिस के द्वारा बताया गया है। इतनी ही मुझे केवल जानकारी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप तो यह बताये कि डांगीजी जिस समय पहुंचे उस समय तक पुलिस आ चुकी थी क्या?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह कह रहा हूं कि पुलिस वहां पर १ बजकर ५ मिनट पर पहुंची थी और उन्होंने जो कुछ यहां पर कहा वह आपके सामने है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : हम तो यह पूछना चाहते हैं कि वे वहां पर पुलिस के पहुंचने के पहले पहुंचे या बाद में पहुंचे। अब तो आपने जांच कर ली होगी। अब तो बता दो महरबानी करके।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो कुछ जानकारी की, उससे कहीं से भी यह जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है कि वे वहां पर पहले पहुंच गये थे, इसका कोई सबूत नहीं मिलता है।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस पहुंचने के बाद पहुंचे थे, इसका तो सुबूत आ चुका होगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बाद में पहुंचे उसका भी नहीं है और पहले पहुंचे उसका भी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी जो भीलवाडा में वहां के वकीलों के साथ घटना हुई थी उसमें कुछ ऑफिशियल्स को आपने बताया कि सस्पेन्शन से हटा कर उनको री-इन्सटेट कर दिया। मैं आपका ध्यान वहां के सिविल जज, मिस्टर याकूब का १६-६-६४ का जजमेन्ट दिया हुआ है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। उसके बाद में उसका छोटासा एक्सट्रेक्ट जिसमें उन्होंने उसको प्रोसीक्यूट करने के लिए और सिफारिश की है. उन्होंने कहा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है कि प्राइमा-फेसी केस बनता है, लेकिन क्योंकि ये ऐसे हैं कि जिनके लिए सेंक्शन लेना जरूरी है, इसलिए सेंक्शन ली जाये। इसमें यह कहा है उन्होंने...

"Considering the evidence on record, I am satisfied that there is a prima-facie case against eleven police officials, named above for starting a case against them.

They deserve to be summoned in the case.

As regards Kotwal Abtar Singh, since the pans are not available in police Malkhana, it would be in the interest of Justice to register the case against him also..."

इस तरह अध्यक्ष महोदय, इस जजमेंट में इन तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ बहुत सीरियस एलीगेशन्स मानकर कि इनका मैलिस था और उसके बिना पर इन्होंने यह कर दिया था। कोतवाली में जाने का उनका लीगल राइट था और जो घटना हुई है। वह मैलिस के कारण हुई है। यह इस जजमेन्ट में दिया हुआ है। क्या मुख्य मन्त्रीजी बतायेंगे कि इस जजमेंट के बाद, एक कॉम्पीटेंट कोर्ट के जजमेन्ट के बाद आपने फिर उनको उल्टे प्रोसीक्यूट करने के लिए इजाजत देने के बजाय एग्ज़ोनरेट करके री-इन्सटेट कैसे कर दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी इस जजमेंट के अंदर जो जो बातें दी गई हैं उनके सम्बन्ध में ऑफ हेण्ड इस समय मैं कुछ कहूं वह उपयुक्त नहीं होगा। मैं इसको एग्ज़ामिन कराके माननीय सदस्य को, और सदन भी जानना चाहेगा तो उसको भी इसकी जानकारी दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने जो एक्शन लिया यह जजमेंट को देखने के बाद लिया है या इसको बिना देखे लिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : री-इंसटेट करना अलग बात है और केस प्रोसीक्यूशन में चले, यह अलग सवाल है। इस मामले में जहां ए० एस० पी० का सवाल था जिनको वहां पर सस्पेन्ड किया था उस समय जजमेंट की कॉपी उस फाइल के ऊपर थी, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है; इतना ही कह सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपके नोटिस में था कि केस चल रहा है और सबजुडिस था। उसको आपने पहले ही एग्ज़ोनरेट करके री–इन्स्टेट कर दिया है और जो केस उसी बिना के ऊपर चल रहा है और इतने सीरियस एलीगेशन्स जिनके बिना पर आपने उसको सस्पेन्ड किया है वह केस पेन्डिंग है, उसका जजमेन्ट होने वाला है और उससे पहले ही आप उनको कैसे री–इन्सटेट कर सकते हैं, किस रूल के तहत कर सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने पढ़ा है इसको एग्ज़ामिन करूंगा कि उन्होंने प्राइमाफेसी केस माना है या नहीं ? इन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सारी चीजों को देख कर बाद में कुछ कह सकता हूं। इस समय ऑफ हैण्ड कैसे कह सकता हूं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने इस जजमेन्ट को देखकर उनको री-इन्सटेट किया है या बाद में किया है ?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि मामला तय करते समय वह सामने था या नहीं, यह उनकी जानकारी में नहीं है। सारे तथ्यों को देखकर ही जानकारी करनी पड़ेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनके नोटिस में क्या यह भी नहीं था कि केस सबजुडिस है ?

श्री अध्यक्ष : श्री शिक्षा मन्त्री।

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि इस जजमेन्ट की तारीख....

श्री अध्यक्ष : बस इस पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक छोटा सा प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : ज्यादा प्रश्न पूछेंगे तो सरकार की ओर से जवाब नहीं आ सकेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरा कटमोशन, नॉन-गजटेड पुलिस कर्मचारी यूनियन के बारे में रेज़ किया गया था उसका उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हम लिख कर भेज देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सारा राजस्थान के पुलिस का प्रश्न है। सरकार का क्या एटीट्यूड है उसके बारे में, उसके रिकॉग्नीशन के बारे में और मांगों के बारे में।

श्री अध्यक्ष : श्री शिक्षा मंत्री।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदन के सामने शिक्षा के बारे में मांग आई है और उस पर माननीय सदस्यों की तरफ से १६० कटौती के प्रस्ताव पेश हुए हैं वे सब प्रस्ताव मैंने बहुत गौर से देखे और मैं चाहता हूं कि उन सारे प्रस्तावों पर जो इस सदन के माननीय सदस्यों ने रखे है मैं उन पर रोशनी डालूं। आप स्वयं इस बात को महसूस करेंगे कि जैसा हमारे इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों की मान्यता है कि किसी भी देश और किसी भी राज्य का सही प्रकार का विकास सही प्रकार की शिक्षा से हीं हो सकता है और मुझे इसकी खुशी है कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी दिन भर में बहस हुई उसमें ज्यादा से ज्यादा समय शिक्षा की मांग के ऊपर ही लगाया है। वह इसका सुबूत है कि हमारे सदन के माननीय सदस्य जहां कि उनके सामने दो मागें थी सिवाय

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कुछ माननीय सदस्यों को छोड़कर आम तौर से जो कटौती के प्रस्ताव उन्होंने इस मौके पर रखे, शिक्षा के ऊपर भी उन्होंने रोशनी डाली। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन के सब माननीय सदस्यों को विदित है कि राजस्थान १९४९ में बना, जिसका रूप जैसा आज हम देखते हैं, सिवाय कुछ हिस्से को छोड़कर, उस राजस्थान का स्वरूप ४९ के पहले अलग अलग रियासतों के रूप में था जिनकी संख्या लगभग २२ थी। उन राज्यों के अन्दर जिस प्रकार की पुरानी व्यवस्थायें थीं उनमें जो शिक्षा के साधन थे, मैं सोचता हूं और सदन के माननीय सदस्य अगर हमारी इन तीन योजनाओं के अन्दर जो शिक्षा के अन्दर बढ़ोत्तरी हुई है और उसके साथ ही साथ जो तरक्की हुई है उस पर गौर करें तो वे स्वयं इसका गर्व महसूस करेंगे कि राजस्थान ने इन पिछली तीन योजनाओं में जो कुछ भी उनके पास में सीमित साधन थे उनमें काफी शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की है।

मैं इस बात का सुबूत उनके सामने कुछ तथ्यों से रखना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर निर्माण होने के बाद १९५०-५१ में शिक्षा के हालातों को देखें और उसके मुकाबले में इस वर्ष के अन्त तक जिसका कि हम बजट पास करने जा रहे हैं उसके साथ में तुलना करें तो हम सब स्वयं महसूस करेंगे कि राजस्थान में शिक्षा का विस्तार और तरक्की काफी तेज गति से हुई है। उसका मिलान अगर हम सारे देश के हालतों से करें तो वे इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि हमारे चरण जो शिक्षा की मन्जिल पर पहुंचना चाहते हैं उसकी तरफ काफी तेज गति से बढ़ रहे हैं। हम इस बात को इस तथ्य से आंक सकते हैं कि शिक्षण-संस्थाएं राजस्थान में ५०-५१ में लगभग ६६,०२७ थीं और आज इस वर्ष के अन्त तक तमाम राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं की संख्या २६,५३१ हो जायगी। राजस्थान के अन्दर उस समय कुछ छात्र और छात्राओं और विद्यार्थियों की संख्या ५०-५१ में ४,४७,००० के लगभग थी और आज इस वर्ष के अन्त तक छात्र और छात्राओं की संख्या राजस्थान में इन सब संस्थाओं में कुल मिलाकर २५.८६ लाख के करीब हो जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): पोइंट ऑफ ऑर्डर, सर, एक माननीय सदस्य भाषण पढ़ कर नहीं समझा सकते हैं रूल्स के अन्दर। माननीय मंत्री महोदय अपना भाषण सेक्रेट्री से लिखाया हुआ पढ़ कर सुना रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: भाषण लिखा हुआ पढ़ रहा हूं तो मैं माननीय सदस्य की बात को अहमियत दूंगा, वर्ना बिना किसी तथ्य को समझे इतने जिम्मेवार आदमी...

श्री रामानन्द अग्रवाल: ऐसे ही पढ़ रहे हैं। अभी आपका नया महकमा है। यह डिफिकल्टी हम भी आपकी रियलाइज कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: मेरे लिए नया महकमा और पुराना महकमा नहीं है। मैं

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, उस पर आप विचार करें और यह सारा गर्व इस सदन का है कि शिक्षा के बारे में इतनी दिलचस्पी ली, उसका स्वयं का यह परिणाम है। बजाय गौरव करने के आप खड़े होकर रोढ़े अटका रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाउस में रूल्स को मेन्टेन करना पड़ता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय हमने १९५०-५१ का लेखा-जोखा किया उस समय हमारा प्रति व्यक्ति शिक्षा पर राजस्थान में जो कुल खर्चा था वह १.६५ रुपये के लगभग था और आज इस वर्ष के अन्त तक हमारा फी...

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : यह लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ६. ३ रुपये के करीब होगा, और आज राजस्थान की यह स्थिति है, माननीय अध्यक्ष, कि राजस्थान के बजट का कुल ३०.८ खर्चा हम शिक्षा पर कर रहे है ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर इन पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा की प्रगति का लेखा-जोखा करें और उसके जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं उनको हम देखें तो प्रति वर्ष हिन्दुस्तान के अन्दर शिक्षा की प्रगति को आंकें तो ६.५ प्रतिशत के लगभग रहा है। वही आंक राजस्थान में शिक्षा की प्रगति का १२. ५ के लगभग रहा है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन तथ्यों के आधार पर....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : १२.५ नहीं, १२.५ पर्सेन्ट

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इस प्रकार की बातें कह कर क्या निकालना चाहते हैं ? आप बड़े जिम्मेवार आदमी हैं। मैं आपको बड़ा आदमी मानता हूं ।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर इन पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में जो राजस्थान सब दिशाओं में खास तौर से शिक्षा में पिछड़ा हुआ था उसमें काफी तेज गति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हमारे जो शिक्षा के अलग अलग स्तर हैं, जिनमें खास तौर से प्राइमरी एजुकेशन, मिडल स्कूल की एजुकेशन, सैकण्डरी स्कूल की एज्युकेशन, कॉलेजेज की एज्युकेशन, विश्वविद्यालय की एज्युकेशन, इनके ऊपर जो हमारे लक्ष्य हैं अगर उन पर गौर करें तो राजस्थान में आने वाले कई वर्षों तक लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। जैसा कि सदन के माननीय सदस्य बार बार स्वयं इस बात पर जोर देते रहे हैं कि राजस्थान में स्त्री-शिक्षण के मामले में अभी तक बहुत पिछड़ा हुआ है और यह तथ्य सही है। माननीय अध्यक्ष, क्योंकि राजस्थान के अन्दर हम हर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लेवल के ऊपर जो लड़कियों की संख्या स्कूल और कॉलेजों की अलग अलग संस्थाओं में है उनको देखें तो प्राइमरी एज्युकेशन के बारे में, जिसको कि एक लक्ष्य माना है और इस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, आने वाले कुछ वर्षों के अंदर कि राजस्थान के अन्दर फ्री एण्ड कम्पलसरी प्राइमरी एज्यूकेशन राजस्थान के सब बच्चों को दी जाय, मैं यह कहता हूं ; तो उस उम्र में ६ और ११ वर्ष तक की उम्र के बालक और बालिकाएं हैं वे राजस्थान के अन्दर ज्यादा से ज्यादा हमारे स्कूलों में जायें और उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था हो कि उतनी ही मात्रा में संस्थाएं हों ; गांवों के अन्दर उतनी ही मात्रा में टीचर एवेलेबल करवा कर लड़के और लड़कियों को स्कूलों में भेज सकें । तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज तक राजस्थान की प्रगति है, प्राइमरी एज्युकेशन के सिलसिले में हुई है, उसके जो आंकड़े मैं प्रस्तुत करूंगा उसके हिसाब से दो योजनाओं में और यानी चौथी और पांचवी योजनाओं के अन्दर लगातार कोशिश करके लड़कियों की संख्या के अन्दर ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करवाने की कोशिश करेंगे । जो हर साल ४५ हजार लड़के और लड़कियों को भरती कराने की संख्या है उसको बढ़ा कर करीब करीब १,४०,००० लड़के और लड़कियों को सालाना भर्ती करवाने का जो दायित्व कन्धे पर झेलने की जरूरत है उसको नहीं देखेंगे, तब तक आने वाली पांचवीं योजना के अन्दर फुल कम्पलसरी और फ्री एज्यूकेशन आने वाले सालों में उन बच्चों के लिए नहीं कर सकेंगे । इसलिए हमारे सामने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम इस प्रयत्न को पूरा करने के लिए इस सदन के माननीय सदस्य, पंचायती राज्य की सब संस्थाओं को बहुत दिलचस्पी के साथ में इस दायित्व को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी तभी हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकेंगे ।

माननीय अध्यक्ष, मैं शिक्षा के विकास के बारे में आम तौर पर कहने के बाद में हर लेवल की शिक्षा के अन्दर आगे बढ़ने की गति रही है उसके बारे में इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वह किताब दी है आपने, उसमें सब है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो अच्छे, आदमी अच्छे हैं, इसलिए पढ़ लेते हैं । माननीय सदस्य मैं आपके सब मुद्दों का जवाब दूंगा । पर मैं खास तौर से क्योंकि आप अपनी बातें कह देते हैं और वे बहुत सी बातें किताबों में लिखी हैं और आंकड़े छपते हैं, उनको हमारे बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मजबूर होकर कभी उन बातों की तरफ कुछ न कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : यह वेग एलीगेशन है कि माननीय सदस्य नहीं पढ़ते हैं । आप एक भी नाम बता दें कि जिसने नहीं पढ़ा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको ही क्रेडिट दे दूंगा; मेरे ख्याल से दूसरों ने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पूछा नहीं, इसलिए मैं किसके लिए जवाब दूं ? आपने पूछा तो आपको क्रेडिट दे दी। आप बड़े जागरूक हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : मंत्रि-मंडल के सदस्यों ने नहीं पढ़ा होगा। सब माननीय सदस्यों ने पढ़ा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष, मैं थोड़ा सा जो प्रश्न चलता है रात-दिन और माननीय सदस्य उठाते हैं उससे कुछ भ्रान्ति सदन के बाहर के लोगों को हो सकती हैइसलिए मजबूरी की हालत में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। सदन का समय लेने में कुछ दुःख तो होता है, फिर भी अगर कुछ तथ्य उनकी जानकारी के लिए, कुछ माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अगर पेश नहीं करता हूं तो अपने कर्त्तव्य से विमुख होता हूं; इसलिए मजबूर होकर वे बातें जिन्हें कि आप जानते हैं, कुछ लोगों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

एक पेरेडोक्स, माननीय अध्यक्ष, सदन के सब माननीय सदस्य जानते हैं कि जब देश शिक्षा-संस्थाओं का विकास करता है, संस्थाएं ज्यादा खुलती हैं तो उसके बारे में क्वान्टिटेटिवली ज्यादा विकास होता है तो क्वालिटेटिवली उनमें किसी न किसी तरीके से कमी आती है, यह दृष्टिको णगलत हो, यह दृष्टिकोण नहीं है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जरूरी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस विकास के कारण स्कूलों के टीचर्स ट्रेन्ड होकर अच्छे मामलों में एवेलेबिलिटी की गुन्जायश के दृष्टिकोण से, मैटिरियल और इक्विपमेंट की एवेलिबिलिटी के दृष्टिकोण से, स्कूलों और सस्थाओं की इमारतों के दृष्टिकोण से, इन सारी चीजों के अन्दर जिस प्रकार के आदर्श की व्यवस्था संस्थाओं में चाहते हैं उस प्रकार सब जगह सब संस्थाओं में इस प्रकार की व्यवस्था होना सम्भव नहीं है।

(६.०० म० प०)

इसके साथ साथ इस तरफ ध्यान देकर यहां पर जिन चीजों की कमी है उनको दूर किया जाय और साथ ही साथ स्टेन्डर्ड भी, शिक्षा की फैलती हुई ज्योति के साथ कायम रखा जाय, यह इस विभाग और सरकार का प्रयत्न रहता है और रहना चाहिये; इस पर गौर से विचार करके चलने की आवश्यकता है।

इसके बाद खास तौर से प्राइमरी एज्यूकेशन के बारे में टीचर्स और उनके ग्रेड्स का मामला जुड़ा है, उनको रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्षजी, इस राजस्थान में सन् ५०-५१ में प्राइमरी स्कूल्स की कुल संख्या ४,३३६ थी और आज ६५-६६ के अंत तक राजस्थान में प्राइमरी स्कूलों की संख्या १८,६०० के करीब होगी। छात्रों की कुल संख्या सन् ५०—५१ में राजस्थान में कुल ३ लाख ३० हजार थी, जिनमें ५४,८५२ लड़कियां थीं और आज राजस्थान में छात्रों की संख्या १८ लाख ६० हजार है जिनमें लड़कियों

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की संख्या ४ लाख के लगभग है। शिक्षकों की कुल संख्या उस समय ८,७३३ थी और आज राजस्थान के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की संख्या ४२,४०० के करीब है। उनमें महिला शिक्षकों की संख्या राजस्थान में उस समय १,००५ थी और आज ४,००० के लगभग है। ट्रेन्ड अध्यापक जो पुराने जमाने में थे उस समय ५०-५१ में, क्वालिटी की दृष्टि से कह रहा हूं, उस समय ३०.२ परसेन्ट ट्रेन्ड टीचर्स यहां पर थे और आज प्राइमरी स्कूलों में ६० परसेन्ट ट्रेन्ड टीचर्स हैं। ये ट्रेन्ड टीचर्स अच्छी शिक्षा दे सकें, इस दृष्टि से ट्रेनिंग की व्यवस्था काफी की है। उसका परिणाम है कि आज राजस्थान की प्राइमरी स्कूलों में ६० परसेन्ट ट्रेन्ड टीचर्स हैं। राजस्थान के टीचर्स के स्टेन्डर्ड और वेतन की चर्चा करते हैं तो इतना भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय राजस्थान में कुल मिला कर औसत खर्चा प्राइमरी स्कूलों पर एक टीचर के वेतन का लगभग ५०० रुपए था और आज लगभग १,३००) है। ५०० और १३०० में काफी अंतर है....

श्री जयनारायण सालोदिया : प्राइसेज भी हो गई हैं, ५-६ टाइम्स ज्यादा।

श्री नाथूराम मिर्धा : महंगाई का हिसाब तो रोज लगाते हैं। ऐसी क्या बात है ? सारा मामला एक साथ....

श्री जयनारायण सालोदिया : दोनों एक साथ नहीं बैठते।

श्री नाथूराम मिर्धा : रोज बैठता है। अक्ल में नहीं बैठता हो तो बात दूसरी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अक्ल की बात समझने लगे आप भी !

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : आपके बोलने पर तो अक्ल लगाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बता रहा था कि जिस राजस्थान में सन् १९५०-५१ में प्राइमरी स्कूलों पर हम ८४ लाख रुपये खर्च करते थे वहां आज हम ६०८ लाख रुपये खर्च हर साल करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था; प्राइमरी एज्युकेशन के पूरे फैलाव के लिये राजस्थान के सभी लड़के-लड़कियों को स्कूल भेज सके खास तौर से छात्राओं को, क्योंकि उनकी संख्या आज भी कम है, उनको बढ़ाने के लिये बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा, जहां ४५,००० छात्रों की भर्ती एक साल में आज होती है वहां १,४५,००० छात्रों को स्कूलों में लाना पड़ेगा; तभी जाकर पांचवीं योजना के अंत तक कम्पलसरी फ्री एज्युकेशन उपलब्ध कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्राइमरी स्कूलों की बढ़ोतरी हुई है, टीचर्स की व्यवस्था हुई है, उनके ग्रेड्स और ग्रिवान्सेज़ के बारे में मैं आगे निवेदन करूंगा लेकिन अब भी काफी दूर मंजिल तक पहुंचना है। इसके साथ यह भी निवेदन करता हूं कि प्राइमरी स्कूलों का विकास तेजी से हुआ है, उसके

(श्री नाथूराम मिर्धा)

साथ साथ मिडल स्कूलों की व्यवस्था भी व्यापक फैलनी चाहिये और खास तौर से राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि दूर दूर के इलाकों में जहां कई जगह पहले शिक्षण संस्थाएं नहीं थीं वहां पर कायम करनी पड़ीं; हालांकि जितनी तादाद लड़के-लड़कियों की होनी चाहिये उतनी नहीं होने पर भी चाहे मिडल स्कूल हों, चाहे हाई स्कूल हों, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ी....

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मैं जानकारी चाहूंगा आपने जब शर्त ऐसी रखी है.......

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं शर्त और आपके कटौती प्रस्ताव पर भी आ जाऊंगा। आप बोलें नहीं तो भी मुझे ध्यान है, इसलिये आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। यदि आप समय देते जायेंगे तो मैं बोलता जाऊंगा।....

श्री मोहनलाल सारस्वत : इस विभाग को आप बहुत जल्दी समझे !

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा समझ में आता है वैसी कोशिश करता हूं। यह सब आपका ही प्रताप है। मैं मिडल स्कूलों की एज्यूकेशन के बारे में कुछ आपके सामने निवेदन कर रहा था। हमारे राजस्थान में आज यह स्थिति है कि जहां पर आइडियल पैटर्न के अनुसार तीन प्राइमरी स्कूलों के पीछे एक मिडल स्कूल होनी चाहिये उस जगह आज राजस्थान की यह स्थिति है कि ६ प्राइमरी स्कूलों के पीछे १ मिडल स्कूल है। हम इस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं कि आने वाली दो योजनाओं के बाद कम से कम राजस्थान में मिडल स्कूलों की संख्या प्राइमरी स्कूलों के रेशियो में ५ या ७ तक पहुंच जाय। कुछ इलाकों में ५ प्राइमरी स्कूलों के पीछे १ मिडल स्कूल हो और कुछ में ७ के पीछे १ हो; इस हिसाब से हम विकास करना चाहते हैं। मिडल स्कूलों के बारे में भी राजस्थान में काफी तेज गति से विकास किया है। राजस्थान की मिडल स्कूलों में जहां पर ११ से १४ वर्ष तक की आयु के लड़के लड़कियां पढ़ती हैं, उन मिडल स्कूलों की संख्या सन् ५०.५१ में ७३२ थी और आज ६५-६६ में १७५७ की व्यवस्था है। उस समय छात्रों की संख्या राजस्थान में ६०,४६५ थी जिसमें लड़कियों की संख्या ६,४८६ के लगभग थी वहां आज राजस्थान में लगभग ४ लाख लड़के लड़कियां हमारी मिडल स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं; इनमें लड़कियों की संख्या ठीक से नहीं कह सकता। उस समय ट्रेन्ड अध्यापकों का परसन्टेज सन् ५०.५१ में मिडल स्कूलों में करीब ३४ परसेन्ट था वहां आज मिडल स्कूलों में शिक्षकों में ट्रेन्ड टीचर्स का परसन्टेज ७० के लगभग है। आप इस बात को महसूस करेंगे कि ट्रेन्ड टीचर्स का परसन्टेज काफी तेज गति से बढ़ा हो। इस लेवल पर भी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था है।

कुल मिला कर राजस्थान में ५०-५१ में मिडल स्कूलों पर ४८ लाख रुपये खर्च होते थे, वहां पर आज हम ३३० लाख रुपये

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मिडल स्कूलों में एज्यूकेशन पर खर्च कर रहे हैं। जिन टीचर्स पर औसत खर्चा मिडल स्कूलों में ५०-५१ में ६४० था वहां आज राजस्थान में १६०२ के लगभग है।

अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों के जरिये मैं यह तथ्य सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं कि इस लेवल पर भी जहां तक ट्रेन्ड टीचर्स की व्यवस्था का प्रश्न है, टीचर्स को जो कुछ दिया जा सकता है, वेतन श्रृंखलाओं का प्रश्न है उस बारे में, लड़के और लड़कियों के नम्बर और विकास का प्रश्न है, उस बारे में काफी रोशनी डालने का मैंने प्रयत्न किया है।

जयपुर के माननीय सदस्य ने इस बात का जिक्र किया कि आज भी शिक्षा की नीति पुराने तरीके की है, इसी बात को खास तौर से बासपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि हमारी शिक्षा की नीति वही पुरानी मेकॉले के वक्त से चल रही है, किसी प्रकार का बुनियादी अंतर उसमें नहीं आया; हालांकि कई कमीशन उस जमाने में भी जब कि अंग्रेजों का राज्य था बैठे थे और उसके बाद भी बैठे जिस समय कि स्वतन्त्रता आ गई।

खास तौर से उन्होंने मुदालियर कमीशन का जिक्र किया इस शिक्षा के मामले के अन्दर और उन्होंने यह भी कहा कि कई स्टेट्स ने मुदालियर कमीशन की सिफारिशों को लागू किया है और उन सिफारिशो को माना है, परन्तु राजस्थान के अन्दर हमने मुदालियर कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, यह उनकी बात सत्य नहीं है क्योंकि मुदालियर कमीशन की रिकमन्डेशन्स का राजस्थान सरकार ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है और उनको लागू भी किया है। मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हायर सेकण्डरी और सेकण्डरी एकेशजून की व्यवस्था है और उसके बाद जो कॉलेज में थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स है, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें किस प्रकार परिवर्तन किया जाय—जो सिलेबस है उसमें किस प्रकार परिवर्तन किया जाय-इन सब बातों पर विचार-विमर्श हुआ है और उनका निष्कर्ष भी निकाला है। इसके साथ ही मुदालियर कमीशन की रिकमन्डेशन्स के सिलसिले में चटर्जी के नेतृत्व में जो कमेटी गठित हुई थी उसने उन सब सिफारिशों को लिया है और बहुत सी बातों में जो सिफारिश की है उसको राजस्थान में लागू भी किया है। उसी का यह परिणाम है कि हायर सेकण्डरी लेवल पर जो व्यवस्था की है उसमें परिवर्तन भी किये हैं। साथ ही उनका मल्टी पर्पज स्कूल्स का सुझाव था वह भी हमने माना है और कुछ हद तक उसे लागू भी किया है। उसके बाद जिन तथ्यों पर पहुंचे हैं उन पर भी समय समय पर विचार होता रहता है। आज भी जो कमीशन भारत सरकार ने मुकर्रर किया है उस कमीशन से सारे हिन्दुस्तान के बहुत सारे प्रांतों का दौरा किया है और उस कमीशन ने राजस्थान को भी विज़ीट किया है और राजस्थान के अन्दर हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति की है उसका विवरण भी अपनी रिपोर्ट के अन्दर रखा है। मैंने जैसा आपको निवेदन किया, हमारे यहां

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है, यह स्वीकार किया है कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सब दिशाओं में प्रगति और दूसरे प्रांतों के मुकाबले में, जहां पर पुरानी जमी हुई व्यवस्था है, काफी अच्छी प्रगति हुई है। और प्रांतों के मुकाबले में राजस्थान के अन्दर काफी अच्छी प्रगति होना उन्होंने स्वीकार किया है...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह रिपोर्ट सब्मिट कर दी है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किनको ?

श्री भैरोंसिंह : एजुकेशन कमीशन ने भारत सरकार को ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी टेन्टेटिव रिपोर्ट स्टेट्स के पास भेजी हैं, वे हमारे पास भी आई हैं। उसी के आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह कहना कि समय समय पर जो कमेटी या कमीशन नियुक्त हुए, उनकी जो रिकमन्डेशन्स थीं या जो विचार और सुझाव उनके जरिये सामने आये उन पर गौर नहीं किया गया है या अपने प्रांत में उन्हें लागू नहीं किया गया है--यह बात तथ्यों से परे है। इसलिए मैंने सदन के माननीय सदस्यों को इन तथ्यों की जानकारी दी है।

अध्यक्ष महोदय, हाई स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल के लेवल पर किस दिशा में क्या प्रगति हुई है, उसका कुछ उल्लेख मैं माननीय सदस्यों के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर सन् १९५०-५१ में हमारे इस प्रांत में १८५ हाई स्कूलें थी और आज १९५५-५६ के अन्दर कुल मिला कर हाई स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : १९६५-६६।

श्री नाथूराम मिर्धा : I am soory. हाई स्कूल, हाई सैकण्डरी स्कूल और जूनियर सैकण्डरी स्कूल--इनकी कुल मिला कर संख्या ७२८ है। इसके अलावा राजस्थान में १९५०-५१ के अन्दर छात्र और छात्राओं की संख्या कुल मिला कर १७,९९१ थी और इसमें से छात्राओं की संख्या कुल मिला कर २०२० थी, वह छात्र-छात्राओं की संख्या अब १,९३,००० है और उसमें छात्राओं की संख्या करीब २० हजार है....

श्री भैरोंसिंह : १९६४-६५ का दे रहे हैं या १९६५-६६ का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १९६५-६६ का।

श्री भैरोंसिंह : वह तो अभी आयेगा !

श्री नाथूराम मिर्धा : जो एक्सपेंशन का प्रोग्राम इसमें शरीक है वह मैं बता रहा हूं। जो टार्गेट हमने पूरा करने का लक्ष्य रखा है...

श्री भैरोंसिंह : ऐसा कहें।

श्री नाथूराम मिर्धा : वही बता रहा हूं।

इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की संख्या ३,३६७ थी वहां अब १२,४०० हैं। इसके साथ ही जहां महिला शिक्षकों की संख्या २३४ थी, वहां महिला शिक्षक इस समय पर १६०० के करीव हैं। पहले ट्रेंड टीचर्स का पर्सेन्टेज करीब आता था ३६ पर्सेंट, वहां अब हाई स्कूल लेवल पर करीब ६० पर्सेन्ट है। इसी तरह से राजस्थान के अंदर उस समय प्रति विद्यार्थी खर्च करीब १३३ रुपये था, वह अब भी १३३ रुपये ही है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप कहें, होने की आशा है। यह तो अगले साल का कह रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा है, हाई स्कूल की अगले साल एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है, इसलिए यही फिगर्स होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप पूरे फिगर्स दे रहे हैं, १९६५-६६ के दे रहे हैं, वह तो प्रोस्पेक्टिंग प्लानिंग है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुनिये तो। मैं १९६५-६६ के फीगर्स इसलिए दे रहा हूं जिन चीजों की व्यवस्था में, जैसा मैंने कहा, एक्सपेंशन का प्रोग्राम नहीं है, उनके जो फीगर्स दे रहा हूं वे इस साल यही रहेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगले साल कोई एक्सपेंशन का प्रोग्राम नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह पहले कह चुका हूं और आज कहा है।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : शिक्षा मंत्रीजी, हाई स्कूल की शिक्षा में इतनी प्रगति नहीं हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां चालीस हजार की आबादी है, उसमें केवल एक सेठ का हाई स्कूल है।

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत मामलों में अभी न आयें।

श्री नाथूराम मिर्धा : व्यक्तिगत मामले अभी नहीं उठायें। मैं आपको संतोष दिलाऊंगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रगति हुई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आंकड़े इस लिए रख रहा था कि यह मालूम हो सके कि राजस्थान आज से दस-पन्द्रह साल पहले कहां पर खड़ा हुआ था और आज तीन पंचवर्षीय योजना के बाद किस स्थिति में है। फिर भी जैसा मैंने निवेदन किया इन सारी बातों का जिक्र करने के बाद में खास तौर से अब कॉलेज की एजुकेशन और और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन से बारे में कुछ जानकारी, और खास तौर से टैक्निकल एजूकेशन के बारे में जानकारी सदन के माननीय सदस्यों के सामने निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर, मान-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नीय अध्यक्ष महोदय, १९५०-५१ में, जो कुछ तथ्य मेरे सामने हैं, उनके अनुसार कुल मिला कर २७ कॉलेज थे। उनमें से ज्यादातर कालेजेज़ इन्टरमीजियेट लेवल के कॉलेज थे। उसके बाद जैसा मैंने निवेदन किया, हायर सैकण्डरी एजुकेशन की व्यवस्था को मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में लागू किया और बहुत से स्कूलों को हमने जहां हायर सैकण्डरी स्कूल के बतौर खोले, वहां उस समय राजस्थान में १९५०-५१ के अन्दर केवल एक विश्वविद्यालय था। उसके बाद ग्राज राजस्थान में तीन विश्वविद्यालय, जैसा आप जानते हैं, मौजूद हैं और चौथे विश्वविद्यालय का स्टेटस बिड़ला इन्स्टीट्यूट, पिलानी को प्राप्त हो चुका है, जो यूनिवर्सिटी की तरह ही काम करेगा और अपने यहां एग्ज़ामिनेशन कन्डक्ट करेगा....

श्री चौसरसिंह बावेल : बनस्थली को भी विश्व-विद्यालय बना रहे हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे निवेदन करूंगा। आप ठहरिये। जी हां, वही कह रहा हूं कि आगे क्या करना है।

श्री चौसरसिंह बावेल : मुख्यमंत्रीजी ने वायदा किया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे राजस्थान के अन्दर करीब जितने इन्टरमीजियेट कॉलेज थे, उनमें से दो को छोड़ कर जिनमें से एक नसीराबाद में है और एक व्यापारिक कॉलेज व्यावर में है, सब आज डिग्री कॉलेज हैं; वहां तीन डिग्री का कोर्स, श्री ईयर्स डिग्री कोर्स" की व्यवस्था है। इसके साथ ही हमारे राजस्थान ने जो यूनीवर्सिटी की जो संस्थायें काम करती हैं उनको छोड़ कर करीब चौबीस प्राइवेट सेक्टर में और करीब ३४-३५ राजस्थान के अन्दर सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस प्रकार कॉलेज लेवल पर भी हमारे राजस्थान में शिक्षा में काफी विकास और प्रगति हुई। इसी प्रकार विश्वविद्यालय की संख्या भी बढ़ी है। इसके साथ साथ राजस्थान में टैक्निकल शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि हमने इन्जीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था की है, मेडीकल कॉलेजेज की व्यस्वथा की है, एग्रीकल्चर कॉलेज की व्यवस्था की है, और वैटरनरी कॉलेज की भी व्यवस्था की है और पोलीटेक्निक स्कूल, जो करीब छः के लगभग हैं, हमारे राजस्थान में अलग अलग इलाकों में काम कर रही है जिनके अन्दर हमारे यहां के नवयुवकों को पढ़ाने की व्यवस्था है। हम इसको बढ़ाना चाहते हैं और अपने राजस्थान में इस व्यवस्था को फैलाना चाहते हैं, ताकि जैसा माननीय सदस्यों ने मुद्दा उठाया कि आज सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हमारे यहां के पढ़े-लिखे नवयुवक, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जब कभी शिक्षा के क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, तो जीवन-यापन के लिए साधन उत्पन्न करने के लिए नौकरी करने के अलावा दूसरा एटीट्यूड नहीं होता है, ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वे खुद अपने पांवों पर खड़े होकर दूसरे धन्धों में लग सकें, स्वयं ऐसे कामों में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लग सकें और दूसरे जो टैक्निकल धन्धों में आज भी कमी हैं, बहुत सी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स और कारखानों में ऐसे व्यक्तियों की कमी है, उन सब में टैक्निकल एजूकेशन प्राप्त करके लग सकें.....

श्री मोहनलाल सारस्वत : मंत्री बनने में दिक्कत नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मंत्री तो आप भी बन सकते हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : हमारे यहां के मंत्री जितने आ रहे हैं वे नॉन ग्रेजुएट आ रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : खैर, आप ठहरिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : दौलतराम को देख लीजिये, चौधरी कुम्भाराम को देख लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारस्वतजी, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं। बीच बीच में कभी नहीं बोलते।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं तो आपका साथी हूं, मैं भी अंगूठा छाप हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मोहनलालजी, जब आप बोल रहे थे तब हम शांति से बैठे रहे। अब आप शांति रखिये।

तो मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, यूनीवर्सिटी लेवल पर, टैक्निकल एजुकेशन लेवल पर और कॉलेज एजुकेशन लेवल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इस व्यवस्था को फैलाया जाय और उनमें से निकलने वाले हमारे छात्र और छात्रायें इस लायक बना सकें कि जिन क्षेत्रों में टेक्निशियनों की कमी है वहां जाकर वे अपनी जीविका उपार्जित कर सकें और स्वयं अपने पांवों पर खड़े हो सकें। पर इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, हमें अपने इस युग के अन्दर साइंस और विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा।

अगर हम शिक्षा में सब प्रकार के आज के युग के अनुसार नागरिक बना कर निकालना चाहते हैं तो विज्ञान की शिक्षा उनको देनी होगी क्योंकि विज्ञान को ही आज दुनिया सब से उच्च मानती है। दुनियां के जितने देश तरक्की करना चाहते हैं वे सभी अपने देशों में इस बात की व्यवस्था रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो सब्जेक्ट लेना चाहें, कोई विज्ञान लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसी प्रकार से हम भी यहां कर सकें। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस मुद्दे को उठाया और मैं उसको स्वीकार करता हूं और मैंने पहले भी कहा था कि उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने आगे आने वाले साल में एक्सपेन्शन का प्रोग्राम रखा है और प्राइमरी स्कूलों में, मिडल स्कूलों में और हायर सैकन्डरी स्कूलों में इस प्रकार बनाया जावे, हमने ३० लाख का प्रोविजन रखा है। प्राइमरी स्कूलों में पूरे जिस तरह से टीचर्स को जिस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रेशियों में रखना चाहिये रख कर, उन्हें तो हमें बराबर चालू रखना ही होगा, बराबर चालू रखेंगे और जितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी हमने आने वाले साल में प्रोवाइड किया है, लेकिन खास तौर से प्राइमरी, मिडल स्कूलों में हम इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं । और इस प्रकार की रोक लगाना चाहते हैं, जैसा मैंने निवेदन किया । इसके अलावा गांवों में और हमारे यहां ७०० और कितने ही हाई स्कूल या हायर सेकन्ड्री स्कूल मैंने बताई हैं, उसमें से आधी के करीब अरबन एरिया में हैं और आधी के करीब रूरल एरिया में हैं । उसमें से ३०१ स्कूलों में साइन्स की व्यवस्था है और वहां भी खास तौर से सभी स्कूलों से साइन्स का सब्जेक्ट नहीं है । इसलिये इन ३०१ स्कूलों में से गांवों में कुल मिला कर ७५-७६ में साइन्स विषय को पढ़ाने की व्यवस्था है । इन स्कूलों में विज्ञान की कक्षा के साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि वहां पर होस्टल तक की व्यवस्था हो, ताकि लड़के वहां पर रह सकें और इसलिये हमने ३० लाख का प्रोविजन रखा है और हम चाहते हैं कि होस्टल और विज्ञान के दृष्टिकोण से हम आने वाले साल में यह चाहते हैं कि ५० हाई स्कूलों में साइन्स और होस्टल खोलने की व्यवस्था की जावे ।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि किस जगह पर खोली जावें और कहां पर नहीं, इसके लिये कई माननीय सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं । उनमें माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे यहां पर होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि मेरे इस उत्तर से उनका भी जवाब आ जाता है । विज्ञान की व्यवस्था कहां कहां की जावे, इसके लिये हम व्यवस्थित रूप से आधार किसको मानें, यह विचार करने के बाद तय हो सकता है । मगर मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पर कितनी मात्रा में साइन्स के विद्यार्थी हैं उनको देखते हुए वहां पर लाइब्रेरी, इक्विपमेंट और होस्टल के बारे में मदद देंगे । और मदद देते समय इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे । हम समझते हैं कि किस स्कूल में क्या व्यवस्था की जावे, वह करेंगे ।

मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य भी इस बात को पसन्द करेंगे और इस बात को पसन्द नहीं करेंगे कि मैं उनको यहां पर हां या ना में जवाब दे दूं; यह उचित नहीं होगा ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : आपने जो शर्त लगा रखी है, उसके बजाय में यह कहूंगा कि आप ६ के बजाय ७ तक कर देंगे । जहां पर आदिवासी एरिया है और जहां पर कोई व्यवस्था नहीं होने वाली है, तो उसके बारे में बिना शर्त आप स्कूल खोलेंगे या वहां के लोगों को टाल देंगे ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे उधर २० स्थान ऐसे हैं जिनके आस-पास हाई स्कूल बिल्कुल नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपका मतलब समझ गया । कुछ इलाके भी वास्तव में पिछड़े हुए हैं और जहां पर कोई धन देने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वालों की शक्ति नहीं है और वहां पर शिक्षण संस्था की आवश्यकता है, वहां इस साल में नहीं, जैसा मैं कह चुका हूं लेकिन आने वाले वर्ष में जहां पिछड़े हुए लोग हैं वहां पर शर्ते हैं कि इतना मकान बनावें और यह करें और यह न करें, उनमें रिलेक्सेशन करके यह किया जावे, इस बात को ध्यान में रखा जायेगा।

एक माननीय सदस्य : जहां पर एक भी पंचायत समिति में हाई स्कूल नहीं है, वहां पर सरकार खोलने के लिये प्राथमिकता देगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने पंचायत समिति को एक विकास का युनिट माना है। हम चाहते हैं कि कम से कम एक पंचायत समिति में एक एक हाई स्कूल अवश्य हो। मगर आज हमारे यहां ८ पंचायत समितियां ऐसी हैं और उसमें से माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वहां ट्राइबल एरिया है, उसमें हायर सेकन्ड्री स्कूल की व्यवस्था हो। हम पंचवर्षीय योजना में आगे बढ़ने जा रहे हैं और हम यह चाहते हैं कि जहां पर जितना विकास हो सके उतना विकास किया जाय और खास तौर से उन इलाकों में जहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

श्री हीराभाई : जहां पर हायर सेकन्ड्री स्कूल नहीं है वहां पर...

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अपना भाषण फिर आगे दे देना। मैं आपका मतलब समझ गया, आपके इलाके को भी विशेष रियायत मुझे मंजूर है।

श्री हीराभाई : लेकिन आप तो लम्बा अर्सा बता रहे है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं लम्बा अर्सा नहीं बता रहा हूं, मैं तो अगले साल ही बता रहा हूं। हम यह चाहते हैं कि जहां पर टैक्निकल लोन देने की जरूरत हो दिया जाय जिससे लोग अपना काम कर सकें; एग्रीकल्चर के विषय और जहां पर पम्पिंग सेट बनाये जा सकते हैं वहां पर उनके लिये व्यवस्था की जावे। हमें इन सब्जेक्टों को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, उसको भी करेंगे।

श्री गंगासिंह (हिन्डौली) : मैंने फौजियों के लिये निवेदन किया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने कहा, मगर इसके लिये मेरी मजबूरी रहेगी।

श्री गंगासिंह : मैं इसके लिये जानकारी चाहता हूं क्योंकि हम जावेंगे तो वहां के लोगों को पूछने पर क्या जवाब देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप उनको यह उत्तर दे दीजिये कि विकास का कार्य इस साल बिलकुल बन्द है।

श्री गंगासिंह : हमें कुछ तो जवाब देना पड़ेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझता हूं कि मुझे इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना है।

Page No 176

श्री गंगासिंह : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया था, मैं उन प्रश्नों का उत्तर...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिये। प्राइमरी एज्युकेशन में प्रत्येक छात्र पर कितना आपका खर्चा आता है और कॉलिज एज्युकेशन में प्रति छात्र कितना खर्चा आता है और इन दोनों के खर्चे में इतना वास्ट अन्तर क्यों है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मेरे पास है। आपने प्राइमरी एज्युकेशन में कुल खर्चे का पूछा है। मैं बताता हूं। पहले ३६.८ था और अब ३८.२ है। फिर पूछा है आपने कॉलेज का। कॉलेज में करीब खर्चा पड़ता है ४८० रुपया।

आप कहेंगे कि इतना वेरिएशन क्यों है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल के लड़के का खर्चा कम पड़ता है, जहां एक कॉलिज पर खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर इक्विपमेंट हैं, सामान है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, पुस्तकें होती हैं, उनकी व्यवस्था है, लाइब्रेरी है, गेम्स का खर्चा है, स्पोर्टस का खर्चा है। ये सब खर्चे प्राइमरी स्कूलों के मुकाबले में कॉलेजों में ज्यादा होते हैं।

श्री भैरोंसिंह ; बाकी की स्टेट्स में अन्तर नहीं है, राजस्थान में ही क्यों है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इससे भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि हमारे यहां कॉलिज एज्युकेशन की कन्डीशन्स आज दूसरों के मुकाबले में काफी पीछे हैं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाये; मैं समझता हूं कि मुझे उनका निराकरण करना जरूरी है, वर्ना वे कहेंगे कि हमारी बहस में उठाये गये मुद्दों का जवाब नहीं दिया। फिक्सेशन, सीनियोरिटी के मामले लम्बे क्यों हो रहे हैं; इस प्रकार के मुद्दे उठाये, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन मामलों के बारे में शिक्षा विभाग ने काफी जागरुकता से इन कामों को हाथ में लिया है।

महारावल साहब डूंगरपुर से आते हैं, उन्होंने कहा कि उदयपुर और जोधपुर में इस बात की व्यवस्था है कि ट्रेनिंग लेने के बाद टीचर्स को ग्रेड दे दिया जाता है, दूसरी जगह नहीं दिया जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात गलत है, सारे राजस्थान में एक ही व्यवस्था है, ग्रेज्युएट ट्रेन्ड को ११५ से २२५ की ग्रेड में नियुक्त किया जाता है, १४० पर फिक्सेशन करते हैं। सारे राजस्थान के लिए एक ही व्यवस्था है। उनकी गलत धारणा है, उनको कोई गलत सूचना दे दी गई है, उस गलत सूचना के आधार पर गलत धारणा बन गई है।

उन्होने यह भी कहा कि चित्तौड़गढ़ और रणथम्भोर में हमारी पुरानी धरोहरें पड़ी हैं, उनको नष्ट नहीं होने दिया जाय। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं; पर

Page No 177

(श्री नाथूराम मिर्धा)

निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां के पुरातत्व के सारे अंग हैं वे भारत सरकार के नीचे हैं, भारत सरकार ठीक ढंग से उनकी देख-रेख कर रही है, किसी प्रकार की चोरी न हो, किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस सम्बन्ध में भारत सरकार सदा कदम उठाती रहती है और राजस्थान सरकार भी जागरूक है।

उन्होंने यह भी कहा कि इनकी एक रिपोर्ट प्रकाशित होनी चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको शायद जानकारी नहीं है, भारत सरकार का आर्क्योलोजिकल डिपार्टमेंट हर साल इनके सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रकाशित करता है और वह हमारे यहां के राजस्थान के रिसर्च में हम पब्लिश कराते हैं, वे उसे पढ़ने की कृपा करें, इस प्रकार की व्यवस्था पहले से है, उनको रुचि हो तो देख सकते हैं।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने टीचर्स के फिक्सेशन के बारे में और हमारे शिक्षा के स्तर के बारे में बहुत सी बातों का जिक्र किया। स्तर का जहां तक सम्बन्ध है, मैंने निवेदन किया कि हम सजग हैं। कुछ व्यवस्थाओं, परीक्षाओं के बारे में उदाहरण देकर उन्होंने बातें कहीं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में खेल के मैदानों के प्रबन्ध के लिए, लाइब्रेरीज़ के लिए और बोर्ड की कन्डीशन्स को पूरा करने के बारे में, सारी बातों को लेकर सरकार ने इस बजट में प्रावधान किये हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छात्रावासों की व्यवस्था की है, अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के बारे में आंकड़ों में क्या सुधार हुआ है, वह मैंने निवेदन किया। एक दफा ट्रेनिंग लेने के बाद भी लगातार टीचर्स को रिफ्रेश रखा जाय, आने वाली चीजों के बारे में उन्हें नई से नई जानकारी दी जाय, इस प्रकार की व्यवस्था शिक्षा विभाग ने हाथ में ली है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अपने एक्स्पेन्सेज़ पर जो टीचर्स ट्रेन्ड होना चाहते हैं, उसमें पाबन्दियां क्यों रखते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिये रखते हैं कि कोई स्वयं के खर्चे पर ट्रेनिंग लेना चाहता है, आगे शिक्षा लेना चाहता है तो जब चाहे तभी टीचर्स चले जायेंगे तो फिर पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां कहां जायेंगे ? पढ़ाने वाले मास्टर लोग परीक्षाएं देने चले जायेंगे तो परीक्षा के दिनों में वे लड़के और लड़कियां क्या करेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो हाइपोथेटिकल है; जैसे सदन के माननीय सदस्य छुट्टी ले लें तो क्या होगा....

श्री नाथूराम मिर्धा : सदन में तो सभी छुट्टी ले लें, मैं अकेला ही भाषण देता रहूं तो कोई एतराज नहीं है; पर सभी मास्टर इम्तिहान देने चले जायेंगे तो लड़के इम्तिहान के समय में क्या करेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक बात सुन लीजिये...

श्री नाथूराम मिर्धा : बातें तो बहुत सुन लीं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार की दलील तो किसी की भी छुट्टी के बारे में दे सकते हैं। हम छुट्टी लेना चाहें उस समय यह दलील दे दें कि सभी ऐसा करने लगें तो कैसे होगा, पर सभी एक साथ कभी ऐसा नहीं करते, यह मान कर बात की जाती है। तो आपकी यह दलील कहां तक जस्टिफाइड है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कोई दलील देने के लिए दलील नहीं देता। इसीलिये कहता हूं कि सरकार को ऐसे मामलों में अपना डिस्क्रीशनरी पॉवर लगाना होगा कि कितनी हद तक किनको पर्मिशन दी जाय। यह सारी व्यवस्था है और उस ही के अनुसार चलना पड़ता है। सभी टीचर्स की मंशा को हम एक साथ पूरा नहीं कर सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ७० पर्सेन्ट तो ट्रेन्ड हैं ही, सब का तो सवाल ही नहीं रहता।

श्री नाथूराम मिर्धा : ३० परसेंट की भी धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं। मैं समझता हूं, अग्रवाल साहब समझ गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे हमदर्दी है आपके साथ क्योंकि यह आपका नया सब्जेक्ट है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ माननीय सदस्यों ने काफी जोर से कहा कि प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स पंचायत समितियों में चले गये हैं, उनको ग्रेड्स के बारे में, सीनियोरिटी के बारे में किसी प्रकार का लाभ नहीं है, जो राज्य सर्विस में रह गये हैं उनको लाभ है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि पंचायत समितियों में प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स भेजे गये थे, उस समय हमने निर्णय किया था कि वे टीचर्स जो पहले लोअर ग्रेड में थे ७५ से ११५ या १२०, इस समय मुझे पूरा याद नहीं, उसमें उनको फिक्स किया जायगा। उनकी सीनियोरिटी फिक्स करने जा रहे हैं, उसके आधार पर पंचायत समितियों में सीनियोरिटी में लिया जायगा और विभाग में प्रमोशन की गुंजायश होगी; थर्ड ग्रेड से सेकन्ड ग्रेड में किया गया तो उन्हें लिया जायगा। तो यह कहने की ऑपोर्चुनिटी नहीं है, यह सही नहीं है।

श्री हीराभाई : आदिवासी लोग मास्टर हैं उनको ट्रेनिंग के लिये २५ परसेंट खर्चा देते हैं तो क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि वे लोग बिना पैसे ट्रेनिंग ले आयेंगे ? आदिवासी और हरिजनों के पास पैसे की गुंजाइश नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : खास तौर से स्टाइपेण्ड का मुद्दा उठाया गया था। पुराने टीचर्स के लिये यह व्यवस्था नहीं है, नये भर्ती होकर ट्रेनिंग में जाते हैं उनको स्टाइपेण्ड देते हैं।

श्री मानसिंह मद्दार (आमेर) : यह गलत बात है, कोई स्टाइपेण्ड नहीं देते।

श्री नाथूराम मिर्धा : पंचायत समिति के टीचर्स के बारे में कहा कि राजनीति में फंस जाते हैं।

Page No 179

श्री मानसिंह महार : पोइंट ऑफ ऑर्डर, माननीय मंत्री ने जो सूचना दी है वह बिल्कुल गलत है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं नया आदमी हूं, हो सकता है ।

श्री मानसिंह महार : आप हमारी तरह कोई ले मैन (layman) नहीं हैं जो कहते हैं कि गल्ती हो गई। आप जिम्मेवारी से बोलिए, आपको १५००) इस बात के मिलते हैं । आप २५ रुपए स्टाइपेन्ड के नहीं देते ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पंचायत समितियों के टीचर्स के बारे में यह कहा गया कि पंचायत समितियों में जाने के बाद वहां के स्टैंडर्ड्स के अन्दर कमी हुई है, वहां टीचर्स का हैरेसमेंट होता है, एपोइंटमेंट्स और ट्रांस्फर्स ठीक ढंग से नहीं हो रहे हैं। इस बारे में एक समिति जो राजस्थान के अलग अलग पंचायती क्षेत्रों में गई थी उन्होंने इस सारे प्रोब्लम्स को खूब गंभीरता से अध्ययन किया है और उन्होंने इस बात की सिफारिश की है कि पंचायत समितियों में प्राइमरी स्कूल्स जाने के बाद कुछ मामलों के अन्दर बड़ा सुधार हुआ है और कुछ मामलों के अन्दर कमियां हैं । इसलिए इस बैलेंस की नाप तोल करके उनके सुझावों को जिनमें टीचर्स के एपोइंटमेंट्स और ट्रांस्फर्स के बारे में कहा गया है, सोच कर लागू करेंगे तो जो नई लीडरशिप है उसको मौका मिले ताकि वहां लड़कों की संख्या बढ़े, प्रौढ़ शिक्षा का विकास हो, नई लीडरशिप क्रिएट हो। यहां किसी माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत समितियों से इन स्कूलों को वापस लिया जाय, यह उचित नहीं होगा । हमें इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को जिम्मेवारियां देनी चाहिए, उन्हें योग्य बनाना चाहिए । कमेटी ने सिफारिश की थी, कुछ सुधार की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि ऐसा सोचना कि इन सारी संस्थाओं को वापस लिया जाय, या राज्य सरकार ठीक व्यवस्था कर सकेगी, मैं इस मत के साथ नहीं हूं ।

श्री भैरोंसिंह : इस रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूरत होगी तो करेंगे, अभी नहीं कह सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : फिक्सेशन के बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं उस पर भी आ रहा हूं ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आपने फरमाया कि पंचायत समितियों के अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट बनाई जायगी । लेकिन सन् १९५९ से जो पंचायत समितियों के पास अध्यापक थे आज तक लिस्ट पूरी पूरी नहीं बनी। उसके बाद जो लोग जूनियर थे और जिनका प्रोमोशन हो गया उसका क्या करेंगे ? दूसरी पोजीशन यह है कि पंचायत समितियों में ऐसे भी अध्यापक हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में थे, वे २०-२० साल से काम कर रहे हैं । उनकी सीनियोरिटी का आज भी नाम नहीं है

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सवाल करेंगे तब जवाब दूंगा। नायक समिति की रिपोर्ट के बारे में कहा गया। वह रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आप उसका अध्ययन करें, फिर गौर करेंगे।

टीचर्स के बारे में कई बार चर्चाएं आती हैं। जहां तक टीचर्स के नए वेतन श्रृंखलाओं में फिक्सेशन का प्रश्न है इस बारे में विभाग काफी प्रयत्नशील है। अब कुल मिला कर पिछले ५ मास के अन्दर ६००० केसेज़ को हम निबटा चुके हैं, जिनका फिक्सेशन पूरा हो चुका है और अब करीब लगभग हमारे पास एक हजार केसेज़ हैं और उन केसेज़ को आने वाले दो-तीन मास के अन्दर पूरी तरह से निबटा देंगे। तब फिक्सेशन का प्रश्न हमारे शिक्षा विभाग में हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगा।

टीचर्स की सीनियोरिटी के प्रश्न को विभाग ने अपने हाथ में लिया है और आने वाले ५-६ मास के अन्दर जितने भी मास्टरों के सीनियोरिटी केसेज, तमाम लेविल्स पर उनकी लिस्टें प्रकाशित कर दी जायेंगी और उसके बाद जो प्रोसीजर फोलो करने का होगा वह जल्दी से जल्दी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा करके सब केसेज़ को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अध्यापक थे उनकी लिस्ट २०-२० साल से नहीं बनी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो अनट्रेन्ड ग्रेजुएट्स हैं उनको अभी तक थर्ड ग्रेड की तनख्वाहें दे रहे हैं, उस बारे में क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इतनी डिटेल का मैं नहीं कह सकता। उनका फिक्सेशन इस साल के अंत तक हो जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवालों के जरिए हमने रेज़ किया है। इस वक्त तो उम्मीद करते हैं कि....

श्री नाथूराम मिर्धा : पॉलिसी तो कह सकता हूं कि इस साल के अन्त तक सीनियोरिटी, ग्रेड्स, फिक्सेशन के मामले इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी तरह से समाप्त कर दिये जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो अन्ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स को थर्ड ग्रेड मिल रहा है उसका कोई निर्णय नहीं लिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं ऑफ हैंड नहीं कह सकता। खास तौर से जो अध्यापकों के अखिल भारतीय आंदोलन का प्रश्न चल रहा है उस प्रश्न को लेकर राजस्थान के शिक्षक वर्ग के अन्दर हलचल हुई। उन्होंने ऐसी कुछ मांगें विभाग के सामने, पहले भी समय समय पर राजस्थान सरकार के सामने रखी हैं। उन मांगों की डिटेल्स में जाना मैं पसंद नहीं करूंगा। उनमें जितनी उचित मांगें हैं उन पर विभाग की ओर से गौर किया जा रहा है। अभी शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल राजस्थान के मुख्य मंत्री से मिला था, वित्त मंत्री के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सामने बातें हुई थीं । जो कुछ अखबारों में प्रकाशित हुआ हैं, वह मुख्यमंत्री से जानने की कोशिश की कि क्या बातें हुई हैं और क्या निर्णय आपकी तरफ से हुए हैं । उन्होंने यह बताया कि मैंने अध्यापकों से कहा कि जो आपकी बातें उचित हैं, आप लिख कर दीजिए, हम उन पर सहानुभूतिपूर्वक गौर करेंगे और जिन बातों पर निर्णय करना आवश्यक है उन पर तुरंत निर्णय भी लेंगे ।

जहां तक अध्यापकों के २० रु० से कम के क्लेम्स का सवाल है, मुझे जो जानकारी है,जी० एफ० आर० में एक रूल है, उस रूल में यह व्यवस्था है कि २० रुपये के पेट्टी अमाउंट्स के जो क्लेम हैं और मयाद तीन साल से ज्यादा हो जाय तो फिर क्लेम को ड्राप कर देना चाहिए । लगभग ६०० क्लेम्स अध्याय कों के हैं, उनमें करीब १० हजार रुपए इन्वोल्ड हैं । मुख्य मन्त्री ने अध्यापकों से कहा है कि ये केसेज लिमिटेशन के पर्व्यू में आते हैं, फिर भी शिक्षक छोटी वेतन पाने वाले हैं तो ऐसी व्यवस्था हम करना चाहते हैं कि जिससे ये क्लेम्स निपट जायं । मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था से सबको सन्तोष होगा ।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि मुदालिर कमीशन की सिफारिशें मन्जूर की हैं । टीचिंग पर्सोनेल्स के बारे में जो रिकमण्डेशन्स की हैं उनको आपने स्वीकार किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि रिकमन्डेशन्स को विभाग ने अध्ययन किया है, बहुत सी बातों को लागू किया गया है, बहुत सी बातें अभी भी विचाराधीन हैं । बहुत सी बातों में फाइनेन्शियल इम्पली-केशन्स हैं ।

श्री भैरोंसिंह : वह सब कुछ ठीक है । इस संबंध में १८ रिकमन्डेशन्स हैं । उनमें से आपने एक रिकमन्डेशन भी मानी है क्या टीचिंग पर्सोनेल्स के सम्बन्ध में ?

सी नाथूराम मिर्धा : रिकमन्डेशन्स क्या हैं, वे मैंने पढ़ी नहीं हैं । इसलिए उनमें से कितनी मानी हैं और कितनी नहीं, मानी हैं इनके बारे में मैं अभी जवाब देने में असमर्थ हूं ।

श्री भैरोंसिंह : आप उनसे पूछ लीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस तरह से थोड़े ही जवाब दिया जाता है कि पूछ लिया और जवाब दे दिया । एक मिनट में पूछना और जवाब देना उचित नहीं है । और मौके आवेंगे, जवाब दूंगा । आप भी इस सदन में काफी दिन तक रहेंगे और मैं भी रहूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे । उन्हें ही कहने देते ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मिशनरी स्कूल्स का क्या हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आगे जिक्र करूंगा।

यह जिक्र किया गया कि विद्यार्थियों की फीस आदि के बारे में सरकार लोकल फंड ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ती है या नही ? जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को और सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि लोकल फंड ऑडिट की जितनी रिपोर्टस आती हैं, विभाग गौर करता है और उनमें जो कुछ भी ऑब्जेक्शन्स या अनियमितताओं का जिक्र होता है उनको ठीक करने के लिए जो कदम उठाने चाहिये वे उठाये जाते हैं और आगे भी उठाये जाते रहेंगे।

मैं समझता हूं, कुछ प्रश्न खास तौर से रह गये हैं। आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने खास तौर से उन्होंने कुछ मुद्दे उठाये उनका जवाब नही दूं तो उनको सन्तोष नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि बाल मंदिर को ग्रान्ट इन एड ४० परसेन्ट दी जाती है वह बहुत कम है; माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक संस्थाओं को ग्रान्ट इन एड देने का सम्बंध हैं उसके लिए राज्य में नियम बन चुके हैं और उन नियमों के अन्तर्गत ही ग्रान्ट इन एड दी जाती है। उन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है। ग्रान्ट इन एड नियमों के अन्तर्गत खर्चे का हिसाब वे कमेटी को भेजते हैं और कमेटी यह देखती है कि वाजिब है या गैर वाजिब और फिर वह नियमों के अन्तर्गत उन प्रावधानों को अपनी सिफारिश के साथ राज्य सरकार के पास भेजती है और नियमों के अनुसार ही राज्य सरकार ग्रान्ट इन एड देती है। आर्बिट्रेरी तरीके से चाहे जितना जिसको दे दें और चाहे जिसको न दें, इस प्रकार बात सदन में कहना उचित नहीं होगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिद्धान्तों के अनुसार ही काम करते हैं। यह कहा गया कि ४० परसेन्ट ही बाल मंदिर को मिलता है, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अब तो नये नियमों में प्रावधान है कि किसी भी संस्था को ५० प्रतिशत से कम न दिया जाय, इसलिए इस संस्था को भी ४० परसेन्ट के बजाय ५० परसेन्ट ही मिलता है। चतवाड़ की संस्कृत पाठशाला को लेकर यह कहा गया कि संस्कृत पाठशाला के एक महाशयजी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में यह कहना कि उनको कोई प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि सारी जांच करने के बाद कर्मचारियों की गलती होना प्रमाणित होता है और जिन्होंने गलत तरीके से पैसा दिखा कर उठा लिया, वह सारी की सारी रकम उनसे वसूल कर ली है और कानूनी कार्यवाही की गई है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : क्या कानूनी कार्यवाही की, यह ही बता दीजिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रुपया वापिस वसूल कर लिया, सस्पेन्ड कर दिया।

श्री मानसिंह महार : यह बिल्कुल गलत सूचना है, अध्यक्ष महोदय। किसी को

(श्री मानसिंह महार)

सस्पेंड नहीं किया गया। रुपया जरूर रोक लिया है। इतना सफेद झूठ इस सदन में बोला जाय यह, काबिले बर्दाश्त नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी शिकायत यही हैं कि कुछ लोग जो उस संस्था में नहीं थे उन लोगों के नाम बता कर गलत तरीके से ग्रान्ट इन एड उठा ली। तो उस संस्था के लिए यह किया कि जो गलत ग्रान्ट इन एड उठा ली, गलत दिखा कर उठा ली, रुपया उससे वापिस वसूल कर लिया, मैनेजिंग कमेटी के ऑफिस में तालमेल नहीं था और जिसकी वजह से गड़बड़ चल रही थी, उस सारी वर्किंग कमेटी को भंग कर दिया और उस संस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हमारा खुद का आदमी व्यवस्थापक नियुक्त कर दिया गया। इससे अधिक क्या?

श्री मानसिंह महार : धोखाधड़ी में उनका चालान नहीं किया।

श्री नाथूराम मिर्धा : आगे सोचेंगे, धोखाधड़ी होगी तो।

श्री मानसिंह महार : गलत जवाब मत दीजिये कि धोखाधड़ी कुछ नहीं है। मैं पर्सनल नोलेज से कह रहा हूँ। आप कह दीजिये कि मैं इस विभाग में नया हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जितनी जानकारी है वह मैंने बता दी।

श्री अध्यक्ष : जो एक्शन लिया वह भी बता दिया। गलत तो नहीं है।

श्री मानसिंह महार : बिल्कुल गलत है। रुपया माइनस कर लिया। जो कार्यवाही की बात कही गई है वह बिल्कुल गलत है। कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वर्किंग कमेटी भंग नहीं हुई?

श्री मानसिंह महार : लड़–झगड़ कर दो वर्किंग कमेटीज बन गई। उनको किसी को भंग नहीं किया। पार्टीबाजी में जिसने पैसा खाया था उसी को रखा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जोर से कहा कि आमेर से आता हूं, विरोधी पक्ष का आदमी हूं, कोई बात कहता हूं तो कोई सुनवाई करते हैं और फिर कहने लगे कि आमेर में एक भी हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है। मैं आपकी मार्फत, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आमेर पंचायत समिति में दो हायर सैकन्डरी स्कूलें हैं।

श्री मानसिंह महार : मैंने यह कहा था कि आमेर कॉन्स्टिट्युएन्सी में एक भी हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है। आप सदन को मुगालते में नहीं रखिये। पंचायत समिति आमेर की मत कहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : "कोन्स्टिट्युएन्सी" का शब्द मैंने सुना नहीं। यदि कॉन्स्टिट्युएन्सी वाइज माननीय सदस्य यह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सोचेंगे कि हमारे यहां हायर सैकन्डरी स्कूल खोले जायं, प्राइमरी स्कूल खोले जायं तो यदि सदन पास कर देगा तो मुझे खोलने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह हो नहीं सकता। विकास की युनिट हमारी पंचायत समिति है। उसके अन्दर, इस सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी होगी; नहीं है तो में देना चाहता हूं कि आज भी दो हायर सैकन्डरी स्कूल्स चल रहे हैं। एक अचरोल और दूसरा मानपुर माचेड़ी।

श्री मानसिंह महार : दोनों जमुआ रामगढ़ में हैं। मैंने यह कहा था कि आमेर कॉन्स्टिट्युएन्सी में एक भी हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने का मापदंड होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कह चुके हैं कि इस साल एक भी नहीं खोलेंगे।

श्री मानसिंह महार : हर साल यही कहा जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक भी नहीं खुलेगी, मैं कह रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब के माननीय मंत्रीजी ने चार्ज सम्हाला है, इसलिए एक भी नहीं खुलने देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता था कि मुझे सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहिए और मुझे अपने भाषण को समाप्त करना चाहिये....

(७.०० म. प.)

श्री गिरधारीलाल व्यास (शासीन्द) : एक प्रश्न रह गया है; मिशनरी स्कूल्स जो प्राइवेट तौर पर चलते हैं उन इंगलिश प्राइमरी स्कूल्स से और हमारी प्राइमरी स्कूल्स में आप भेदभाव क्यों रखते हैं, उसको किस प्रकार से मिटाने की सोचते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था मिशनरी स्कूल्स के सिलसिले में। उनके अन्दर एक स्टेन्डर्ड है, उसमें हमारे मंत्रीगण और अफसर लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, उसके लिए कहा गया कि राजस्थान सरकार को उनके मुकाबले की सस्थाओं को चलाना चाहिये। उनका कहना है कि वहां जिस प्रकार की आचरण व्यवस्था है वह देश के हित में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार की संस्थायें हमारे यहां पर काम करें, किसी को उनका दृष्टिकोण उचित लगे, किसी को नहीं, ये हरेक के अपने अपने ख्याल हैं। देश के कई भागों में इस प्रकार की संस्थायें हैं वहां जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वह काफी महंगी है; लेकिन जो एफोर्ड कर सकते हैं वे अपने बच्चों को भेजते हैं...

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप एड क्यों देते हैं ? सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी शिक्षण संस्थाओं के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अन्दर हमारे लोगों के काफी बच्चे पढ़ते हैं। ऐसी संस्थाओं को एड नहीं दें या इनके साथ अच्छा बरताव न करें तो यह अच्छी परम्परा नहीं होगी। इसलिये राज्य सरकार यह चाहती है कि अच्छे स्कूल जो खुले हैं वे चलते रहें और राज्य सरकार अपनी आर्थिक व्यवस्था के अनुसार और भी जो अच्छे स्कूल खोल सकती है खोलेगी। ऐसी आदर्श संस्थायें बनायी जा सकती हैं तो इसमें दो राय नहीं हो सकती। ज्यों ज्यों साधन उपलब्ध हों ऐसी संस्थायें बनें।

जिन संस्थाओं को हम अच्छे टाइप की संस्थायें बनाना चाहते हैं वहां अच्छे इक्विपमेंट्स देकर, लेबोरेटरी की व्यवस्था कर, अच्छे टीचर्स का प्रावधान कर, होस्टल आदि की व्यवस्था कर कुछ ऐसी संस्थायें राजस्थान में मिडल स्कूल लेवल पर हायर सैकन्डरी स्कूल के लेवल पर, कॉलेज लेवल पर खोलने का सरकार का विचार है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप जब प्राइमरी एज्यूकेशन कम्पलसरी और फ्री कर रहे हैं वहां ऐसी स्कूल्स में जहां प्राइमरी शिक्षा होती है इतनी ऊंची फीस लेकर लड़कों को भरती किया जाता है, उसमें गरीब के बच्चे जा नहीं सकते तो फिर गवर्नमेंट एड क्यों देती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत थोड़ी एड देते हैं, ज्यादा खर्चा तो वे खुद उठाते हैं। अच्छी संस्थायें हों और वे ठीक काम करती हैं तो एतराज नहीं; होना चाहिये गरीब लोगों के नाम पर, कहना उचित नहीं। व्यासजी इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इन मिशनरी स्कूल्स पर कन्ट्रोल गवर्नमेंट का है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस प्रकार की मिशनरी कूल्स को राजस्थान सरकार ने आज दिन तक कोई एड नहीं दी है। एकाध दफा नोन रेकरिंग की एड जरूर दी थी। उसके बाद कोई एड नहीं दी गई। इस पर उनको हैरेस करने की बातें करें, यह उचित नहीं।

श्री भैरोंसिंह : सरकार की नीति इन संस्थाओं के संचालन में हस्तक्षेप करने की है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर कोई कानून बन कर आता है तो इस पर सदन विचार करे, उसके बाद देखा जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अगर कोई स्कूल एन्टी-नेशनल शिक्षा देना प्रारम्भ कर दे, क्या सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एन्टी-नेशनल एज्यूकेशन किसी भी संस्था में दी जाती है तो उसकी रोक होगी। हम चाहे जैसा कन्ट्रोल एन्टी-नेशनल एक्टीविटी का नाम लेकर नहीं डाल सकते।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान एज्यूकेशन कोड इन पर लागू है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लागू होने का प्रश्न नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सरकार का कन्ट्रोल हर स्टेप पर होना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : इन मिशनरी स्कूल्स को हम एड देते नहीं। उनका बोर्ड बना हुआ है, उसमें हमारे शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि रिप्रेजेन्टेड हैं....

श्री भैरोंसिंह : आपने एज्यूकेशन कोड के बारे में नहीं बताया।

श्री नाथूराम मिर्धा : लागू है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक इम्पोर्टेन्ट इत्तला प्रातः दी थी कि एक पेपर आउट हो चुका है जो बाजार में बराबर बिक रहा है उसके बारे में क्या इत्तला मिली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तक इत्तला नहीं मिली है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में लगातार ११ बजे से कॉन्टेक्ट किये हुए हैं लेकिन अभी तक सन्डे होने के कारण कॉन्टेक्ट नहीं हो सका है। इसलिये हम यह नहीं कह सकते कि यह वही पेपर है जो कल आने वाला है।

श्री भैरोंसिंह : यह बाजार में बिक रहा है। सरकार इस समय नहीं जान सकी तो कल उन लड़कों का क्या होगा जो इसी पेपर के आधार पर तैयारी कर रहे हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हम रात को इस बारे में प्रयत्न करेंगे।

श्री रामनन्द अग्रवाल : मैंने एज(age) के बारे में जो सवाल उठाया था उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। जोधपुर यूनिवर्सिटी में कुछ रूल्स हैं, जयपुर में कुछ रूल्स हैं; यह अलग अलग पोलिसी क्यों है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने एज का प्रश्न उठाया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, विश्वविद्यालय ओटोनोमस बोडीज हैं, उस पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (जयपुर में अलग, जोधपुर में अलग है; इसको तो एक कर सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : दोनों आजाद हैं : ओटोनोमस हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : What is the sense in keeping this ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सेन्स है या नोनसेन्स है, यह तो सिन्डीकेट विचार करके निर्णय ले सकता है। आपकी बात पर वे सोच सकते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट ने अपनी राय बनाकर विश्वविद्यालय को भेजा है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : समय समय पर राय लेते हैं, देते हैं; इसके अलावा आपके भाषण अखबारों के जरिये पढ़ते हैं, और और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तरीके से भी वे यहां की न्यूज़ जानते रहते हैं; अतः इन पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, हमारे जो शिक्षा के लक्ष्य हैं उनके बारे में निवेदन कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। आने वाले वर्षों के अन्दर हमारी शिक्षा के बारे में क्या नीति रहेगी ? प्राइमरी एज्यूकेशन को सारे राजस्थान में फ्री किया है, वह हमारे संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत किया गया है, उसमें सभी लड़के लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में माननीय सदस्य भिजवायें, यह मेरा उनसे अनुरोध है, ताकि हमारा प्रान्त शिक्षा की प्रगति में आगे आ सके। मैं समझता हूं, इस बारे में हमें आपका पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा।

पंचायत समिति के लेवल तक जो संस्थायें हैं उनमें भी जागरूक रह कर हमें इस देश के अन्दर महिला शिक्षा में प्रगति करनी है, उसमें भी आपका पूरा सहयोग रहेगा।

मिडल स्कूलों के बारे में जैसा कहा, मैं निवेदन करूं कि आज की इनकी स्थिति १ और ६ की है। इसको आने वाले प्लान और दूसरी प्लान तक करीब पांच और सात के बीच में पहुंचा सकें, ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि ग्रामों में प्राइमरी लेवल से निकले लड़के-लड़कियों को आदर्श मिडल स्कूलों में ले सकें और वहां उनके लिये क्राफ्ट और साइन्स की भी व्यवस्था रहे।

तीसरी प्रायोरिटी आने वाले वर्षों में इसको देने वाले हैं कि हमारी हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी लेवल पर जो स्कूलें हैं उन पर भी ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान केन्द्रित करके हम ठीक रूप से उनको चलाने के लिये सारी व्यवस्थाएं कर सकें।

इसी प्रकार से हमारे राजस्थान के अन्दर ज्यादा से ज्यादा टैक्नीकल एज्युकेशन को प्रायोरिटी रहे और सबके बाद में जनरल एज्युकेशन के बारे में। उसका भी ठीक ढंग से विकास हो। तो इन सारी प्रायोरिटियों को ध्यान में रख कर चलेंगे तो आने वाले वर्षों में हम राजस्थान की चहुंमुखी प्रगति, शिक्षा के क्षेत्र में, कर पावेंगे।

मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि अगर ये हमारी दिशाएं रहीं और जिस प्रकार अभी तक हमने इन दिशाओं की तरफ बढ़ने की कोशिश की है तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को पा सकेंगे। इसमें जो प्रगति हमने अब तक की है इसके लिये किसी एक को श्रेय नहीं है, सारे ही सदन को इसका श्रेय है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आप कह रहे हैं; आचार्यजी ने कभी नहीं कहा था।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : मैं जानता था आप सहयोग देने वाले नहीं हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : और जिस मंजिल पर हम पहुंचना चहते हैं वहां हम जल्दी से जल्दी पहुंचे और अच्छे से अच्छे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नागारिक तैयार करें, यह हमारा प्रयत्न बराबर रहा है और आगे भी रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने अपने कटौती के प्रस्ताव रक्खे हैं वे विथड्रा कर लें; नहीं करें तो इस मांग को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो और भी ज्यादा पैसे की मांग करें; ज्यादा पास कर देंगे, हमारा तो बहुत उदार हृदय है।

श्री भैरोंसिंह : बाजार में पेपर बंट रहे हैं कल के ही। इसका परिणाम यह होगा कि सुबह सरकार इत्तला देगी तो कुछ होगा नहीं, इसलिये इसको अभी कुछ कहें तो स्टडी करके जावेंगे नहीं; नहीं तो विद्यार्थी इसी को स्टडी करके एग्ज़ामिननेशन में जावेंगे और इसके भरोसे रहेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने टाइप्ड कागज दिये हैं, जिनमें पेपर की शक्ल है। हमने बराबर प्रयत्न किया है कन्टैक्ट करने का, पर आज सन्डे होने से कन्टेक्ट नहीं कर पाये हैं। रात को एसर्टेन करेंगे कि कहां तक इसमें सच्चाई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रात को साधन मालूम करने के ज्यादा उपलब्ध हो जावेंगे क्या दिन के बनिस्बत ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १७,९२,५०,०००, रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १५ स्वीकार की गई।

(विराम)

इससे सम्बन्धित कटौती के प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,९९,१०,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १२ स्वीकार की गई।

(विराम)

इससे सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित कीजाती।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ७. १४ बजे, कल दिनांक २२ मार्च, १९६५ के म० पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४२१ का उत्तर देखिये)

			High/HSS/MPHS Schools	Middle Schools	Primary Schools.
1.	Inspector of Schools,	Jodhpur	31	81	76
2.	-do-	Barmer	To all Institutions		
3.	-do-	Nagaur	21	62	39
4.	-do-	Pali	19	55	21
5.	-do-	Sirohi	18	57	31
6.	-do-	Bikaner	15	42	97
7.	-do-	Churu	24	55	130
8.	-do-	Ganganagar	36	—	71
9.	-do-	Udaipur	39	99	55
10.	-do-	Dungarpur Banswara	90	—	23
11.	-do-	Bhilwara	To all institutions		
12.	-do-	Chittorgarh	17	56	26
13.	-do-	Jhalawar	10	35	12
14.	-do-	Kota Bundi	17	10	—
15.	-do-	Jaipur	41	54	17
16.	-do-	Jhunjunu	42	65	50
17.	-do-	Bharatpur	22	66	69
18.	-do-	Sawai Madhopur, Tonk, Karauli	32	100	76
19.	-do-	Ajmer	40	54	100
20.	-do-	Alwar	38	93	—
21.	-do-	Sikar	23	87	53

Notes—Besides this, the forms were also supplied to Vikas Adhikaries/Panchayat Samities.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-रविवार, दिनांक २१ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३९८०	६	मिर्धा	मिर्धा
३९८१	अन्तिम से ८	उप-मत्री-गृह	उप-मंत्री, गृह
३९९२	शीर्ष	(श्री भै	(श्री भैरोंसिंह)
४००२ व		माच, ६५	मार्च, ६५
४३००	शीर्षक		
४०१०	प्रथम	श्री निरजननाथ	श्री निरंजननाथ
४०१८	१७	श्री फब्दुलजब्बार	श्री अब्दुलजब्बार
४०३६	७	मिड़िल	मिडल
४०४१	१३	दो मांगे	दो मांगें
४०४४	५	केप्रतिवेदनका	के प्रतिवेदन का
४०४५	१३	मिर्घा	मिर्धा
४०४६	शीर्षक	१५ व ११	१५ व १२
,,	१०	(हिडोली)	(हिन्डोली)
,,	७	किसान ो	किसानों
४०४७	शीर्षक	पुशिस	पुलिस
४०५२	१३	(बनेडा)	(बनेड़ा)
४०५७	शीर्षक	शित्रा	शिक्षा
४०५९	,,	शिथा	,,
४०७०-७१	,,	मार्च, ५५	मार्च, ६५ :
४०९६	अन्तिम से ४	के लिये) ।	के लिये) ।]
४१३५	८	(शेम शेम)	—
४१५७	१३	में, रखना	में रखना
,,	१४	राज्य-पक्ष द्वारा शेम शेम की आवाज	—
४१९५	२२	Places	places
४२१२	शीर्ष	(श्री मुक्तिलाख	(श्री मुक्तिलाल
४३३१	शीर्षक	पुलीस	पुलिस
४२५३	६	माननीय : सदस्य (	माननीय सदस्य : (
,,	अन्तिम	raisea	raise a
४२५४	प्रथम	poinnt	point

१	२	३	४
४२५४–५५	शीर्षक	२१ मा	२१ मार्च
४२५५	७	stands	stands.
४२६६	१०	लाठिया पडी	लाठियां पड़ीं
४२७४–७५	शीर्षक	२४७४...२४७५	४२७४—४२७५
४२८२ व			
४२९०	शीर्ष	सुखाडिया)	सुखाड़िया)
४२९८	६	सुखाडिया	सुखाड़िया
४३००	२२	हुई है ।	हुई है
४३०१	९	री-इंसटेट	रीइन्स्टेट
४३०६	१३	श्री हरिप्रसाद्र	श्री हरिप्रसाद
४३२६	अन्तिम	कहा हैं	कहा है
४३३७	२४–२५	पूरी पूरी नहीं	पूरी नहीं
,,	अन्तिम से ३	बोर्ड्स	बोर्ड्स
४३३९	१९-२०	जो अध्यामकों के	जो अध्यापकों के
,,	२४	सनय समय	समय समय
४३४०	२	हुआ हैं	हुआ है
,,	७	सहानुभूतिपूर्विक	सहानुभूतिपूर्वक
,,	१८	अध्याय कों	अध्यापकों
,,	२४	क्लेस्स	क्लेम्स
४३४१	५–६	फाइनेन्यिशयल इम्पली	फाइनेन्शियल इम्प्ली
४३४२	८	रिपोर्टस	रिपोर्ट्स
,,	१५	माननीब	माननीय
,,	१६	मंदिर का	मंदिर को
,,	२४	बन कुके	बन चुके
४३४३	१३	सस्था	संस्था
४३५१	३	श्री रामनन्द	श्री रामानन्द
४३५५	अन्तिम से ५	की जाती	की जाती है ।